माला, खण्ड 43, अंक 11 सोमवार, 10 अगस्त, 1970/19 श्रावण, 1892 (शक)
Fourth Series, Vol. XLIII, No. 11 Monday, August 10, 1970/Sravana 19, 1892 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र / Eleventh Session]

PARLIAMENT LIBRARY
No. 61042
Date 11.12.70

[खण्ड 43 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XLIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is Translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. In English/Hindi.]

विषय-सूची CONTENTS

अंक—11, सोमवार, 10 अगस्त, 1970/19 श्रावण, 1892 (शक)
No.—11, Monday, August 10, 1970/Sravana 19, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
301. मंहगाई भत्ते को पेंशन में मिलाना	Merger of Dearness Allowance with Pension	1—5
303. महत्वपूर्ण औषधियों का आयात	Import of Vital Drugs	5—7
305. भारत में कार्य कर रहीं विदेशी दवाई फर्में	Foreign drug Firms Functioning in India	
306. कलकत्ता में गन्दी बस्तियों की सफाई के कार्य में सहायता	Assistance for Slum Clearance Works in Calcutta	9—15
309. काले धन तथा कर अपवंचन का पता लगाने के लिये वांचू समिति	Wanchoo Committee on Unearthing of Black Money and Tax Evasion	15—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
302. मौलाना आजाद मैडिकल कालेज, नई दिल्ली में दूसरी पारी	Second Shift in Maulana Azad Medical College, New Delhi	18—19

किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
304. बैंक ऋण में वृद्धि	Rise in Bank Credit	19—21
307. उर्वरक संयंत्रों के लिये केटेलिस्टों और मशीनों की सप्लाई हेतु भारतीय उर्वरक निगम द्वारा विकासशील देशों के साथ करार	Agreement with developing Countries by FCI for Supply of Catalysts and Machinery for Fertilizer Plants	21—22
308. कोयला बोर्ड तथा कोयला नियंत्रक के कार्यालयों का विलय	Merger of Officers of Coal Board and Coal Controller	22
310. डा० राम मनोहर लोहिया की मृत्यु की जांच	Investigations into Dr. Ram Manohar Lohia's Death	22—23
311. नमक जमा हो जाने के कारण पैदा होने वाले रोगों की रोक थाम	Prevention of Diseases from Concentration of Salt	2
312. एक नया मैडिकल कालेज खोलने के लिये दिल्ली प्रशासन को सहायता	Aid to Delhi Administration for Opening a New Medical College	24
313. मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices	24 - 25
314. मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलजखंड में ताम्बे के निक्षेपों का पता लगना	Copper Deposits Discovered at Malanj Khand in Balaghat District of Madhya Pradesh	25
315. मैडिकल स्टोर्स संगठन का कार्य	Working of Medical Stores Organisation	26—28
316. राजधानी में मैडिकल कालेजों में दाखिला	Admission in Medical Colleges of the Capital	28—29
317. खेतरी तांबा परियोजना में परीक्षण के रूप में बनाया गया तांबा पिंड	Experimental Copper Ingot Turned out at Khetri Copper Project	29—30
318. विदेशी तेल शोधक कारखानों द्वारा भारत के हिस्से के ईरानी तट दूर रूस्तम अशोधित तेल का शोधन	Refining of India's Share of Iranian Off-Shore Rostam Crude by Foreign Refineres	30—31

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
319. राजधानी में आंत्र शोध के मामलों में वृद्धि	Increase in Cases of Gdstro Enteritis in the Capital	31—32
320. मन्दिरों के पास बेकार पड़ा धन	Amount of Idle Wealth Lying with Temples	32
321. ओखला के निकट यमुना नदी में पाई गई मृत मछलियां	Dead Fish found in River Yamuna near Okhla	32
322. ग्रांड होटल, शिमला के एक भाग के पट्टेधारियों द्वारा अदा किया गया आयकर	Income Tax Paid by Lesses of a Portion of Grand Hotel, Simla	33—34
323. शेख अब्दुल्ला और उनकी पत्नी के नाम आय कर की बकाया राशि	Outstanding Amongst of Income Tax against Sheikh Abdullah and his Wife	34
324. राष्ट्रीयकृत बैंकों में सतर्कता सेल	Vigilance Cells in Nationalised Banks	34
325. राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रशासकीय कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी नियम	Rules Regarding Pension of Administrative Staff of Nationalised Banks	35
326. ब्रिटेन में चरस की तस्करी करने वालों का पकड़ा जाना	Apprehension of Hashish Smuggler in U. K.	35
327. कोल्हापुर के निकट चोरी छिपे लाये गये सोने के बिस्कुटों की बरामदगी	Recovery of Smuggled Gold Biscuits near Kolahpur	35—36
328. उचित परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण खानों से कोयले को अन्यत्र ले जाने में धीमी प्रगति	Slow Movement of Coal from Mines due to Lack of Proper Transport Facilities	36
329. नमक कर निधि	Salt Cess Fund	37
330. हल्दिया तेल शोधक कारखाने को अशोधित तेल की सप्लाई के बारे में कथित त्रुटिपूर्ण करार	Alleged Defective Agreement for Supply of Crude to Haldia Refinery	37—38

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अतारांकित प्रश्न संख्या		
U. S. Q. Nos.		
2001. पंचायत समितियों तथा नगर पालिकाओं द्वारा भविष्य निधि और बीमा निधि का उपयोग	Use of Provident Funds and Insurance Funds by Panchayat Samities and Municipalities	38
2002. कारों की तस्करी	Smuggling of Cars	38—39
2003. सरकारी अस्पतालों में घटिया दवाओं का उपयोग	Use of Sub Standard Medicines in Government Hospitals	40
2004. मैसर्स हाइड्रो कार्बन्स द्वारा रूस्तम क्रूड का कुल उत्पादन तथा बिक्री	Total Production and Sale of Rostam Crude by M/s Hydro Carbons	40—41
2005. आय कर के निर्धारण सम्बन्धी मामलों पर पुनः विचार	Reopening of Assessment Cases of Income Tax	42
2006. भारतीय तेल निगम के कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति	Appointment of Functional Directors in IOC	42
2008. औषधियों के मूल्यों पर नियंत्रण के बारे में विदेशी औषध निर्माताओं के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श	Discussion with Representatives of Foreign Drug Manufacturers Regarding Control on Drug Prices	43
2009. भारतीय उर्वरक निगम में क्रियाशील निदेशकों की नियुक्ति	Appointment of Functional Directors in FCI	43—44
2010. बिड़ला फर्मों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulations by Birla Firms	44
2010. जमा बीमा योजना	Deposit Insurance Scheme	45
2011. नई दिल्ली में संसद भवन तथा इण्डिया गेट के सामने देशभक्तों की प्रतिमाओं की स्थापना	Installation of Statues of Patriots in Front of Parliament House and India Gate in New Delhi	45—46

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2012. पश्चिम बगाल की ओर से ऋण के लिए आवेदन	Applications for Loan from West Bengal	46—47
2013. लघु उद्योगों के लिये रिजर्व बैंक आफ इडिया की ऋण गारंटी योजना	Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries by Reserve Bank of India	47
2014. तृतीय वेतन आयोग	Third Pay Commission	47—48
2015. कलकत्ता में अस्पतालों और औषधालयों से औषधियों की छट पुट चोरी की रोकथाम	Preservation of Pilferage of Medicines from Hospital and Dispensaries in Calcutta	48
2016. विश्व बैंक के अध्यक्ष द्वारा कलकत्ता के विकास के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करने का वायदा	Promise by President of World Bank for Making Available Adequate Finances for the Development of Calcutta	48—49
2017. मैसर्स बोल्टास लिमिटेड के निदेशकों कर्मचारियों के विदेशों के दौरे	Foreign Visits by Directors Employees of M/s Voltas Ltd. Bombay	49
2018. राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में वृद्धि	Increase in Pay and Allowances of Employees of State Government and Union Territories	49—50
2019. भारतीय विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में विदेशी छात्रों की चिकित्सा शिक्षा	Medical Education to Foreign Students in Indian Universities and Colleges	50—53
2020. खुलेबाजार में बिकने वाली तथा सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली चीनी के उत्पादन शुल्क में बहुत अन्तर होने के कारण चीनी उद्योग में संकट	Crisis in Sugar Industry due to Vast Difference in Excise Duty for Free Sugar and Levy Sugar	53
2021. उत्तर प्रदेश चिट फन्ड सम्बन्धी गतिविधियों	Chit Fund Activities in U. P.	53—54
2022. भारत में विदेशी स्वयं सेवक	Foreign Volunteers in India	54
2023. राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर	Rate of Annual Growth of National Income	54—55

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2024. परिवार नियोजन के विस्तार के लिये योजनायें	Plans for Expansion of Family Planning	55—56
2025. कपाड़िया बन्धुओं के बैंकर	Bankers of Kapadia Brothers	56
2026. सरकारी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों का कार्य निष्पादन	Performance of Public Sector Fertiliser Companies	57
2028. दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में कोक भट्टियों के उत्पादन में कमी होने की जांच	Inquiry into Shortfall in Coke Production at Durgapur Projects Ltd.	57
2029. औद्योगिक तथा व्यापारिक उपक्रमों की दक्षता तथा उनसे मुनाफा	Efficiency and profitability of Industrial and Commercial Undertakings	58
2030. केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर कर	Tax on Central Government Properties	59
2032. नायलान टैक्सटाइल के फिलामेंट यार्न के निर्माण हेतु संयंत्रों के लिये लाइसेंस देना	Issue of Licences for Plants to Manufacture Nylon Textile Filament Yarn	59
2033. शीरे का उत्पादन	Production of Molasses	59—61
2034. तेहरान में हाइड्रो कार्बन्स लिमिटेड की स्थानिक प्रतिनिधि श्रीमती लीला मेनन को वापस बुलाना	Recall of Shrimati Leela Menon, Provident Representative, Hydro Carbons Ltd. in Tehran	61
2035. भारतीय राजदूतावास के कर्मचारियों द्वारा नेपाल से चीनी माल का लाया जाना	Chinese Goods Carried by Indian Embassy Officials from Nepal	61—62
2036. नेपाल को देय उत्पादन शुल्क	Excise Duty Payable to Nepal	62—63
2037. व्यक्तिगत सामान के रूप में वस्तुओं के निःशुल्क आयात की सीमा	Limit of Duty Free Articles for Import as Personnal Baggage	63
2038. नायलान के धागे के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Nylon Yarn	64—65

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2040. राष्ट्रीय बैंकों से बड़ी फर्मों द्वारा अपना खाता बन्द करना	Withdrawal of Accounts by Big Firms from Nationalised Banks	65
2041. लोक निर्माण विभाग, मनीपुर में छंटनी	Retrenchment in P. W. D. Manipur	65—66
2042. कृषि आय कर का लगाया जाना	Levy on Agricultural Income	66
2043. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रधान द्वारा सार्वजनिक भूमि के एक भाग पर कब्जा किया जाना	Grabbing a Part of Public Land by President of Delhi Pradesh Congress Committee	66—68
2044. पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग का प्रतिवेदन	Report of Pay Commission Appointed by West Bengal Government	68
2045. विभिन्न मन्त्रालयों के मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्टाफ कारों का प्रयोग	Staff Cars used by Ministers, Officers and Staff of Various Ministries	68
2046. दिल्ली के कटरों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Civic Amenities in Katras in Delhi	68—69
2047. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुभाग अधिकारी की भर्ती	Recruitment of Section Officers by Delhi Development Authority	69—70
2048. झुग्गी झौपड़ी दिल्ली परिवारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार देना	Right of Land Ownerships to Jhuggi Jhopri Families, Delhi	70
2049. भारत में करोड़ रुपये या इससे अधिक सम्पत्ति रखने वाले लोग	Value of Property worth Rs. One Crore or above Possessed by Individual in India	70
2050. भारत में चोरी छिपे माल का लाना तथा विदेशों में भेजना	Smuggling of Goods into and out of India	71

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2051. स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के उल्लंघन के परिणाम-स्वरूप सोना बरामद करना	Seizure of Gold in Contravention of Gold Control Act	71—72
2052. खड़े पानी तथा गन्दगी से शाहदरा तथा तुगलकाबाद के कुछ क्षेत्रों के निवासियों को बीमारियां होना	Stagment Water and Filth Exponsing Residents of Certain Areas of Shahdara and Tughlakabad to Diseases	72
2053. वर्ष 1969 में नसबन्दी के लिये पुरस्कार देना	Prizes for Sterlization during 1969	72—73
2055. हरियाणा में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषकों को दिया गया ऋण	Money Advanced to Farmers in Haryana by Nationalised Banks	73
2056. भारत के रिजर्व बैंक के विनियमों के उल्लंघन में भारतीय राष्ट्रिकों को जारी किये गये विमान यात्रा के टिकट	Air Journey ts Issued to Indian Nationals in Contravention of Regulations of the Reserve Bank of India	74
2057. बंगलौर शहर की जल समस्या सुलझाने के लिये विश्व बैंक से सहायता	World Bank Aid to Solve Water problem of Banglore City	74
2058. मैसूर की गृह निर्माण योजना	Housing Scheme of Mysore	75
2059. विट्ठलभाई पटेल हाउस, नई दिल्ली में रहने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी (अधिकारी)	C. P. W. D. Employees (Officers) Residing in Vithal Bhai Patel House, New Delhi	75—76
2060. मध्य प्रदेश को सहायता	Assistance to Madhya Pra	
2061. सहकारी क्षेत्र में रूई मिल की स्थापना के लिये विश्व बैंक से ऋण	World Bank's Loan fo Cotton Mills in Cooperative Sector	76—77
2062. मध्य प्रदेश म परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Family Planning Programme in Madhya Pradesh	77

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2063.	बैंकिंग विभाग के सचिव का कार्यालय Office of the Secretary, Department of Banking	77—78
2064.	बैंकिंग कम्पनी अधिग्रहण अधिनियम Banking Companies Acquisition Act	78—79
2065.	खनन कार्यों के लिये विस्फोटों की कमी के कारण कोयला उद्योग में संकट Crisis in Coal Industry due to Shortage of Explosives for Minning Operations	79
2066.	उत्तर प्रदेश को अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में ऋण देने के लिये वित्तीय सहायता Financial Assistance to U. P. for Providing Loans to Scarcity Hit Areas	80
2068.	बम्बई में सोना तथा चोरी छिपे लाई गई अन्य वस्तुओं का पकड़ा जाना Seizure of Gold and other Smuggled Goods in Bombay	80
2069.	बीमारी तथा अन्य आधार पर सरकारी आवास का आवंटन Allotment of Government Accommodation on Medical and other Grounds	81
2070.	तामिलनाडु में राष्ट्रीयकृत बैंकों का कृषि ऋण देने का कार्य Agriculture Credit Operation of Nationalised Banks in Tamil Nadu	81
2071.	बम्बई के निकट जीवन बीमा निगम द्वारा फ्लैटों का निर्माण Construction of Flats by Life Insurance Corporation near Bombay	82
2072.	जल मल विकास नालियां बिछाने के लिये ऋण की सुविधाओं के बारे में जीवन बीमा निगम द्वारा की गयी पेशकश Offer Made by Life Insurance Corporation Regarding Credit Facilities for Laying Sewage and Drainage	82—83
2073.	विदेशी तेल कम्पनियों के साथ तेल शोधक करारों का पुनरीक्षण Revision of Refinery Agreements with Foreign Oil Companies	83
2074.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कम दरों पर गरीब लोगों को वित्तीय सहायता दिया जाना Financial Help to Poor by Nationalised Banks at Lower Rates	83—84

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2075. पश्चिम बंगाल के संकट ग्रस्त और बन्द पड़े उद्योग तथा वाणिज्यिक एककों को वित्तीय सहायता देना	Financial Assistance to Sick and Closed Industrial and Commercial Units in West Bengal	84—85
2076. विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा विदेशों को भेजी गयी रकमें	Remmittances abroad by Foreign Oil Companies	85
2077. भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण, कलकत्ता के कार्यालय में हड़ताल	Strike in Office of Geological Survey of India, Calcutta	86—87
2078. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा औद्योगिक समूहों को दिया गया ऋण	Loans Advanced by Nationalised Banks to Industrial Groups	87
2079. झण्डेवालान (दिल्ली) में नगरपालिका स्वास्थ्य विभाग के वर्कशाप का कार्य	Functioning of Workshop of Municipal Health Department at Jhandewalan, Delhi	87—88
2080. जिला अस्पतालों में बच्चों के वार्डों की स्थापना	Setting up of Children's Wards in District Hospitals	88
2082. भारतीय उर्वरक निगम द्वारा भारत तथा विदेशों में उर्वरक कारखाने स्थापित करने की योजना	Scheme for Setting up of Fertiliser Plants by FCI in India and Abroad	88—89
2083. जीवन बीमा निगम की विनियोजन संबंधी नीतियों में बड़ा परिवर्तन करना	Introduction of Major Changes in Life Insurance Corporation Investment Policies	89
2084. कोयाली पेट्रो रसायन संयंत्र के अनुप्रवाह एककों की स्थापना में विलम्ब	Delay in Setting up of down Stream Units of Koyali Petro Chemical Complex	89—90
2085. उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों की माँगे	Demands of the Staff Working in Excise Department	90—91
2086. जापान में अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ की बैठक में शामिल होने के लिये गये सरकारी प्रतिनिधि मंडल के सामान की तलाशी	Search of Baggage of Official Delegation which Visited Japan to Attend Meeting of International Postal Union	91—92

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2087.	प्रूफ सैट सिक्के Proof Set Coins	92
2088.	लार्सन एण्ड टुबरो कम्पनी के प्रशासन को अपने हाथ में लेना Taking over of Administration of Larsen and Toubro Company	92—93
2089.	उदार ऋण योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों को मिले ऋण सम्बन्धी प्रार्थनापत्र Loan Applications Received by Nationalised Banks under Liberalised Credit Scheme	93—94
2090.	साउथ एवेन्यु, नई दिल्ली में होमियोपैथिक औषधालय Homoeopathic Dispensaries in South Avenue, New Delhi	94
2091.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण Loan Granted by Nationalised Banks	95
2092.	राज्यों को विशेष सहायता Special Assistance to States	96
2094.	कुन्नूर में इंडिया बैंक के भूतपूर्व एजेंट द्वारा दिया गया ऋण Loan Granted by Former Agent of Indian Bank in Coonoor	96
2095.	दिल्ली में गृह-निर्माण सहकारी समितियों के लिये प्लाट Plots for House Building Co-operative Socieities in Delhi	97
2096.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा दिल्ली में अस्पतालों के कार्य का अध्ययन Study of Working of Hospital Delhi by Indian Institute of Public Administration	97—98
2097.	निवेली लिगनाइट कारपोरेशन द्वारा उठाई गई हानि Losses Suffered by Navyeli Lignite Corporation	98—99
2098.	नेपथा की कमी के कारण मद्रास में पेट्रो रसायन उद्योग समूह स्थापित करने में कठिनाई Set Back to Setting up of Petro Chemical Complex at Madras due to Shortage of Naptha	99
2099.	औषध उद्योग के लिये कच्चे माल की सप्लाई की कमी Short Supply of Raw Materials for Drug Industry	99—100
2100.	विदेशों से प्राप्त ऋण पर व्याज Interest on Loans Received from Abroad	100

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2101. राष्ट्रीय ईंधन नीति	National Fuel Policy	100
2102. परिवार नियोजन कार्यक्रम के सम्बन्ध में विश्व बैंक द्वारा मूल्यांकन	World Bank Assessment of Family Planning	100—101
2103. भारत में उर्वरक परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से सहायता	World Bank's Aid for Fertiliser Projects in India	101
2104. फारस की खाड़ी से निकलने वाले रूस्तम अशोधित तेल में भारत का अंश	Total Quantity of India's Share of Crude from Persian Gulf	101—102
2105. सरकारी उपक्रमों की तुलना में सरकार केन्द्र के कर्मचारियों को सुविधाएं	Amenities to Employees of Public undertakings vis-a-vis Central Governm Employees	102
2106. बैंक कर्मचारियों को कृषि अर्थशास्त्र के विषय में प्रशिक्षण	Training of Bank Personnel in Agricultı Economics	103
2107. मलेरिया उन्मूलन योजना	Malaria Eradication Scheme	103—105
2108. पी०एल० 480 निधि का उपयोग	Utilisation of PL 480 Funds	105—106
2109. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की लन्दन शाखा के कथित जालसाजी के बारे में लेखा परीक्षा में प्रतिवेदन वर्णित अनियमिततायें	Irregularities Regarding Alleged Fraud in London Branch of Central Bank of India as Pointed out in Audit Report	106
2110. जमा कराई गई राशियों में कमी	Short Fall in the Growth of Deposits	106—107
2111. विदेशी बैंकों में 8,000 रु० से अधिक मासिक वेतन पाने वाले गैर भारतीय	Non-Indians in Foreign Banks Getting more than Rs. 8,000 P. M. at Salary	107—108
2112. पश्चिम बंगाल में बोदरा में तेल की खोज आरम्भ करना	Resumption of Oil Exploration at Bodra in West Bengal	108—109
2113. ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के बारे में शिकायतें	Complaints Regarding Branches of Nationalised Banks Opened in Rural Areas	109

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2114.	आगाजारी तेल कुओं से प्राप्त अशोधित तेल का पूरा उपयोग Full Utilization of Crude Obtained from Aghajari Oil	109
2115.	सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं से निधि का लघु उद्योग क्षेत्रों की ओर बहाव Flow of Funds from Public Sectors Financial Institutions to Small Scales Sector	110—111
2116.	आयुर्वेदिक प्रणाली के अन्तर्गत शल्य चिकित्सा Surgical Treatment under Ayurvedic System	111—112
2118.	दिल्ली में एम०बी०बी०एस० कोर्स के प्रथम वर्ष में दाखिला Admission to First Year M. B. B. S. Course in Delhi	112
2119.	मैडिकल कालेजों के लिये चल एकक Mobile Units for Medical Colleges	113
2120.	संसद् सदस्यों के साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली स्थित खाली फ्लैटों से बिजली तथा फनीचर के सामान की चोरी Theft of Electrical and Furniture Goods from Vacant M. P. Flats in South Avenue, New Delhi	114
2121.	बम्बई स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा अंशों के अग्रिम व्यापार पर प्रतिबन्ध को हटाने के लिये दिया गया अभ्यावेदन Representation made by Members Bombay Stock Exchange to remove Ban on Forward Trading in Shares	114—115
2122.	शाहदरा (दिल्ली) स्थित मानसिक रोग अस्पताल का विस्तार Expansion of Mental Hospital at Shahdara (Delhi)	115
2123.	दिल्ली में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को बैंक ऋण का वितरण Distribution of Bank Credit to farmers by Nationalised Bank in Delhi	116
2124.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फारमास्युटिकल्स लिमिटेड हैदराबाद में हड़ताल Strike in Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, Hyderabad	116—117

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2125. मैसर्स जे०बी० मंघाराम एण्ड कम्पनी द्वारा जमा-कर्ताओं को जमा राशि का न लौटाया जाना	Non Payment of Deposits to Depositors by Messrs J. B. Mangharam and Company	117
2126. राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा बने बनाये मकानों की खरीद के लिये सरकारी कर्मचारियों को ऋण	Providing of Loans to Government Employees for Purchase of Built up House by National Banks	118
2127 जीवन बीमा निगम के एजेंटों को ग्राह्य कमीशन की दर	Rates of Commission Admissible to agents of LIC	118—119
2128. बिहार स्थित केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में प्रोजेक्ट भत्ते का भुगतान	Payment of Project Allowance Central Government Undertakings Bihar	119—120
2129. दिल्ली में गृह निर्माण के लिये संसद् सदस्यों को भूमि देना	Land to M. Ps. for Construction of Houses in Delhi	120
2130. किसानों तथा छोटे व्यापारियों को दिये गये ऋण	Loans Advanced to Farmers and Small Businessmen	120—121
2131. आय कर की बकाया राशि का विश्लेषण	Analysis of Arrears of Income Tax	121
2132. अनाज तथा कपास आदि के व्यापारियों को दिये गये ऋणों की राशि	Amount of Advances given to Traders of Foodgrains and Cotton	122—123
2133. आयकर की बकाया राशि	Arears of Income Tax	123—124
2134. भारत में तीन विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा लगाई गई पूंजी	Capital Investment of Three Foreign Oil Companies in India	124
2135. चौथी योजना के अन्त में आयकर राजस्व का प्राक्कलन	Estimated Income Tax Revenues at the End of Fourth Plan	124
2136. पश्चिम बंगाल आवास वित्त सहकारी संस्था को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to the West Bengal State Housing Finance Cooperative Society	125

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2137.	मूलचन्द खैराती लाल अस्पताल, लाजपत नगर, नई दिल्ली	Moolchand Kharaitilal Hospital, Lajpat Nagar in Delhi 125—126
2138.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये आवश्यकता पर आधारित मंजूरी	Need Based Wages for Central Government Employees 126
2139.	रिजर्व बैंक के गवर्नर की प्रधान मंत्री से भेंट	Meeting of Governor of Reserve Bank of India with Prime Minister 127
2140.	राम कृष्णपुरम, नई दिल्ली में रिहायशी क्वार्टर	Dwelling Units in R. K. Puram, New Delhi 127
2141.	राजधानी में नर्सों की कमी	Shortage of Nurses in the Capital 128
2142.	राष्ट्रीय ऋण परिषद् को पुनः चालू करना	Revival of National Credit Council 128
2143.	विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाओं के कार्यकरण के बारे में सर्वेक्षण	Survey Regarding Working of Branches of Indian Banks in Foreign Countries 128—129
2144.	जनता से धन इकट्ठा करके दिल्ली में होटल चलाना	Running of Hotels in Delhi by Collecting Funds from Public 129
2145.	सरकारी क्षेत्र के एककों में उर्वरक उत्पादन के लिये तरल अमोनिया का प्रयोग	Use of Liquid Ammonia for Fertilizer Production in Public Sector Unit 129—130
2146.	भारतीय तेल निगम के तेल शोधक कारखानों में एल०पी०जी० की बरबादी	Wastage of LPG at IOC Refineries 130—131
2147.	आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल कम्पनियां	Ayurvedic Pharmaceutical Companies 131
2148.	ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिये अस्पताल	Hospital for Women in Rural Area 131
2149.	आसनसोल योजना संगठन की सफलताएं	Achievements of Asansol Planning Organisation 131—132
2151.	आवास तथा नगरीय विकास वित्त निगम को ऋण दिया जाना	Advancing of loans to Housing and Urban Development Finance Corporation 132—133

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2152.	सूती कपड़ा मिलों के कर में राहत — Tax Relief to Cotton Textile Mills	133
2153.	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के विक्लांग विभाग में नये रोगी द्वारा देर तक प्रतीक्षा किया जाना — Long Wait for a New Patient in Orthopoedic Department of Safdarjung Hospital, New Delhi	133—134
2154.	कार्मिक संघ सम्बन्धी कार्य के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं से कार्य मुक्त किये गये कर्मचारी — Release of Employees of State Bank of India for Union Work	135
2155.	अफीम का पकड़ा जाना — Seizure of Opium	135
2156.	बैंक आफ इंडिया की चण्डीगढ़ शाखा की एक सेफ से राशि का गुम होना — Amount found Missing from Safe in Chandigarh Branch of Bank of India	135—136
2157.	ब्याज की दरों को बढ़ाने के बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा दी गई हिदायतें — Instructions Issued by Reserve Bank of India regarding Raising of Interest Rates	136
2158.	राष्ट्रीय ऋण संस्थानों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता — Financial Assistance given by National Credit Institution	136—137
2159.	व्यापार गृहों पर छापे — Raids on Business Hous	137
2160.	शीतल पेय कोका कोला — Soft Drink Coca Cola	137—138
2161.	यूनियन बैंक आफ इंडिया द्वारा एक नई योजना कैश कार्ड का जारी किया जाना — Introduction of New Cash Card Scheme by the Union Bank of India	138
2162.	नई दिल्ली में मोटर गाड़ियों द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं से वायु के दूषित होने का अनुमान लगाने के लिये केन्द्रों की स्थापना — Setting up of Centres for Assessing Air Polution by Smoke emitted by Vehicles in Delhi	139
2163.	उड़ीसा में उर्वरक कारखानों की राज्य सरकार द्वारा मांग — Demand by Orissa Government for Setting up Fertiliser Plants in that State	139—140
2164.	अनाज के व्यापारियों के लिये ऋण में कमी करना — Squeeze of Credit for Grain Dealers	140—141

तारांकित प्रश्न संख्या U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2165.	दिल्ली में महापौरों की अखिल भारतीय परिषद् की बैठक / Meeting of All India Council of Mayors in Delhi	141-2
2166.	इम्फाल नगरपालिका द्वारा पट्टे पर दिये गये प्लाटों पर प्रीमियम के रूप में वसूल की गई धन राशि / Collection as Premium by Imphal Municipality in Leasing out Plots	142—143
2167.	मणिपुर में आयकर की वसूली / Collection of Income Tax from Manipur	143
2168.	प्रत्यक्ष कर जांच समिति / Direct Taxes Enquiry Committtee	143—144
2169.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गिरवी घरों का खोला जाना / Opening of Pawn Shops by Nationalised Banks	144—145
2170.	अप्रयुक्त परियोजना सहायता का सदुपयोग / Utilisation of Un-used Project Aid	145-146
2172.	आवास निगम में वित्तीय संकट / Financial Crisis in Housing Corporation	146—147
2173.	दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लेटों की बिक्री में सरकारी कर्मचारियों को छूट / Concession in Sale of DDA Flats to Government Employees	147
2174.	प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय / Per Capita National Income	147—148
2175.	मणिपुर के लिये मुख्य टी०बी० अधिकारी / Post of Chief T. B. Officer for Manipur	148-149
2176.	मनीपुर को भवन निर्माण के लिये ऋण / Housing Loan for Manipur	149-150
2177.	पहाड़ी स्थान प्रतिकर भत्ता / Hill Compensatory Allowance	150
2178.	पंजाब से हिमाचल प्रदेश को भेजे गये चिकित्सा अधिकारियों की वरिष्ठता / Seniority of Medical Officers Allocated from Punjab to Himachal Pradesh	151

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2179. छोटे उद्योगों को तथा उद्योगपतियों को स्टेट बैंक आफ इंडिया और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Money Advanced by State Bank of India and Nationalised Banks to Small Scale Industries and Industrialists	151
2180. भूमि के विकास के लिये डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली के लिये की गई अवधि में वृद्धि	Extension of time to Dera Ismail Khan Cooperative House Building Society, Delhi for Development of Land	152
2181. डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली का नक्शा	Lay out Plan of Dera Ismail Khan Cooperative Housing Building Society, Delhi	152—153
2182. हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में सिक्कों की कमी	Shortage of Coins in Haryana and Himachal Pradesh	153
2183. दिल्ली में भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Building Construction Material in Delhi	153—154
2184. महाराष्ट्र में तस्करी के सोने तथा अन्य वस्तुओं का पकडा जाना	Seizure of Smuggled Gold and other Articles in Maharashtra	154—155
2185. जीवन बीमा निगम का मजूरी बिल	Life Insurance Corporation Wage Bill	155
2186. उगांडा में विदेशी पूंजी का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Foreign Capital in Uganda	156—157
2187. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का तेल की खोज करने का कार्यक्रम	Oil Exploration Programme of O and NGC	157—158
2188. बिहार तथा उड़ीसा में खनिज निक्षेप	Mineral Deposits in Bihar and Orissa	158
2189. उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत और वाणिज्यिक बैंक	Nationalised and Commercial Banks in Orissa	158—159
2190. भारत की भुगतान शेष स्थिति	India's Balance of Payment Position :	159—160

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2191. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्मिक संघ के कर्मचारियों को नौकरी से हटाना	Dismissal of Trade Union Workers in O and NGC	160
2192. पंजाब में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के लेखा परीक्षा दलों द्वारा मनोरंजन स्वीकार किया जाना	Acceptance of Entertainments by Audit Parties of Central Excise Department in Punjab	160
2193. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में प्रतिनियुक्त व्यक्ति	Depution in O and NGC	161
2195. उड़ीसा के चम्पुआ में स्टेट बैंक की शाखा का खोला जाना	Opening of a Branch of State Bank at Champua, Orissa	161
2196. सोने तथा अन्य वस्तुओं का तस्कर व्यापार	Smuggling of Gold and other Articles	161—162
2199. सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को विश्व बैंक सहायता	World Bank Assistance to Public Sector Projects	162—164
2200. अमझौर में गन्धक खान का प्रशासनिक ढांचा	Administrative set of Sulphur Mine at Amjhore	164
27 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Statement Correcting the Reply given on the 27th July, 1970 to Unstarred Question No. 59	164—166
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	167—174
पश्चिम बंगाल में शिक्षकों के वेतनों के भुगतान में कथित विलम्ब	Reported Delay in Payment of Salaries to Teachers in West Bengal	167
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	167
श्री वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao	167
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	175—177
सदस्यों की गिरफ्तारी	Arrest of Members	177
(श्री मधु लिमये और गुणानन्द ठाकुर)	(Sarvashri Madhu Limaye and Gunanand Thakur)	177

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सरकारी कर्मचारियों को अलाट किये गये क्वाटरों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1536 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to Starred Question No. 1536 Re. Allotment of Quarters to Government Employees	178
सरकारी क्षेत्र में कार के निर्माण के बारे में वक्तव्य	Statement on Manufacture of Car in Public Sector	178
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	178—180
निधन-सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	180
(श्री त्रिलोक्यनाथ चक्रवर्ती)	(Shri Trailokya Nath Chakraborty)	180
गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन विधेयक	Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Bill	181
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider as Passed by Rajya Sabha	181
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	181
श्री स० कुन्दू	Shri S. Kundu	181—182
श्री मुहम्मद इस्माईल	Shri Mohammad Ismail	182
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	183
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	184
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as Amended	185
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में तथा अस्पृश्यता संबंधी समिति के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	Motions Re. Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; and Committee on Untouchability	186—200
श्री सूरज भान	Shri Suraj Bhan	187—191
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	191—193
श्री बसुमतारी	Shri Basumatari	193—195
श्री मीठा लाल मीना	Shri Meetha Lal Meena	196—197
श्री मंगरू उइके	Shri M. G. Uikey	197—199

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री सी० के० चक्रपाणि	Shri C. K. Chakrapani	199
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma	200
आधे-घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion	200
तस्करी गिरोह में केरल मुस्लिम लीग का कथित हाथ	Alleged Involvement of Kerala Muslim Leage in Smuggling Racket	200—210
श्री ई० के० नायनार	Shri E. K. Nayanar	201—202
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	207—210

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 10 अगस्त, 1970/19 श्रावण, 1892 (शक)
Monday, August 10, 1970/Sravana 19, 1892 (Saka)

लोक-सभा 11 बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Merger of Dearness Allowance with Pension

+

*301. **Shri Bharat Singh Chauhan :** **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Baush Narain Singh :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rise in prices has adversely affected the Government pensioners ;

(b) if so, whether Government propose to merge Dearness Allowance with pension ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). Pensioners are affected by high prices in the same way as members of the general public. Small pensioners have, however, already been given relief by grant of *ad-hoc* increase in pensions. Such increase is of *ad-hoc* nature and is not linked with the cost of living. It is also distinguishable from dearness allowance admissible to service Government employees. Pensionery entitlement of Government servants in receipt of pay upto Rs. 1119 per month and retiring on or after 1.12.1968, have also improved significantly as a result of merger of only a part of dearness allowance with pay.

Shri Bharat Singh Chauhan : Is it a fact that Shri P. C. Sethi, former Minister of State in the Ministry of Finance, had stated in reply to Half-an-hour discussion regarding pensioners that the case of pensioners would be referred to the Third pay Commission, but it does not find its place in the terms of reference of the Commission also announced ?

Will the hon'ble Minister clarify as to why the pensioners have been betrayed and how did Shri P C. Sethi misleed the House ?

Shri Vidya Charan Shukla : There is no question of betrayal or misleading the House. It may be recalled that 2nd Pay Commission had also looked into the case of pensioners. I cannot say whether it was necessary to mention anything in particular but think that the Third Pay Commission will definitely look into this matter. The Government will take a decision on receipt of the recommendations of the Pay Commission.

Shri Bharat Singh Chauham : Are there different pay scale in various States ?

Shri Vidya Charan Shukla : It is but natural to have different pay scales of various categories of Government servants and similarly terms and conditions of service also differ. The amount of pension of a Central Government employee is fixed according to the rules laid down for the purpose.

श्री स० मो० बनर्जी : तीसरे वेतन आयोग के सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचना में प्रकाशित निर्देश पदों में सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसीलिए यह प्रश्न पूछा गया है। माननीय सदस्य ने इसका विशिष्ट उत्तर मांगा है। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि क्या अखिल भारतीय पेंशन भोगी संघ की पेंशन-परिवर्तन (कम्युटेशन) मंहगाई भत्ते के विलय आदि सम्बन्धी सभी मांगों पर वेतन आयोग ने विचार किया है और क्या इन मांगों पर विचार करने के लिए वेतन आयोग को एक पृथक अधिसूचना या निदेश जारी किया जा सकता है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने अपने पहले उत्तर में बताया है कि यद्यपि इस मामले का निर्देश पदों में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि मुझे आशा है कि दूसरे वेतन आयोग की तरह तीसरा वेतन आयोग भी इस मामले पर विचार करेगा और अपनी सिफारिशें सरकार को भेजेगा और ऐसा करने से उनको रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता है और यदि वे ऐसा करेंगे—और मुझे उम्मीद है कि वह निर्देश-पदों के अन्तर्गत इस मामले पर विचार कर सकते हैं—और अपनी सिफारिशें भेजते हैं तो हम इस मामले पर विचार करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण मामला है और मेरे विचार में वेतन आयोग इस मामले पर भी विचार करेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : अधिसूचना में निर्देश-पदों का विशिष्ट रूप से उल्लेख है। यदि उसमें इस मामले को सम्मिलित नहीं किया गया तो पता नहीं वेतन आयोग इस पर विचार करे या न करें। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या वे इस मामले को वेतन आयोग के पास भेजेंगे जिससे वे इस मामले पर निश्चित रूप से विचार करे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं वेतन आयोग से पता करूंगा कि वे इस मामले के सम्बन्ध में क्या करना चाहते हैं।

श्री म० ला० सोंधी : उपर्युक्त आधे घण्टे का चर्चा के दौरान श्री पी० सी० सेठी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पेंशन भोगियों के लिए विशेष आयोग की मांग नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वेतन आयोग इस मामले पर विचार करेगा। बाद में श्री एस० एम० बनर्जी ने एक प्रश्न उठाया तो सरकार अपनी स्थिति पर स्थिर नहीं रही। इसलिए हम मंत्री महोदय से विशेष स्पष्टीकरण चाहते हैं कि क्या वह पेंशन के भोगियों के मामले को वेतन आयोग के विचारार्थ

भेजेंगे। क्या मंत्री महोदय श्री पी० सी० सेठी द्वारा दिए गये आश्वासन पर कायम हैं और क्या वेतन आयोग पेंशन भोगियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर विचार करेगा और ब्यौरेवार विचार करेगा? मैं आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि मंत्री महोदय के वक्तव्य में अन्तःविरोध है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आपके संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही स्थिति स्पस्ट कर दी है। पता नहीं माननीय सदस्य अपने आपको क्यों असुरक्षित पा रहे हैं...

श्री म० ला० सोंधी : यह पेंशन भोगियों का मामला है जिनकी स्थिति बहुत खराब है; मैं अपने आपको असुरक्षित नहीं समझ रहा हूँ। मैं यह बता रहा हूँ कि वाद-विवाद में यह बात हुई थी। अब वह इधर-उधर की बातें क्यों कर रहे हैं?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार की ओर से इस सभा में जो भी आश्वासन दिये गये हैं उमको पूरा किया जायेगा। मैंने केवल इतना कहा था कि मैं वेतन आयोग से पता करूंगा कि वह इस मामले पर विचार कर रहे हैं या नहीं। यदि वह ऐसा कर रहे हैं तो हमारी ओर से उन्हें कुछ कहने का प्रश्न ही नहीं उठता। उनसे पूछने के बाद ही मैं कह सकता हूँ कि इस मामले पर वे क्या कार्यवाही करेंगे।

श्री बलराज मधोक : जब तक सरकार इस मामले को वेतन आयोग के पास नहीं भेजती तब तक वह इस पर कैसे विचार करेगे?

श्री श्रद्धाकर सूपकार : जब प्रधान मंत्री ने प्रत्येक पेंशन भोगी की पंशन मे 10 रुपय की तदर्थ वृद्धि की घोषणा की थी। उन्होंने उन लोगों का भी उल्लेख नहीं किया था जिनको उससे लाभ पहुंचा है। क्या सरकार को इस सम्बन्ध में पेंशन भोगियों के असंतोष का पता है और इस मामले को तीसरे वेतन आयोग के निर्देश-पदों में सम्मिलित करने में क्या कठिनाई है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने पहले ही बता दिया है कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। मुझे आशा है कि वेतन आयोग इस मामले पर विचार करेगा परन्तु उनके निर्देश-पदों में इस मामले का विशेष रूप से उल्लेख न होने के कारण मैं उनसे पता करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं। यदि वे कहते हैं कि वे इस मामले पर विचार कर रहे हैं तो ठीक है यदि नहीं, तो हम इस मामले को उनके पास भेजने या कोई अन्य कार्यवाही करने के बारे में विचार करेंगे।

श्री स० कुण्डू : वेतन आयोग से पूछने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा क्योंकि वे सरकार की अधिसूचना और निर्देश-पदों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। यह तो जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। क्या सरकार का विचार आयोग को पेंशन के साथ मंहगाई भत्ता मिलाने और सरकारी कर्मचारियों पर लागू सिद्धान्त के आधार पर वेतन के अनुसार मंहगाई भत्ता देने के सम्बन्ध में एक अन्य निर्देश-पद भेजने का है? यदि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी को 140 रुपये मिलते हैं तो उसे 90 रुपये मंहगाई भत्ता मिलता है जबकि पेंशन के रूप में उतनी ही राशि प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी को 80 रुपये मंहगाई भत्ता मिलता है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्यों को पता होना चाहिए कि वतमान निर्देश-पद बहुत व्यापक हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि इस मामले को वर्तमान निर्देश-पदों में सम्मिलित

नहीं किया जायेगा । इसीलिए मैं कोई वक्तव्य नहीं दे रहा हूँ कि हमारे लिए इस मामले को वेतन आयोग के पास भेजना आवश्यक होगा या नहीं। यदि उन्होंने कहा कि वे इस मामले पर वर्तमान निर्देश-पदों के अन्तर्गत विचार नहीं कर रहे हैं तो हम इस मामले को विशेष रूप से उन्हें भेजने के बारे में विचार करेंगे । यह मामला महत्वपूर्ण है और हम उनके साथ विचार विमर्श करेंगे ।

श्री नम्बियार : क्या बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए सरकार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पेंशन भोगियों को अन्तरिम सहायता देगी और क्या सरकार राज्य सरकारों को इस बात के लिए राजी करेगी या उन्हें सहायता देगी कि राज्य सरकारों के पेंशन भोगियों की पेंशन केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों के बराबर कर दी जाये ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हाल ही में पेंशन की राशि में तदर्थ वृद्धि की गई है और इसके लेए बजट में व्यवस्था की गई है । एक अन्य आदेश भी जारी किया गया था कि प्रत्येक पेंशन-भोगी को कम से कम 40 रुपये मिलने चाहिए । प्रथम राहत में 7-8 करोड़ रुपये खर्च होंगे और द्वितीय में 4 करोड़ रुपये खर्च होंगे मेरे विचार में इसके अतिरिक्त इस मामले पर अग्रेतर कार्यवाही करना तब तक उचित नहीं होगा जब तक सक्षम निकाय इस मामले पर पूर्ण रूप से विचार न कर ले ।

श्री नम्बियार : राज्य सरकारों के पेंशन भोगियों को केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों के स्तर पर लाने के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमारा इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि राज्य सरकारें क्या करती हैं ; इसके बारे में उन्होंने स्वयं निर्णय करना है ।

श्री नम्बियार : क्या केन्द्रीय सरकार उन्हें सहायता देगी ?

श्री रणजीत सिंह : मैं सेना के पेंशन भोगियों के बारे में पूछना चाहता हूं ।

Shri Partap Singh : I would like to know whether all the pensioners are not included when the matter relating to Government pensioners is discussed ? But the fact remains that pensioners of former Part 'C' States are never included in it. Separate orders have to be obtained for them and representations have also to be submitted separately. In view of this, will the pensioners of former Part 'C' States also be included in the terms of reference if and when the question arises so that they may also get same benefits which others get ? The pensioners of former Part 'C' States get Rs. 3 as pension and Rs. 20 as D.A. I want to know whether the hon'ble Minister would try to bring them at par with other Government pensioners ?

Shri Vidya Charan Shukla : Some of the Part 'C' States were amalgamated in the nearby States and rest of them have became Union Territories. As I have already stated, the Central Government is responsible for the pensioners of Central Government only in so far as the pensioners of Union Territories are concerned, we can take it up separately. We cannot tag it with the case of Central Government pensioners.

श्री रणजीत सिंह : मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें कि क्या आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के लिए, जिन्होंने स्वाधीनता के लिए युद्ध लड़ा था, पेंशन नियमों

में संशोधन करने के बारे में कोई विशेष अनुदेश जारी किये गये हैं और पेंशन की निर्धारित न्यूनतम राशि प्रतिरक्षा कर्मचारियों के मामले में भी लागू होती है और क्या प्रतिरक्षा कर्मचारियों की पेंशन तथा वेतन सम्बन्धी कुछ बातों के बारे में, जैसे ब्रिटेन के सिद्धान्त के अनुसार परिवार की परिभाषा में आश्रित माता अथवा आश्रित बहन सम्मिलित नहीं हैं बल्कि केवल आश्रित धर्मपत्नी है, पुनर्विचार किया जायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ये मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं परन्तु इन पर ब्यौरेवार विचार किये जाने की आवश्यकता है यदि माननीय सदस्य अलग से प्रश्न पूछें तो मैं इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी दे सकूंगा ।

Shri Abdul Ghani Dar : Is it a fact that pensioners, who are earlier ex-servicemen or I.N A. personnel, are very much frustrated and they have become Naxalites because of poverty and Government is not giving any assistance to them to enable them to make their both ends meet ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have already stated that we want to help them and we shall do our best to give them maximum help.

महत्वपूर्ण औषधियों का आयात

*303. **श्री प० गोपालन** :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री क० अनिरुद्धन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा औषधियों के मूल्य निर्धारण करने सम्बन्धी तैयार किये गये नये सूत्र के बारे में औषध निर्माताओं की धमकी को देखते हुए सरकार महत्वपूर्ण औषधियों का आयात करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने विदेशों से औषधियों का आयात करने के बारे में एक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए किसी सरकारी दल की नियुक्ति की है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) से (घ). जहां तक प्रचुर औषधियों के उत्पादन का सम्बन्ध है, देश, अभी आत्मनिर्भर नहीं है । कई प्रचुर औषधियों का, जिनका या तो उत्पादन नहीं होता अथवा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्राओं में उत्पादन नहीं होता है ; आयात किया जाता है । औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 की पैरवी कार्यवाही पर विचार करने के लिए हाल ही में एक अन्तर मन्त्रालीय बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय हुआ था कि प्रचुर औषधियों का, जिनके कम प्रदाय की सम्भावना है और जिस मात्रा तक उनकी कम सप्लाई हो सकती है, शीघ्र

मूल्यांकन होना चाहिए ताकि अल्प नोटिस पर उनके आयात की व्यवस्था की जा सके। मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप, राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कई प्रचुर औषधियों (अर्थात बिटामिन सी सल्फाडा यजीन, सल्फाडायमाइडीन, क्लोरोफेनीकोल आदि) के आवश्यक मात्रा तक आयात की व्यवस्था की गई है। औषध उद्योग ने ऐसी कोई धमकी जिसका जिकर किया गया है, नहीं दी है; यद्यपि उद्योग के कई सैक्शनों ने शंका व्यक्त की कि औषधियों के मूल्य नियंत्रण की सरकारी नीति प्रचुर औषधियों में कमी कर देगी। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रकाशन तथा औषधी उद्योग के साथ विचार विमर्श के बाद उक्त उद्योग ने सरकार को आश्वासन दिया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि अत्यावश्यक औषधियों में कमियां उत्पन्न न हो, वे सरकार को आवश्यक सहयोग देंगे।

श्री प० गोपालन : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा कि औषध उद्योग ने इस आशय की कोई धमकी नहीं दी है, मगर कुछ उद्योगों ने आशंका व्यक्त की है कि इससे अन्त में अधिकांश औषधियों की कमी हो जायेगी। क्या सरकार इस बात से अवगत है कि औषध नियंत्रण आदेश के जारी किये जाने के बाद गत कई हफ्तों से आम लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली औषधियों के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है? क्या सरकार इसको औषध नियंत्रण आदेश के विरुद्ध धमकी मानेगी? क्या सरकार औषध उद्योग को अपने हाथ में ले लेने पर विचार कर रही है। जिसने कि देश में एक गिरोह बना रखा है?

श्री भानु प्रकाश सिंह : औषध नियंत्रण आदेश के विरुद्ध किसी प्रकार की धमकी का सवाल ही नहीं है।

श्री प० गोपालन : मैंने उनसे विशेष रूप से पूछा कि क्या उन्हें मालूम है कि औषध नियंत्रण आदेश के बाद सभी आम उपयोग की दवाओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

श्री भानु प्रकाश सिंह : अगर वे प्रत्येक औषध के मूल्य जानना चाहते हैं, तो उन्हें पहले उसकी सूचना देनी होगी। माननीय मंत्री महोदय कल इस पर एक वक्तव्य देंगे।

Shri Om Prakash Tyagi : The hon. Member had given notice much earlier. The Minister must have the information?

श्री प० गोपालन : क्या सरकार को पता है कि कुछ विदेशी फर्में साधारण दवाओं को कुछ आकर्षक नाम देकर अधिक मूल्यों पर बेचती है। उदाहरण के लिए, ग्लैक्सो फरसोफेट, जो कि फेरस सलफेट है, के 100 कैपसूल 190 रुपये में बेचे जाते हैं। वैसे फरसोलेट जो कि फेरस सलफेट के ही एक अंश का नाम है, के 10 कैपसूल 16-60 रुपये में बेचे जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसको किस प्रकार रोक रही है।

श्री भानु प्रकाश सिंह : वास्तव में, इसके लिए अलग सूचना देनी होगी। परन्तु मंत्री महोदय इस बारे में कल एक वक्तव्य देंगे।

कुछ माननीय सदस्य : उठ खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कल वक्तव्य देंगे।

श्री कांवर लाल गुप्त : श्रीमान्, औषधियां उपलब्ध नहीं हैं ; मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये हैं और लोग उससे बेहद परेशान हैं। तब भी मंत्री महोदय हंस रहे हैं।

श्री प० गोपालन : मैंने दो विशेष प्रश्न पूछे, मगर मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया। अतः मेरा सुझाव यह है कि इस प्रश्न को कल के लिए स्थगित कर दिया जाय ताकि वे इसका जवाब दे सकें।

श्री बलराज मधोक : यह एक अच्छा सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैं इससे सहमत हूं कि मंत्री महोदय के आने तक इसे स्थगित किया जाये। मगर कल तक नहीं है, जब उनकी बारी आयेगी, तब इस पर विचार किया जायेगा।

श्री नन्द कुमार सोमानी : यह अनुचित होगा। (**व्यवधान**).....

श्री श्रीचन्द गोयल : आपको ज्ञात है कि प्रक्रिया के अनुसार जब मंत्री महोदय कोई वक्तव्य देते हैं, तो उस पर किसी भी प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, इसीलिए मैं पूरक प्रश्नों को स्थगित करने के सुझाव से सहमत हो गया हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये.....अनुपस्थित हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्हें गिरफ्तार किया गया है और संसद में आने नहीं दिया जाता। आप सोच सकते हैं कि इस देश में आज कल क्या हो रहा है।

अध्यक्ष मोहदय : मुझे इसकी सूचना प्राप्त हुई है (**व्यवधान**).....

श्री नम्बियार : उनकी यहां उपस्थिति के लिए संसद एक रिट याचिका प्रस्तुत कर सकती है। श्रीमान्, आप एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पेश कर सकते हैं ताकि श्री मधु लिमये को यहां लाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैं किसी भी मामले में रिट याचिका पेश कर सकता हूं, बशर्ते कि वह प्रक्रिया के अन्तर्गत हो।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान्, मेरा निवेदन है—

अध्यक्ष महोदय : कृपया छोटी सी बात को आप ज्यादा मत बढ़ाइये।

भारत में कार्य कर रही विदेशी दवाई फर्में

+

*305. **श्री पी० पी० एस्थोस** : **श्री भगवान दास** :
श्री के० एम० अब्राहम : **श्री नम्बियार** :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्य करने वाली विदेशी दवाई फर्मों की संख्या कितनी है ;

(ख) गत वर्ष इन फर्मों ने कुल कितना लाभ कमाया ;

(ग) गत तीन वर्षों में उन फर्मों ने रायल्टी, सेवा-शुल्क और तकनीकी जानकारी के नाम से विदेशों को कुल कितना धन भेजा ; और

(घ) क्या सरकार भारत में इन विदेशी दवाई फर्मों द्वारा विदेशों को धन भेजने के बारे में रोक लगाने पर विचार करेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(घ) जी नहीं। इस प्रकार की कोई कार्यवाही करना देश में विदेश/निवेश की अनुज्ञा देते समय सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों के विपरीत होगी ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री पी० पी० एस्थोस : मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने हैं...(व्यव...)...

अध्यक्ष महोदय : तीन अन्य सदस्यों ने भी यह प्रश्न पूछा है । कृपया आप देखिए ।

श्री पी० पी० एस्थोस : जब वे कहते है कि सूचना इकट्ठी की जा रही है, तो फिर पूरक प्रश्न पूछने से क्या फायदा है ?

अध्यक्ष महोदय : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही हैं । प्रश्न का दूसरा खंड क्या था ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में मैंने कहा था

"जी नहीं, इस प्रकार की कोई कार्यवाही करना देश में विदेश-निवेश की अनुज्ञा देते समय सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों के विपरीत होगी ।"

अध्यक्ष महोदय : यह भी बहुत स्पष्ट जवाब है ।

श्री पी० पी० एस्थोस : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सेवाशुल्क, तकनीकी जानकारी आदि के नाम से विदेशों में भारतीय मुद्रा के भेजे जाने को रोकने के लिए विदेशी कम्पनियों के पेटेंट अधिकार खरीदने का सरकार का विचार है ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : मैं केवल यही कह सकता हूं कि हम इस सुझाव पर विचार करेंगे ।

श्री नम्बियार : सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं कर रही है कि भारत स्थित विदेशी औषध निर्माता प्रयोगशालाओं की स्थापना न करें और उनमें भारतीय वैज्ञानिकों को न लगायें ताकि भारतीयों को भारत के औषध उद्योग का विकास करने एवं उसमें अनुसंधान करने का लाभ प्राप्त कर सके । मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : औषध उद्योग द्वारा यहां किया जा रहा अनुसंधान कार्य बहुत आगे बढ़ चुका है । अगर भारत के लोग इन फर्मों में नहीं हैं, तो जरूर उसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

Shri Kanwar Lal Gupta : According to a survey conducted by Dr. Hazare and Mr. Lekhani, there are nine foreign drugs manufacturing companias in India which cover up their whole investment within two years. Similarly, Dr. Hazare has written that there are fifteen other foreign companies which cover up their investment within four years. These foreign companies are earning a huge profit and the Government is quite unaware of it. Will the Government nationalise these companies and if not, what are the reasons therefor ?

Shri Bhanu Prakash Singh : In business process sometimes it so happens that the businessmen get a huge profit and sometimes get less. Sometimes it will take more time to manufacture any article. As far as the question of nationalisation is concerned, at present this is not under consideration.

Shri Kanwar Lal Gupta : These firms cover up their whole investment within two years and here the Minister savs that sometimes they get more profit and sometimes less. How shameful it is for a Minister to reply in a mocking manner. Mr. Speaker, Sir, please ask the Minister to reply to this question.

कलकत्ता में गन्दी बस्तियों की सफाई के कार्य में सहायता

*306. **श्री समर गुह :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित 17 जुलाई, 1970 के 'हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड' और 'आनन्द बाजार पत्रिका' में छपे उस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यद्यपि वृहत्तर कलकत्ता के लिए गन्दी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार है और राज्य सरकार भी इन परियोजनाओं का कार्य शीघ्र आरम्भ करने को उत्सुक है तथापि इन परियोजनाओं के लिए नियत धन केन्द्रीय सरकार द्वारा न दिये जाने के कारण अविलम्ब कार्यवाही करने में बाधा उपस्थित हो रही है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच अनेक बैठकें हो चुकी हैं ;

(ग) क्या कलकत्ते के विकास के लिए अन्य परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी निर्धारित केन्द्रीय राशि के ठीक समय पर न दिये जाने के परिणामस्वरूप प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ; और

(घ) यदि हां, तो बिना किसी विलम्ब के कलकत्ता विकास परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय धन को शीघ्रतापूर्वक देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य (श्री परिमल घोष) : (क) बृहत कलकत्ता में गन्दी बस्ती सुधार के लिए पश्चिमी सरकार द्वारा तैयार किये गये कुछ अन्तिम फूपरेखा (ब्लुप्रिन्ट) का सरकार को ज्ञान है। कलकत्ता क्षेत्र में बस्ती-सुधार के लिए चालू वर्ष के बजट अनुदानों में 68 लाख रुपये की आरंभिक व्यवस्था है ; और जो प्रयोजनाएं तैयार हैं उनके कार्यान्वयन आरम्भ करने में कोई वित्तीय कठिनाई नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सामान्यतया चालू वर्ष में नियत की गई केन्द्रीय सहायता के बारहवें भाग के बराबर 'ग्रान एकाउन्ट' मासिक अदायगियां राज्य सरकार को नियमित रूप से की जा रही हैं।

श्री समर गुह : ग्राजकल सदन में कलकत्ता के लिए बहुत ग्राँसू बहाये जाते हैं मगर वहां के जीवन पर इसका कोई ग्रसर पड़ने से पहले ही सारे ग्रांसू सूख जाते हैं मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हावड़ा ग्रौर कलकत्ता में 15 लाख लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं ग्रौर इस संख्या में ग्रब 75,000 की ग्रौर वृद्धि हुई है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इन गन्दी बस्तियों में 142 ग्रनधिकृत कालोनियां ग्रौर बढ़ गई हैं ग्रौर यह क्या सच है कि इन गन्दी बस्तियों में 1,26,000 खुले शौचालय हैं ग्रौर इन सबके कारण श्री किप्लिंग ने कहा कि कलकत्ता दुनिया की हैजा की राजधानी है ? यदि हाँ, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के बच्चों में 75 प्रतिशत को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्राप्त नहीं है ग्रौर पानी, सफाई तथा ग्रन्य चीजों के ग्रभाव के कारण, इन गन्दी बस्तियों में भ्रष्टाचार, हिंसात्मक गतिविधियाँ तथा सभी सामाजिक ग्रौर ग्रार्थिक कुरीतियाँ फैल जाती हैं ? मन्त्री महोदय ने ग्रभी कहा कि कलकत्ता में गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये 68 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस रकम से कलकत्ता की गन्दी बस्तियों के सुधार कार्य की बहुत बड़ी समस्या को हल कर सकती है ?

श्री परिमल घोष : यह सच है कि करीब 10 लाख लोग...

श्री समर गुह : दस लाख नहीं, पन्द्रह लाख हैं।

श्री परिमल घोष : कलकत्ता ग्रौर हावड़ा में दस लाख से ग्रधिक लोग करीब 3000 बस्तियों में रहते हैं। यह भी सच है कि इन बस्तियों में पीने के पानी, शौचालय तथा ग्रन्य चीजों की सुविधायें दुखद रूप से ग्रपर्याप्त हैं जब बस्तियों में यह स्थिति रहती है तो स्वभावतः वे सारी बातें वहां होंगी जिनकी ग्रोर माननीय सदस्य ने संकेत किया है।

श्री समर गुह : ग्राप यह क्यों कहते हैं कि 'वहाँ होंगी', जब कि ये सारी बातें वहाँ होती हैं। कलकत्ता का जीवन इस कारण ग्रधिक खतरनाक बन गया है।

श्री परिमल घोष : माननीय सदस्यों ने बस्तियों के सुधार कार्यों के लिए ग्रावंटित की गई धन राशि के बारे में प्रश्न उठाया। यह सच है कि मूल चौथी योजना में समूचे कलकत्ता के विकास कार्यों के लिए, जिसमें गन्दी बस्तियों का सुधार भी शामिल है, 42.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी।

इस मामले पर पश्चिम बंगाल सरकार के सलाहकारों तथा मंत्रीमण्डल सचिवालय ने कई बार विचार किया है ग्रौर यह स्वीकार किया गया है कि बस्तियों तथा गन्दी बस्तियों के विकास सहित कलकत्ता के विकास को तेजी से करना होगा ग्रौर जो धनराशि नियत की गई है उसमें वृद्धि करनी होगी। इस ग्राधार पर, कई बैठकें ग्रायोजित की गई हैं तथा यह निर्णय किया गया है कि

चौथी योजना में नियत राशि के अलावा 113.50 करोड़ रुपये और आवंटित किए जायेंगे। तदनुसार, पूर्व नियत 42.50 करोड़ रुपये की राशि सहित चौथी योजना के दौरान 156 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जायेगी, इसमें कलकत्ता के क्षेत्र के विकास की राशि भी शामिल है। इस विकास कार्यक्रम को बढ़ाने तथा तेजी से करने की बात को पूरी तरह अनुभव किया गया है और आवश्यकता के आधार पर जलपूर्ति, जल विकास, परिवहन, नगरीय विकास, बस्तियों तथा गन्दी बस्तियों के सुधार और सफाई हेतु वर्ष 1970-71 के दौरान कार्यक्रम हाथ में लिए जायेंगे : बस्तियों तथा गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए, पूर्व निश्चित राशि सहित चौथी योजना में 25.90 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे। अपने मुख्य उत्तर में जिस प्रारंभिक मूल राशि का वर्णन मैंने किया है उसके समक्ष बंगाल सरकार को एक करोड़ रुपया दिया जायेगा वह इस राशि से बस्तियों तथा गन्दी बस्तियों के सुधार और सफाई कार्य को चला सकेगी। हमने यह भी अनुमान लगाया है कि बस्तियों के सुधार कार्य को कारगार ढंग से क्रियान्वित करने में दो या तीन वर्ष लगेंगे और कि यह एक वर्ष की अवधि में पूरा नहीं किया जा सकता। हमने यह भी अनुमान लगाया है कि बस्तियो का सुधार करने के लिए प्रति व्यक्ति निधि की आवश्यकता 150 रुपये तक होगी। इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि बस्तियों के सुधार पर 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसलिए हम समझते हैं कि एक विशिष्ट वर्ष में बस्तियों के विकास के लिये जो कुल अधिकाधिक खर्च किया जा सकता है वह 5 या 6 करोड़ रुपये होगा। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे लिए यह राशि नियत करना कठिन नहीं है, यदि पश्चिम बंगाल सरकार कार्य करने की स्थिति में है तो उसे 156 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया जायेगा।

श्री समर गुह : यह मेरे लिए एक नई बात है कि योजना में नियत 150 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त 156 करोड़ रुपये कलकत्ता के विकास के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। अगले पांच वर्षों में कलकत्ता के विकास के लिए यह राशि 306 करोड़ रुपये बनती है। यदि ऐसा है तो पहले तो मैं यह जानना चाहूँगा कि कलकत्ता के विकास के लिए नियत इस राशि का कितने प्रतिशत भाग गन्दी बस्तियों के विकास पर खर्च किया जायेगा ; दूसरे क्या यह सच है कि विश्वबैंक के अध्यक्ष श्री मैकनमारा ने कलकत्ता की अपनी यात्रा के समय दिल्ली तथा कलकत्ता में विशिष्ट रूप से यह वक्तव्य दिया था कि कलकत्ता में गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए काफी धनराशि दी जा सकती है बशर्ते कि भारत सरकार ऐसा चाहे; और तीसरे, क्या सरकार कलकत्ता की गन्दी बस्तियों के विकास के लिए पी एल. 480 की निधि में से धनराशि देने जा रही है जैसा कि उसने बम्बई के लिए किया है।

श्री परिमल घोष : माननीय सदस्य ने आरम्भ में ही एक भूल की है। मैंने कहा है कि जो धनराशि गन्दी बस्तियों तथा अन्य बस्तियों के विकास के लिए चौथी योजना में दी जायेगी वह 25.90 करोड़ होगी और अनुमान के अनुसार जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी वह 15 से 20 करोड़ रुपये तक होने का अनुमान लगाया गया है।

श्री समर गुह : अब वह उसे 'आवश्यक' कह रहे है। पहले उन्होंने कहा था कि 156 करोड़ रुपये नियत किये जायेंगे।

श्री परिमल घोष : 156 करोड़ रुपये कलकत्ता के विकास के लिए हैं केवल गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये नई और विशिष्ट रूप से गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए चौथी योजना के दौरान 25.90 करोड़ रुपये नियत किये गए हैं। यह बात मैंने स्पष्ट रूप से कही है।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने विदेशी एजेन्सियों से निधि प्राप्त करने के बारे में किया है। उन्होंने विश्व बैंक का हवाला किया है यह सच है कि इस दिशा में भी विचार किया गया था। विश्व बैंक ने भी कुछ रुचि दिखाई है। परन्तु मैं नहीं समझता कि निकट भविष्य में उस स्रोत से धन प्राप्त होने की संभावना है क्योंकि उस ऋण का लाभ उठाने के लिए, यदि लिया भी गया तो, एक परियोजना तैयार करनी पड़ेगी। पश्चिम बगाल सरकार को आवंटित संवर्द्धित विकास सहायता के आधार पर हमने पश्चिम बंगाल सरकार को एक समेकित योजना-परियोजना तैयार करने को कहा है जिसे विश्वबैंक को विचारार्थ भेजा जा सके।

पी०एल०-480 की निधि के बारे में मुझे मालूम नहीं है कि बम्बई को पी० एल०480 की निधि में से कोई राशि आवंटित की गई है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि यदि बम्बई को पी०एल०-480 से कोई धन दिया गया है तो निश्चिय ही कलकत्ता को भी वह राशि दी जायेगी।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि नक्शा तैयार किये जाने के बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार के सलाहकारों के बीच यह विवाद जारी है कि गन्दी बस्तियों का बिल्कुल सफाया करके वहां नये मकान जायें या कि वहां पानी, विद्युत तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाये; क्या यह सच है कि इस विवाद के कारण कोई कारगर कार्यवाही नहीं की जा सकी है, यदि हां, तो क्या भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी तथा गन्दी बस्तियों को सुधारने अथवा वहां रहने वालों के लिए तुरन्त ही नये मकान बनायेगी ?

श्री परिमल घोष : गन्दी बस्तियों को हटाने तथा बस्तियों में सुधार करने के बारे में भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार के सलाहकारों के मध्य कई बार विचार विमर्श हुआ है। पश्चिम वंगाल सरकार तथा केन्द्र सरकार को यह भली-भांति मालूम है तथा वे चाहते हैं कि गन्दी बस्तियों को हटाने तथा अन्य बस्तियों में सुधार करने का कार्य एक वर्ष की अवधि में कर लिया जाये। इस बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों से भी विचारविमर्श किया गया है परन्तु पश्चिम बंगाल सरकार ने यह विचार प्रकट किया है कि सभी 7000 बस्तियों तथा विशेष-तया 60,000 से 70,000 की जनसंख्या वाली वस्तियों के कार्य को एक वर्ष में पूरा करना वस्तुत: असंभव है और इस कार्य को सावधिक कार्यक्रमों द्वारा किया जाना चाहिये इसलिए यह निश्चय किया गया है कि पहले वर्ष में विशेष रूप से बड़ी जनसंख्या वाली बस्तियों का कार्य संभाला जायेगा और विकास कार्य इस प्रकार किया जायेगा कि इन विशिष्ट बस्तियों के लिये आवश्यक विकास कार्य पर एक साथ कार्यवाही आरंभ की जाये जिसका कुछ प्रभाव भी पड़ेगा। अन्यथा, यदि इन बस्तियों में कुछ कार्य करके शेष काम कुछ वर्ष बाद पूरा करने के लिए छोड़ दिया जाये, तो किया गया काफी कार्य निष्फल हो जायेगा। इसलिए यह निश्चय किया गया है कि उसे तीन साल की योजना

बनाकर किया जाये । पहले वर्ष में बड़ी बस्तियों का तथा शेष दो वर्षों में अन्य बस्तियों का विकास किया जायेगा ।

डा० रानेन सेन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि क्या इस बारे में कोई मतभेद, है ?

श्री परिमल घोष : पश्चिम बंगाल सरकार तथा भारत सरकार के मध्य कोई मत-भेद नहीं है । जहां तक गन्दी बस्तियों के सुधार का संबंध है, सो बस्तियों को गिराने का प्रश्न नहीं बल्कि बस्ती के क्षेत्रों को सुधारने की बात है । केन्द्र सरकार क्या पश्चिम बंगाल सरकार के बीच केवल, यही मत-भेद है कि केन्द्र सरकार यह चाहती है कि इन सभी बस्तियों को एक वर्ष के भीतर सुधारा जाये जबकि पश्चिम बंगाल सरकरार ने एक वर्ष में यह कार्य करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ।

श्री हो० ना० मुकर्जी : सरकार की आंकड़े-शाही से कलकत्ता के लोग तंग आ गये हैं और हम मैकनमारा अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के विचार में रुचि नहीं रखते । हमें तो परिणाम चाहियें जो कुछ इससे कुछ पूर्व कहा गया है कि बड़े पैमाने पर गन्दी बस्तियों को साफ करने तथा पुनर्निर्माण करने का कार्यक्रम किसी भी देश के लिए एक लम्बी अवधि का क्या कठिन कार्य है, तो क्या सरकार जो कि अब पश्चिम बंगाल का प्रशासन संभाले हुये है, हमें निश्चित रूप से यह बतायेगी कि जहां तक गन्दी बस्तियों को सुधारने का काम है, क्या इस संबंध में सरकार निर्णयात्मक कार्यवाही करेगी ताकि कुछ वर्षों की अवधि में जलपूर्ति, विद्युत, सफाई आदि की और अच्छी सुविधाओं सहित उन गन्दे क्षेत्रों का सुधार कर लिया जाये. बजाये इसके कि ऐश्वर्य पूर्ण बहु मंजिली इमारतों में उन लोगों को आश्रय देने का प्रबन्ध करे जो कि इनका उपयोग भी नहीं कर पाते ? क्या सरकार के पास इस समय कोई ऐसी योजना है कि गन्दी बस्तियों की सफाई तथा पुनर्निर्माण की सभी प्रकार की लम्बी अवधि वाली योजनाओं को एक साथ चलाने की बजाय, एक दो वर्ष में उक्त कार्य पूरा कर लिया जाये ?

श्री परिमल घोष : भारत सरकार भी ठीक इसी बारे में सोच रही है कि इतनी अल्प अवधि में सभी बस्तियों वालों के लिये पुनःनिर्माण करना संभव नहीं होगा । इसलिए हमने बस्तियों के सुधार की योजना बनाई है जिसमें सूखे संडासों को फलश-प्रणाली में परिवर्तित करना तथा जहां भी संभव हो, इन्हें जल निकास लाईन से संबन्धित करना अथवा यदि ऐसी व्यवस्था न हो तो, उन्हें जोहड़ों के साथ जोड़ना शामिल है । फिर निचले क्षेत्रों के सुधार का कार्य भी वर्षा ऋतु तक पूरा होने की संभावना है । सड़कों, प्रकाश-व्यवस्था तथा पेय-जल की सुविधाओं में सुधार की बात है । ये योजनायें हमने हाल में ली हैं और हमने व्यवस्था की है कि इन बस्तियों के सुधार का काम तीन वर्षों में पूरा हो जाये । यही लक्ष्य हमने निर्धारित किये हैं और इसके लिये हमने आवश्यक धनराशि आवंटित की है ।

Shri Balraj Madhok : It is a matter of pleasure that the Government of India have started paying some attention in regard to calcutta. I want to know whether the Government are aware that it is not the problem of Calcutta only, but also of Delhi which is the Capital of India and for which the Centre is directly responsible...and Bombay...

Mr. Speaker : The question relates to Calcutta only.

Shri Balraj Madhok : When I talk of Delhi, you say that the question does not pertain to Delhi ; whereas you have been permitting others. Either you decide that none else than those from Delhi would ask the questions about Delhi or...

Mr. Speaker : It is not relevant.

Shri Balraj Madhok : Let me know whether only Members from Bengal will put questions about Bengal and Delhi Members about Delhi. You decide about it

Mr. Speaker : Please sit down. It is a very specific question and it is about Calcutta.

Shri Balraj Madhok : I am asking a question about Calcutta. You have not heard my question.

My point is that Calcutta is not the only Metropolitan City. Bombay and Delhi are also there. So, may I know whether the Government would prepare a similar plan for other cities also so that the slums could be cleared

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : कलकत्ता विकास योजना के बारे में यदि अधिक नहीं तो गत 12 वर्षों से विचार-विमर्श हो रहा है । श्री ही० ना० मुकर्जी द्वारा की गई भावनाओं से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि इस बारे में हम सुन तो बहुत कुछ चुके हैं परन्तु कुछ होना भी देखना चाहते थे । यह भी जिक्र था कि कार्य में प्रगति करने के लिए अनेक प्राधिकरणों की बजाये एक विशेष प्राधिकरण होना चाहिए । क्या ऐसा प्राधिकरण बनाया गया है ? इस बारे में सरकार क्या सोच रही है कि कार्य को शीघ्रता से आरम्भ किया जाये ?

श्री परिमल घोष : यह सच है तथा मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि कलकत्ता के विकास सम्बन्धी योजनाओं पर एक लम्बे समय से विचार किया जा रहा है तथा इस सम्बन्ध में वास्तविक प्रगति आवश्यक सीमा तक प्राप्त नहीं हो सकी है । इन सब बातों को महसूस करते हुए अब कुछ ठोस परियोजनायें हाथ में ली गई हैं, वित्तीय आवंटन किया गया है तथा लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और कार्य के पूरा करने की तिथि भी निर्धारित की गई है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : इस कार्य को कौनसा प्राधिकरण करेगा ? क्या कोई प्राधिकरण बनाया गया है ?

श्री परिमल घोष : आप जानती हैं कि कलकत्ता विकास क्षेत्र में तीन या चार कार्यान्वित प्राधिकरण हैं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : यही तो सारी मुसीबत है

श्री परिमल घोष : उनके नाम हैं, कलकत्ता निगम, सुधार न्यास, तथा कलकत्ता महानगर विकास, प्राधिकरण, यही कार्यान्वित प्राधिकरण हैं, यह स्वाभाविक ही है कि कलकत्ता के विकास का कार्य वर्तमान प्राधिकरणों ने करना है । क्योंकि यदि इस मामले में किसी बाहरी एजेन्सी को काम दिया जाये तो वे कलकत्ता क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं से परिचित नहीं होंगी । इसलिए

जो भी स्रोत तथा जनशक्ति इस नियम तथा सुधार न्यास तथा अन्य एजेन्सियों को उपलब्ध हैं उन्हें ही काम पर लगाया जायेगा तथा यदि आवश्यकता हुई तो उनकी क्षमता भी बढ़ाई जायेगी ताकि वे इस कार्य को संभालें तथा पूरा करें।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : तो क्या मैं इसका यह अर्थ लूं कि इस कार्य को समन्वित करने के लिए किसी विशेष प्राधिकरण की स्थापना का विचार त्याग दिया गया है।

श्री परिमल घोष : इस बारे में कलकत्ता आयोजना तथा विकास प्राधिकरण ही समन्वय प्राधिकरण होगा। यह तो पहले ही तय किया जा चुका है।

डा० सुशीला नैयर : कलकत्ता के बारे में बहुत पहले से ही यह चर्चा थी तथा यह निर्णय किया गया था कि वहां के लिए एक मास्टर प्लान हो और उस मास्टर प्लान में जल पूर्ति तथा भूमिगत जल निकास को सर्वोच्च वरीयता दी गई थी। क्या मैं जान सकती हूं कि इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है। गंदी बस्तियों को हटाने के संदर्भ में, क्या समुचित जल निकास व्यवस्था, सुरक्षित जलपूर्ति तथा हैजे की समस्या की ओर समुचित ध्यान दिया गया है? इसी प्रकार कलकत्ता आयोजना तथा विकास प्राधिकरण का अभिप्राय एक समन्वय प्राधिकरण गठित करने का था यदि वहां दो या तीन प्राधिकरण हैं तो यह कहने का कोई अर्थ नहीं कि वहां एक समन्वय प्राधिकरण भी होना चाहिए। ये विभिन्न प्राधिकरण प्रायः विभिन्न तरीकों से कार्य करते हैं। क्या सरकार एक निर्णायक प्राधिकरण गठित करने के बारे में विचार करेगी जो इन विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर सके?

श्री परिमल घोष : जो कुछ माननीय सदस्या ने कहा है उसमें काफी सच्चाई है कि कलकत्ता क्षेत्र के लिए जलपूर्ति, जल निकास तथा अन्य चीजों सम्बन्धी मामला काफी दिन से चल रहा है तथा उक्त कठिनाईयों को दूर करने के लिए बहुत कम कार्यवाही की गई है। यही तो कारण है कि अब की बार हमने जलपूर्ति, जलनिकास आदि की विशिष्ट परियोजनाओं को हाथ में लिया है।

डा० सुशीला नैयर : ये समस्यायें वहां अब से नहीं प्रत्युत वर्षों से हैं।

श्री परिमल घोष : मैं जानता हूँ। फिर भी अब की बार एक सच्चा प्रयास किया गया है और मुझे आशा है कि उसे क्रियान्वित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक प्राधिकरण भी गठित किया गया है ताकि वे अन्य एजेन्सियों की गतिविधियों को समन्वित कर सकें। यह कार्य भी किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : संख्या 307—अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 308—अनुपस्थित। अब हम प्रश्न संख्या 309 को लेंगे।

काले धन तथा कर-अपवंचन का पता लगाने के लिए वांचू समिति

+

309. **श्री शिव चंद्र झा** : **श्री रामावतार शास्त्री** :

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : **डा० रानेन सेन** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) काले धन तथा कर-अपवंचन के बारे में श्री के० एन० वांचू की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति के कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यह समिति सम्भवत: कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ; और

(ग) 30 जून, 1970 को आयकर की कुल कितनी धन राशि बकाया थी तथा उसमें से वर्ष 1969-70 तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि वसूल की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना सभा-पटल पर रखे गये विवरण-पत्र में दी गई है।

विवरण

(क) समिति ने 15 मई, 1970 को एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की जिसमें जून 1970 के अन्त तक प्रश्नों के उत्तरों के लिए समय दिया गया था। लेकिन वाणिज्य मंडलों, अन्य निकायों तथा व्यक्तियों से प्राप्त बहुत से आवेदनों का आदर करते हुए उक्त समय सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई 1970 कर दिया गया।

निर्देश-पदों के अन्तर्गत जाने वाले बहुत से प्रश्नों पर समिति द्वारा स्वतन्त्रतापूर्वक जांच की जा रही है। समिति की अभी तक तीन गोष्ठियां हुई हैं और प्रत्येक गोष्ठी की कई बैठकें हुई हैं।

(ख) समिति किस तारीख तक अपनी रिपोर्ट पेश कर सकेगी, अभी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता। समिति, यदि संभव हुआ तो, अगले दो महीनों में एक अन्तरिम रिपोर्ट पेश करने पर विचार कर रही है। अन्तिम रिपोर्ट में अपेक्षाकृत अधिक समय लग सकता है और हो सकता है कि वह किसी समय अगले वर्ष पेश की जाय।

(ग) आयकर की बकाया के सम्बन्ध में उपलब्ध नवीनतम आंकड़े 31-3-1970 की स्थिति के परिचायक हैं और इस तारीख को बकाया की अन्तिम रकम 507.91 करोड़ रुपये थी।

1969-70 तथा चालू वर्ष में (मई 1970 तक) बकाया सम्बन्धी मांग में से कर की वसूली के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

1969-70	129.75 करोड़ रुपये
1970-71 (मई 1970 तक)	51.73 करोड़ रुपये

Shri Shiva Chandra Jha : I would like to know whether the terms of reference of Wanchoo Committee also cover the complaints of tax-evasion and black money against the Ministers and Central Ministers and whether it would examine their cases and submit a report on them ?

Shri Vidya Charan Shukla : Yes, Sir. It would do so. It can include in its report all the matters connected with the subject.

Shri Shiva Chandra Jha : Secondly, Mr. Speaker, as has been reported in the newspapers, in view of the progress so far made, the report is likely to be submitted in December or afterwards ; but I would like to know whether certain complaints of tax-evasion and hoarding of black money have been received by the Committee against some Tata and Birla Firms ?

Shri Vidya Charan Shukla : Mr. Speaker, this Committee had issued a very detailed Questionnaire in May and had laid down a time-limit that all the replies to the Questionnaire should be submitted by the end of June, 1970. A large number of requests had been received that more time should be allowed as it would take more time to reply to so detailed a Questionnaire. The Committee, therefore, extended the time upto 31st July, 1970. Now, the replies, to the Questionnaire have been received. These replies would be tabulated and thereafter, the replies to the Questionnaire would be considered by the Committee. The Committee has so far held three meetings, each consisting of several sittings. It is quite possible that complaints against the firms mentioned by the hon'ble Member might have been received.

Shri Shiva Chandra Jha : There is no question of possibility. I want to know the reality.

Shri Vidya Charan Shukla : I do not know whether the complaints against these firms have been received or not. I do not know which complaints have been received by the Committee. The Committee would submit their recommendations after considering the information submitted to it.

डा० रानेन सेन : श्रीमान् जी, सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि बड़े उद्योगों और अन्य वर्गों ने हजारों-करोड़ रुपये को काले धन के रूप में जमा कर रखा है। जिन बड़े उद्योगों ने भारी मात्रा में काले धन को जमा कर रखा है, उनकी वर्तमान प्रवृत्ति देश भर में बड़ी-बड़ी फार्मों पर उस धन को लगाना है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने वांचू समिति के निर्देश-पदों में इन सभी प्रश्नों को शामिल किया है, जिससे काले धन से सम्बन्धित सभी पहलुओं के बारे में पूरी-पूरी जांच हो सके किस प्रकार इसे अर्जित किया जाता है और किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है और यदि हां, तो इसके वास्तविक निर्देश-पद क्या हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : निर्देश-पद काफी विस्तृत हैं और यह विशिष्ट मामला भी उनके अन्तर्गत आ जाता है। अपनी अनुमति हो तो मैं निर्देश पदों को पढ़कर सुना दूं या उन्हें सभा-पटल पर रख दूं ?

अध्यक्ष महोदय : अगर वह लम्बा हो, तो वह उन्हें सभा-पटल पर रख सकते हैं। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया है।

श्री म० ला० सोंधी : अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। डा० लोहिया की मृत्यु पर हमें अभी भी चिन्ता है। यह एक एसा मामला है, जिसकी विस्तृत जांच की जानी चाहिए। अगर इस प्रश्न को पूछने की बारी न भी आ पाई हो, तो भी इस सदन की भावनाओं का प्रश्न है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आपकी अनुमति से, मैं निर्देश पदों को पढ़कर सुनाता हूं। वे इस प्रकार हैं :

"(क) (1) काले धन का पता लगाना और करापवंचन के माध्यम से इसके प्रसार को रोकना ;

(2) ट्रस्ट बनाने सहित अन्य विविध कानूनी उपायों द्वारा कर से बच निकलने को रोकना ; और

(3) कर की बकाया राशि को कम करना ;

(ख) कर सम्बन्धी कानूनों में दी गई विभिन्न छूटों की उनकी वापसी लेने, उनमें कमी अथवा सुधार करने हेतु उनकी जांच करना ;

(ग) इसकी सभी सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रशासन और कर-निर्धारण में सुधार हेतु तरीका सुझाना ।"

श्री म० ला० सोंधी : मेरा निवेदन यह है कि डा० लोहिया इस सदन के सम्माननीय सदस्य थे और इसलिए यह मामला सामने आया है। माननीय मन्त्री महोदय यहाँ उपस्थित हैं और अगर वह उत्तर दें, तो क्या हर्ज है ? वह हमें आश्वासन दे सकते हैं कि मामले की जांच की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : मगर जिन दो सदस्यों ने यह प्रश्न पूछा है, वे यहां उपस्थित नहीं है ।

श्री म० ला० सोंधी : श्रीमन् जी, आप अध्यक्ष हैं और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर दिलाने का आपको विवेकाधिकार है । डा० लोहिया एक महान् नेता थे और हम आज भी डा० लोहिया को याद करते हैं। जनता सन्तुष्ट होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बारे में कोई विवेकाधिकार नहीं है ।

श्री म० ला० सोंधी : मन्त्री महोदय स्वयं उठकर जवाब दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जिन दो सदस्यों ने इस प्रश्न का नोटिस दिया था, वे यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं अनुमति दे भी दूं, मगर वे दोनों सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं । जब वे यहां उपस्थित नहीं हैं, तो मैं इसकी कैसे अनुमति दे सकता हूं ? इस मामले पर बेकार में ही क्यों इतना सारा विवाद खड़ा कर रहे हैं ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में दूसरी पारी

*302. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह** :
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सभी पात्र विद्यार्थियों को दाखिला देने के विचार से दिल्ली प्रशासन ने इस वर्ष से मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में दूसरी पारी आरम्भ करने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) उपर्युक्त कालेज में प्रस्तावित दूसरी पारी से, प्री-मेडिकल परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दाखिला मिल जायेगा ; और

(घ) उपर्युक्त कालेज में दूसरी पारी में दाखिले के बाद कितने पात्र विद्यार्थी शेष रह जायेंगे और शेष विद्यार्थियों को सरकार का किस प्रकार दाखिला देने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां ।

(ख) मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में दूसरी पारी शुरू करने के दिल्ली प्रशासन के एक प्रस्ताव पर दिल्ली विश्व विद्यालय ने विचार किया । विश्वविद्यालय ने दूसरी पारी के इस प्रस्ताव को शैक्षिक आधार पर व्यावहारिक नहीं पाया ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ;

(घ) विश्वविद्यालय को स्वीकार्य वैकल्पिक प्रस्तावों पर इस कालेज के तथा विश्वविद्यालय के अधिकारी विचार कर रहे हैं ।

बैंक ऋण में वृद्धि

*304. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1969-70 में बैंक ऋण की राशि में तेजी से वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969-70 की व्यस्त कालावधि में बैंक ऋण राशि में कितनी वृद्धि हुई ;

(ग) पिछले वर्ष की इसी अवधि में बैंक ऋण की राशि कितनी थी ; और

(घ) क्या यह वृद्धि मुख्यतः एन०आर०सी० और आई०एस०सी०ओ० आदि के शेयर सौदों के तथा अनाज एवं अन्य वस्तुओं को सट्टेबाजी तथा व्यापार के लिए जमा करने के कारण हुई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

1969-70 के अधिक काम-काज के मौसम में बैंक-ऋण में 528 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी, जबकि इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि में 427 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी । यह प्रवृत्ति अधिक कामकाज के मौसम के बाद भी जारी रही । अप्रैल, 1970 के अन्त और 10 जुलाई 1970 के बीच की अवधि में कुल बैंक-ऋण में 253 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 110 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी । लेकिन 17 जुलाई 1970 को अर्थात सबसे हाल की उस तारीख को, समाप्त हुए सप्ताह में जिसकी

सूचना उपलब्ध है, गल्ला वसूली के लिए दिये जाने वाले अग्रिमों में हुई 1.5 करोड़ रुपये की वृद्धि के बावजूद, कुल बैंक-ऋण में 41.3 करोड़ रुपये की भारी कमी हुई।

2. इस बात को महसूस करते हुए कि अधिक कामकाज के मौसम के शुरू के भाग में, कुल दिशाओं में हुआ ऋण-विस्तार, वास्तविक आवश्यकताओं की अपेक्षा कुछ अधिक था, भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 1970 में ही कुछ खास-खास वस्तुओं के बारे में ऋण-नियंत्रण सम्बन्धी कुछ उपाय किये थे, जिनके जरिये कुछ उन वस्तुओं अर्थात् तेलहनों, वनस्पति तेलों, रुई और कपास के आधार पर, जिनके मूल्यों में भारी वृद्धि हुई थी, दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में "मार्जिन" में वृद्धि कर दी गई थी। इन वस्तुओं के आधार पर दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में, न्यूनतम सीमायें भी निर्धारित की गई थीं। अनाज के एवज में दिये जाने वाले अग्रिमों पर लगे नियंत्रण को भी और कड़ा बना दिया गया ताकि बैंक-धन की सहायता से, आवश्यकता से अधिक स्टाक रखने को हतोत्साहित किया जा सके। इन नियंत्रणों के प्रभाव को बल देने के लिए रिजर्व बैंक ने अनाज, तेलहनों, वनस्पति तेलों (बनस्पति सहित) और रुई तथा कपास के एवज में दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में ब्याज की 10 प्रतिशत की न्यूनतम दर निर्धारित कर दी थी। अभी हाल में इस दर को बढ़ाकर 12 प्रतिशत करा दिया गया है। इसके अलावा, चूंकि बैंक रिजर्व बैंक से भारी मात्रा में पुनर्वित प्राप्त कर रहे थे, इसलिए रिजर्व बैंक ने फरवरी 1970 में अपनी ऋण-नीति को कड़ा बना दिया और बैंक-दर पर अथवा रियायती दर पर पुनर्वित के दिये जाने पर पाबन्दी लगा दी। इसके साथ-साथ, बैंकों से कहा गया कि वे नकदी, सोने और प्रतिभूतियों के रूप में अपनी परिसम्पत्ति को, अपनी मीयादी और मांग सम्बन्धी कुल देनदारियों के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत तक करें। इसी प्रकार, नकदी और नकदी जैसी शुद्ध परिसम्पत्ति के न्यूनतम अनुपात को, जिसके आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिये जाने वाले पुनर्वित की लागत का निर्धारण होता है, अप्रैल 1970 के अन्त तक 30 प्रतिशत से बढ़ा कर 31 प्रतिशत और बाद में और वृद्धि करके 32 प्रतिशत कर दिया गया। रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई प्रतिबन्धात्मक नीतियों के परिणामस्वरूप 17 जनवरी से 24 अप्रैल 1970 तक की अवधि में बैंक-ऋण में 287 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 359 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी ; 1969-70 के अधिक कामकाज के मौसम के शुरू के भाग में ऋण में 241 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 68 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी।

3. उपर्युक्त पाबन्दियों के अलावा, रिजर्व बैंक ने जनवरी 1970 में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को एक निदेश जारी किया था कि वे 25 लाख रुपये से अधिक की ऋण-सीमा की मंजूरी देने के लिए और शेयरों के आधार पर दिये जाने वाले अग्रिमों के मामले में 5 लाख रुपये से अधिक की ऋण-सीमा की मंजूरी देने के लिए उससे मंजूरी प्राप्त करें। रिजर्व बैंक ने हाल में, उन पार्टियों को, जिन्हे समूची बैंकिंग-प्रणाली से 1 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक की ऋण-सुविधायें प्राप्त हैं, ऋण सीमा की मंजूरी देने के सभी प्रस्तावों की छानबीन कड़ाई से करनी शुरू कर दी है। बैंकों से कहा गया है कि वे 25 लाख रुपये अथवा इससे अधिक राशि के भारी ऋण के प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की छानबीन करें।

4. व्यापारियों को, बैंक-वित्त के उपयोग द्वारा सुप्रबन्धित कम्पनियों के शेयरों को हथियाने और इन कम्पनियों पर कब्जा जमाने से हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने हाल में एक और उपाय करने का फैसला किया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह कहा जायेगा कि वे उन ऋणकर्ताओं द्वारा, जिन्हें 50,000 रुपये से अधिक की ओवर ड्राफ्ट की सीमा की मंजूरी प्राप्त है, गिरवी रखे गये शेयरों को अपने नाम करने के लिए जोर दें। बैंक, इस प्रकार गिरवी रखे गये शेयरों के सम्बन्ध में, ऋणकर्ता के अनुरोध पर पहले की तरह, बिलकुल सामान्य रूप से, प्रतिपत्र अधिकार (पावर्स) देने से भी इंकार कर देंगे। बैंक मतदान का अधिकार अपने पास रखेंगे और उसका प्रयोग जनहित को देखते हुए अपने विवेकानुसार करेंगे। रिजर्व बैंक इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करेगा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से भिन्न बैंक भी इसी प्रकार की नीति का अनुसरण करें।

5. 1969-70 के अधिक कामकाज के मौसम में 528 करोड़ रुपये का जो ऋण-विस्तार हुआ, उसमें केवल 2.5 करोड़ रुपए की राशि का सम्बन्ध, शेयरों के एवज में दिए गए अग्रिमों से है। 115.8 करोड़ रुपए का सम्बन्ध चीनी के आधार पर दिए गए अग्रिमों से है, जिसकी आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने के कारण हुई थी। अधिक कामकाज के पिछले मौसम में, लोहे और इस्पात तथा इंजीनियरी उत्पादों के आधार पर दिए गए अग्रिमों में 53.6 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जबकि उससे पिछले मौसम में 12.7 करौड़ रुपये की कमी हुई यह वृद्धि मुख्यतः औद्योगिक गतिविधियों के जोर पकड़ने के कारण हुई थी। 1969-70 के अधिक कामकाज के मौसम में, अन्न के बदले दिए जाने वाले अग्रिमों में 8-8 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जबकि 1968-69 की इसी अवधि में 16.3 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी ; रुई और कपास के आधार पर दिए जाने वाले अग्रिमों में 44.6 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जबकि इससे पहले के अधिक कामकाज के मौसम में 68.1 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। इसकी तुलना में वनस्पति तेलों के आधार पर दिए जाने वाले अग्रिमों में 10.3 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जबकि इससे पहले के अधिक कामकाज के मौसम में 1.6 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। कुल बैंक-ऋण में हुई कुछ वृद्धि, अब तक उपेक्षित क्षेत्रों अर्थात् किसानों, छोटे पैमाने के उद्योगों, खुदरा व्यापारियों और आत्म-नियोजित व्यक्तियों को मिलने वाले अग्रिमों में वृद्धि होने के कारण भी हुई। फिर भी यह असम्भव नहीं है कि ऋण के कुछ भाग का उपयोग, सट्टेबाजी के उद्देश्य से तेलहनों, रुई और कपास जैसी कुछ वस्तुओं की जखीराखोरी करने के लिए किया गया हो।

उर्वरक संयंत्रों के लिए कैटेलिस्टों और मशीनों की सप्लाई हेतु भारतीय उर्वरक निगम द्वारा विकासशील देशों के साथ करार

#307. **श्री झारखण्डे राय :** **श्री लताफत अली खां :**
श्री अदिचन : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने उर्वरक संयंत्रों के लिए महत्वपूर्ण कैटेलिस्टों,

उपकरणों तथा मशीनों की सप्लाई हेतु विकासशील देशों के साथ कोई सहयोग करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) (क) महत्वपूर्ण उत्प्रेरकों, उपकरणों तथा उर्वरक संयंत्रों की मशीनरी की सप्लाई के लिए भारतीय उर्वरक निगम ने विकासशील देशों के साथ कोई सहयोग करार नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयला बोर्ड तथा कोयला नियंत्रक के कार्यालयों का विलय

*308. **श्री गणेष घोष** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार कोयला बोर्ड के कार्यालय को शीघ्र ही कोयला नियंत्रक के कार्यालय के साथ मिलाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) क्या विलय करने से पूर्व ऐसी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है जिससे कोयला नियंत्रक के कार्यालय के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, सुविधायें और उनके अधिकार और विशेषाधिकार इत्यादि सुरक्षित रह सकें ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (घ). प्रशासकीय सुधार आयोग ने सिफारिश की कि कानूनी कोयला बोर्ड का पुनर्गठन "विकास बोर्ड" में किया जाये जो कि मन्त्रालय के कार्यालय के रूप में कार्य करेगा और यह भी सुझाव दिया कि इस समय कोयला नियंत्रक द्वारा प्रयोग किये जा रहे विनियमनात्मक कृत्य इस बोर्ड को अन्तरिम किए जाने चाहिए । सरकार द्वारा यह सुझाव स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि कोयला बोर्ड के कानूनी एवं स्वायत्त स्वरूप को प्रतिधारित करना वांछनीय समझा गया था ।

स्वतंत्र रूप से, कोयला नियंत्रक संस्था का कोयला बोर्ड के साथ विलयन का प्रश्न भी विचाराधीन है जब विलयन के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जाएगा तो कोयला नियंत्रक संस्था एवं कोयला बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर यथोचित ध्यान दिया जाएगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया की मृत्यु की जांच

*310. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** :

श्री जनेश्वर मिश्र :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको एक संसद सदस्य से कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह मांग की गई है

कि डा० राम मनोहर लोहिया की विलिंग्डन अस्पताल में मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई उनकी जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाए ;

(ख) क्या सरकार तुरन्त एक ऐसा जांच आयोग नियुक्त करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). जिन परिस्थितियों में डा० लोहिया की मृत्यु हुई उनकी पहले ही विस्तार से जांच की जा चुकी है और ऐसे कोई नए तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं जिनसे नई जांच करना आवश्यक हो ।

नमक जमा हो जाने के कारण पैदा होने वाले रोगों की रोकथाम

*311. **श्री राम किशन गुप्त :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्रीमती सुचेता कृपालानी : **श्री जी० ना० हजारिका :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान सोवियत समाचार ऐजेन्सी "तास" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि "एक्सपेरिमेण्टल थेरापी एण्ड पैथालौजी इंस्टीट्यूट" में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधान से पता चला है कि अधिक नमक जमा हो जाने के कारण मानव शरीर प्रणाली में घातक अव्यवस्था पैदा हो जाती है ;

(ख) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने इन निष्कर्षों की जांच पड़ताल की है और उन्हें सही पाया है ; और

(ग) नमक जमा हो जाने के कारण पैदा होने वाले रोगों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). काफी समय से हमारे देश के तथा अन्य देशों के वैज्ञानिक नमक और अतिरिक्त चाप के निकट सम्बन्ध से अच्छी तरह परिचित हैं । अभी तक इस प्रकार की कोई जाँच पड़ताल नहीं की गई है और इसलिए जब तक ऐसा नहीं कर लिया जाता तब तक कोई कार्रवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

एक नया मेडिकल कालेज खोलने के लिए दिल्ली प्रशासन को सहायता

*312. **श्री जय सिंह :** **श्री बलराज मधोक :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा : **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजधानी में एक नया मेडिकल कालेज खोलने के लिए दिल्ली प्रशासन को दो करोड़ रुपए देने का वचन दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन ने विश्वास नगर में कालेज की इमारत के लिए 45 एकड़ भूमि निश्चित कर दी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन को वह सहायता दे दी गई है जिसका वचन दिया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) और (घ). ये प्रश्न नहीं उठते ।

मूल्यों में वृद्धि

*313. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री जे० के० चौधरी :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह मूल्यों में निरन्तर हो रही वृद्धि को रोकने तथा इसके कारणों की जांच करने के लिए अन्तर-मंत्रालय स्तर पर विचार विमर्श कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंक लोगों की उत्पादन आवश्यकताओं की अपेक्षा मुख्य रूप से उपभोग प्रयोजनों हेतु ऋण दे रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माता, उत्पादक तथा वितरक सामान को जमा रख कर जानबूझ कर बाजार में कमी उत्पन्न कर रहे हैं तथा इन वस्तुओं की बाजार में मांग बढ़ा रहे हैं जिससे मूल्य बढ़ जायें ; और

(घ) क्या ऋण सहायता दिये जाने से भारतीय अर्थ व्यवस्था पर होने वाले प्रभाव पर भी विचार किया जायेगा ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) सरकार मूल्यों से संबंधित स्थिति पर लगातार नजर रखती है और इस सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों के बीच किया जाने वाला विचार विमर्श सरकार के सामान्य कार्य का एक अंग है।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंक मुख्यतः उत्पादक प्रयोजनों के लिए ऋण देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास नियमित आमदनी का निश्चित साधन हैं, काफी देर तक चलने वाली उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए कुछ अग्रिम दिये गये है। हालाँकि इन अग्रिमों की राशि के ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी वे बैंकों द्वारा दिये गये कुल अग्रिमों का बिल्कुल मामूली भाग है।

(ग) अभाव की स्थिति में इस प्रकार की प्रवृत्ति का पैदा होना असंभव नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल के महीनों में ऋण-नियंत्रण के जो उपाय किये गये हैं, उनका मुख्य उद्देश्य पार्टियों को आवश्यकता से अधिक स्टाक जमा रखने से निरुत्साहित करना है

(घ) जी, हां।

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलंजखण्ड में तांबे के निक्षेपों का पता लगाना

#314. **श्री कं० हाल्दर :**
श्री इसहाक सम्भली :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
डा० सुशीला नैयर :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलंजखण्ड में ताँबे के निक्षेपों का पता चला हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन निक्षेपों में पाये गये तांबे की किस्म और क्षमता कितनी है ; और

(ग) निक्षेपों में से वाणिज्यिक स्तर पर तांबा निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किये गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के मलंजखण्ड क्षेत्र में 500 मीटरों की अनुदैर्ध्य लम्बाई में कई व्यधन छिद्रों में तांबा खनिजायन प्रतिच्छेदित हुआ है।

(ख) क्योंकि, समन्वेषण कार्य प्रारंभिक अवस्था में है अतः कार्य के पूरा होने पर ही निक्षेपों के गुण एवं सम्भाव्यता का आकलन लगाया जायेगा।

(ग) निक्षेपों के वाणिज्यिक उपयोग हेतु कदम उठाना अभी समय पूर्व की बात है।

मेडिकल स्टोर्स संगठन का कार्य

*315. श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री राम चरण :
श्री शिवकुमार शास्त्री
श्री मंगलाथुमाडम :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेडिकल स्टोर्स संगठन की कार्य कुशलता में लगातार गिरावट आती जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त संगठन को कुछ वर्ष पहले 25 लाख रुपये का लाभ हुआ था जबकि अब उसे हानि हो रही है हालांकि उसका व्यापार पहले से डेढ़ गुने से भी अधिक हो गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि डिपो से सम्बद्ध कारखाने के श्रमिकों की 50 प्रतिशत से भी कम क्षमता का उपयोग किया जा रहा है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि टिंचर गोलियों, मलहमों और पट्टियों जैसे 250 मदों के मूल्य, बाजार मूल्यों की तुलना में अधिक हैं ; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भागों का उत्तर सकारात्मक हो, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). चिकित्सा सामग्री संगठन को अपने कार्य संचालन से 1964-68 के गत चार वर्षों में 1966-67 के वर्ष को छोड़ कर जबकि घाटा हुआ था, लाभ हुआ है। आंकड़े इस प्रकार है :—

वर्ष	लाभ/हानि + —
	(रुपये लाखों में)
1964-65	(+) 23.43
1965-66	(+) 13.11
1966-67	(—) 4.78
1967-68	(+) 25.00 (लगभग—अभी लेखा परीक्षा द्वारा सत्यापन किया जाना है)

1	2
1968-69	बम्बई एवं कलकत्ता के मेडिकल स्टोर डिपुओं से (संकलित एवं लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत) और कर्नाल एवं गोहाटी से (पहले लेखा परीक्षित) प्राप्त हिसाब किताब से 13.70 लाख रुपये का कुल लाभ होने का पता चलता है। हैदराबाद और मद्रास के मेडिकल स्टोर डिपुओं के लेखे जोखे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। व्यापार और खर्च के समग्र रुख को देखते हुए इन डिपुओं में भी लाभ ही होने की आशा है। कुल मिलाकर मेडिकल स्टोर्स संगठन व्यापारिक दृष्टि से लाभकारी ही सिद्ध होगा। 1964-65 से 1967-68 तक के वर्षों में क्रय-विक्रय निःसन्देह बढ़ा है किन्तु उससे प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि के कारण उत्तरोत्तर बढ़ने वाले ऊपरी खर्चों में ही लग गई। ऊपरी खर्चों में वृद्धि होने पर भी विभागीय शुल्क (10 प्रतिशत) की दर स्थिर रही।

(ग) और (घ). जी नहीं। केवल 1968-69 में मेडिकल स्टोर डिपो मद्रास में ऐसा हुआ था जबकि श्रम उपयोगिता केवल 47 प्रतिशत थी।

निर्मित की जा रही औषधियों की कुल संख्या मद्रास की फैक्टरी में लगभग 65 और बम्बई में 85 है न कि 250।

चूंकि औषधियों की कीमतों में निरन्तर उतार-चढ़ाव होता ही रहता है अतः निर्माण लागत और बाजार की कीमतों की स्थायी रूप से सामान्य तुलना नहीं की जा सकती। साधारणतया, बाजार की कीमत की तुलना में जो मदें किफायतसार समझी जाती हैं उन्हीं का निर्माण शुरू किया जाता है। मद्रास की फैक्टरी में तैयार की जाने वाली पट्टियों की लागत किफायतसार नहीं पाई गई इसलिए इनका निर्माण बन्द कर दिया गया है।

मेडिकल स्टोर डिपो, बम्बई से सम्बद्ध फैक्टरी में निर्मित अधिकांश वस्तुओं की लागत बाजार दरों से मेल खाती है। 1998-69 और 1969-70 में टिंचर कार्डामोम को० लिनिमेण्ट टेर्पेण्टाइन और लिकोराइड के लिक्विड एक्स्ट्रेक्ट जैसी तीन खास वस्तुओं की लागत बाजार दरों से अपेक्षाकृत अधिक पाई गई। तथापि बाजार दरों के उतार चढ़ाव के कारण उपर्युक्त दो मदें निर्माण की दृष्टि से अब किफायतसार हो गई हैं। तीसरी औषध—लिकोराइस के लिक्विड एक्सस्ट्रैक्ट की लागत बाजार—कीमत की अपेक्षा अभी भी अधिक है और इसलिए इसके निर्माण को बन्द कर दिया गया है।

(ङ) मेडिकल स्टोर डिपुओं तथा उनसे सम्बद्ध फैक्टरियों की कार्य प्रणाली में सुधार करने का प्रश्न सरकार का ध्यान गम्भीरता के साथ आकर्षित किये हुए हैं सामग्री डिपुओं की कार्य प्रणाली को खासकर उनके लेखा-जोखा प्रणाली, सामग्री सूची नियंत्रण तथा प्रबन्धक तक के स्तर तक कर्मचारियों के ढांचे को सरल और कारगर बनाने के विचार से प्रशासनिक स्टाफ कालेज,

हैदराबाद को प्रारम्भिक अध्ययन करने का काम सौंप दिया गया है। फैक्टरियों का आधुनिकीकरण करने का भी इरादा है और इस काम के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम जैसी विशिष्ट एजेन्सियों की सेवाओं का उपयोग करने का विचार है। किन-किन वस्तुओं का निर्माण किया जाय इसका निश्चय करने के लिए निर्माण तकनीकों, अपेक्षित उपस्करों तथा लागत पद्धति आदि बातों का सर्वेक्षण करने के लिए उनकी सुविज्ञता का उपयोग करने का विचार है।

नीति, कार्य प्रणाली, विकास आदि के मामलों में तथा शीघ्र निर्णय लेने के बारे में निर्देश देने के निए एक उच्चाधिकार कार्यकारी बोर्ड स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर मुख्यालय में विचार किया जा रहा है।

राजधानी में मेडिकल कालेजों में दाखिला

*316. **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री शारदा नंद :
श्री जि० व० सिंह :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किये हुए दिल्ली के बहुत से विद्यार्थियों को राजधानी के मेडिकल कालेजों में दाखिला नहीं मिलता है ;

(ख) गत दो वर्षों में ऐसे कितने विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिला है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को दिल्ली के मेडिकल कालेजों में दाखिला मिल जाता है क्योंकि उन विश्वविद्यालयों का शिक्षा का स्तर दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा के स्तर से बहुत नीचा है और इस कारण से वे अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेते हैं ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को अभिभावकों तथा दिल्ली के निवासियों से ऐसी शिकायतें मिली हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ;

विवरण

दिल्ली के मेडिकल कालेजों में सीमित सीटों और प्रि-मेडिकल क्लास के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि के कारण उन छात्रों में जो प्रि-मेडिकल कोर्स पास करते हैं तथा जिन्हें मेडिकल

कालेजों में प्रवेश मिला है पर्याप्त अन्तर है। इस अन्तर के कारण सभी प्रथम श्रेणी छात्र प्रवेश नहीं पा सकते। ऐसे छात्रों की संख्या जो पिछले दो वर्षों में प्रवेश नहीं पा सके इस प्रकार हैं :

	1968	1969
लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज	102	104
मौलाना आजाद मेडिकल कालेज	105	128
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान		191

2. दिल्ली में उप-स्नातक चिकित्सा शिक्षा के लिए तीन कालेजों में से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज में प्रवेश अखिल भारतीय आधार पर होता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र प्रवेश के लिए जो कि योग्यता के अर्थात् विश्वविद्यालय से पास की जाने वाली परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के प्रतिशत के आधार पर होता है प्रार्थना पत्र भेजने के पात्र हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के लिए प्रवेश परीक्षा का प्रस्ताव दिल्ली विश्वविद्यालय के विचाराधीन है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रवेश के लिए दिल्ली के छात्र भी प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं और दाखिले का निर्णय, प्रवेश परीक्षा में तथा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है।

ड. सुनिश्चित रूप से ऐसा कहना सम्भव नहीं है कि दिल्ली के मेडिकल कालेजों में अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र इस कारण प्रवेश पा जाते हैं इन विश्वविद्यालयों का स्टेण्डर्ड दिल्ली विश्वविद्यालय से कम है। तथापि भारत में विभिन्न विश्व-विद्यालयों का स्टैण्डर्ड एक ही नहीं है।

खेतरी तांबा परियोजना में परीक्षण के रूप में बनाया गया तांबा पिंड

*317. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेतरी तांबा परियोजना में 13 जुलाई, 1970 को अथवा इसके आसपास परीक्षण के रूप में उस समय पहला तांबा पिण्ड बनाया है जब उपमन्त्री स्वयं वहां पर उपस्थित थे ;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ;

*यह सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वाणिज्य के लिए इसका उत्पादन कब आरम्भ होगा और :

(घ) तांबा तथा उपोत्पादों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). तांबा सिलों का प्रायोगिक उत्पादन खेतड़ी ताँबा प्रायोजना में प्रारम्भ नहीं हुआ है। निर्देश सम्भवतया खेतड़ी खान में तांबा अयस्क के प्रायोगिक उत्पादन की ओर है, जिसका उद्घाटन खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मन्त्री द्वारा 13 जुलाई, 1970 को किया गया था।

ताम्र—अयस्क का प्रायोगिक उत्पादन खेतड़ी तांबा प्रायोजना खान की ऊपरी सतहों तक ही परिरुद्ध है और उत्पादित अयस्क 733 फुट लम्बे वाहक द्वारा ऊपरी तल तक प्रेषित किया जा रहा है। अयस्क के प्रोयोगिक उत्पादन का उद्देश्य है निस्सारण तकनीकों में दक्षता प्राप्त करना ताकि खान नियमित उत्पादन के लिए खान तैयार हो सके और अयस्क से पर्याप्त मात्रा में स्टाक भी हो सकें।

(ग) आशा की जाती है कि वर्तमान समयावलि के अनुसार, खेतड़ी तांबा प्रायोजना में तांबा धातु का वाणिज्यिक उत्पादन 1973 के अन्त तक प्रारम्भ हो जायेगा।

(घ)

(1)	तांबा धातु	31,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष
(2)	ट्रिपल सुपर फास्फेट	1,94,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष
(3)	सोना	8,490 औंस प्रतिवर्ष
(4)	चांदी	1,20,900 औंस प्रतिवर्ष

विदेशी तेल शोधक कारखानों द्वारा भारत के हिस्से के ईरानी तट दूर रुस्तम अशोधित तेल का शोधन

***318. श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री रवि राय :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईरानी तट दूर के तेल उद्यमियों से मिले अपने हिस्से के रुस्तम अशोधित तेल को साफ करने के लिए विदेशी तेल शोधक कारखानों से कहा था ; और

(ख) यदि हां, तो उन विदेशी तेल शोधक कारखानों के नाम क्या हैं जो रुस्तम अशोधित तेल को साफ करने को सहमत हो गये हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने विदेशी शोधनशालाओं को अपने रुस्तम अशोधित तेल

की बिक्री करने की पेशकश की थी और इन शोधनशालाओं में इस अशोधित तेल के शोधन के लिए तकनीकी उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए उन्हें रुस्तम अशोधित तेल के एक परीक्षण कारणों की भी पेशकश की थी। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की पेशकश का किसी भी कम्पनी ने अनुकूल जवाब नहीं दिया है।

राजधानी में आंत्र-शोथ के मामलों में वृद्धि

* 319. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन,निर्माण,आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि राजधानी में आंत्र-शोथ के मामलों में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई विशेष कार्यवाही की है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को नियम के स्वास्थ्य विभाग के वर्तमान ढांचे के बारे में भी पता है जोकि विभिन्न रोगों को फैलने से रोकने तथा अस्वस्थता की स्थिति में सुधार करने के उपायों में एक बाधा है ; और

(घ) क्या सरकार ने विभाग के पुनर्गठन के लिए कोई उचित योजना बनाई है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां। जठरान्त्र शोथ के मामलों के बारे में दिल्ली नगर निगम के संक्रामक रोग अस्पताल ने जैसी सूचना दी है कि उसके अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इस रोग की घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई दिखाई दी है।

(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा निम्नलिखित निरोधी उपाय बरते गये हैं :-

(i) स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन, फिल्म शो, सिनेमा स्लाइडों के मध्यम से स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रचार ;

(ii) गन्दे तथा अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों को पकडना तथा नष्ट करना

(iii) खाद्य पदार्थों को बनाने तथा बिक्री करने वाली दुकानों तथा खान पान वाली दुकानों पर कड़ी निगरानी ;

(iv) हैजा निरोधी टीके की सुविधायें ;

() सभी कुओं का नियमित विसंक्रमण और नगर प्रबन्ध में न आने वाले जल पूर्ति के सभी स्रोतों पर नियन्त्रण।

(ग) दिल्ली नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग का ढाँचा लगभग वैसा ही है जैसा अन्य निगमों में। विभिन्न रोगों तथा अस्वास्थ्यकर हालातों को फैलने से रोकने के लिये विभाग द्वारा आवश्यक निरोधी कदम उठाये गये।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

मन्दिरों के पास बेकार पड़ा धन

* 320. **श्री ए० श्री धरन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के मन्दिरों के पास बहुत अधिक धन बेकार पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो बेकार पड़े धन का शिक्षा तथा अन्य सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). देश में मन्दिरों के अधिकार में जो धन है, उसकी कोई विशिष्ट सूचना सरकार के पास नहीं है। सामान्यतः, मन्दिरों का प्रबन्ध या तो सार्वजनिक धार्मिक और धर्मादा न्यायों द्वारा अथवा व्यक्तिगत धार्मिक और धर्मादा न्यायों द्वारा किया जाता है, या फिर मन्दिर में स्थापित देवी/देवता की देख भाल करने वाले केवल "शिबैत" द्वारा ही की जाती है। यदि मन्दिरों का प्रबन्ध न्यास द्वारा होता है, तो न्यासियों को निधियों का उपयोग न्यासों की शर्तों के अनुसार करना होता है। परन्तु, यदि उनका प्रबन्ध "शिबैत" द्वारा होता है, तो देवी/देवता की निधि किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति के समान ही होती है। दोनों में से किसी भी अवस्था में, सरकार किसी भी प्रयोजन के लिए मन्दिरों की निधि का उपयोग नहीं कर सकती।

Dead Fish Found in River Yamuna near Okhla

*321. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of Health and Family Planning and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that again in the Yamuna, near Okhla, lakhs of fish were found dead in the first week of June 1970 which bears testimony to the fact that once again contaminated water was supplied to the public ;

(b) if so, the persons responsible for it and the action taken against them ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to ensure that such occurrences do not take place in future and thereby pose a danger to public health ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) The Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking has informed that no such incident occurred near Okhla in the first week of June 1970.

(b) Does not arise.

(c) The Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking keeps regular watch over the quality of water available at the in take point near Okhla Head Works. Hourly samples are taken to check the quality of water by means of suitable parameters which indicate the suitability of water for treatment and consumption. It is proposed to abandon the drawal of water from Okhla by September 1970.

ग्रांड होटल शिमला के एक भाग के पट्टेधारियों द्वारा अदा किया गया आय-कर

* 322. **ओम प्रकाश त्यागी :**

श्री वाल्मीकि चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ग्रांडहोटल, शिमला के एक भाग के पट्टेधारी मैसर्स बालजी ग्रीष्म काल में भारी मुनाफा कमा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गांड होटल को पट्टे पर दिये जाने के समय से उन्होंने आय-कर निर्धारण के लिये प्रति वर्ष कितनी आय घोषित की है तथा उन्होंने प्रति वर्ष कितने आय-कर का भुगतान किया है ;

(ग) आय-कर निर्धारण के गत तीन वर्षों में शिमला में उनके पूरे व्यापार सम्बन्धी लेखों पर उनसे कितना आय-कर वसूल किया गया है और उन पर अभी भी कितनी राशि बकाया है; और

(घ) बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). ग्रांड होटल के पट्टेदार श्री सी० बालजी हैं तथा यह होटल मैसर्स बालजी होटल्स (ग्रान्ड होटेल) द्वारा चलाया जाता है, जो एक भागीदारी फर्म है जिसमें श्री सी० बालजी भागीदार हैं। ग्रांड होटल का पट्टा 15 अप्रैल 1965 को दिया गया था। फर्म 1965 से घोषित की गई आय तथा अदा किये गये आयकर के ब्यौरे नीचे दिये अनुसार हैं :

निम्नलिखित तारीख को समाप्त होने वाला लेखा-वर्ष	कर निर्धारण वर्ष	घोषित आय	अदा किया गया आयकर
		रु०	रु०
31-3-1966	1966-67	40,318	1,338
31-3-1967	1967-68	38,300	524
31-3-1968	1968-69	58,060	531
31-3-1969	1969-70	15,750 हानि	703
31-3-1970	1970-71	आयकर विवरणी अभी तक दाखिल नहीं की गई।	

(ग) मैसर्स बालजी होटेल्स (ग्रांड होटेल) एक भागीदारी फर्म है। यह फर्म शिमला में ग्रांड होटल चलाने का एक मात्र कारोबार करती है। फर्म द्वारा गत तीन कर-निर्धारण-वर्षों के दौरान अदा किये गए कर नीचे दिये अनुसार हैं :

कर-निर्धारण-वर्ष	अदा किया गया आयकर
1967-68	524 रु० (अनन्तिम कर-निर्धारण)

1	2
1968-69	531 रु० (अग्रिम-कर)
1969-70	703 रु० (अग्रिम-कर)

उपर्युक्त कर-निर्धारण-वर्षों के लिए कोई नियमित कर-निर्धारण पूरे नहीं किये गये हैं। कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए 351 रुपये की रकम वसूली के लिए बकाया पड़ी है।

(घ) कर-निर्धारिती ने कर निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए, अग्रिम कर के रूप में 351 रुपये अदा नहीं किये हैं। धारा 221(1) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

शेख अब्दुल्ला और उनकी पत्नी के नाम आय-कर की बकाया राशि

* 323. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री शेख अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पर इस समय आय-कर की राशि बकाया है ;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष-वार बकाया राशियों का ब्यौरा क्या है और वे किस-किस वर्ष की हैं; और

(ग) इन बकाया राशियों के इकट्ठे हो जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री, (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में सतर्कता सेल

*324. **श्री सीताराम केसरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में सतर्कता सेल स्थापित करने का सरकार का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य क्या होंगे ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के बैंकों की समन्वय समिति ने, 13 जून, 1970 को हुई अपनी बैठक में यह तय किया था कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सतर्कता कक्ष (सेल) स्थापित किये जांय। राष्ट्रीयकृत बैंक इस प्रयोजन के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। इन कक्षों का कार्य बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त हुई भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना होगा।

Rules Regarding Pension of Administrative Staff of Nationalised Banks

*325. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the rules governing the pension etc. of the administrative staff (Officers and Employees) of the Nationalised Banks before their nationalisation ;

(b) whether Government have completed their consideration of the proposal for making some adjustments in the aforesaid rules in order to bring them in line with the rules governing the pension etc. of Government employees of other Departments after the nationalisation of banks ; and

(c) if so, the result thereof ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—3900/70].

ब्रिटेन में चरस की तस्करी करने वालों का पकड़ा जाना

326. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सीमा शुल्क अधिकारियों ने मैसर्स जौन रोवे और सिडनी कोहन नामक दो व्यक्तियों को भारत से ब्रिटेन में चरस की तस्करी करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना से कोई जांच आरम्भ हो गई है जिनसे भारत के कुछ राजनीतिज्ञों के भी इस कार्य में हाथ होने के बारे में प्रकाश पड़ने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच पड़ताल से जो कि अभी भी जारी है, राजनीतिज्ञों का किसी प्रकार से अन्तर्ग्रस्त होना जाहिर नहीं हुआ है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

कोल्हापुर के निकट चोरी-छिपे लाये गये सोने के बिस्कुटों की बरामदगी

*327. **श्री बे० क्र० दास चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कोल्हापुर के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के फ्लाइंग स्क्वैड अधिकारियों ने कोल्हापुर के निकट वटार से एक बम्बई-बेलगांव लक्सरी बस में दो यात्रियों के पेट में से जो 35,000 रुपये के मूल्य के 16 निषिद्ध सोने के बिस्कुट निकाले थे, उनके बारे में कोई जांच की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). इकट्ठी की गई गुप्त सूचना के आधार पर कोल्हापुर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रभाग के सीमा शुल्क अधिकारियों ने दो राजस्थानी नवयुवकों को पकड़ा । तलाशी लेने पर, उनमें से एक के अन्दर के पहने हुए वस्त्र से विदेशी मार्क के सोने के दो टुकड़े बरामद हुए और आगे पूछताछ करने पर, दूसरे व्यक्ति ने बठार में विदेशी मार्क के सोने के छः टुकड़े निकाले, जो उसने अपने शरीर में छिपाये हुए थे । सिविल हस्पताल, कोल्हापुर में उनकी जांच करने पर, जिस व्यक्ति ने पहले सोने के छः टुकड़े निकाले थे उसने विदेशी मार्के सोने के दो और टुकड़े निकाले और उसके साथी ने भी विदेशी मार्के के सोने के छः टुकड़े निकाले । कुल मिलाकर, विदेशी मार्के के सोने के 16 टुकड़े पकड़े गये जिनका वजन 1866 ग्राम है और भारतीय बाजार दर पर मूल्य 34,120 रुपये है । अपराधियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया । उन्हें 5,000 रुपये की जमानत पर छोड़ा गया है । आगे जांच पड़ताल चल रही हैं ।

देश में सोने का तस्कर आयात रोकने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किये हैं जैसे स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम बनाना, सूचना एकत्र करने और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करने की सुव्यवस्था, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर आयात निर्यात करने का सन्देह है उन पर निगरानी रखना, जिन नौकाओं, अथवा वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना, समुद्र तट तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों की गश्त लगाना ।

उचित परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण खानों से कोयले को अन्यत्र ले जाने में धीमी प्रगति

*328. **श्री वेंगलराया नायडू :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उचित परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण खानों से कोयले के अन्यत्र ले जाने के कार्य में गत कुछ महीनों में बहुत धीमी प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने खानों से कोयले को अन्यत्र ले जाने के कार्य में तेजी लाने के लिए परिवहन समस्या के किसी हल पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, नहीं । उपभोक्ताओं की मांग में कमी, श्रमिक झगड़ों, आदि के कारण कोयले का संचलन प्रारंभिकतः प्रभावित हुआ था ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

नमक कर निधि

*329. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार 'नमक कर' एकत्र करती है तथा उसने 'नमक कर निधि' बना रखी है ;

(ख) क्या नमक कर निधि की अप्रयुक्त राशि सरकार के सामान्य राजस्व में जमा होती है अथवा नमक उद्योग के कल्याण के लिए उपयोग में लाये जाने के लिए इसे एक अलग निधि के रूप में जमा किया जाता है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष नमक कर के रूप में वसूल की गई राशि का ब्यौरा क्या है तथा उसका कितना उपयोग किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार नमक उपकर अधिनियम, 1953 के अधीन नमक पर उपकर वसूल करती है परन्तु उसे पृथक नमक उपकर निधि के रूप में नहीं रखा जाता है ।

(ख) नमक पर उपकर के कारण की गई समूची वसूली को "11-केन्द्रीय उत्पादन शुल्क-नमक पर उपकर" शीर्ष के अन्तर्गत सामान्य राजस्व के खाते में डाला जाता है तथा सहायता, आदि सहित नमक उद्योग के विकास और नमक विभाग के संस्थापन के सम्बन्ध में सारा खर्च सामान्य राजस्व में से किया जाता है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में नमक उपकर की वसूली तथा किये गये खर्च के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	वसूली	खर्च
1967-68	1,04,28,286 रु०	47,18,720 रु०
1968-69	1,11,08,712 रु०	66,84,897 रु०
1969-70	99,22,497 रु०	69,15,869 रु०

हल्दिया तेल शोधक कारखाने को अशोधित तेल की सप्लाई के बारे में कथित त्रुटिपूर्ण करार

*330. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाह समिति के प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि निर्माणाधीन हल्दिया तेल शोधक कारखाने को अशोधित तेल की सप्लाई के बारे में किये गये करार में काफी त्रुटियां हैं ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा बताई गई त्रुटियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां।

(ख) सभा पटल पर पहले से ही रखी गई रिपोर्ट के पैरा 5.3.28 का हवाला दिया जाता है।

(ग) समिति की सिफारिश नोट कर ली गई है।

पंचायत समितियों तथा नगरपालिकाओं द्वारा भविष्य निधि और बीमा निधि का उपयोग

2001. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों में कुछ स्थानीय निकाय जैसे पंचायत समिति और नगर पालिकाओं को भविष्य निधि तथा बीमा निधि का अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयोग करते पाया गया है जिसके कारण जीवन बीमा निगम के साथ अपने दावों का निपटारा करते समय कर्मचारियों को बहुत कठिनाई होती है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसी कितनी घटनायें जीवन बीमा निगम के ध्यान में आई हैं ; और

(ग) स्थानीय निकायों द्वारा जीवन बीमा निगम को संचित राशि दी जाने की जो 6 महीने की अवधि निश्चित की गई है, उसे कम करने का कोई प्रयत्न जीवन बीमा की ओर से किया जा रहा है, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

कारों की तस्करी

2002. **श्री बाबू राव पटेल** : **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री राम किशन गुप्त : **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** .

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई 1970 के प्रथम सप्ताह में दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में छः मर्सिडीज कारें पकड़ी गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो जिन व्यक्तियों के कब्जे में से कारें पाई गई, उनके क्या नाम हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि ये कारें लन्दन से आटोमोबाइल क्लब द्वारा जारी किए गए अधिकार-पत्र के अनुसार सीधे ही देश में लाई गई ;

(घ) भारतीय पंजीकरण कागजातों में धोखाधड़ी रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) क्या पंजीकरण कार्यालय के किन्हीं कर्मचारियों को विदेशी कार तस्कर-गिरोह से सम्बद्ध पाया गया है ; और

(च) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के क्या नाम हैं और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों की सहायता से राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय के अधिकारियों ने 9-6-1970 तथा 2-7-1970 के बीच भारत में कई स्थानों पर मर्सिडीज बैंज कारें (एक खण्डित हालत में), एक शिवरलेट तथा एक फोर्ड मास्टन कार पकड़ी। एक विवरण-पत्र सदन पटल पर रखा जाता है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम तथा अन्य संगत विवरण दिए गए हैं, जिनके कब्जे में ये कारें थीं। अब तक, केवल एक मामले में यह तस्दीक करना सम्भव हो पाया है कि अस्थायी आयात दस्तावेज पर कार्नेट लंदन की रायल आटोमोबाइल क्लब द्वारा जारी किया गया था।

(घ) से (च). पकड़े गए सभी मामलों में, भारतीय पंजीकरण दस्तावेज जाली मालूम होते हैं। इस मामलों की अभी भी जांच-पड़ताल चल रही है। अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह पता चले कि रजिस्ट्रेशन दफ्तर के कोई कर्मचारी इस जाल-चक्र में सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा है। जांच-पड़ताल पूरी हो जाने के बाद यदि कोई खामियां सामने आई तो भारतीय पंजीकरण के सिलसिले में की जाने वाली जाल-साजी को रोकने के लिए इन खामियों को पंजीकरण प्राधिकारियों के नोटिस में लाया जाएगा।

विवरण

क्र० सं०	पकड़ने की तारीख	पकड़ने का स्थान	किस से पकड़ी गई	कार का मेक
1.	9-6-70	दिल्ली	श्री हरवेल सिंह, करोल बाग, नई दिल्ली	मर्सिडीज बैंज
2.	9-6-70	बम्बई	श्री वल्लभदास जी० ठक्कर	यथोपरि
3.	29-6-70	बम्बई	मैसर्स युनाइटेड मोटर्स	यथोपरि
4.	30-6-70	इंदौर	श्री कवूल सिंह	यथोपरि
5.	30-6-70	दिल्ली	श्री नारायण दास, 23/4, न्यू रोहतक रोड	यथोपरि
6.	30-6-70	दिल्ली	यथोपरि	शेवरलेट
7.	2-7-70	बंगलौर	एक आटोमोबाइल डीलर की गैराज	मर्सिडीज बैंज
8.	—7-70	बम्बई	रेलवे स्टेशन	फोर्ड मास्टन
9.	30-6-70	दिल्ली	श्री नारायण दास, 23/4, न्यू रोहतक रोड	मर्सिडीज बैंज (खंडित हालत में)

सरकारी अस्पतालों में घटिया दवाओं का उपयोग

2003. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी अस्पतालों में घटिया दवाओं का उपयोग किया जा रहा है तथा अधिकारीगण कोई सख्त कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली स्थित इर्विन अस्पताल को सप्लाई किये गये 25,000 एक्रोमाइसीन (टेट्रामाइक्लीन हाइड्रो कलोराइड) इन्जैक्शनों का कई रोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ ;

(ग) यदि हां, तो इससे कितने लोगों पर प्रभाव पड़ा तथा किस प्रकार का प्रभाव पड़ा ;

(घ) इन इन्जैक्शनों को सप्लाई करने वाली फर्म का नाम क्या है ; और

(ङ) क्या इस फर्म तथा अन्य फर्मों के विरुद्ध वर्ष 1969 में कोई शिकायतें मिली थीं ; और यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें मिली थीं तथा प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं, परन्तु खरीद करने तथा कुछ समय उपयोग में लाने के पश्चात् औषधियों के गुणों में गिरावट के एक या दो मामले प्राप्त हुए हैं। ऐसी औषधियों को बदलने अथवा वापस लेने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई हमेशा की गई है तथा निर्माताओं के विरुद्ध आवश्यक जांच की गई है।

(ख) जी हां।

(ग) मामले की जांच कराने के लिए नियुक्त अधिकारी के सामने अस्पताल कर्मचारियों द्वारा दिये गये बयानों के अनुसार 15-20 रोगियों को फोड़े हो गये बतलाया गया।

(घ) मेसर्स सक्येनेमिड इण्डिया लिमिटेड, बम्बई।

(ङ) 1969 के दौरान मेसर्स सक्येनेमिड इण्डिया लिमिटेड, बम्बई अथवा देश में टेट्रासाइक्लाइन हाईड्रोक्लोराइड इंजैक्शन तैयार करने वाली किसी अन्य फर्म के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है।

मैसर्स हाइड्रोकार्बन्स द्वारा रुस्तम क्रूड का कुल उत्पादन तथा बिक्री

2004. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स हाइड्रोकार्बन्स ने सितम्बर 1969 में उत्पादन आरम्भ करने में अब तक कुल कितनी मात्रा में रुस्तम क्रूड का विक्रय किया और इनके पास इसकी अभी कुल और कितनी मात्रा शेष है ;

(ख) क्या यह सच है कि नेशनल इनानियन आयल कम्पनी ने मैसर्स हाइड्रो कार्बन्स के साथ हुए अपने करार के एक खण्ड के अनुसार अपने हिस्से के 20 लाख बैरल रुस्तम क्रूड के न लेने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या कारण है कि केवल मैसर्स हाईड्रो कार्बन्स ही अपने रुस्तम क्रूड अंश को बेचने में असमर्थ है जबकि अन्य विदेशी कम्पनियां इसमें समर्थ है ; और

(घ) रुस्तम क्रुड के भण्डार के एकत्रित हो जाने को देखते हुए क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इस सहयोग करार को वापस लेने के प्रश्न पर विचार करेगा ; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा ०त्रिगुण सेन) : (क) हाइड्रोकार्बन्स इण्डिया प्राइवेट लि० (एच० आई० पी० एल०) द्वारा अब तक बेचे गये कुल रुस्तम कच्चे तेल की मात्रा 628, 185 बैरल है।

जून 1970 तक कुल उत्पादन में से हाइड्रोकार्बन्स इण्डिया प्राइवेट लि० का साम्य शेयर 23,60,077 बैरल था। इस प्रकार जून 1970 के अन्त तक हाईड्रोकार्बन्स इण्डिया प्राइवेट लि० द्वारा उठाया गया (क्रूड) अपने सांम्य शेयर से 17,31,852 बैरल कम था।

क्योंकि नेशनल इरानियन आयल कम्पनी ने अपना शेयर नहीं उठाया, एच० आई० पी० एल० के हिस्से में उठाने के लिए जो वास्तविक मात्रा आई०, वह 47, 0,153 बैरल थी। इस आधार पर जून 1970 के अन्त तक एच० आई० पी० एल० को 40,91,968 बैरल उठाने शेष रहे।

तेल की वह मात्रा जो एच० आई० पी० एल० द्वारा न उठाई दर्शाई गई है, टैंक में संचय के रूप में एच० आई० पी० एल० के पास नहीं रही। यह मात्रा एच० आई० पी० एल० के साझीदारों अर्थात् इटली के ए० जी० आई० पी० और अमरीका के फिल्पस पैट्रोलियम के द्वारा उठाई और बेची गई है। आशा की जाती है कि एच० आई० पी० एल० द्वारा (तेल) उठाने की कमी को बाद में पूरा कर लिया जायेगा।

(ख) जून 1970 के अन्त तक रुस्तम तेल क्षेत्र के उत्पादन में से नेशनल इरानियन आयल कम्पनी का साम्य शेयर, जो एन० आई ओ० सी० द्वारा नहीं उठाया गया है और जो ज्वाइंट स्ट्रक्चर एग्रीमेंट के एक उपबन्ध के अन्तर्गत ए० जी० आई० पी०, एच० आई० पी० एल० और फिल्पस द्वारा मिल कर उठाना पड़ा। 70,80,232 बैरल था।

(ग) एच० आई० पीं० एल० के दूसरे बिदेशी साझीदार अर्थात् इटली के ए० जी० आई० पी० और अमरीका के फिल्पस बहुत से वर्षों से कच्चे तेल का उत्पादन और विक्रय कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने अपने बाजार स्थापित कर लिए हैं। विदेशों में बेचने के लिए तेल एच० आई० पी० एल० के पास लगभग केवल पिछले 9 महीनों से था और वह रुस्तम कच्चे तेल के अपने अंश को विदेशों में बेचने का प्रयत्न कर रही है।

(घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सहयोग उद्यम से एच० आई० पी० एल० के पृथक होने का प्रश्न नहीं उठता।

आयकर के निर्धारण सम्बंधी मामलों पर पुनः विचार

2005. **श्री न० सांधी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिनियम 1922 की धारा 34 के अधीन राज्यवार आयकर निर्धारण के ऐसे कितने मामलों को पुनः विचारार्थ लिया गया है जो कि अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं तथा उनमें से कितने मामले वर्ष 1956 से 1961 तक की अवधि के हैं ;

(ख) इन मामलों को कब तक पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) ऐसे कितने करदाताओं की मृत्यु हो चुकी है जिनके मामले पुनः विचारर्थ लिये गये हैं तथा जिनके बारे में उनके उत्ताधिकारियों अथवा कानूनी प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय तेल निगम के कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति

2006. **श्री चंद्र शेखर सिंह** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पूर्णकालिक कार्यनिदेशक नियुक्त करने के सरकार के पहले निर्णय के अनुसार उनके मन्त्रालय ने भारतीय तेल निगम में सभी पूर्णकालिक कर्मचारी निदेशक नियुक्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, कार्मिक निदेशक सहित ऐसे निदेशकों के नाम और अर्हताएं क्या हैं ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो कार्मिक निदेशक सहित पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक कब तक नियुक्त किये जायेंगे ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). भारतीय तेल निगम में समस्त चार पूर्णकालीन क्रियाशील निदेशक हैं और वे सब अपने पद पर हैं। उनके नाम और योग्यताएं नीचे दी हैं :

नाम	योग्यताएं
1. श्री एन० एन० कश्यप चेयरमैन	आई० सी० एस० (भारतीय तेल निगम के शोधनशाला प्रभाग में भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक)
2. श्री कमलजीत सिंह प्रबन्ध निदेशक (विपणन प्रभाग)	बी० ए० (नई दिल्ली में मैसर्स वर्मा शैल के मुख्य प्रतिनिधि के भूतपूर्व डिप्टी)
3. श्री सी० आर० दास गुप्ता, प्रबन्धक निदेशक, (शोधनशाला प्रभाग)	बी० ई० (केमीकल) (गुजरात शोधनशाला का भूतपूर्व महा प्रबन्धक)
4. श्री पी० के० राव, वित्तीय निदेशक	आई० ए० एण्ड ए० एस० (भारत के भूतपूर्व अतिरिक्त उप नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक)

निगम के बोर्ड में किसी पूर्णकालीन क्रियाशील कार्मिक निदेशक की नियुक्ति को आवश्यक नहीं समझा गया है ;

औषधियों के मूल्यों पर नियंत्रण के बारे में विदेशी औषध निर्माताओं के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श

2007. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मुख्य औषध निर्माताओं के मूल औषध उत्पादकों के वरिष्ठ विदेशी प्रतिनिधियों ने अभी हाल ही में, मन्त्री महोदय की स्विटजरलैण्ड यात्रा के समय, उनसे भेंट की थी तथा औषधियों के मूल्यों पर नियन्त्रण सम्बन्धी सरकार की नवीनतम नीति तथा विदेशी निर्माताओं पर उनके प्रभाव के बारे में उनसे विचार-विमर्श किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उनके साथ जिन समस्याओं पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस चर्चा से निकले परिणामों का क्या ब्यौरा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). बातचीत विचार विनिमय के तौर पर हुई थी । औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1970 में उल्लिखित औषधियों की संशोधित मूल्य नीति बताने के उद्देश्य से और इस आशंका को दूर करने, कि इससे उत्पादन मंहगा हो जायेगा और परिणामस्वरूप इस देश के औषधि उद्योग की वृद्धि रुक जायेगी, के लिए बैठक बुलाई गई थी । बातचीत सफल रही क्योंकि उद्योग और इसके विदेशी तत्व ने सरकार को आश्वासन दिया है कि वे आदेश की सुचारु तथा प्रभावकारी क्रियान्वित के लिए आवश्यक सहयोग देंगे ।

भारतीय उर्वरक नियम में क्रियाशील निदेशकों की नियुक्ति

2008. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ण-कालिक क्रियाशील निदेशकों की नियुक्ति सम्बन्धी सरकार के पहले निर्णय के अनुसार उनके मन्त्रालय ने भारतीय उर्वरक निगम में पूर्ण-कालिक क्रियाशील निदेशकों की नियुक्ति कर ली है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस संगठन में कोई पूर्णकालिक कार्मिक निदेशक नहीं हैं और निगम के विभिन्न स्थानों, बिशेषकर सिंदरी में श्रमिक असंतोष के कारणों का समाधान करने के लिए प्रबन्ध निदेशक को ही निगम के विभिन्न प्रतिष्ठानों में घूमते हुए देखा गया है जिसके कारण उसके अपने कार्य में बाधा पड़ती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त नीति निर्णय के अनुसार शीघ्र ही बोर्ड में एक पूर्णकालिक कार्मिक-निदेशक की नियुक्ति की जायेगी जिससे प्रबन्धक-निदेशक पर पड़ा अतिक्ति भार कम हो सके और निगम के प्रतिष्ठानों में श्रमिक अशान्ति के कारणों को कम करने अथवा पूर्ण रूप से समाप्त करने हेतु मामलों का समन्वय किया जा सके ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु राज्य मन्त्री (डा० त्रिगुण सैन) : (क) सरकार की स्वीकृति के अनुसार भारतीय उर्वरक निगम में सारे चार पूर्ण कालीन निदेशकों की नियुक्ति की गई है ।

(ख) सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम में पूर्णकालीन कार्मिक निदेशक का कोई पद मंजूर नहीं किया है । यह सच नहीं है कि प्रबन्ध निदेशक के अन्य कार्य में बाधा पड़ती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिड़ला फर्मों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

2009. **श्री चंद्र शेखर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में बिड़ला फर्मों के अधिकारियों को गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार और फर्म-वार सुदूर पूर्व में मलयेशिया और अन्य देशों की यात्रा करने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ;

(ख) क्या रिजर्व बैंक ने इनमें से अधिकांश मामलों में विदेशी मुद्रा विनियमों में बार-बार उल्लंघन करने का पता लगाया है कि बिड़ला अधिकारियों को केवल लिखित चेतावनियां देकर छोड़ दिया गया था ;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार, इन बिड़ला फर्मों के अधिकारियों को कितने मामलों में लिखित चेतावनी दी थी ; और

(घ) उपरोक्त उदाहरणों की भांति उन आदी उल्लंघनकर्त्ताओं के लिए विनियमों को कठोर बनाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क)

	1967-68	1968-69	1969-70
	रुपये	रुपये	रुपये
बिड़ला काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स	33,012	49,518	92,880

(ख) और (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली स्थित बिड़ला फर्मों के जिन अधिकारियों को मलेशिया या दूर पूर्व के देशों का दौरा करने के लिए विदेशी मुद्रा दी गई थी उनके सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के सामने विदेशी विनियमों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं आया है ।

(घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जमा बीमा योजना

2010. **वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्टीकृत बैंक में जमा धन के सम्बन्ध में भी जमा बीमा योजना अभी तक विद्यमान है ;

(ख) क्या ऐसे बीमे से जमा कर्ताओं को कोई अतिरिक्त सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है ; और

(ग) राष्ट्रीकृत बैंकों से सम्बन्धित बैंक जमा बीमा योजना की जारी रखने तथा जमा-कर्ताओं से अनावश्यक धन खर्च कराने का क्या औचित्य हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जमा बीमा योजना अभी भी विद्यमान है और इस समय काम कर रहे सभी वाणिज्यिक बैंकों (जिनमें 14 राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, और उसके सहायक बैंक भी शामिल हैं) की जमा रकमें इसके अन्तर्गत आती हैं।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत, जमाकर्ता को उसके द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित प्रत्येक बैंक में जमा कराई गई रकमों के सम्बन्ध में 10,000 रुपये तक की बीमा सम्बन्धी सुरक्षा का लाभ प्राप्त होता है। बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण अधिनियम, 1970 में जिसके अधीन 14 बैंकों के उपक्रमों का अधिग्रहण किया गया था, इन बैंकों में जमा रकमों के सम्बन्ध में अलग से किसी सांविधिक गारंटी की व्यवस्था नहीं है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों का अलग से कानूनी अस्तित्व है और बीमे की योजना का उद्देश्य इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करना है कि बैंकिंग प्रणाली समग्र रूप से इस स्थिति में आ जाय कि वह, किसी एक बैंक द्वारा जमा की गई रकमों की अदायगी न किये जाने की स्थिति का, अपने अन्तरंग साधनों से ही सामना कर सके। बीमे की ऐसी योजना, जो केवल गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों तक ही सीमित रहेगी, किसी भी हालत में आत्म-निर्भर और सक्षम नहीं होगी। जमा बीमा योजना के अन्तर्गत, बीमाशुदा बैंक प्रीमियम की अदायगी अपनी ही आमदनी में से करते हैं और इसलिए जमाकर्ताओं पर इसका कोई बोझ नहीं पड़ता।

नई दिल्ली में संसद् भवन तथा इण्डिया गेट के सामने देशभक्तों की प्रतिमाओं की स्थापना

2011. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में संसद् भवन के सामने तथा इण्डिया गेट पर देशभक्तों की प्रतिमायें स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). सरकार ने संसद् भवन के सामने किसी भी प्रतिमा की स्थापना करने का निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार ने इण्डिया गेट के समीर, उस स्थान पर जहां किंग जार्ज V की प्रतिमा थी, महात्मा गांधी की प्रतिमा के स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(ग) सरकार ने हाल ही में दिल्ली में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की प्रतिमाओं की स्थापना के बारे में परामर्श देने के लिए एक समिति का गठन किया है। किसी भी कार्यवाही करने से पूर्व ऐसे सभी प्रस्तावों को इस समिति को भेजने होंगे।

पश्चिम बंगाल की ओर से ऋण के लिए आवेदन

2012. **श्री सूरज भान** :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री शारदा नंद
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 27, जून 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित, पश्चिम बंगाल वित्त निगम के अध्यक्ष द्वारा दिये गए वक्तव्य के अनुसार पश्चिम बंगाल के 26 आवेदन-कर्ताओं ने छोटे उद्योगों के लिए ऋण हेतु अपने आवेदन-पत्र वर्ष 1969-70 के दौरान स्वीकृत हो जाने पर भी वापस ले लिए है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). छोटे पैमाने की उन 26 औद्योगिक कम्पनियों ने जिनके लिए पश्चिम बंगाल वित्त निगम ने 1965-66, 1967-68 से 1969-70 तक, ऋण-सहायता मंजूर की थीं, उस सहायता को लेने से इन्कार कर दिया है। निगम ने ऋण-सम्बन्धी इन आवेदनपत्रों को, वित्तिय वर्ष 1969-70 में वापस लिए गये मान लिया। इन्हें वापस लिए जाने के कारण संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

कानूनी तौर पर बन्धक रखने की बजाय, ऋणों की रकम के बराबर के मूल्य की परिसम्पत्ति के दस्तावेज जमा कराके एक लाख रुपये तक के ऋण मंजूर करने, दस्तावेज और दृष्टि-बन्धन सम्बन्धी करारनामे को जमा कराने के बाद एक लाख रुपये से अधिक रकम के ऋणों में से 25 प्रतिशत रकम का अन्तरि भुगतानम करने तथा अत्यावश्यक प्रायोजनाओं के लिए दिये जानेवाले ऋणों के सम्बन्ध में 30 प्रतिशत के मार्जिन में रियायत देने करने जैसे विभिन्न उदारीकृत उपायों को शुरू करने के अतिरिक्त निगम ने लघु उद्योगों को पहले की अपेक्षा अधिक ऋण-सहायता

ने के उद्देश्य से अभी ही हाल में नीति विषयक बड़े-बड़े निर्णय किये हैं। इनमें से महत्वपूर्ण निर्णय ये हैं :—

(1) तकनीकी उद्यमकर्ताओं द्वारा अविकसित और पिछड़े हुए क्षेत्रों में विकास किये जा रहे लघु उद्योगों के लिए किये जाने वाले ऋणों और उनकी सामान्य शेयर पूंजी के अनुपात में रियायत देकर उसे 3 : 1 करना।

(2) आधुनिकीकरण, विस्तार के लिए प्राप्त की जाने वाली मशीनों के सम्बन्ध में 10 प्रतिशत मार्जिन कम करना बशर्ते कि जमानत के मूल्य में कुल मिलाकर 30 प्रतिशत का मार्जिन हो। यदि कुल मिलाकर जमानत के सम्बन्ध में मार्जिन काफी हो अर्थात् 40 प्रतिशत का 50 प्रतिशत हो, तो निगम इस सम्बन्ध में ऐसी मशीनों लिए यहां तक कि 10 प्रतिशत मार्जिन रखने के लिए भी जोर नहीं देगा। इस उद्देश्य से कि कम विकसित क्षेत्रों में उपयोगों का विकास किया जा सके, तकनीकी उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए मार्जिन में 25 प्रतिशत तक की रियायत देना।

(4) ब्याज की वार्षिक दर घटाकर 7 प्रतिशत करना।

पश्चिम बंगाल सरकार ने, लघु उद्योगों को, दुर्गापुर और कल्याणी में आधारभूत सुविधाओं के साथ विकसित भूमि अलाट करने जैसे प्रोत्साहन देने को भी पेशवश की है, जिनके मूल्य की अदायगी किस्तों में करने की जा सकेगी। **ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3901/70]**

लघु उद्योगों के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की ऋण गारंटी योजना

2013. **देविंदर सिंह गार्चा** : क्या वित्त मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा चालू की गई लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजना समुद्रीय डीजल इंजनों की सफाई तथा मरम्मत में लगे कारखानों पर लागू कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 19 जून, 1970 से लघु उद्योगों के लिए ऋण गारण्टी योजना समुद्रीय डीजल इंजनों की मरम्मत और सफाई में लगे कारखानों पर लागू कर दी गई है परन्तु शर्त यह है कि कारखाने में लगे संयंत्र और मशीनों की मूल लागत 7.5 लाख रुपये से अधिक न हो।

Third Pay Commission

2014. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether out of the five members of the Third Pay Commission, two are I. C. S. Officers ;

(b whether I. A. S. Officers have also been posted on the staff of the Pay Commission and, if so, the number, thereof ;

(c) whether the Ministry is aware that the persons holding technicalposts are having suspicion in their minds that justice will not be done to them by the Pay Commission and favour will be shown to I. C. S. and I. A. S. Officers ; and

(d) if so, the steps being taken to remove this suspicion ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Member-Secretary is in I. C. S. Officer. The Chairman who is a former judge of the Supreme Court ceased to be a member of the I. C. S. as far back as 1960.

(b) At present, there are only two I. A. S. Officers in the Secretariat of the Commission, which consists of 11 officers of U. S. and above ranks.

(c) and (d). Neither Government nor the Third Pay Commission are aware of any such suspision, if any, as entirely baseless.

कलकत्ता में अस्पतालों और औषधालयों से औषधियों का छुट-पुट चोरी की रोकथाम

2015. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पतालों तथा औषधालयों के लिए सरकार द्वारा कितने मूल्य की औषधियों का क्रय किया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि कलकत्ता में सरकारी अस्पतालों तथा औषधालय के लिए सप्लाई की गई औषधियों का अधिकांश भाग चोरी चला जाता है तथा जिन रोगियों के लिए ये औषधियां होती हैं उन तक नहीं पहुँचती ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समाज-विरोधी चलन को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विश्व बैंक के अध्यक्ष द्वारा कलकत्ता के विकास के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने का वायदा

2016. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968 में विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री राबर्ट मैकनमारा ने कलकत्ता का विकास करने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था इस शर्त पर करने का वायदा किया था कि इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए एक ऐजेन्सी बनाई जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्व बैंक के इस प्रस्ताव का लाभ उठाने के लिए ऐसी कोई ऐजेन्सी बनाने का प्रयत्न नहीं किया गया ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य को करने के लिए अब कोई विशेष ऐजेन्सी बनायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विश्व बैंक के अध्यक्ष की 1968 की भारत यात्रा का उद्देश्य भारत द्वारा आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा और अधिक विकास करने के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली समस्याओं और प्राथमिकताओं को समझना था। अपनी यात्रा के दौरान, यद्यपि उन्होंने कलकत्ते के विकास-सहित नगर विकास की योजनाओं में सामान्य रूप से दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन किसी भी योजना के लिए उन्होंने शर्त या बिना शर्त सहायता देने का वचन नहीं दिया था।

(ख) से (घ). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

मैसर्स बोल्टास लिमिटेड के निदेशकों-कर्मचारियों के विदेशों के दौरे

2017. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई स्थित मैसर्स बोल्टास लिमिटेड के उन निदेशकों तथा/या कर्मचारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जिन्होंने गत दो वर्षों में विदेशों का दौरा किया, और ये दौरे किस उद्देश्य से किये गये ;

(ख) क्या उनके साथ इन दौरों पर उनके परिवार के कोई सदस्य भी गये थे ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन दौरों के लिए प्रत्येक अधिकारी/निदेशक तथा उनके आश्रितों/संबंधियों के नाम में कंपनी से कितना धन प्राप्त किया गया ; और

(घ) इनमें से प्रत्येक दौरे के लिए कितनी धनराशि की विदेशी मुद्रा स्वीकृत की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जायगी और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राज्य सरकारों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों से वृद्धि

2018. **श्री हेम राज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों से अधिक हो गए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इससे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में काफी असन्तोष है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कई सरकारी कर्मचारी अपने वेतनमानों की अन्तिम सीमा पर कोई पांच या दस वर्ष पहले ही पहुंच गए थे ;

(घ) ऐसे कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कुल कर्मचारियों के कितने प्रतिशत हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उन्हें कुछ अन्तरिम सहायता देने का है, और यदि हां, तो कितनी और कब से ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). कुछ राज्यों में वेतनमानों में हाल ही में किए गए संशोधनों के कारण संभव है कि कुछ ऐसे राज्यों में तथा संघ राज्य क्षेत्रों में भी जो पड़ोसी राज्यों के वेतन ढांचे का अनुसरण करते हैं, कर्मचारियों के कुछ वर्गों के वेतनमान केन्द्रीय सरकार के अधीन तदनुरूपी वर्गों के कर्मचारियों के वेतनमानों की अपेक्षा अधिक अच्छे हों। तीसरा वेतन आयोग केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों की, जिनमें संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों भी शामिल हैं, परिलब्धियों के ढांचे की जांच करेगा।

(ग) तथा (घ). जो कर्मचारी अपने-अपने ग्रेडों में अधिकतम वेतन-सीमा पर पहुंच गए हैं उनकी संख्या तथा उनके प्रतिशत अनुपात सम्बन्धी आकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) केन्द्रीय सरकार के श्रेणी III तथा श्रेणी IV के उन सभी कर्मचारियों को जो दो वर्षों या उससे अधिक समय से अपने वेतनमानों की अधिकतम सीमा पर रुके पड़े हैं अथवा भविष्य में रुक जायेंगे, 1 मार्च 1970 से, उनके वर्तमान वेतनमानों में उनके द्वारा ली गई अन्तिम वेतन वृद्धि की दर के बराबर वैयक्तिक वेतन देने के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

भारतीय विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में विदेशी छात्रों को चिकित्सा शिक्षा

*2019. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री मंगलाथुमाडम :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विश्व विद्यालयों तथा कालेजों में प्रत्येक देश के अलग-अलग कितने छात्र चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) भारत के चिकित्सा कालेजों में प्रवेश हेतु विभिन्न देशों के छात्रों के लिए देश-वार आरक्षित स्थानों की संख्या क्या है ;

(ग) विभिन्न देशों के लिए स्थानों की संख्या निर्धारित करने के बारे में सरकार ने क्या नियम अथवा मान दण्ड निर्धारित किये हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार इन छात्रों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए विदेशी छात्रों के लिए स्थानों की संख्या में वृद्धि करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) देश के सभी मेडिकल कालेजों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) इस वर्ष विभिन्न देशों के विदेशी छात्रों के लिए 151 सीटें सुरक्षित थीं। इन सीटों में से 20 सीटें निम्नलिखित देशों के कोलम्बो प्लान स्कालर्स को दी गई :—

नेपाल	17
मलेशिया	2
अफगानिस्तान	1
	20

शेष 131 मेडिकल सीटों को विदेश मंत्रालय के हवाले कर दिया गया था। उन्होंने अपने यहां से 49 सीटें सामान्य सांस्कृतिक शिक्षावृत्ति योजना के अधीन शिक्षा वृत्ति के लिए चुने गये विदेशी छात्रों को देने के लिए शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय को दे दीं। शेष 82 सीटें विदेश मंत्रालय ने निम्नलिखित प्रवर्गों के उन विदेशी छात्रों को दे दीं जो अपना खर्च स्वयं चलाने वाले हैं।

1. विदेशों में स्थायी रूप से बसे भारत मूलक छात्र।
2. प्राइवेट विदेशी छात्र ; तथा
3. अपेक्षाकृत कम विकसित राष्ट्रमंडलीय देशों के छात्र।

देशवार वितरण इस प्रकार है :—

अफगानिस्तान	1
सीलोन	6
फिजी	1
फ्रांस	1
गुयाना	1
ईरान	8
ईराक	2
जोर्डन	1
केन्या	5
मलेशिया	17
मारिशस	11
नेपाल	4
सिंगापुर	6
पश्चिम अफ्रीका	5
तन्जानिया	2
अरब	1
उगाण्डा	4
जाम्बिया	1
कुल	82

भारत सरकार के सामान्य सांस्कृतिक छात्रों के लिए नियत 49 सीटें निम्नलिखित विदेशी छात्रों को दी गई । उनके देशों के नाम उनके आगे दिये गये हैं :—

देश	मिश्रित एम० बी० बी० एस०	एम० बी० बी० एस०
कुबैत	1	2
सिंगापुर	1	1
मलेशिया	2	2
मारिशस	—	5 (1 राष्ट्रमण्डलीय छात्र सहित)
केन्या	—	5
पश्चिम अफ्रीका	—	5
रोडेशिया	—	1
नाइजीरिया	—	1
फिजी	—	7 (इसमें वे 4 छात्र जिनको स्वास्थ्य विभाग संक्षिप्त एम० बी० बी० एस० कोर्स में दाखिला दिलाने में सफल नहीं हुआ तथा एक राष्ट्रमण्लीय छात्र भी सम्मिलित हैं)
बहरिन	—	1
जाम्बिया	—	3
सीरिया	—	1
जोर्डन	—	1
पैलेस्तीन शरणार्थी	—	1
उगाण्डा	—	2
त्रिनिदाद तथा तबागो	—	3
लंका	—	2
नेपाल	—	2
	4	45

नोट :—यह बंटवारा मात्र है वास्तविक दाखिले अभी होने हैं ।

(ग) विभिन्न देशों के लिए सीटों की संख्या का निर्धारण करते समय सरकार प्रत्येक देश से आये अभ्यार्थियों की संख्या तथा उनके साथ हमारे आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों को ध्यान में रखती है ।

(घ) और (ङ). जी, नहीं। भारतीय विद्यार्थियों में चिकित्सा शिक्षा की बढ़ती मांग को दृष्टि में रखते हुए सरकार का इस समय विदेशी छात्रों के लिए सीटें बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। राज्य सरकारें तथा विश्वविद्यालय जो कि वास्तव में सीटें उपलब्ध करती हैं, स्वयं अपने विद्यार्थियों की बढ़ती हुई मांग के कारण अधिक मेडिकल सीटों को सुरक्षित करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं।

खुले बाजार में बिकने वाली तथा सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली चीनी के उत्पादन शुल्क में बहुत अन्तर होने के कारण चीनी उद्योग में संकट

2020. **श्री रघुवीर सिह शास्त्री :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री राम चरण :
श्री शिवचरण लाल :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि खुले बाजार में बिकने वाली तथा सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली चीनी के उत्पादन शुल्क में 12½ प्रतिशत का अन्तर होने के कारण चीनी उद्योग इस वर्ष अधिक उपज के संकट का सामना कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कठिनाई में पड़े चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के विचार से खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी के उत्पादन शुल्क को वर्तमान 37½ प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं। शर्करा (चीनी) के अधिक मात्रा में उपलब्ध होने का कारण इस वर्ष अधिक उत्पादन और पिछले वर्ष की बकाया का अधिक होना है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है ;

उत्तर प्रदेश चिट फण्ड सम्बन्धी गतिविधियां

2021. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में चिट-फण्ड सम्बन्धी गतिविधियों को रोकने की आवश्यकता का उल्लेख किया हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में चिट फण्ड सम्बन्धी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) केन्द्र सरकार ने समस्त देश में इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश में चिट फण्ड का कार-बार करने वाली कंपनियों के असन्तोषजनक कार्य और राज्य में चिट फण्डों के काम को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा मद्रास चिट फण्ड अधिनियम 1961 की तरह का अलग कानून बनाने की आवश्यकता की ओर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का ध्यान दिलाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उसने कानून बनाने की आवश्यकता को सिद्धांत रूप से मान लिया है और कानून बनाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(ग) जिन राज्यों में चिट फण्ड का कारबार लोकप्रिय हैं, उन राज्यों की सरकारों ने पहले ही कानून बना दिये हैं या वे इस कारबार का विनियमन और नियंत्रण करने के लिए ऐसे कानून बनाने के सम्बन्ध में कार्रवाई कर रही हैं। इसलिए, इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है।

Foreign Volunteers in India

2022. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Sharda Nand :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of foreign volunteers working under foreign volunteer programme at present in this country ; and

(b) the number of foreign volunteers countrywise ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) At present, the total number of foreign volunteers in the country is 753.

(b) Their countrywise break-down is as below :

USA (American Peace Corps)	443
WEST GERMANY (German Volunteer Service	107
BRITAIN (Volunteer Service Overseas)	88
JAPAN (Japanese Overseas Co-operation Volunteers)	57
DENMARK (Danish Volunteer Service)	34
CANADA (Canadian University Service Overseas)	13
SWEDEN (Swallows)	11

Rate of Annual Growth of National Income

2023. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Bharat Singh Chavhan :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shri Sharda Nand :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Gopal Shalewale :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri N. R. Deoghare :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rate of annual growth of National income for 1967-68 was 8,9 percent whereas it was only 1.8 per cent in 1968-69 ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the steps taken, the result achieved and the future programme in this regard ;

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Changes in national income from year to year are to a substantial degree the result of fluctuations in agricultural output in response to weather conditions which accentuate or submerge the underlying upward trend. 1967-68 was a year of substantial agricultural recovery following two drought years. The relatively high rate of increase in national income reached in 1967-68 could not continue in 1968-69 when weather conditions were somewhat adverse. However, under the impact of various steps taken by the Government for industrial recovery as well as the sustained efforts made to increase agricultural production, the national income for 1969-70 is likely to show a substantialy higher rate of increase than in 1968-69.

The Fourth Five Year Plan envisages an average annual rate of increase of about 5.5 per cent in national income ; the Plan document sets forth the programmes add policies necessary for achieving that rate.

परिवार नियोजन के विस्तार के लिए योजनायें

2024. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री सीता राम केसरी : **श्री जी० वेंकटस्वामी :**

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन के लिए नई विस्तार परियोजनाओं की प्रमुख रूप रेखा क्या है ; और

(ख) इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में अब तक कुल कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में निहित कार्यक्रम के विस्तार के अतिरिक्त परिवार नियोजन कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव हैं। ये प्रस्ताव विदेशी सहायता की उपलब्धि को मान कर बनाए गए हैं :—

(1) अधिक संख्या में ग्रामीण उप-केन्द्रों का खोलना ताकि 10,000 जनसंख्या के लिए एक उप-केन्द्र हो।

(2) अधिकांश ग्रामीण मुख्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों में कार्य करने और रहने के लिए आवास की व्यवस्था।

(3) सुविधाओं में वृद्धि-कर अन्य 17 या अधिक जिलों और कुछ चुनीदा क्षेत्रों में परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्य को तेज करना।

(4) प्रसवोत्तर सम्बन्धी और 92 केन्द्रों का खोलना।

(5) सहायक नर्स धात्रियों और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अधिक और उन्नत प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करना ।

(6) अनुसंधान सम्बन्धी कार्यकलाप का विस्तार करना और मूल्यांकन की व्यवस्था का सुधार करना ; और

(7) बचाव और पोषण सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार करना ताकि माताओं और बच्चों की दीर्घायु का निश्चय करा कर परिवार नियोजन के सन्देश का प्रसार किया जा सके ।

(ख) विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—3902/70]

कपाड़िया बन्धुओं के बैंकर

2025. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपाड़िया बन्धुओं के उन बैंकरों के क्या नाम हैं जिन्होंने "किल्लिक निक्सन", "नेशनल रेयन" आदि कम्पनियों के शेयर खरीदने के लिए उन्हें धन दिया ;

(ख) प्रत्येक बैंकर ने कितना धन दिया तथा कपाड़िया बन्धुओं को कैसी जमानत पर यह धनराशि दी गई ;

(ग) क्या कपाड़िया बन्धुओं द्वारा कंपनियों/व्यक्तियों से प्राप्त किया गया ऋण एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक लगातार जारी रहता चला गया ; और

(घ) क्या सरकार ने इन ऋणों के सही होने की जांच की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). कापड़िया बंधुओं द्वारा नियंत्रित मैसर्स मगनलाल छगनलाल एण्ड कं० प्रा० लि० 31-3-1969 को, यूनियन बैंक आफ इंडिया की 41,62,232 रु० की देनदार थी । इसी तारीख को, इस कंपनी को 69 अन्य व्यक्तियों के 2,83,57,528 रु० देने थे । इन 69 व्यक्तियों के नाम और प्रत्येक को देय रकम का ब्यौरा सभा-पटल पर रखे गये विवरण-पत्र में दिया गया है । इन सभी 69 व्यक्तियों से ऋण शेयरों की प्रतिभूति पर लिये गये थे । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—3903/70]

(ग) 31 मार्च 1965 को, विभिन्न पार्टियों से ऋणों की रकम 1,14,19,682 रुपये थी । जबकि 31 मार्च 1969 को, 69 पार्टियों से ऋणों की रकम 2,83,57,528 रु० थी । उपयुक्त दो तारीखों को, एक ही नाम के पाच ऋणदाता हैं ।

(घ) इन ऋणों की सत्यता के बारे में जांच-पड़ताल चल रही है ।

सरकारी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों का कार्य-निष्पादन

2026. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहां तक वर्ष 1968-69 में विक्रय तथा लाभ वृद्धि का संबंध है उर्वरक का निर्माण करने वाली कुछ सरकारी कंपनियों का कार्य निष्पादन सापेक्ष रूप से कम उत्साहप्रद था ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की इन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उस वर्ष में उनके लाभ तथा हानि लेखों का ब्यौरा क्या है और सरकारी क्षेत्र की अन्य उर्वरक कंपनियों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के कार्य निष्पादन की तुलना में यह कैसा है ;

(ग) इन कंपनियों की कम लाभदायकता के विशिष्ट कारण क्या हैं ; और

(घ) विक्रय तथा लाभ की वृद्धि बताते हुए वर्ष 1969-70 में भारत में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक का निर्माण करने वाली कम्पनियों की कितनी वृद्धि हुई ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ;

दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में कोक भट्टियों के उत्पादन में कमी होने की जांच

2028. **श्री वि० कु० मोडक** : **श्री भगवान दास** :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पश्चिम बंगाल सरकार के एक उपक्रम) के निदेशक मंडल ने कोक भट्टियों के उत्पादन में कमी होने के कारणों का पता लगाने तथा इस संबंध में सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए चार निदेशकों की एक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समिति कब नियुक्त की गई थी ;

(ग) इस जांच कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(घ) क्या उनका ध्यान 11 जून, 1970 के "स्टेट्समैन" में "दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमटेड गम्भीर संकट के चंगुल में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस समाचार में उठाये गये प्रश्न का सरकार का ब्यौरेवार उत्तर क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) 28-4-1970 ।

(ग) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

औद्योगिक तथा व्यापारिक उपक्रमों की दक्षता तथा उनसे मुनाफा

2029. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उद्यम ब्यूरो के मतानुसार चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा व्यापारिक उपक्रमों को अधिक मुनाफा होने और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के घाटे की स्थिति में नहीं रहने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गत दो वर्षों में ब्यूरो ने समूचे रूप में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की दक्षता तथा लाभ में सुधार करने के लिए कोई विशेष कार्यवाई की है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि उच्चतम स्तरों पर प्रबन्धात्मक प्रवीणता का अभाव एक मुख्य समस्या बनी हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस समस्या को किस प्रकार हल करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उपक्रमों से प्राप्त अनन्तिम अनुमानों के अनुसार, निर्माणाधीन और वित्तीय संस्थाओं को छोड़ कर, 68 चालू उपक्रमों के कार्य-परिणामों में 1970-71 के दौरान काफी सुधार होने तथा फलतः लगभग 51 करोड़ रुपये का कुल शुद्ध लाभ होने की आशा है। यदि बिक्री योग्य 34.60 लाख मेट्रिक टन इस्पात का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया तो आशा है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड लाभ-हानि की सम-स्थिति में पहुंच जायेगा।

(ख) 1970-71 के दौरान, 68 उपक्रमों के अनुमानित लाभ/हानि का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—3904/70]

(ग) सरकारी उपक्रमों के कार्य में सुधार करने और उनको लाभप्रद बनाने के लिए निम्नलिखित दिशाओं में उपाय सुझाये गए है :—

(i) उत्पादन में विविधता लाना।

(ii) निर्यात को बढ़ावा देना और

(iii) प्रबन्धात्मक दक्षता और कार्य-कुशलता में सुधार।

(घ) और (ङ). प्रबन्ध कार्य का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर समय और सुधार करने की गंजाइश रहती है परन्तु सरकारी उपक्रमों के उच्चतम स्तर के प्रबन्धकों के कार्य के बारे में इस प्रकार का सामान्य अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। इन पदों को भरने के उद्देश्य से प्रतिभा-शाली पुरुषों की सेवायें प्राप्त करने के लिए सरकार, सरकारी तथा गैर-सरकारी सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करती है। उच्चतम स्तरों पर प्रबन्धकीय कार्य क्षमता में सुधार करने के लिए सरकारी उपक्रमों के उच्च स्तरों के प्रबन्धक-वर्ग को उपयुक्त प्रशिक्षण देने तथा आधुनिक प्रबन्धात्मक तकनीकों को अपनाने के बारे में कदम उठाये गये हैं।

केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर कर

2030. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**

श्री न० कु० सांघी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ शर्तों के अन्तर्गत नगर निगमों को केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर कर लगाने का अधिकार देने के लिए एक व्यापक केन्द्रीय विधान अधिनियमित करने के बारे में विचार किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). इस विषय की जांच की जा रही है।

नायलोन टैक्सटाइल के फिलामैंट यार्न के निर्माण हेतु संयंत्रों के लिए लाइसेंस देना

2032. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने नायलोन टैक्सटाइल फिलामैंट यार्न के निर्माण हेतु संयंत्रों के लिए लाइसेंस देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये संयंत्र सरकारी क्षेत्र में होंगे अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ; और

(ग) ये संयंत्र सम्भवतः किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे और उनकी निर्माण क्षमता कितनी होगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) जी, हां। नाइलोन टैक्सटाइल फिलामैंट यार्न (तागा) के लिए संयंत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करने के लिए, 5 जुलाई, 1970 को एक प्रैस नोट. प्रकाशित किया गया था। 16 अगस्त, 1970 प्रार्थना-पत्रों के प्राप्ति की अन्तिम तारीख है।

(ख) और (ग). प्रेस नोट के उत्तर में सब प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति के बाद ही इन पाइनटों पर विचार किया जा सकता है।

शीरे का उत्पादन

2033. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि जबकि भारत में शीरे का उत्पादन वर्ष 1967-68 में 1,100,000 मीटरी टन से बढ़कर वर्ष 1969-70 में

2,000,000 मीटरी टन हो गया है, स्पिरिट, पैट्रोलियम तथा प्लास्टिक, जिनमें सर्वाधिक शीरे की मुख्यतः खपत होती है, के उत्पादन में तदनुसार वृद्धि नहीं हुई है ;

(ख) क्या उपलब्ध शीरे की 25 प्रतिशत मात्रा को सरकार की पूर्वानुमति के धरती में दबा दिया जाता है क्योंकि चीनी कारखानों के अनुमानानुसार शीरे के भंडारकरण की लागत सरकार द्वारा निर्धारित क्रय-मूल्य से कहीं अधिक है ;

(ग) क्या शीरे के विक्रय मूल्य ऐसे स्तर पर निर्धारित किये जायेंगे ताकि इसका भंडार-करण करने तथा इस समय केवल चीनी के उत्पादन काल के दौरान की अपेक्षा सारे वर्ष शीरा उपलब्ध कराने को बढ़ावा मिल सके ; तथा क्या चीनी विक्रेता संघ के मतानुसार शीरे से तैयार किये जाने वाले उत्पादों के निर्यात से 200,000,000 रुपये की विदेशी मुद्रा सुगमता से अर्जित की जा सकती है ;

(घ) यदि हां, तो वास्तविक वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) जैसा कि निम्न आंकड़ों से विदित है, अल्कोहल के उत्पादन में वृद्धि शीरे के उत्पादन में वृद्धि के समानुपातिक है :—

वर्ष	शीरा (लाख मीटरी टनों में)	अल्कोहल (किलो लिटर्ज में)
1967-68	8.67	1,54,066
1968-69	12.39	2,20,609
1969-70	17.00 अनुमानित	3,30,000 अनुमानित

अल्कोहल, सिटरिक अम्ल, तम्बाकू साधने, पिग आपरन फौण्डरी, मुर्गी पालन के भोजन आदि जैसी बहुत सी वस्तुएं बनाने के काम में शीरे का उपयोग होता है । पेट्रोलियम और प्लास्टिक उद्योग द्वारा शीरे का उपभोग नहीं होता है ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ). चीनी के अधिक उत्पादन के फलस्वरूप शीरे की उपलब्धता उपभोक्ता उद्योगों की आवश्यकताओं से बहुत अधिक है । इसलिए सरकार द्वारा इसके अधिक मूल्य निर्धारण करने से उद्योग को कोई लाभ नहीं होगा । उपोत्पाद का मूल्य पूर्णतया वसूल करने के लिए चीनी कारखानों को भंडार करने की और अच्छी सुविधायें स्थापित करनी होगी ताकि शीरे का भण्डार-करन किया जा सके और उसे शेष अवधि में बेचा जा सके । काफी मात्रा में फालतू होने के कारण सरकार शीरे के निर्यात के लिए सहमत हो गई है और निर्यात की अवस्था में भी, शीरे का भंडार-करन करना होगा और देश के आंतरिक भागों से, जहां पर चीनी के कारखाने स्थापित हैं,

बन्दरगाह तक ले जाना होगा और जब तक वहां (बन्दरगाह) पर समुचित सामुद्रिक यातायात सुलभ न हो ; भंडारकरन करना होगा ।

इस विषय से सम्बद्ध राज्य मंत्रियों से गठित केन्द्रीय शारा बाड ने इस मामले पर विचार किया है और शीरे के मूल्यों में वृद्धि का विरोध किया है क्योंकि इसका, अल्कोहल से बनने वाली अत्यावश्यक पदार्थों सहित कई औद्योगिक उत्पादों की कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

तेहरान में हाइड्रो-कार्बन्स लिमिटेड की स्थानिक प्रतिनिधि श्रीमती लीला मेनन को वापस बुलाना

2034. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री प० गोपालन :
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेहरान में भारतीय राजदूत ने मंत्रालय से अनेक बार अनुरोध किया है कि हाइड्रो कार्बन्स (प्रा०) लि० की स्थानिक-प्रतिनिधि श्रीमती लीला मेनन को तत्काल तेहरान से वापस बुलाया जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस अनुरोध पर तत्काल कार्यवाही नहीं की ; और

(ग) यदि हां, तो उसे वापस बुलाने में विलम्ब का क्या कारण है :

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) राजदूत ने अप्रैल के आखीरी सप्ताह में सिफारिश की थी कि श्रीमती मैनन को वापिस बुलाया जाए ।

(ख) 2 मई को सरकार ने हाइड्रोकार्बन्स इंडिया (प्रा०) लि० को श्रीमती मैनन को तत्काल वापिस बुलाने को कहा था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय राजदूतावास के कर्मचारियों द्वारा नेपाल से चीनी माल का लाया जाना

2035. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावास के वरिष्ठ कर्मचारी नियमित रूप से काठमांडू के उस बाजार में जाते हैं जहां विलासिता की सामग्री बिकती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नेपाल का दौरा करने गये भारतीय अधिकारियों का दल तथा राजनयिक वहां से भारत लौटते समय अपने साथ चीनी सामान लाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन अधिकारियों और उनके साथ गये अन्य कर्मचारियों से सीमा शुल्क लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो अक्टूबर 1966 में इस रूप में कितनी राशि एकत्र की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ऐसा पता लगा है कि काठमाडू में विलासिता की वस्तुओं का कोई अलग बाजार नहीं है और यह कि काठमाण्डू का सारा बाजार क्षेत्र न्यू रोड तथा उसके निकटवर्ती शुक्र-पथनामक दो छोटे-छोटे भागों में स्थित है। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी उपभोक्ता वस्तु को खरीदना चाहता हो, जिसमें दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुयें भी शामिल हैं, उसे इसी क्षेत्र में आना पड़ता है। अपनी रोजमर्रा की सामान्य आवश्यकताओं की वस्तुओं के लिए, भारतीय दूतावास के अधिकारियों का भी इस क्षेत्र में आये बिना काम नहीं चलता।

(ख) नेपाल जाने वाले भारतीय अधिकारियों तथा राजनयिकों के साथ जाने वाले कर्मचारियों के भारत लौटते समय अपने साथ चीनी की बनी वस्तुयें लाने का कोई मामला भारत सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

नेपाल को देय उत्पादन शुल्क

2036. **श्री लताफत अली खाँ :**
श्री क० मि० मधुकर :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री चन्द शेखर सिंह :
श्री देवकी नंदन पाटोदिया :
श्री जो० ना० हजारिका :

क्या वित्त मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने काठमांडू को देय उप्पादन शुल्क की गत आठ वर्ष की बकाया राशि के दावों का निपटान करने के लिये भारत को लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) नेंपाल को देय उत्पादन शुल्क का हिसाब किस आधार पर किया जायेगा ; और

(घ) इस समय कुल कितनी बकाया राशि जमा हो गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). नेपाल ने 1 जुलाई 1954 से 13 जनवरी 1964 तक की अवधि के सम्बन्ध में 1,11,58,921 रुपये के उपादन शुल्क का दावा किया है। उत्पादन शुल्क की वापसी की अदायगी का जो आधार तय हुआ था, उसके अनुसार यह अदायगी ऐसे अलग-अलग दस्तावेजों के आधार पर की जानी थी जिनके अधीन उत्पादन शुल्क लगने योग्य वस्तुओं का नेपाल को निर्यात किया गया था। नेपाल ने अपने इस दावे के सम्बन्ध में समझौते के अनुसार अलग-अलग दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं बल्कि यह दावा नेपाल को प्राप्त वापसी की रकम को उसके द्वारा किये गए उत्पादन शुल्क सम्बन्धी दावे की कुल रकम में से घटाकर जो रकम बचती है, उसके आधार पर किया गया है। इस रकम की अदायगी के प्रयोजनों के लिए नेपाल द्वारा प्रस्तुत किया गया आधार स्वीकार किया जाय अथवा नहीं—यह प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है।

14 जनवरी 1964 से शुरू होने वाली अवधि के सम्बन्ध में (जब भारत में वापसी के भुगतान की कार्यविधि का केन्द्रीयकरण किया गया था) नेपाल ने कुछ बकाया का दावा किया था इस मामले की जांच की गई और जो भी बकाया रकमें देय पायी गईं, वह पहले ही अदा की जा चुकी हैं और हाल में हुई व्यापार-वार्ता के दौरान नेपाल के प्रतिनिधियों को इस बात से अवगत करा दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त, वस्त्रों, तम्बाकू, तम्बाकू के उत्पाद तथा चीनी पर बिक्री-कर के स्थान पर अक्टूबर 1957 से लगाये गए अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के कारण और केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत की रक्षा-व्यवस्था की लागत को पूरा करने के लिए 1 मार्च 1963 से प्रत्येक वर्ष के वित्त अधिनियम के अधीन (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम के अधीन नहीं) लगाये गए विशेष उत्पादन शुल्क के कारण नेपाल में 5,49,34,013 रुपये की बकाया का दावा भी किया है यह मामला विचाराधीन है ।

व्यक्तिगत सामान के रूप में वस्तुओं के निःशुल्क आयात की सीमा

2037. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि व्यक्तिगत सामान के रूप में वस्तुओं के निःशुल्क आयात की सीमा को 800 रुपये से घटाकर 500 रुपया कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा ऐसी वस्तुओं के आयात को नियमित करने के लिए बनाई गई संशोधित योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) असबाब के लिए शुल्क मुक्त छूट की सीमा इस कारण कम की गयी थी कि विलासिता और अर्ध-विलासिता की वस्तुओं के आयात पर लगाये गए सामान्य प्रतिबन्ध की प्रवंचना करके बहुत से यात्री और कर्मी-दल इस रियायत का दुरुपयोग कर रहे थे । यात्री के असबाब के रूप में लायी गयी बहुत सी वस्तुओं को ऊंचे लाभ पर बेचा जा रहा था । यह विचार किया गया कि सम्बन्धियों तथा मित्रों के लिए उपहार और स्मृति-उपहार लाने के लिए 500 रुपये की छूट पर्याप्त होगी ।

असबाब नियमावली, 1970 की एक प्रतिलिपि सलग्न है, जिसमें ब्यौरे दिये गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये** संख्या एल० टी०—3905/70]

नायलोन के धागे के मूल्यों में वृद्धि

2038. **श्री मधु लिमये** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न किस्मों के नायलोन के धागे के मूल्यों में असाधारण वृद्धि तथा उत्पादकों द्वारा बड़ी मात्रा में कमाये जा रहे शुद्ध लाभ की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि संश्लिष्ट धागा निर्माताओं तथा संश्लिष्ट धागा तथा वस्तु उपभोक्ताओं के बीच उत्पादन में वृद्धि तथा उपभोक्ता मूल्यों में कमी के विषय को लेकर एक सम्मेलन आयोजित किया जाये ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सुझाव के अनुसार कार्यवाही करने का है, यदि हां, तो कब तक ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह): (क) जी हां, लेकिन सरकार को यह विदित हुआ है कि नायलोन धागे का एक बहुत बड़ा अनुपात जोकि 90 प्रतिशत तक बताया गया है कातने वालों द्वारा उन कीमतों पर बुनकरों को सीधा बेचा जाता है ; जिसमें कि पिछले 6 महीनों में कोई असाधारण वृद्धि हुई नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). जी हां, इस मन्त्रालय द्वारा 16, जून 1969 को निर्माताओं के साथ एक बैठक हुई थी और बाद में इस मन्त्रालय के सुझाव पर टैक्सटायल आयुक्त ने निर्माताओं और बुनकरों के साथ नाललोन धागे की कीमत के बारे में और बातचीत करके इस बैठक की आगे पैरवी की ।

नायलोन धागे के उचित विक्रय मूल्य के प्रश्न को सरकार ने पहले से ही, टैरिफ कमीशन को सौंप दिया था । टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट के अतिशीघ्र प्राप्त होने की आशा है । नाइलोन धागे के उचित मूल्य पर यथा शीघ्र निर्णय करने के लिए यह रिपोर्ट सरकार के लिए एक निश्चित आधार प्रस्तुत करेगा । उत्पादन पेटर्न और नाइलोन धागों की कीमत के बारे में निर्माताओं और कुछ बुनकरों के बीच हुए एक स्वेच्छक करार के ब्यौरे सरकार को 6 अगस्त, 1970 को प्राप्त हुए । इस करार के अनुसार 1-7-1970 और 28-2-1971 की अवधि में विभिन्न/डिनीयर नाइलोन के धागे का मूल्य निम्न प्रकार होगा :—

प्रति किलो ग्राम

डिनीयर	जे० के० रुपये पैसे	मोदीपान रुपये पैसे	निरलोन रुपये पैसे	गरवारे रुपये पैसे
15/1/0 एस. डी	76.00	76.00	— —	— —
20/1/0 टिवंकल	105.00	— —	— —	— —
20/1/0 एस. डी	70.00	70.00	— —	— —

1	2	3	4	5
20/10/0 एस. डी (के)	— —	77.75	— —	— —
32/10/0 एस. डी (डब्ल्यू)	— —	73.75	— —	— —
40/10/0 एस.डी (")	68.75	68.75	66.75	— —
40/10/0 एफ. डी (के)	— —	74.75	— —	— —
40/10/0 एफ. डी (के)	77.25	78.25	— —	77.25
76/20/0 एस. डी	65.75	— —	63.75	— —
76/17/0 एस. डी	— —	64.75	— —	— —
101/24/0 एस, डी	— —	55.75	54.75	— —
101/21/0 एफ. डी	— —	— —	— —	58.75
105/24/0 एस. डी	56.75	— —	— —	— —

डब्ल्यू = मशीन से बुनाई (वीविंग)
के = हाथ से बुनाई (निटिंग)

राष्ट्रीयकृत बैंकों से बड़ी फर्मों द्वारा अपना खाता बन्द करना

2040. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि 30 लाख से अधिक आस्तियों वाली अनेक बड़ी-बड़ी गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्मों ने राष्ट्रीकृत बैंकों में अपना खाता बन्द कर दिया है या गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपना नया खाता खोल लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

लोक निर्माण विभाग, मनीपुर में छंटनी

2041. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक निर्माण विभाग मनीपुर से वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970 में अब तक छंटनी किए गए कार्य प्रभारित और मस्टर रोल श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उपर्युक्त छंटनी के कारण क्या हैं ; और

(ग) उनमें से कितने श्रमिकों को अब पुन: नियुक्त किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) मनीपुर सरकार द्वारा 1968-69, 1969-70 और 1970 से अब तक छंटनी किये गये कार्य प्रभारित कर्मचारियों की कुल संख्या 191 है । जहां तक

मस्टर रोल कर्मचारियों का संबंध है क्योंकि वे आकस्मिक प्रकार के कार्यों पर प्रतिदिन के आधार पर नियुक्त किये जाते हैं, अतएव उनकी छंटनी का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) मनीपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग से नई मोटर चलने योग्य केचेर रोड और चराचन्द्रपुर तिपाईमुख रोड का सीमान्त सड़क संगठन को हस्तान्तरण तथा उसके परिणामस्वरूप कार्य-में कमी हो जाना, छंटनी का कारण है ।

(ग) एक ।

कृषि आय पर कर लगाया जाना

2042. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री मीठा लाल मीना :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने कृषि से होने वाली आय पर कर लगाने का विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं ; तथा उन्होंने उसके लिए क्या कारण बताये हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). कृषि आयकर लगाना राज्य का विषय है । इसलिए ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रधान द्वारा सार्वजनिक भूमि के एक भाग पर कब्जा किया जाना

2043. **श्री शारदा नन्द :**
श्री रामावतार शर्मा :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जुलाई, 1970 में कुछ दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर गया है जिनके अनुसार दिल्ली नगर निगम में जनसंघ दल के नेता ने यह कथित बयान दिया है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष ने एक स्कूल चलाने से लिए पहाड़गंज नई दिल्ली में सार्वजनिक भूमि के एक भाग पर कब्जा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस वक्तव्य के बारे में सरकार द्वारा की गई जांच के क्या परिणाम निकले तथा इस कार्य के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ग). कुछ दैनिक पत्रों में यह सूचना दी गई है कि नव शक्ति विद्यालय ने सार्वजनिक सड़क और भूमि के एक भाग पर अतिक्रमण किया है। स्थिति इस प्रकार है कि बस्ती आरोक्य योजना को भूमि का एक प्लाट दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा श्री राधारमन को पट्टे पर दिया गया था, जिन्होंने 1961 में इसे नवशक्ति शिक्षा समिति को उपहार में दे दिया था। प्राधिकरण द्वारा इससे संलग्न प्लाट भी अस्थाई पट्टे पर इस संस्था को दे दिया गया था जिसे 1 मार्च, 1963 को रद्द कर दिया गया। तथापि, सोसाइटी ने इस भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा बनाये रखा और अतएव उन द्वारा देय हानि का निर्धारण किया गया जिसे उन्होंने 1 मार्च, 1963 से 30-6-1967 तक की अवधि के लिए अदा कर दिया। दिल्ली नगर निगम के अनुसार समिति ने पिछली गली और उनके भवन के सामने की सड़क के एक भाग पर भी अतिक्रमण किया है। 14 जुलाई, 1970 को निगम द्वारा उन पर एक कारण बताओ नोटिस दे दिया है।

दिल्ली में प्लाटों के आवंटन की मांग करने वाले संसद सदस्यों की सूची

1. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री, एम० पी०
2. श्री बेदव्रत बरुआ, एम० पी०
3. स्वामी ब्रह्मानन्द, एम० पी०
4. श्री मोहम्मद यूनुस सलीम, एम० पी०
5. श्री मोहन लाल गौतम, एम० पी०
6. श्री ओंकार लाल बोहरा,
7. श्री शेर सिंह, एम० पी०
8. श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय, एम० पी०
9. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, एम० पी०
10. श्री ए फ० एच० मोहसिन, एम० पी०
11. श्री नवल किशोर शर्मा, एम० पी०
12. श्री भागवत झा आजाद, एम० पी०
13. श्री आर० बी० सिन्हा, एम० पी०
14. श्री रामावतार शर्मा, एम० पी०
15. श्री हेम राज, एम० पी०
16. श्री शिव चन्द्रिका, एम० पी०
17. जी० एम० बख्शी, एम० पी०
18. श्री लखन लाल गुप्त, एम० पी०
19. श्री चक्रपाणी शुक्ल, एम० पी०
20. श्रीमती शारदा मुकर्जी, एम० पी०
21. श्री एन० एस० ब्रार, एम० पी०
22. श्री सैयद अहमद, एम० पी०
23. श्री इन्दर जे० मल्होत्रा, एम० पी०
24. श्री के० लकप्पा, एम० पी०
25. श्री मोहन स्वरूप, एम० पी०
26. श्री किन्दर लाल, एम० पी०
27. श्री जैड० ए० अहमद, एम० पी०
28. श्री चौधरी ए० मोहम्मद, एम० पी०
29. श्री जी० वेंकटस्वामी, एम० पी०
30. श्रीमती यशोदा रेड्डी, एम० पी०
31. श्री नरदेव स्नातक, एम० पी०
32. श्री के० मनोहरन, एम० पी०
33. श्री साधु राम, एम० पी०
34. डा० संकता प्रसाद, एम० पी०
35. श्री बाल्मीकि चौधरी, एम० पी०
36. श्री शंभु नाथ शुक्ल, एम० पी०
37. श्री निरंजन वर्मा, एम० पी०
38. डा० शिशरकुमार शाह, एम० पी०
39. श्री भारत सिंह चौहान, एम० पी०
40. श्री डी० एरिंग, एम० पी०

41. श्री के० एन० पाण्डे, एम० पी०
42. श्री मृत्युंजय प्रसाद, एम० पी०
43. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद, एम० पी०
44. श्री एम० वेरो, एम० पी०
45. श्री एन० सेतुरमन, एम० पी०
46. श्री महाबीर दास, एम० पी०
47. श्रीमती मिनीमाता, एम० पी०
48. श्री बलराम दास, एम० पी०
49. श्री के० हनुमंतैया, एम० पी०
50. श्री महाराज सिंह भारती, एम० पी०
51. श्री जगेश्वर यादव, एम० पी०
52. श्रीमती गिरिजा कुमारी, एम० पी०
53. श्री के० के० नायर, एम० पी०
54. श्रीमती शकुन्तला नायर, एम० पी०
55. श्री रतन लाल जैन, एम० पी०
56. श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव, एम० पी०
57. श्री यमुना प्रसाद मंडल, एम० पी०
58. श्री एन० के० भट्ट, एम० पी०
59. श्री राव गजराज सिंह, एम० पी०
60. श्री नितिराज सिंह, एम० पी०
61. श्रीमती इलापाल चौधरी, एम० पी०

पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग का प्रतिवेदन

2044. **डा० रानेन सेन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कं० हाल्दर :
श्री जि० मो० बिश्वास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). राज्य सरकार ने बताया है कि वह वेतन आयोग की सिफारिशों की अभी भी जांच कर रही है और वेतन तथा भत्तों से सम्बन्धित सिफारिशों पर विचार विमर्श में काफी प्रगति हो चुकी है ।

विभिन्न मन्त्रालयों के मन्त्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्टाफ कारों का प्रयोग

2045. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1969 से जून, 1970 तक मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मंत्रालय-वार स्टाफ कारों में की गई यात्रा, किलोमीटरों में, का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सूचना मंत्रालयों/विभागों से इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली के 'कटरों' में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था

2046. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम ने गत तीन वर्षों में राजधानी के गैर-सरकारी कटरों में संडास

वाले शौचालय, पक्का फर्श, नालियां आदि जैसी सुविधाएं देने के लिए कितना धन व्यय किया है ;

(ख) कितने क्वाटरों में ये सुविधाएं दी गई हैं ;

(ग) निगम का अगले 5 महीनों में इस पर कुल कितना धन व्यय करने का विचार है और इस अवधि में कितने गैर-सरकारी कटरों में ये सुविधायें दी जायेंगी ; और

(घ) 1 अप्रैल, 1968 से 31 मार्च, 1970 की अवधि में गैर-सरकारी कटरों में ये सुविधाएं देने के लिए कुल कितना व्यय किया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, ... तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) 7,70,000 रुपये ।

(ख) 255 कटरे ।

(ग) 1970-71 के दौरान 196 निजी कटरों के सुधार के लिए 17.50 लाख रुपए । इन कटरों में सुधार कार्य चल रहा है ।

(घ) 7, 70,000 रुपये ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुभाग अधिकारी की भर्ती

2047. **श्री मधु लिमये** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली ने नवम्बर 1969 में अनुभाग अधिकारियों के पदों के लिए विज्ञापन दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1200 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था ;

(ग) क्या साक्षात्कार लेने का कार्य दिसम्बर, 1969 से फरवरी, 1970 तक चलता रहा ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस चयन का कुछ परिणाम न निकला ; और

(ङ) उक्त पदों के लिए कितने उम्मीदवार लिये गये हैं और अधिकारियों ने किन कारणों से जनता को असमंजस की स्थिति में रखा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार, नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां ; अक्टूबर, 1969 के महीने में ।

(ख) साक्षात्कार के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों की संख्या 1910 थी ।

(ग) जी हां। उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिसम्बर, 1969 जनवरी, 1970, फरवरी, 1970 और जून 1970 के महीनों में 8 दिन लिया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) 120 रिक्तियों के विपरीत, 107 उम्मीदवारों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये हैं। अत: जनता को असमंजस में रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Right of Land Ownerships to Jhuggi Jhonpri Familes, Delhi

2048. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Executive Councillor had urged upon him to confer the right of land ownership to about 50 thousand Jhuggi Jhonpri families who were shifted from the heart of Delhi city to the areas like Nangaloi, Pankha Road etc. during the last two years ;

(b) if so, the details of action taken so far in this regard ; and

(c) whether the demand was accepted and if not, the reasons therefor ;

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) The Chief Executive Councillor had suggested that ownership rights be given to all allottees on easy instalments.

(b) The question of giving plots on lease on an instalment basis is under consideration.

(c) Does not arise at present.

Value of Property Worth Rs. One Crore or above Prossessed by Individuals in India

2049. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Sharda Nand :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of Indian and Foreign citizens in the country at present who own movable and immovable property worth Rs. 1 crore or more :

(b) the number out of them who are Ministers at the Centre including the Prime Minister, the Minister of State and the Officers in the Central Services ; and

(c) the amount of Income-tax realised from them by the Government during the last two years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The information is not readily available and is being collected. It will be laid on the Table of the House as soon as it is collected.

Smuggling of Goods into and out of India

2050. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Bansh Narain Singh : **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government have conducted any survey in regard to the approximate quantity of Indian goods smuggled out of the country and of foreign goods smuggled into the country during the financial years 1968-69 and 1969-70 ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the quantity of smuggled foreign goods, gold and other articles seized in the country during the above period ; and

(d) the number of Indians and foreigners apprehended in different parts of the country in this regard ?

The Minister of State in the Ministry af Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). No, Sir, as there are no practicable means of reaching any reasonable conclusions about the quantity of Indian goods smuggled out of the country and of foreign goods smuggled into the country.

(c) The quantity and value of smuggled gold and other doods seized during the years 1968-69 and 1969-70 are as under :—

Commodity	1968 69	1969-70
Gold	4220 Kg. Valued Rs. 3.86 lakhs (Value at the international monetary rate).	5806 Kg. Valued Rs. 4.90 lakhs
Other Goods	Value Rs. 19.31 lakhs	Value Rs. 18.76 lakhs

(d) Number of persons arrested during the period was as under :—

	Indians	Foreigners
1968-69	2012	69
1969-70	2085	83

Seizure of Gold in Contravention of Gold Control Act

2051. **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the quantity of contraband gold seized in different parts of the country since the enforcement of the Gold Control Act ; and

(b) the value of the gold seized and the number of persons against whom action has been taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The information about the quantity of gold (viz. primary gold, articles and ornaments) seized under Gold (Control) and Customs Acts from the 1st September, 1968 (when the Gold (Contro) Act, 1968 came into force] to the 30th June, 1970, its value, and the number of persons who have been arrested for prosecution in courts of law in connection with the cases arising out of the said seizures, is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha.

Stagnant Water and Filth Exposing Residents of Certain Areas or Shahdara and Tughlakabad to Diseases

2052. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on both sides of the Railway line between Shahdara and Delhi and between Shahdara and Delhi and between Tughlakabad and New Delhi, there is not of stagnant water and other filth which has exposed the residents of those areas to fatal diseases ;

(b) if so, the steps taken by Government so far to drain off the stagnant water and to remove filth from there ;

(c) the action Government propose to take in future ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) It is correct that there is stagnant water in some places along the railway embankments between Shahdara and Delhi, and between Tughlakabad and New Delhi. Where there is habitation, the sullage of the area finds its way into the low-lying depressions.

(b) In Shahdara area, arrangements have been made to connect these borrow-pity by drains to draid off the water. However, as the borrow pits are deep some accumulation of water is unavoidable.

(c) and (d). In Shahdara area the sewerage scheme has since been taken in hand. With the implementation of the scheme and provision of sewer line in the regularised unauthorised colonies, these will be no accumulation of water. Filling up of these pits and ponds could then be taken up.

In the area between Tughlakabad and New Delhi, tha problem is not so acute and is only limited to those areas where there are unauthorised jhuggis and jhompries. The problem will be solved when these are removed.

Prizes for Sterilization during 1969

2053. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the amount spent by Government on giving prizes to those who got themselves sterilized in each State during the year 1969 ; and

(b) the contribution made by foreign countries like the USA in the form of assistance towards the expenditure involved in sterilization and insertion of loops in 1969 ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No prize of given to volunteers offering themselves for sterilization. An amount of Rs. 30/Rs. 40 is provided for payment of compensation money per case of vasectomy/tubectomy to the State, who have the discretion to decide its break up for payments to the volunteer offering to avail of services, motivator, doctor para-medical staff, etc. A part of the cympensation money is paid to the volunteer to cover part of loss of wages, out of pocket expenses, etc. A total amount of Rs. 900 lakhs was provided in the budget estimates for 1969-70 for payment of compensation money to the Stattes and Union Territories Information regarding the expenditure actually incurred on payment of compensation in each State/Union Territory during that year is not available.

(b) Nil.

हरियाणा में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषकों को दिया गया ऋण

2055. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषकों को कितना ऋण दिया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि दिये गये ऋण की 80 प्रतिशत से भी अधिक राशि 13 प्रमुख कम्पनियों को दी गई जो कि देश के पांच बड़े एकाधिकारियों के नियन्त्रण में है ;

(ग) यदि हाँ, तो इन प्रमुख कम्पनियों के नाम क्या हैं और इन पर नियंत्रण रखने वाले एकाधिकार समूहों के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में हरियाणा युवक कृषक संघ के आकस्मिक सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण का सार क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मार्च 1970 के अन्त तक, हरियाणा में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये प्रत्यक्ष ऋणों के आंकड़ों नीचे दिये गये हैं :

खातों की संख्या	रकम (लाख रुपयों में)
1726	91.81

(ख) और (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत के रिजर्व बैंक के विनियमों के उल्लंघन में भारतीय राष्ट्रकों को जारी किये गये विमान-यात्रा के टिकट

2056. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्यां **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर फ्रांस द्वारा विमान द्वारा हैम्बर्ग ले जाये गये लगभग 40 भारतीय राष्ट्रिकों को अवैध आप्रवासियों के रूप में ब्रिटेन में निरूद्ध किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस यात्रा के लिए उनको जो टिकट जारी किये गये थे वे भारत के रिजर्व बैंक के विनियमों के उल्लंघन में थे ?

(ग) क्या यह भी सच है कि वापसी यात्रा के सम्बन्ध में इन यात्रियों को एयर फ्रांस ने जाली टिकट जारी किये थे ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कदाचार की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु एयर फ्रांस के विरुद्ध विनियमों का उल्लंघन करने के कारण, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यात्रियों को सामान्य विनियमों के अन्तर्गत टिकट जारी किये गये थे और हवाई कम्पनी ने भारतीय रिजर्व बैंक विनियमों का उल्लंघन नहीं किया था ।

(घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बंगलौर शहर की जल समस्या सुलझाने के लिए विश्व बैंक से सहायता

2057. **श्री क० लकप्पा** : क्या **स्वास्थ्य परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर निगम ने बंगलौर शहर की जल समस्या सुलझाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्व बैंक से कोई वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो निगम को वित्तीय सहायता देने के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). वित्तीय सहायता प्राप्त करने की सम्भावनायें खोज निकालने के उद्देश्य से बंगलौर जल पूर्ति योजना पर सर्व प्रथम 1964 में विश्व बैंक से बात चीत हुई थी किन्तु इस योजना के कतिपय पहलुओं के बारे में मतैक्य न होने के कारण मामला आगे नहीं बढ़ाया जा सका ।

मैसूर की गृह निर्माण योजना

2058. **श्री क० लकप्पा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन तथा निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर सरकार द्वारा गृह निर्माण योजना के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई ;

(ख) भारत सरकार ने कितनी सहायता दी है ; और

(ग) हाल में जब उन्होंने मैसूर राज्य का दौरा किया, तो मैसूर राज्य में गृह निर्माण की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ग). इस विभाग द्वारा बनाई गई सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं। चतुर्थ योजना की अवधि के दौरान राज्य क्षेत्र के सभी विकास कार्यक्रमों (आवास सहित), कुल मिलाकर, के लिए केन्द्रीय सहायता 'खंड ऋणों, और 'खंड अनुदानों' के रूप में दी जाती है। यह सहायता किसी योजना विशेष या विकास शीर्षक से सम्बद्ध नहीं है, तथा राज्य सरकारें विभिन्न राज्य प्लान योजनाओं के अन्तर्गत अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार उपयोग किये जाने वाली राशि को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, राज्य सरकारों को (जिसमें मैसूर सरकार सम्मिलित है) कहा गया है कि वे आवास को उच्च प्राथमिकता दें, तथा विकास के इस शीर्षक पर अपने आउट-ले को बढ़ायें।

विट्ठलभाई पटेल हाऊस, नई दिल्ली में रहने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी (अधिकारी)

2059. **श्री क० लकप्पा :**
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विट्ठलभाई पटेल हाऊस में रहने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों (अधिकारियों) की संख्या कितनी है ;

(ख) ये अधिकारी कब से यहां रह रहे हैं ;

(ग) क्या इनके लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय द्वारा किन्हीं विशेष सेवाओं की व्यवस्था की गई है ;

(घ) क्या इन्हें कोई विशेष बगीचे की सुविधाएं दी गई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या विशेष बगीचे लगाने के लिए इनसे कोई अतिरिक्त राशि वसूल की जाती है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का एक अधिकारी फिलहाल विट्ठलभाई पटेल हाउस में रह रहा है।

(ख) 25 अगस्त, 1967 से।

(ग) और (घ). जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Assistance to Madhya Pradesh

2060. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Finance be pleased to state the assistance given to Madhya Pradesh under the last Five Year Plan and the Fourth Five Year Plan so far for various projects and schemes ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : Particulars of Central assistance given to the Government of Madhya Pradesh under the Third Five Year Plan fro various projects and schemes, as booked in the State Accountant General's office are given in the statement laid on the Table of the House.

Central assistance of Rs. 45.89 crores was sanctiond to the Government of Madhya Pradesh towards the State's Annual Plan 1969-70, the first year of the Fourth Five Year Plan. Central assistance to States for the Fourth Five Year Plan schemes is being released as block loans and block grants and is not related to any individual project, scheme or Head of Development.

Statement

Loans and grants given to Madhya Pradesh during the Third Five-Year Plan for various projects and schemes—

(Rs. in Crores)

	Head of Development	Loan	Grant	Total
1.	Agriculture and allied sectors.	22.13	8.31	30.44
2.	Community Development and Co-operation.	6.24	10.33	16.57
3.	Irrigation and Power	24.69	—	24.69
4.	Industry and Minning	3.40	1.32	4.72
5.	Social Services	6.34	22.78	29.12
6.	Miscellaneous and others.	117.37	3.30	120.67
	Total ;	180.17	46,04	226.21

World Bank's Loan for Setting up of Cotton Mills in Cooperative Sector

2061. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the World Bank is not only willing to advance loans to India to set up cooperative cotton mills in the cooperative sector but it has given financial aid also ;

(b) if so, the full details of the financial aid given to Maharashtra and Tamil Nadu separately ;

(c) whether some steps have been taken in this regard in Madhya Pradesh also ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The World Bank has not given any loan for setting up of cotton mills in the cooperative sector in India. No such proposal has been discussed with the World Bank.

(b) to (d). Do not arise.

Central Assistance for Family Planning Programme in Madhya Pradesh

2062. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance provided to the State Government by the Central Government by the Central Government for vasectomy operation and inserting loops in the rural and urban areas of Madhya Pradesh during the last two years ; and

(b) the additional number of Family Planning Centres proposed to be set up by Government in rural and urban areas during the financial year 1970-71 ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : The Central Government provided an assistance of 200.13 lakhs and Rs. 439.93 lakhs to the Government of Madhya Pradesh during the years 1968-69 and 1969-70 respectively for implementation of Family Planning Schemes in the State. Of these amounts, a sum of Rs. 64 lakhs were earmarked for payment of compensation money in respect of I. U. C. D and sterilization cases for the years 1968-69 and 1969-70 respectively. This compensation money is paid to the States at the rate of Rs. 11/Rs. 30/Rs. 40 per case of IUCD insertion/Vasectomy operation Tubectomy operation. Higher rates of compensation are paid in case of tubectomy operations done in camps

The break up of the amounts for the compensation money for Urban and Rural areas separately are not available.

(b) It is proposed to set up 20 Rural Family Welfare Planning Centres and 100 Sub-Centres in Madhya Pradesh during the pear 1970-71.

बैंकिंग विभाग के सचिव का कार्यालय

2063. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग विभाग के वर्तमान सचिव यह पदग्रहण करने से पहले कहां पर कार्य कर रहे थे ; और

(ख) क्या इस महत्वपूर्ण पद के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में बैंकिंग के इन्चार्ज अधिक योग्यता प्राप्त तथा अनुभवी व्यक्तियों के दावों की उपेक्षा की गई थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बैंकिंग विभाग के वर्तमान सचिव, अपने इस पद पर नियुक्त होने से पहले, भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर थे तथा औद्योगिक वित्त के मामलों को देखते थे और इसके साथ ही वे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पदेन उपाध्यक्ष भी थे। इससे पहले वे कई वर्षों तक अर्थ विभाग में अन्य विषयों के साथ-साथ बैंकिंग, बीमा, वित्तीय निगम, पूंजी निर्गम और शेयर बाजार विषयों के कार्यभारी के रूप में संयुक्त सचिव के पद पर कार्य कर चुकने के बाद 17 मई, 1964 से 23 जनवरी, 1967 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अध्यक्ष रहे थे।

(ख) जी, नहीं।

बैंकिंग कम्पनी अधिग्रहण अधिनियम

2064. **श्री मधु लिमये** : वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 फरवरी, 1970 के "दि टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बैंकिंग विभाग के वर्तमान सचिव ने ऐसा कहां बताये हैं कि बैंकिंग कंपनी अधिग्रहण अधिनियम को इसलिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि संसद ने विधेयक के उपबन्धों में कुछ संशोधन किये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिनियम के उन उपबन्धों को जिनके अन्तर्गत पुरानी बैंकिंग कंपनियों को कारोबार करने से मना किया गया था तथा जिनको उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था, वास्तव में वर्तमान महान्यायवादी के लिखित परामर्श के विरुद्ध विधेयक में शामिल किये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी क्या राय थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने उक्त समाचार को देखा है। जैसाकि मालूम हुआ है तथ्य इस प्रकार हैं। यह समाचार 13 फ़रवरी 1970 को हुई वित्त मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक के बाद प्रेस को दिये संक्षिप्त विवरण से संबंधित है। प्रेस को विवरण देने के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उस फैसले के बारे में प्रश्न किया जाना भी स्वाभाविक ही था जो कि उसने केवल तीन दिन पहले ही बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण तथा अन्तरण) अधिनियम 1969 को अवैध ठहराते हुए दिया था। कुछ सम्वाददाताओं ने पूछा कि ऐसा किस प्रकार हुआ कि अधिनियम के कुछ उपबन्ध रद्द कर दिये गये, जबकि अध्यादेश के पाठ में कोई उपबन्ध दोषपूर्ण नहीं पाया गया था। बैंकिंग विभाग के सचिव ने बताया कि अधिनियम के दो विशेष भाग, अर्थात् (i) मुआवजे के खण्ड से सम्बन्धित भाग (रद्द किये गये अधिनियम की दूसरी अनुसूची) और (ii) सीमित दायित्व वाली कंपनियों द्वारा भविष्य में बैंक व्यापार करने पर प्रतिबन्ध [रद्द किये गये अधिनियम की धारा 15(2) (30], जो न्यायालय द्वारा शक्ति-बाह्य पाये गये हैं, इसी रूप में अध्यादेश में नहीं थे। पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि 19 जुलाई 1969 को जारी किये गये अध्यादेश और अगस्त 1969 के प्रारम्भ में संसद द्वारा पारित अधिनियम में कुछ-कुछ बातों में

अन्तर था। इनमें से कुछ बातें संसद में पेश किये गये विधेयक में थीं और कुछ वे थीं जो विधेयक पर संसद में विचार के दौरान संशोधन के रूप में शामिल कर ली गई थीं। उनके सामने उनके लिए स्पष्ट रूप से अथवा निहित रूप से भी यह कहने का कोई अवसर नहीं आया कि यदि अधिनियम, अध्यादेश की प्रतिलिपि पात्र होता तो बच जाता ; यह कहना तो दूर रहा कि "बैंकिंग कम्पनी अधिग्रहण अधिनियम को इसलिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि संसद ने विधेयक के उपबन्धों में कुछ संशोधन किये थे।

(ख) और (ग). महान्यायवादी द्वारा सरकार को दी गई सलाह गोपनीय मानी जाती है और उसे प्रकट करना जनहित में ठीक नहीं समझा जाता।

खनन कार्यों के लिए विस्फोटों की कमी के कारण कोयला उद्योग में संकट

2065. **श्री पी० पी० एस्थोस :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवश्यक खनन कार्यों में अपेक्षित विस्फोटकों की अत्यधिक कमी के कारण कोयला उद्योग को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि विस्फोटकों की कमी के कारण कई कोयला खनन एककों को काम बन्द कराना पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो कोयला उद्योग में पर्याप्त विस्फोटकों की आपूर्ति करने तथा कोयला उद्योग में खनन कार्य चलाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (घ). औद्योगिक विस्फोटकों की कमी है, जो मुख्य रूप से वर्तमान उत्पादन क्षमता की अपर्याप्तता के कारण से है। कमी की पूर्ति की दृष्टि से 1500 मैट्रिक टन विस्फोटकों का आयात करने के प्रबन्ध किये गए हैं। इसके अतिरिक्त, अमोनियम नाइट्रेट या परिपूर्ण विस्फोटकों का आयात करने हेतु सरकार द्वारा राज्य व्यापार निगम लिमिटेड को 50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि निर्मुक्त की गई है।

इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्टरी में हल्की हड़ताल (1 अगस्त 1970 से) के कारण से स्थिति बिगड़ी है। 7 अगस्त को हड़ताल अभी चल रही थी। पहली अगस्त से लेकर दो या तीन कोयला खानों से यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि विस्फोटकों की अनुपलब्धता के कारण उनका कार्य-करण प्रभावित हुआ है।

Financial Assistance to U. P. for Providing Loans to Scarcity Hit Areas

2066. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Uttar Pradesh State Government have requested the Central Government for grants and loans for providing relief to the scarcity-hit areas ;

(b) if so, the amount of the grant and loan asked for ; and

(c) the amount of the grant and loan proposed to be sanctioned by the Central Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Government of India have not received any request from the Government of U. P. for financial assistance towards relief measures in the scarcity hit areas of the State during the current financial year.

(b) and (c). Do not arise.

Seizure of Gold and other Smuggled Goods in Bombay

2068. **Shri Bharat Singh Chauhan :** **Shri Sharda Nand :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Revenue Intelligence authorities seized large quantity of gold and other smuggled goods near Napien Sagar Road, Bombay in the last week of May, 1970.

(b) if so, the total value of gold and smuggled goods seized ; and

(c) the number of persons against whom action was taken in this regard as also the nature of action taken against them and the action proposed to be taken in future to check smuggling ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). On receipt of information, the officers of the Directorate of Revenue Intelligence alongwith the officers of the Bombay Customs House kept a watch on the sea shore along the Napien Sea Road, Bombay and seized on 27-5-70 466.4 kg. of gold with foreign markings valued Rs 39.36 lakhs at international monetary rate and Rs. 88 lakhs at local market rate, 11,858 wrist watches valued Rs. 12.17 lakhs, 1,000 watch straps valued Rs. 15,000/- and two cars valued Rs. 25,000/- approx. The goods were recovered from 20 bundles and 12 packages off-loaded from two tonies.

(c) Two watchmen of the premises where the goods were off-loaded were detained and were later released for lack of evidence against them. No arrest have so far been made. Further Investigations are in progress. The following steps have been taken to prevent smuggling :—

Systematic collection and follow-up of information, keeping a watchful eye on the suspected smugglers, rummaging of suspected vessels or aircraft and patrolling of vulnerable sectors along the coast and the land frontiers. Customs Act, 1962 has been amended making additional provisions to take special measures for the purpose of checking illegal import and export of certain commodities and facilitating their detection. Senior officers of the rank of Collectors of Customs and Additional Collectors of Customs have been posted to look after anti-smuggling work exclusively. These measures are kept constantly under review.

Allottment of Government Accommodation on Medical and other Grounds

2069. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the number of those Central Government employees who were allotted Government accommodation on medical and other grounds during the last three years, despite their being not eligible for such accommodation ;

(b) the number of applications at present pending with Government for allotment of Government accommodation on medical grounds to those employees who are not otherwise eligible ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government for the allotment of Government accommodation to those employees ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) During the last three years (from 1st May, 1967 to 30th April, 1970), out-of-turn/*ad hoc* allotments on medical grounds and on other grounds have been made to 1,566 eligible Government employees even though their dates of priority were not covered on the general waiting list.

(b) Owing to the acute shortage of general pool accommodation, a ban was imposed on consideration of requests for out-of-turn allotment on medical grounds in May, 1968 and it has now been extended upto the 30th September, 1970. Nearly 1,100 applications, which were received from eligible employees immediately before the ban was, imposed, are still pending.

(c) Keeping in view the acute shortage of accommodation in the general pool in Delhi/New Delhi, a very limited percentage of vacancies have been set aside to accommodate requests on medidal grounds on *ad hoc* basis. As applications were received nearly 2½ years ago, the grounds of serious illness, etc., may not persist in several cases.

तमिलनाडु में राष्ट्रीयकृत बैंकों का कृषि-ऋण देने का कार्य

2070. **श्री झारखण्डे राय** :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :
श्री जगेश्वर यादव :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठ राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 1969-70 के दौरान तमिलनाडु के तीन जिलों में कृषि-ऋण देने के कार्य का जो सर्वेक्षण किया गया था उससे यह पता लगा है कि सभी काश्तकार और 2.5 एकड़ से कम भूमि वाले अधिकांश किसानों को कृषि-ऋण देने के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो छोटे किसानों को बैंक-ऋण की सुविधाएं देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) सर्वेक्षण की रिपोर्ट की विषय-वस्तु को राष्ट्रीयकृत बैंकों के ध्यान में लाया जा रहा है और प्रश्न में उल्लिखित सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर उनके विचार पूछे जा रहे हैं ।

बम्बई के निकट जीवन बीमा निगम द्वारा फ्लैटों का निर्माण

2071. **श्री झारखंडे राय :** **श्री इसहाक सामभली :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के 4000 फ्लैटों का निर्माण करने के लिए बम्बई के निकट 63 एकड़ का प्लाट लिया है ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों के आस-पास बस्तियों (सैटेलाइट टाउन) का निर्माण करना जीवन बीमा योजना का एक भाग है ; और

(ग) यदि हां, तो वे अन्य केन्द्र कौन से हैं जहां इस योजना को कार्यान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जीवन बीमा निगम को, बम्बई के एक उत्तरी उपनगर बोरिविली स्थित वल्लभनगर में एक भूतपूर्व बीमाकर्त्ता से एक भूखण्ड प्राप्त हुआ । बाटिकाओं और मनोरंजन के लिए स्थान छोड़ देने के बाद, आगे विकास के लिए, उपलब्ध कुल क्षेत्र लगभग 63 एकड़ है । इसमें सड़कों का निर्माण भी शामिल है । निगम इस क्षेत्र में एक बस्ती बनाना चाहता है जिसमें पूरी सेवाओं और सुविधाओं से युक्त लगभग 4000 मकानों की व्यवस्था होगी ।

(ख) जी, नहीं । लेकिन, अपने साधनों को देखते हुए, आवास-व्यवस्था में यथासंभव अधिक से अधिक योगदान देने के लिए निगम भरसक कोशिश करता है ।

(ग) फिलहाल निगम, कलकत्ता में साल्ट लेक प्रदेश में लगभग 200 एकड़ भूमि को खरीदने और उसका विकास करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है । इसके अतिरिक्त, शहर में स्थित पश्चिम बंगाल के आवास बोर्ड की मालिकी के कुछ भूखण्डों को विकसित करने संबंधी, पश्चिम बंगाल सरकार के एक प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है ।

जल-मल निकास नालियां बिछाने के लिए ऋण की सुविधाओं के बारे में जीवन-बीमा निगम द्वारा की गई पेशकश

2072. **श्री झारखंडे राय :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री वासुदेवन नायर : **डा० रानेन सेन :**
श्री घीरेश्वर कलिता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने जल-मल निकास नालियां बिछाने के लिए ऋण की सुविधायें देने के बारे में निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). जी, हां। जीवन बीमा निगम पिछले लगभग नौ वर्षों से नगर पालिकाओं को उनकी जलपूर्ति तथा मल व्यवस्था की योजनाओं के निमित्त आर्थिक सहायता देता आ रहा है। वर्तमान में जिन शर्तों और उपबन्धों पर यह सहायता दी जाती है, वे निम्नानुसार हैं :

(i) ब्याज की दर $6\frac{3}{4}$ प्रतिशत वार्षिक है जिसकी अदायगी छः छः महीने बाद की जानी होती है।

(ii) ये ऋण 20 वर्षों की अवधि में समान वार्षिक किश्तों में वापिस किये जा सकते हैं।

(iii) ऐसे ऋणों के संबंध में, ब्याज की अदायगी तथा मूलधन की वापसी की गारंटी राज्य सरकार द्वारा दी जानी आवश्यक है।

(iv) जीवन बीमा निगम द्वारा दिये जाने वाले ऋण योजना की लागत के 2/3 से अधिक नहीं होंगे और शेष रकम नगरपालिका के आन्तरिक साधनों से अथवा राज्य सरकार द्वारा पूरी की जायेगी।

(v) योजना के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक है।

विदेशी तेल कम्पनियों के साथ तेल शोधक करारों का पुनरीक्षण

2073. **श्री हेम बरुआ :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार तीन विदेशी तेल कंपनियों के साथ तेल शोधक करारों का पुनरीक्षण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पुनरीक्षण किये जाने वाले करारों की मुख्य बातें क्या हैं और क्या प्रस्ताव शाह समिति की सिफारिशों पर आधारित है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). तेल कंपनियों के साथ इस विषय पर बातचीत हो रही है और ब्यौरों का बताना समय पूर्व है। सरकार शाह समिति की टिप्पणियों को निश्चय रूप से विचार में रखेगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कम दरों पर गरीब लोगों को वित्तीय सहायता दिया जाना

2074. **श्री हेम बरुआ :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल : **श्री जे० एच० पटेल :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने समाज के गरीब लोगों को कम दरों पर वित्तीय सहायता देने के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो संबंधित निर्देशों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है तथा इन लोगों को कितना धन दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). इस प्रकार के कोई अनुदेश जारी नहीं किये गये हैं। किन्तु सिद्धांततः यह बात स्वीकार कर ली गई है कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों से कम दरों पर ब्याज लिया जाय। इस संबंध में शीघ्र ही एक कार्यकारी दल, स्थापित किया जाने वाला है, जो विस्तृत ब्यौरा तैयार करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के आंकड़े कृषि, लघु उद्योग, परिवहन चालक आत्मनियोजित व्यक्ति तथा व्यावसायिक व्यक्ति और छोटे व्यापारी, नामक शीर्षकों के अन्तर्गत रखे जाते हैं, ऋण-कर्ताओं की आर्थिक स्थिति के अनुसार नहीं। अतः समाज से अपेक्षाकृत गरीब वर्गों के लोगों को दिये जाने वाले ऋणों के आँकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है।

पश्चिम बंगाल के संकटग्रस्त और बंद पड़े उद्योग तथा वाणिज्यिक एककों को वित्तीय सहायता देना

2075. **श्री गणेश घोष :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने पश्चिम बंगाल के बन्द पड़े अथवा संकटग्रस्त औद्योगिक और वाणिज्यिक एककों को वित्तीय सहायता देने के लिए कोई योजना तयार की है और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने, पश्चिम बंगाल की अर्थ-व्यवस्था को फिर से सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में, पश्चिम बंगाल सरकार, उद्योगपतियों और बैंकरों के प्रतिनिधियों के साथ कलकत्ता में जुलाई 1970 के तीसरे सप्ताह में विचार-विमर्श किया था। यह मान लिया गया था कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जो रिजर्व बैंक, से सम्बद्ध संस्था है, कलकत्ता राज्य परिवहन निगम द्वारा बसों के ढांचों तथा पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा उपकरणों की खरीद के लिए फिर से भुजाने की सीमाओं में वृद्धि करेगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र की कुछ प्रायोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार करना भी मान लिया है बशर्ते कि उसे उन प्रायोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में तसल्ली हो।

जहां तक पश्चिम बंगाल के बन्द तथा रोगी एककों का संबंध है, वाणिज्यिक बैंक, पश्चिम बंगाल राज्य वित्तीय निगम तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, सहायता के प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे किन्तु, सहायता की मंजूरी प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर दी जायगी। बैंकरों को उन बन्द तथा रोगी एककों की यह सक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, भारतीय विकास बैंक के प्रादेशिक कार्यालय के तकनीकी और वित्तीय अधिकारियों की सहायता उपलब्ध होगी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने,

हाल में, भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गर्वनर की, जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के उपाध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्षता में एक प्रादेशिक समिति भी बनाई है। यह समिति कलकत्ता के क्षेत्रीय कार्यालय को परामर्श देगी और पूर्वी क्षेत्र से प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों के संबंध में सहायता की मंजूरी देने के बारे में निर्णय करेगी।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा विदेशों को भेजी गयी रकमें

2076. **श्री गणेश घोष :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा विदेशों को जो कुल रकम भेजी गई थी, उसमें लाभ, लाभांश, तकनीकी शुल्क तथा ब्याज (रुपयों में) कितना-कितना है ; और

(ख) उक्त अवधि में पेट्रोलियम उद्योग में विदेशों गैर-सरकारी खाते में कितना नकद धन आया ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : गत तीन वर्षों में विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा विदेशों को जो कुल रकमभेजी गई थी, उसमें लाभ, लाभांश, तकनीकी तथा इंजीनियरिंग शुल्क का अंश निम्न प्रकार था :—

(लाख रुपयों में)

	लाभ/लाभांश			इन्जीनियरी तथा तकनीकी शुल्क		
	1967	1968	1969	1967	1968	1969
वर्मा शैल (मार्किटिंग)	87.67	84.47	138.93	—	—	—
वर्मा शैल (रिफाइनिंग)	509.55	456.70	450.60	15.26	13.53	10.17
एस्सो (मार्किटिंग)	124.74	—	—	10.95	—	—
एस्सो (रिफाइनिंग)	—	—	—	—	—	—
कालटैक्स (मार्किटिंग)	—	—	—	0.06	0.11	0.44
कालटैक्स(रिफाइनिंग)	33.97	—	101.92	4.25	7.47	11.44

उन्होंने इन वर्षों के दौरान ब्याज के खाते की कोई रकम नहीं भेजी।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय भूतत्वीय, सर्वेक्षण कलकत्ता में हड़ताल

2077. श्री गणेश घोष :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि कलकत्ता स्थित भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण के कर्मचारी गत दो सप्ताह से "नियम के अनुसार काम करो" हड़ताल पर है ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण के महा-निदेशक ने 42 हड़ताली कर्मचारियों को बिना जांच किये तथा उन्हें कोई आरोप-पत्र दिये बिना निलम्बित कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री(श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : कलकत्ता के भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के कर्मचारियों का एक छोटा सा वर्ग, जो भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था यूनियन नामक एक अमान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियन से संबंधित बताया जाता है और जो नियमानुसार-कार्य हड़ताल से तात्पर्यित है, 11 जून, 1970 से 18 जुलाई, 1970 तक कार्य से वस्तुत: अनुपस्थित हुआ ।

(ख) मांगें निम्न प्रकार से हैं :—

(1)—ड्राइवरों को मई 1970 तक मानदेय का तत्काल संदाय ।

(2)—कलकत्ता में एक ही इमारत में के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में एक टेलीफोन आपरेटर के स्थानान्तरण आदेशों का निस्सन ।

(3)—भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था कर्मचारी यूनियन के किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही रोकने की घोषणा ।

(4)—एक सहायक एवं एक अन्य भंडारी (तकनीकी) की कलकत्ता से भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के बाहर के शहर के कार्यालयों में स्थानान्तरण आदेश का निरसन ।

(5)—नक्शानवीस श्रेणी तक (150-240 रुपये) काउर का अन्त: क्षेत्रीय स्थानान्तरण से अपवर्जन ।

(ग) 44 कर्मचारियों को निलम्बित करना पड़ा था । दोषारोपण-पत्रों से अनुवर्तित यथोचित हेतुक दर्शित करे । सूचना के उपरान्त ही ऐसा किया गया था । हड़ताली कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की और अपराधिक बाधा, आभित्रास और अनुशासन के तीव्र कृत्यों सहित अवैध कार्यवाइयों में अनुरक्त हुए ।

(ङ) किये गए एक समझौते के आधार पर हड़ताल समाप्त कर दी गई है। हड़ताली कर्मचारियों ने अपनी कार्यवाइयों के लिये पश्चाताप अभिव्यक्त किया है और कार्य पुनः आरम्भ कर दिया है। परिणामतः महानिदेशक, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने निलम्बन आदेशों का प्रत्याहरण कर लिया है। सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा औद्योगिक समूहों को दिया गया ऋण

2078. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्री इन्द्रजीत सिंह : **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों ने राष्ट्रीयकरण से पूर्व एकाधिकार जांच आयोग के प्रतिवेदन में उल्लिखित 75 औद्योगिक समूहों में से किसी को ऋण दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उन औद्योगिक समूहों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऋण लिया था और राष्ट्रीकरण के समय उनको कितना ऋण चुकाना था ; और

(ग) राष्ट्रीयकरण के उपरान्त इन बैंकों द्वारा इन औद्योगिक समूहों को कुल कितना ऋण दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित 75 औद्योगिक समूहों में से 71 समूहों के नाम 18 जुलाई 1969 को, कुल 440.28 करोड़ रुपये की रकमें बकाया थीं। अलग-अलग औद्योगिक समूहों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) उपर्युक्त 71 व्यापारिक समूहों के नाम 31 दिसम्बर 1969 को अग्रिम की कुल बकाया रकम 438.08 करोड रुपये थी।

झण्डेवालान (दिल्ली) में नगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग के वर्कशाप का कार्य

2079. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री इसहाक सम्भली :**
श्री रामावतार शास्त्री : **डा० रानेन सेन :**
। जनार्दनन :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झण्डेवालान, दिल्ली स्थित नगरपालिका स्वास्थ्य विभाग का वर्कशाप भली प्रकार काम नहीं कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस वर्कशाप के कार्य को ठीक प्रकार से चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू०)मूर्ति : (क) से (ग). कर्मचारियों की कुछ समस्याओं के कारण वर्कशाप का कार्य धीमा पड़ गया था। अब वर्कशाप के कार्यों को विकेन्द्रित कर दिया गया है और वर्कशाप के कर्मचारियों को विभिन्न जोनों में स्थापित वर्कशापों में लगा दिया गया है। गाड़ियों की मरम्मत और रख-रखाव का कार्य जोनल वर्कशापों में, जोकि जोनल सहायक आयुक्त के अधीन कार्य करती हैं, किया जाता है। झण्डेवालान वर्कशाप में केवल मोटर इंजिनों के ओवरहाल का कार्य किया जाता है।

जिला अस्पतालों में बच्चों के वार्डों की स्थापना

2081. **श्री वासुदेवन नायर :** **डा० रानेन सेन :**
श्री लताफत अली खां : **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी जिला अस्पतालों में बच्चों के वार्ड स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव की अनुमानित लागत कितनी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री व० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अभी इसका ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा भारत तथा विदेशों में उर्वरक कारखाने स्थापित करने की योजना

2082. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री जगेश्वर यादव :**
श्री जनार्दनन : **डा० रानेन सेन :**
श्री अदिचन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या भारतीय उर्वरक निगम के समक्ष भारत तथा विदेशों में स्वयं उर्वरक कारखानों की स्थापना करने की कोई योजना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : भारत में भारतीय उर्वरक निगम के निम्नलिखित उर्वरक संयंत्र निर्माणाधीन हैं :

(1) दुर्गापुर
(2) बरौनी
(3) नामरूप विस्तार
(4) सिन्दरी रेशनलाइजेशन

रामगुण्डम, तालचर, ट्राम्बे विस्तार और कोरबा में उर्वरक परियोजनाएं क्रियान्विति के लिए अनुमोदित कर दी गई है और पहली तीन परियोजनाओं में काम शुरू कर दिया गया है। नंगल उर्वरक कारखाने में विस्तार करने और हल्दिया में एक नया उर्वरक कारखाना स्थापित करने के भी प्रस्ताव हैं जिनकी क्रियान्वति निगम द्वारा की जानी हैं। निगम से पारादीप में उर्वरक परियोजना के लिए सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। भारतीय उर्वरक निगम ने श्रीलंका में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की भी पेशकश की है। यह सभी संयंत्र निगम के अपने रूपांकन, इंजीनियरी जानकारी, जो विदेशों की उपांतिक जानकारी से अनुपूरक है, पर आधारित है।

जीवन बीमा निगम की विनियोजन संबंधी नीतियों में बड़ा परिवर्तन करना

2083. **श्री इसहाक सम्भली :** **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री वासुदेवन नायर : **डा० रानेन सेन :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम विनियोजन सम्बन्धी अपनी नीतियों में बड़ा परिवर्तन करने जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). हाल ही में, जीवन बीमा निगम ने एक निवेश पुनरीक्षण समिति (इन्वेस्टमेंट रिव्यू कमिटी) का गठन किया है। निवेश सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने के प्रश्न पर तब विचार किया जायेगा जब इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी और उस पर सरकार तथा जीवन बीमा निगम द्वारा विचार कर लिया जायेगा।

कोयाली पेट्रोरसायन संयंत्र के अनुप्रवाह एककों की स्थापना में विलम्ब

2084. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री जनार्दनन : **श्री चंद्र शेखर सिंह :**
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन गैर-सरकारी निकायों को कोयाली पेट्रो-रसायन संयंत्र के अनुप्रवाह एककों की स्थापना करने के लिए लाइसेंस अथवा आशय पत्र दिये गये थे उन्होंने इन एककों की स्थापना में कोई सन्तोषजनक प्रगति नहीं की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रमुख अनुप्रवाह एककों सहित सारे संयंत्र को भारतीय पेट्रो-रसायन निगम को सौंपने का है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह): (क) जी नहीं। इस समय एरोमैटिक परियोजना के अनुप्रवाही एककों की प्रगति संतोषजनक है। पोलिस्टर फिल्म के निर्माण के एक योजना में केवल पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है और सरकार परियोजना के कार्यान्वियन को बढ़ाने के उपायों पर विचार कर रही है। नेफ्था भंजक के सम्बन्ध में सरकार ने तीन अनुप्रवाही एककों की प्राइवेट क्षेत्र में स्थापना की मंजूरी दी थी। इनमें से दो में उतनी सन्तोषजनक प्रगति नहीं हुई जितनी सरकार चाहती थी क्योंकि सम्बद्ध उद्यम-कर्त्ताओं ने अन्तिम चरण में अपनी मूल योजनाओं में कई परिवर्तनों का सुझाव दिया है ; जिनके पुनरीक्षण की आवश्यकता है।

(ख) समन्वयकृत कार्यान्वियन को सुनिश्चित करने के लिए, गुजरात में सम्पूर्ण पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की कार्यान्विति के कार्यक्रम का नियत रूप से पुनरीक्षण किया जा रहा है। सरकार ने ऐसे पेट्रो-रसायन अनुप्रवाही एककों के लिए, जिनमें गैर-सरकारी क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा कार्यान्वियन की प्रगति के धीमी होने की सम्भावना है ; एक आकस्मिक योजना तैयार की है।

उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों की मांगें

2085. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

श्री दिनकर देसाई :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय उत्पान-शुल्क अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ कर्मचारियों की मांगों के बारे में बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) कर्मचारियों द्वारा की गई मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में कार्यालयी कर्मचारियों की अनेक यूनियनें हैं, जिनमें अखिल भारतीय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा भू-सीमा शुल्क (अराजपत्रित) कार्यालयी अधिकारी फेडरेशन भी शामिल है। फेडरेशन ने, कार्यालयी कर्मचारियों की भागों के सम्बन्ध में 16-6-1970 को वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री से और 19-6-1970 को वित्त सचिव से भेंट की।

(ख) तथा (ग). मुख्य मांगें ये थीं :

(i) निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों का दर्जा बढ़ाकर उच्च श्रेणी लिपिक का दर्जा किया जाना और प्रधान लिपिकों के पदों का दर्जा बढ़ाकर उप कार्यालय अधीक्षक के पदों में बदलना ;

(ii) उच्च श्रेणी लिपिकों के संवर्ग में सेलेक्शन ग्रेड चालू करना ;

(iii) कार्यालय अधीक्षकों के और अधिक पदों का निर्माण करना ;

(iv) सहायक मुख्य लेखा अधिकारी के और अधिक पदों का निर्माण करना ; और

(v) सभी ग्रडों में वर्तमान रिक्त स्थानों को भरना।

(घ) फेडरेशन की उपर्युक्त मुख्य मांगों पर की गई कार्यवाही नीचे दिये अनुसार है :

(i) सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन मुल्क विभाग में निम्न श्रेणी लिपिकों के 160 पदों का दर्जा एतदर्थ आधार पर बढ़ाकर उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों में बदल दिया है। और अधिक पदों का दर्जा बढ़ाने के प्रश्न की जांच, कर्मचारी निरीक्षक एकक द्वारा किये जाने वाले विस्तृत अध्ययन के आधार पर की जायेगी।

इसी प्रकार, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के विभिन्न समाहर्ता-कार्यालयों में प्रधान लिपिकों के 90 पदों का दर्जा बढ़ाकर उप-कार्यालय अधीक्षकों के पदों में बदल दिया गया है। प्रधान लिपिकों के और अधिक पदों का दर्जा बढ़ाने के प्रश्न की जांच भी कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा की जानी है।

(ii) उच्च श्रेणी लिपिकों के संवर्ग में सेलेक्शन ग्रेड चालू करने के प्रश्न की विस्तृत जांच करने के लिए विभागीय परिषद की एक उप समिति को पहले ही भेज दिया गया है। उक्त उप-समिति में सरकार और कर्मचारी दोनों के प्रतिनिधि हैं। उप-समिति ने इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(iii) सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में कार्यालय अधीक्षकों के छः पद मंजूर किये हैं।

(iv) यह अब तक किया जा चुका है। सहायक मुख्य लेखा अधिकारियों के आठ (8) अतिरिक्त पदों की अब तक मंजूरी दी जा चुकी है।

(v) सरकार ने यह आदेश पहले ही जारी कर दिये हैं कि कार्यालयी संवर्ग में वर्तमान सभी रिक्त स्थानों में से मितव्ययिता कटौती के 3 प्रतिशत पदों को छोड़कर शेष पदों को भर दिया जाय।

जापान में अन्तर्राष्ट्रीय डाक संघ की बैठक में शामिल होने के लिए गये सरकारी प्रतिनिधि-मण्डल के सामान की तलाशी

2086. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वित्त मंत्री 20 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6686 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान में अन्तर्राष्ट्रीय डाक संघ की बैठक में भाग लेने गए हमारे सरकारी प्रतिनिधि-मंडल के सामान की तलाशी के सम्बन्ध में दिल्ली के सीमा-शुल्क अधिकारियों से उनके मंत्रालय को प्राप्त रिपोर्ट, और केन्द्रीय जांच ब्यूरो से गृह-कार्य मन्त्री को प्राप्त रिपोर्ट तथा सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री को प्राप्त पत्रों की प्रतिलिपियां सभा पटल पर रखी जायेंगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). इन आंतरिक विभागीय पत्रों को गोपनीय माना जाता है। इसलिए इन कागजों को सदन-पटल पर रखना सम्भव नही होगा।

"प्रूफ सैट" सिक्के

2087. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में बम्बई स्थित भारत सरकार की टकसाल द्वारा तैयार किये गये "प्रूफ सैट" सिक्कों की संख्या तथा उनका अन्य विवरण क्या है ;

(ख) इन सिक्कों की कुल निर्माण लागत कितनी है ;

(ग) निर्मित सिक्कों का कुल मूल्य कितना है ;

(घ) प्रूफ सिक्कों के अब तक कितने सैट बिक चुके हैं ; और

(ङ) इन "प्रूफ सैटों" के विक्रय से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क)

एक रुपया और 50 पैसे के नेहरू सिक्के		22 सैट
आई० जी० प्रूफ सैट	1950, 1954, 1960, 1961 और 1962	9 सैट

(ख) लगभग 650 रुपये।

(ग) 50 रुपये 47 पैसे।

(घ) सभी 31 सैट बिक चुके हैं।

(ङ) 1476 रुपये 50 पैसे

लार्सन एण्ड टुब्रो कम्पनी के प्रशासन को अपने हाथ में लेना

2088. **श्री के० एम० अब्राहम** : **श्री उमानाथ** :
श्री के० अनिरुद्धन : **श्री ज्योतिर्मय बसु** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम तथा अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं के यद्यपि विदेशियों द्वारा नियंत्रित लार्सन एण्ड टुब्रो कंपनी में काफी अधिक शेयर थे, कंपनी के प्रशासन में कोई भाग नहीं लिया था और इसके कारण उस कंपनी का नियंत्रण तीन विदेशी व्यक्तियों के हाथों में रहा ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि जीवन बीमा निगम तथा अन्य सरकारी संस्थाओं का उपयोग भारतीय एकाधिकार के लिए ही नहीं बल्कि विदेशी एकाधिकार की वृद्धि के लिए भी किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड की सामान्य शेयर पूंजी में जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट का क्रमशः 17.9 प्रतिशत और 2.4 प्रतिशत हिस्सा है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक वित्त निगम ने कंपनी में कोई पूंजी नहीं लगाई है। कंपनी के अधिकांश सामान्य शेयर भारतीय राष्ट्रिकों के पास हैं। गैर-निवासी शेयर होल्डरों और निवासी विदेशियों के पास क्रमशः 0.82 प्रतिशत और 3.17 प्रतिशत शेयर हैं। इसके अलावा कंपनी के निदेशक बोर्ड में भारतीय निदेशकों का बहुमत है। कंपनी के निदेशक बोर्ड के 10 निदेशकों में से 6 निदेशक भारतीय राष्ट्रिक है और 4 निदेशक विदेशी हैं। कंपनी के 4 पूर्णकालिक निदेशक हैं जिनमें से 3 विदेशी हैं और 1 भारतीय। किन्तु ये पूर्णकालिक निदेशक समग्र रूप से निदेशक बोर्ड की देख-रेख और नियंत्रण में काम करते हैं।

जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट का न अभी तक कंपनी के प्रबन्ध में कोई हाथ नहीं है। ऐसा कुछ तो इस कारण है कि उनके पास अभी इतने अधिक शेयर नहीं हैं जिनके आधार पर उनके द्वारा नामजद व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का निर्वाचन निश्चित हो और कुछ इस कारण कि अभी कुछ समय पहले तक इस प्रकार की संस्थाओं से इस प्रकार के प्रबन्ध में भाग लेने की अपेक्षा नहीं की जाती थी। किन्तु उन्होंने, बड़ी मात्रा में कंपनी के शेयरों के धारक के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग कंपनी के कार्यों पर कड़ी नजर रखने और शेयर होल्डरों के हितों की रक्षा करने के लिए किया है। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष, जब कंपनी के प्रबन्ध अभिकरण के समाप्त होने के बाद कंपनी पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करना चाहती थी, तब तीन विदेशी निदेशकों की परिलब्धियां, कंपनी द्वारा सोचे हुए स्तर से निचले स्तर पर कराने में नियत जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट का बड़ा हाथ था।

(घ) और (ङ). औद्योगिक लाइसेंस नीति विषयक जांच समिति ने इस प्रश्न की विस्तार पूर्वक जांच की हैं और सरकार ने समिति को सिफारिशों पर विभिन्न निर्णय लिये हैं। सरकारी वित्तीय संस्थायें भविष्य में इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेंगी।

उदार ऋण योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों को मिले ऋण संबंधी प्रार्थना-पत्र

2089. **श्री शिव चरण लाल** : **श्री राम चरण** :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री शिव कुमार शास्त्री** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक राष्ट्रीयकरण के पश्चात राष्ट्रीयकृत बैंकों को उदार ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए कुल कितने प्रार्थना पत्र मिले हैं तथा कुल कितने राशि के ऋण के प्रार्थना पत्र आये हैं ;

(ख) कितने प्रार्थना पत्रों को रद्द किया गया है तथा उनमें कुल कितने ऋण की मांग की गई थी ;

(ग) कितने प्रार्थना पत्रों पर ऋण दिया गया है तथा कुल कितना ऋण दिया गया है ;

(घ) कितने प्रार्थना पत्रों पर अभी विचार है ; और

(ङ) क्या सरकार को पता है कि ऋण मंजूर करनें वाली व्यवस्था में हर स्थान पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है ; और यदि हां, इसको समाप्त करने लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). बैंकों में जितनी सूचना उपलब्ध हो सकती है वह इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ङ) राष्ट्रीयकृत बैंकों में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार को मिली हैं । रिजर्व बैंक अथवा सम्बद्ध बैंक इन शिकायतों के बारे में जांच करते हैं और जिन मामलों में भ्रष्टाचार सिद्ध हो जाता है, उनमें कार्रवाई करते हैं । सरकारी क्षेत्र के बैंकों की समन्वय समिति ने 13 जून 1970 को अपनी बैठक में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक में एक सतर्कता-कक्ष स्थापित करने का निर्णय किया था और राष्ट्रीयकृत बैंक इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठा रहे हैं ।

Homoeopathic Dispensaries in South Avenue, New Delhi

2090. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Chandrika Prasad :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 40 Members of Parliament has requested in a joint letter addressed to him sometime back that a Homoeopathic Dispensary should be opened in the South Avenue and the Central Secretariat, New Delhi under the C. G. H. S. Scheme on the pattern of the Allopathic dispensaries ;

(b) if so, the action taken by Government thereon ;

(c) the time by which Government propose to open Homoeopathic dispensaries at the aforesaid places ; and

(d) if not, the reasons therefor, especially when the majority of the beneficiaries prefer homoeopathic treatment ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). There is no provision in the sanctioned budget grant for Central Government Health Scheme for the year 1970-71 for opening of new dispensaries. However, the possibility of setting up of a small Homoeopathic Unit in the existing dispensaries at South Avenue or at North Block or in suitable separate accommodation, if available, is being explored.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

2091. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत 14 बैंकों द्वारा अब तक कितना ऋण दिया गया है तथा कितने व्यक्तियों को 1,000 रुपये या इससे कम राशि का ऋण दिया गया है ;

(ख) ऋण दिये जाने की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या जिनके पास कोई जमानत नहीं है उन व्यक्तियों को भी ऋण दिया जाता है ; और यदि हां, तो इस ऋण को वसूल करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ; और

(घ) क्या संपूर्ण देश में इन 14 बैंकों द्वारा समान दर से ब्याज लिया जाता है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 17 जुलाई, 1970 की स्थिति के अनुसार 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की रकम लगभग 22.2 करोड़ रुपये थी। जिन व्यक्तियों को 1,000 रुपये या इससे कम राशि के ऋण दिये गये हैं उनकी संख्या उपलब्ध नहीं है। चूंकि इन बैंकों की शाखाओं की संख्या बहुत अधिक है और ये सारे देश में फैली हुई हैं, इसलिए इस प्रकार की सूचना को इकट्ठा करने में इतना परिश्रम और समय लगेगा कि वह उससे निकलने वाले फल के अनुरूप नहीं होगा। फिर भी, किसान लघु उद्योग, सड़क परिवहन चालक, खुदरा व्यापारी, आत्म नियोजित व्यक्ति आदि अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों के उधारकर्त्ताओं के खातों की संख्या मई 1970 5,38,644 थीं।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंक आमतौर पर उत्पादन प्रयोजनों के लिए ऋण मंजूर करते हैं। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों की शर्तों का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3906/70**]

(ग) वे जमानती ऋण, प्रस्तावों के गुणावगुणों के आधार पर दिये जाते हैं। बैंक उधार लेने वालों की साख के बारे में अपने आप को सन्तुष्ट कर लेते हैं और यह भी सुनिश्चित कर लेते हैं कि उनकी आवश्यकताएं वास्तविक है और वे देय रकमों की वापसी निश्चित समय पर कर सकने की स्थिति में है। बैंक तगादे और अन्य अनुवर्ती उपायों के द्वारा रकम वसूली की सुनिश्चित व्यवस्था कर लेते हैं।

(घ) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ब्याज वसूल किये जाने की दरें समान नहीं हैं। यहां तक कि एक ही बैंक में, प्रयोजन को देखते हुए भिन्न-भिन्न दरों पर ब्याज लिया जाता है। बैंक दर, बैंक द्वारा प्राप्त साधनों पर ब्याज की औसत दर, इस प्रायोजना का स्वरूप जिसके लिए ऋण दिया गया है, उसकी लाभकारिता, दी जाने वाली रकम के डूब जाने की जोखिम की संभावना, प्रस्तावित जमानत का मूल्य आदि बातों को ध्यान में रखकर ब्याज की दर नियत की जाती है। अमतौर पर, ब्याज की दर बैंक दर से 4 से 4½ प्रतिशत तक अधिक होती है।

राज्यों को विशेष सहायता

2092. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री उमानाथ :**
श्री सी० के० चक्रपाणि : **श्री प० गोपालन :**
श्री के० रमानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने उन्हें राज्यों को विशेष सहायता मिलने वाले राज्यों की सूची में सम्मिलित न करने के लिए विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने इस बात का विरोध किया है तथा किस प्रकार का विरोध किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). बिहार, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने यह विचार प्रकट किया है कि योजना आयोग द्वारा कुछ राज्यों के लिए विशेष सहायता की जो सिफारिश की गई है वह, चयनात्मक आधार पर, केवल उन्हीं राज्यों को न दी जाय जिनके साधन कम हों बल्कि यह रकम सभी राज्यों के बीच समान रूप से बांटी जानी चाहिए ।

ऋणों के रूप में विशेष सहायता केवल ऐसे राज्यों को दी जानी है जिनके साधन योजना आयोग के अनुमान के अनुसार, अनिवार्य रूप से कम हों। ऐसी सूरत में, जिन राज्यों के साधनों में ऐसी कमियां होने की सम्भावना नहीं हैं, वे राज्य, विशेष सहायता के पात्र नहीं होंगे और ऐसी सहायता को समान आधार पर बांटने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कन्ननूर में इंडियन बैंक के भूतपूर्व एजेंट द्वारा दिया गया ऋण

2094. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऋण सुविधाओं की उदारता का लाभ उठाकर कन्ननूर के इण्डियन बैंक के भूतपूर्व एजेंट ने कल्पित व्यक्तियों को कई लाख रुपयों का ऋण दिया था ;

(ख) यदि हां, तो एजेंट का नाम क्या है तथा यह धनराशि कितनी है ; और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के क्या परिणाम निकले हैं तथा भूतपूर्व एजेंट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). यह सूचना मिलने पर कि इण्डियन बैंक, कन्ननूर के एजेन्ट ने, अन्य लोगों के साथ मिलकर एक षड़यंत्र के अन्तर्गत, बहुत से व्यक्तियों को आवेदन-पत्र देने के लिए प्रेरित किया है और उनसे कुछ आर्थिक लाभ ले कर सितम्बर 1969 और मार्च 1970 के दौरान उन्हें ऋण मंजूर किये हैं, केन्द्रीय जांच कार्यालय ने इंडियन बैंक की कन्ननूर शाखा के एजेन्ट, श्री पी० एस० एवलप्पन और तीन अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। केन्द्रीय जांच कार्यालय नकली व्यक्तियों को मंजूर किये गये ऋणों की कुल रकम के बारे में जांच कर रहा है। चूंकि केन्द्रीय जांच कार्यालय अभी मामले की जांच कर रहा है इसलिए बैंक, एजेन्ट के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के बारे में, जांच-परिणाम का पता लगने के बाद ही, विचार करेगा ।

दिल्ली में गृह निर्माण सहकारी समितियों के लिए प्लाट

2095. **डा० राम सुभग सिंह : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की गृह निर्माण संबंधी विभिन्न सरकारी समितियों के प्लाटों के आवंटन में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों में संसद-सदस्य तथा अन्य व्यक्ति सम्मिलित हैं उनको क्या प्राथमिकता दी जाती है ; और

(ग) प्लाटों के आवंटन में देरी किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जिन ग्रूप I, II और III की 26 समितियों को भूमि आवंटित की गई थीं, उन्होंने प्लाटों को पूर्णतया विकसित करके, अपने सदस्यों को दे दिया है। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भी 16 छोटी समितियों को विभिन्न बस्तियों में विकसित प्लाटों का आवंटन किया गया है। ग्रूप IV की 24 समितियों को भूमि का वास्तविक कब्जा उसका विकास करने और अपने सदस्यों को आवंटन करने के लिए दे दिया है।

(ख) तारा कोपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी जो संसद के सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों की सोसाइटी है, जो शाहदरा क्षेत्र में भूमि की पेशकश की गई थी, किन्तु उसने उसे स्वीकार नहीं किया था, न ही उसने भूमि की प्रीमियम जमा की। अतः इस सोसाइटी की कोई प्राथमिकता निश्चित नहीं की गई है।

(ग) सामान्यता भूमि के विकास के लिए समितियों को तीन वर्ष की अवधि की अनुमति दी जाती है। क्षेत्रीय विकास प्लानों की अन्तिम रूप देने में देरी, भूमि उपयोग में परिवर्तन, ले-आउट प्लान के अनुमोदन, कतिपय आवंटित स्थानों आदि के अर्जन के विरुद्ध रोकादेश जैसे किन्हीं विभिन्न कारणों से कभी-कभी समय का बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। इन कारणों से समितियों के सदस्यों को विकसित प्लाटों का आवंटन करने में देर हो जाती है।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा दिल्ली में अस्पतालों के कार्य का अध्ययन

2096. **श्री क० प्र० सिंह देव : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की ओर से भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा दिल्ली के कुछ अस्पतालों का हाल ही में अध्ययन किया गया था।

(ख) क्या यह भी सच है कि इन अस्पतालों के कार्य के अध्ययन से कर्मचारियों, सर्जनों और नर्सों के स्वास्थ्य के बारे में चिंताजनक-स्थिति का पता लगा है तथा यह सुझाव दिया गया है कि स्वास्थ्य की खराबी के कारणों की जांच की जाय ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हाँ। दो अस्पतालों, नामतः इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज और अस्पताल, नई दिल्ली का अध्ययन किया गया।

(ख) और (ग). 'नागरिक और अस्पताल प्रशासन' विधेयक अध्ययन रिपोर्ट मुख्यतः इर्विन अस्पताल के कर्मचारियों (स्वास्थ्य) के बारे में किया गया एक अध्ययन है। इसमें कर्मचारियों अर्थात् डाक्टरों, हाउस सर्जनों और नर्सों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का उल्लेख है और उनमें सुधार करने के उपाय भी इसमें सुझाए गये हैं। अध्ययन रिपोर्ट में दिये गये सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

निवेली निगनाइट कारपोरेशन द्वारा उठाई गई हानि

2097. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेली लिगनाइट कारपोरेशन घाटे पर चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो निगम ने आरम्भ से लेकर अब तक कुल कितनी हानि उठाई है ; और

(ग) इसे लाभदायक उद्यम बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और वर्तमान कार्यक्रम के अन्तर्गत इस निगम द्वारा अब तक उठाई गई हानि को कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). निगम को अपने प्रारम्भ से ही हानि होती आ रही है और 1969-70 तक सचित हानि का अनुमान 25.96 करोड़ रु० है।

(ग) निगम की लाभप्रदता को उत्कृष्ट बनाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) निगम की उत्पादिता को संबर्धन करने की दृष्टि से, लगभग 40 लाख मैट्रिक टन वर्तमान वार्षिक कच्चे निगनाइट के उत्पादन को 60 लाख मैट्रिक टन वार्षिक तक वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त खनन क्षमता की स्थापना की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप बिजली एवं लेकों का संवर्धित उत्पादन सम्भव होगा। आशा की जाती है कि यह अतिरिक्त मशीनरी 1971-72 वर्ष के समाप्त होने के पूर्व ही स्थापित हो जायेगी।

(2) सांक्रियागत एवं प्राक्रियागत कठिनाइयों के कारण उर्वरक संयंत्र, क्षमता से कम काम करते आ रहा है। सरकार द्वारा नियुक्त अध्ययन दल द्वारा उर्वरक संयंत्र के कार्यकरण को विस्तृत रूप में पुनर्विलोकित किया गया था और केवल एक सिफारिश को छोड़कर, अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया

है। बेन्जेन अधिशोषणक की स्थापना ही केवल एक अवशिष्ट मद है, जिसके शीघ्र ही स्थापित किये जाने की आशा है। यह आशा की जाती है कि उर्वरक संयत्र का उत्पादन विशिष्टत: 1971-72 से बढ़ जायेगा।

आशा की जाती है कि खनन को सम्मिलित कर सभी उत्पादन एकक 1972-73 में बिना लाभ-हानि के स्तर से ऊपर कार्य करेंगे और ऐसा पूर्वानुमान है कि 1977-78 तक 26 करोड़ रुपये की संचित हानि की पूर्ति हो जायेगी।

नेफ्था की कमी के कारण मद्रास में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने में कठिनाई

2098. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में स्थापित किये जा रहे पेट्रो-रसायन उद्योग समूह पर नेफ्था की कमी से विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 11 जुलाई, 1970 के 'इकनामिक टाइम्स' में प्रकाशित इस सामग्री को उपलब्धता सम्बन्धी विश्लेषण की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो यह विश्लेक्षण कहां तक सही पाया गया है ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि उपयुक्त परियोजना को स्थापित करने में नेफ्था की कमी बाधक न हो ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) जी नहीं ; मद्रास के लिए पेट्रो-रसायन उद्योग समूह अभी तक मंजूर नहीं हुआ है।

(ख) जी हां, देश में नेफ्था की समस्त उपलब्धता सम्बन्धी स्थिति का सरकार अध्ययन कर रही है।

(ग) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

औषध उद्योग के लिए कच्चे माल की सप्लाई में कमी

2099. **श्री हिम्मतसिंहका** :क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औषध उद्योग के लिए किस विशिष्ट कच्चे माल की सप्लाई कम है तथा औषधियों के मूल्यों को अपेक्षित स्तर तक कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्योग को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल देने के हेतु और क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : उन मुख्य प्रचुर औषधियों, कच्चे माल तथा बीच के पदार्थों, जिनकी सप्लाई में कमी बतायी जाती है, के नाम फेनासिटिन, कैफीन, पारा एमिनो सेलिसाइलिक एसिड, आई० एन० एच० सल्फाडियाजाइन सल्फाडिमीडाइन, क्लोरमफेनिकोल, टैट्रासाइकलिन विटामिन सी, साइनोपाइरिडाइन्ज, मेवा एमिनो

फिनोल तथा सिटरिक एसिड है। कमी दूर करने के लिए, सरकार ने राज्य व्यापार निगम की मार्फत इनमें से अधिकांश मदों की आवश्यक मात्राओं के आयात का प्रबन्ध किया है। औषध तथा भेषज उद्योग के लिए प्राथमिक उद्योगों की सूची में शामिल है और इसकी मध्यवर्ती पदार्थों तथा कच्चे माल की जरूरतें पूरी हो जाती हैं ताकि उद्योग क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग कर सके।

विदेशों से प्राप्त ऋण पर ब्याज

2100. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967-1968, 1969 और 1970 में प्रत्येक देश को वर्ष वार व्याज के रूप में कितनी धन राशि अदा की गयी थी तथा कितना ऋण दिया गया था ? तथा प्रत्येक देश से ऋण कब लिया गया था।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—3907/70]

राष्ट्रीय ईंधन नीति

2101. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय ईंधन नीति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय ईंधन नीति को सूत्रीबद्ध करने में सहायता देने के लिए समिति गठित की जानी प्रस्तावित है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के सम्बन्ध में विश्व बैंक द्वारा मूल्यांकन

2102. **श्री शिव चन्द्र झा** :
श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को तेजी से लागू किये जाने के बारे में विश्व बैंक के एक सात सदस्यीय दल ने हाल में भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने भारतीय अधिकारियों से बातचीत की थी ;

(ग) यदि हां, तो बातचीत क्या थी और यदि कोई मुख्य निर्णय किये गये हों तो वे क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क), (ख) और (ग). यह दल इस समय भारत में है और

भारतीय अधिकारियों से इसकी बातचीत चल रही है। दो चुनीदा क्षेत्रों में कार्यकलाप को तेज करने और उस कार्य के लिए एक परियोजना तैयार करने के सम्बन्ध में विश्व बैंक ने भारतीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की सहायता करने में दिलचस्पी दिखाई थी। इस परियोजना का अन्तिम लक्ष्य कार्यक्रम की कारगरता को बढ़ाने में सहायता देने की दिशा में अनुभव प्राप्त करना करना है। दल के दौरे का लक्ष्य परियोजना को तैयार करने के लिए प्रस्तावित परियोजना के क्षेत्रों की वर्तमान स्थितियों का पूर्व ज्ञान प्राप्त करना है। अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

भारत में उर्वरक परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक स सहायता।

2103. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो उर्वरक परियोजनाओं अर्थात् कोचीन (विस्तार) तथा नांगल-२ के लिए अपेक्षित तकनीकी सहयोग तथा वित्तीय सहायता का मूल्यांकन करने के लिए विश्व बैंक के एक तकनीकी मिशन ने हाल में भारत का दौरा किया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे तकनीकी-मिशन देश में इस्पात कारखानों का भी दौरा करेंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के इस्पात कारखानों के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसलिए विश्व बैंक के तकनीकी मिशनों द्वारा इस्पात कारखानों का दौरा किये जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

फारस की खाड़ी से निकलने वाले रुस्तम अशोधित तेल में भारत का अंश

2104. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री नंद कुमार सोमानी :**
श्री जी० वेंकटस्वामी : **श्री एम० नारायण रेड्डी :**
श्री एस० आर० दामानी :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फारस की खाड़ी से भारत के अंश के रूप में कुल कितना अशोधित तेल मिलता है ;

(ख) क्या कुल मात्रा मंगा ली गई है और उसका निर्यात किया जा चुका है अथवा उसका उपयोग किया जा चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो इससे कितनी आय हुई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुन सेन) : (क) जून, 1970 तक रुस्तम क्रूड के कुल उत्पादन में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का अंश लगभग 2.36 मिलियन बैरल था ।

(ख) और (ग). तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अब तक रुस्तम क्रूड की कुल बेची जाने वाली मात्रा 6,28,185 बैरल है ; जिसका मूल्य लगभग 63.30 लाख रुपया है । करार के एक उपबन्ध के अनुसार शेष कच्चा तेल, जो कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा नहीं उठाया जा सका, संयुक्त उद्यम के दो अन्य साझीदारों द्वारा उठाया गया । इस उपबन्ध में इस बात की भी व्यवस्था है कि किसी पार्टी द्वारा किसी अवधि में कच्चा तेल जितना कम उठाया जाये उसे आगे की अवधि में प्रभाजीकृत ढंग से पूरा किया जाय ।

सरकारी उपक्रमों की तुलना में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को सुविधायें

2105. **श्री सु० कु० तापड़िया :**

श्री नंद कुमार सोमानी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रमों और अन्य अर्ध-सरकारी संगठनों के कर्मचारियों को सरकार के नियमित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की तुलना में अधिक वेतन मिलते हैं तथा उन्हें इनकी अपेक्षा अन्य सुविधायें भी अधिक मिलती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोई ऐसा तरीका मालूम करने का है जिससे यह भेदभाव समाप्त हो सके ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों तथा अर्द्ध-सरकारी संगठनों में विद्यमान वेतन-मानों, भत्तों, तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में नियोजन-शर्तों वस्तुतः, केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत विद्यमान नियोजन-शर्तों के समान नहीं हैं, क्योंकि परिलब्धियों की दर तथा अन्य लाभ संबंधित उपक्रमों द्वारा अलग-अलग शर्तों तथा अलग-अलग आधारों पर निर्धारित किये जाते हैं, जिसमें कार्य-संबंधी आवश्यकताओं तथा अन्य सांविधिक आवश्यकताओं का भी बराबर ख्याल रखा जाता है ।

केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर लागू परिलब्धियों का ढांचा तथा अन्य वेतनेतर लाभ, पदों से सम्बद्ध कर्तव्यों तथा जिम्मेवारियों का ध्यान रखकर तथा द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, निर्धारित किये गए हैं । तृतीय वेतन आयोग, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की परिलब्धियों के वर्तमान ढांचे की पहले ही जांच कर रहा है तथा सरकार उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा करेगी ।

बैंक कर्मचारियों को कृषि अर्थशास्त्र के विषय में प्रशिक्षण

2106. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री रामचरण :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिवकुमार शास्त्री
श्री बलराल मधोक :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक कर्मचारियों को कृषि अर्थशास्त्र में प्रशिक्षण देने के लिए अगर कोई व्यवस्था की गई है तो वह क्या है ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि कृषि ऋण को नष्ट होने वाली वस्तुओं अथवा अनुत्पादक प्रयोजनों के लिए व्यय नहीं किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वाणिज्यिक बैंकों में कृषि वित्त का काम करने वाले अधिकारियों को और सहकारी बैंकों में के अधिकारियों को विभिन्न दलों में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूना-स्थित अपने सहकारी बैंकर प्रशिक्षण कालेज (कोआपरेटिव बैंकर्ज ट्रेनिंग कालेज) में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान (नेशनल इंस्टिट्यूट आफ बैंक मैनेजमेंट) भी कृषि-वित्त का काम करने वाले शाखा-अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए शिविरों (वर्कशाप) का आयोजन करता रहा है।

(ख) वाणिज्यिक और सहकारी दोनों प्रकार के बैंक अपने अधीक्षक कर्मचारियों की मार्फत इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करते हैं कि फसलों के लिए दिया जाने वाला कृषि-ऋण उन्हीं प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाय जिनके लिए वह दिया गया हो ; इसके लिए वे इस बात की तसल्ली करते हैं कि कृषक-ऋणकर्ता ऋण की रकम से उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवाओं जैसी कृषि-उपयोगी वस्तुएं ही प्राप्त करें। जहां तक विकास के लिए दिये जाने वाले ऋणों, जैसे पम्प-सैटों आदि के लिए दिये जाने वाले ऋणों का सम्बन्ध है, बैंक उपकरणों और मशीनों के संभरकों को सीधे बैंकों द्वारा अदायगी किये जाने की व्यवस्था करते हैं। जहां तक कुओं की खुदाई के लिए दिए जाने वाले ऋणों का सम्बन्ध है, ये ऋण कार्य की प्रगति के अनुसार किश्तों में दिये जाते हैं। जिन बैंकों में ऋण के उपयोग की कारगर रूप से देखरेख करने के लिए उपयुक्त संख्या में कर्मचारी नहीं हैं, उन्हें अपने यहां, जितनी जल्दी हो सके, अपने अधीक्षण-तंत्र का निर्माण करने की दिशा में कदम उठाने के लिए कहा गया है।

मलेरिया उन्मूलन योजना

2107. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री रामचरण :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री बलराज मधोक :
डा० कर्णी सिंह :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 से मलेरिया के रोगियों की संख्या तिगुनी से भी अधिक बढ़ गई है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इसके आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकतर राज्यों में मलेरिया उन्मूलन यूनिटें कार्यक्रम का प्रारम्भिक कार्य कर रही है तथा कार्यक्रम के समेकन तथा अनुरक्षण का कार्य नहीं कर रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मलेरिया उन्मूलन योजना, जिसकी कि 1968-69 में पूरा किये जाने की सम्भावना थी, को अब 1974-75 तक बढ़ाया जायेगा ;

(घ) क्या यह भी सच है कि योजना को पूरा करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में परिव्यय को परिणामतः 19 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो योजना को कार्यान्वित करने में गतिरोध के क्या कारण हैं और भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के बारे में क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां। 1965 में मलेरिया के पाजीटिव रोगियों की कुल संख्या 1,00,185 थी। पिछले तीन वर्षों के आंकड़े इस प्रकार हैं :

1967	2,78,621
1968	2,74,881
1969	3,46,918

(ख) दस राज्यों में मलेरिया एककों का प्रत्यावर्तन हुआ जिनमें से अधिकांश मध्य भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में थे।

(ग) जी हां। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के 1975-76 तक चलते रहने की आशा है।

(घ) 1966 के प्रारम्भिक प्राक्कलनों के अनुसार यह सोचा गया था कि चौथी पंचवषीय योजना में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 19.21 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा। तदन्तर 1968-69 में जब इस कार्यक्रम को यथार्थतः विभिन्न चरणों में बाँटा गया तो उस बटवारे के आधार पर 1969-70 से प्रारम्भ होने वाली चतुर्थ योजना अवधि के लिए वास्तविक परिव्यय 70 करोड़ रुपये है।

(ङ) इस योजना में व्यवधान के कारण इस प्रकार है :

1. देश के कुछ भागों में कीटनाशकों (डी० डी० टी० और बी० एच० सी०) के प्रति प्रतिरोध,
2. नगर-क्षेत्रों को समुचित लार्वा-निरोधी कार्यवाहियां शुरू करने में स्थानीय निकायों की असमर्थता,
3. देखरेख चरण में प्रविष्ट करने वाले क्षेत्रों में उत्तरदायित्वों को संभालने के लिए पर्याप्त बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव।
4. भ्रमणशील लोगों की समस्या।

5. मलेरिया वाले भागों से मलेरिया-युक्त क्षेत्रों में श्रमिकों के इकट्ठे होने से परियोजना क्षेत्रों में मलेरिया का प्रकोप ।
6. प्रयोगशाला सेवाओं की कमी ।
7. पुराने वाहनों की बड़े पैमाने पर टूट-फूट के कारण अपर्याप्त परिवहन सुविधाएं ।

भविष्य में ऐसे व्यवधानों की पुनरावृति को रोकने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

1. एक विशेष समिति द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के कार्य का दुबारा मूल्यांकन ।
2. चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्याप्त बजट समर्थन की व्यवस्था और उक्त कार्यक्रम को एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में प्रवर्तित करना,
3. प्रत्यावर्तन वाले क्षेत्रों में कार्यक्रम का चरणों में यथार्थवादी बटवारा,
4. उन क्षेत्रों में जहां कि मच्छर डी० डी० टी० और बी० एच० सी० के प्रतिरोधी हो गए हैं, वैकल्पिक कीट नाशकों का इस्तेमाल,
5. कीट नाशकों और मलेरिया--निरोधी औषधों की खरीद के लिए अग्रिम पेशना भेजना ।
6. मरम्मत के अयोग्य वाहनों के स्थान पर एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार नये वाहनों का लाया जाना ।
7. संदिग्ध नगर क्षेत्रों में लार्वा-निरोधी उपायों के लिए कोई योजना बनाना ।
8. देख-रेख चरण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सबल बनाने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता ।

पी० एल०—480 निधि का उपयोग

2108. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :** **श्री राम चरण :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री बलराज मधोक :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, भारत सरकार को पी० एल० 480 निधि के अन्तर्गत कुल कितनी धन राशि मिली ; और

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों तथा निम्न और निम्न-मध्य आय वर्ग के लोगों को गृह-निर्माण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए पी० एल० 480 निधि में से कितनी निधि उपयोग की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न हैं जिसमें 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के दौरान पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमेरिका की सरकार से प्राप्त हुए ऋणों और अनुदानों की रकमों का विभिन्न कार्यक्रमों और प्रायोजनाओं के अन्तर्गत किये गये उपयोग का ब्यौरा दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—3908/70]

सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया का लन्दन शाखा के कथित जालासाजी के बारे में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्णित अनियमितताएं

2109. **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्री शारदानन्द :
डा० सुशीला नैयर :
श्री सीताराम केसरी :
श्री ओंकार सिंह :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :
श्री श्रीनन्द कुमार सोमानी :
श्री रा० की० अमीन :
डा० म० सन्तोषम् :
श्री नंजा गौडर :
श्री जे० एम० इमाम :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है जिसमें सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की लन्दन शाखा के कथित जालसाजी के सम्बन्ध में अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है ;

(ख) सरकार द्वारा ब्रिटेन सरकार को श्री सामी पटेल तथा उससे धन वसूल करने के बारे में भेजे गये पत्र का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उस पर मुकदमा चलाने के लिए उसे भारत बुलाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की लन्दन शाखा में हुई कथित शाखा जालसाजी के सम्बन्ध में अनियमितताएं बताने वाली कोई लेखा परीक्षा रिपोर्ट नहीं है। अप्रैल, 1970 में जालसाजी का पता चला था और बैंक ने स्काटलैंड यार्ड के पास एक शिकायत दर्ज करा दी थी जिसकी जांच अभी चल रही है। सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की लन्दन शाखा के मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अलग से एक निरीक्षण अधिकारी भेजा है। उसने अभी अपनी जांच पूरी नहीं की है।

(ख) भारत सरकार ने श्री सामी पटेल तथा उससे धन वसूल करने के बारे में कोई पत्र ब्रिटेन सरकार को नहीं भेजा है। परन्तु सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने एक शिकायत स्काटलैंड यार्ड के पास दर्ज कराई है।

(ग) चूंकि श्री सामी जे० पटेल ब्रिटेन के नागरिक हैं तथा कथित अपराध भी इंगलैंड में किया गया है इसलिए अपराध की तफतीश ब्रिटेन की पुलिस द्वारा की जायेगी और यदि मुकदमा चलाया जायगा तो वह ब्रिटेन में ही चलाया जायेगा।

जमा कराई गई राशियों में कमी

2110. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
डा० सुशीला नैयर :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत जुलाई से राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशियों की वृद्धि में कमी हुई है यद्यपि उनकी शाखाओं में तीन गुनी वृद्धि हुई है ;

(ख) बैंक राष्ट्रीयकरण से पूर्व के 12 महीनों की तुलना में जुलाई, 1969 से जून, 1970 की अवधि के आंकड़े क्या हैं ;

(ग) इन बैंकों में अधिक जमाकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करनें का विचार है ;

(घ) क्या सरकार का विचार बैंक की सुविधाओं वाले तथा बैंक की कम सुविधाओं वाले क्षेत्र के लिए ब्याज की दर में कमी करने का है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). 17 जुलाई 1970 को समाप्त वर्ष के दौरान (अर्थात् 18 जुलाई, 1969 और 17 जुलाई, 1970 के बीच) 14 बैंकों का, जिनका राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई, 1969 को किया गया था, जमा रकमों में 372 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी जबकि पिछले वर्ष (19 जुलाई, 1968 से 18 जुलाई, 1969 तक) इनमें 393 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। भारत में इन 14 बैंकों की शाखाओं की संख्या में 1150 की वृद्धि हुई अर्थात् 19 जुलाई, 1969 को इन बैंकों की शाखाओंकी संख्या 4168 थी, जो 30 जून, 1970 को बढ़कर 5318 हो गई।

(ग) जमा की रकमों की वृद्धि की गति अपेक्षाकृत कम होना सरकार के लिए चिन्ता का विषय रहा है और इस ओर सम्बद्ध बैंकों का विशेष रूप से ध्यान दिलाया गया है। उन्हें जमा के लिए रकमें आकर्षित करने के लिए नई योजनाएं शुरू करने की सलाह दी गई है। वित्त मंत्री के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक के अभिरक्षकों की 22 जुलाई, 1970 की जो बैठक हुई थी उसमें जमा के लिए रकमें जुटाने के काम में तेजी लाने के उपायों पर विचार किया गया था। जमा के लिए रकमें जुटाने के अभियान में सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक ने जमा की छोटी-छोटी रकमों के संग्रह के सम्बन्ध में दलाली की अदायगी के बारे में लगाई गई अपनी पाबन्दियों को ढीला कर दिया है और अपेक्षाकृत लम्बी अवधि के लिए जमा रकमों के ब्याज की दरें बढ़ा दी है। रकमें जमा कराने के अभियान में पूरी रकम से सहयोग देने के लिए बैंक कर्मचारियों को दिये जाने वाले प्रोत्साहनों पर विचार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ). इस प्रश्न का अभिप्राय स्पष्ट नहीं है।

विदेशी बैंकों में 8,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाले गैर-भारतीय

2111. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री राम किशन गुप्त :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी बैंकों, विदेशी तेल समवायों तथा विदेशी औषध उद्योग में सभी उपलब्धियों सहित 8,000 रुपये प्रतिमास से अधिक वेतन पाने वाले भारतीयों तथा गैर-भारतियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी बैंकों को प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपये भेजे जाते हैं जबकि भारत में काम कर रहे विदेशी बैंकों की कुल पूंजी मुश्किल से 12 करोड़ रुपये है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन बैंकों को यह कहने का है कि वे महत्वपूर्ण पदों पर भारतीयों को नियुक्त करें ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पहली जनवरी, 1969 को उपलब्ध उद्योगवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

पहली जनवरी, 1969 को 8,000 रुपये प्रतिमास से अधिक वेतन-भत्ते पाने वाले भारतीयों और गैर-भारतीयों की संख्या :

कंपनियों की श्रेणी	भारतीय	गैर-भारतीय
बैंकिंग कंपनियां	1	55
तेल कंपनियां	5	35
औषध कंपनियां	24	20

(ख) सम्भवतः भारत में स्थित विदेशी बैंकों की शाखाओं द्वारा उनके अपने मुख्य कार्यालयों में भेजी गई लाभ की रकम के बारे में पूछा गया है। 1966-69 अर्थात् चार वर्षों के दौरान इस प्रकार भेजी गई रकम प्रतिवर्ष औसतन 196.11 लाख रुपये बैठती है। यह स्पष्ट नहीं है कि विदेशी बैंकों के कुल निवेश की राशि को 12 करोड़ रुपये किस हिसाब से बताया गया है।

(ग) सरकार की नीति यह है कि ऐसे वरिष्ठ पदों पर विदेशियों की संख्या को धीरे-धीरे कम किया जाये, जिनके लिए उस विशेष प्रकार की तकनीकी प्रवीणता की आवश्यकता न हो जो देश में उपलब्ध न हो ;

पश्चिम बंगाल में वोदरा में तेल की खोज आरम्भ करना

2112. **श्री न० कु० सांघी :**
श्री समर गुह :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कलकत्ता के निकट वोदरा में तेल खोजने का कार्य फिर आरम्भ करेगा ; और

(ख) तेल की खोज का कार्य एक बार आरम्भ करने के बाद छोड़ने के क्या कारण थे और अब उसके पुनः आरम्भ करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). वोदरा संरचना में 4197.5 मीटरी की गहराई तक एक अन्वेषी कुआं खोदा गया था। इसमें व्यापारिक हाइड्रोकार्बन्स की विद्यमानता के अनुकूल चिह्न प्राप्त नहीं हुए। आगामी व्यधन बन्द कर दिया था क्योंकि अब तक किये गये भूकंपीय सर्वेक्षणों से ड्रिलिंग के लिए किसी अन्य (खोदने योग्य) उपयुक्त संरचना का पता नहीं लगा। तथापि, नई अनुकूल संरचना ज्ञात करने के लिए इस क्षेत्र में भूकंपीय सर्वेक्षण के रूप में अन्वेषण कार्य जारी है। इस उद्देश्य के लिए, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने इन दित्तों की प्रक्रिया के लिए सोफिसडिकेटिक डिजिटल सीसमिक रिकार्डिंग उपकरण और संगणक के लिए आर्डर दे दिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के बारे में शिकायतें

2113. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई शाखाओं के कार्यकरण के सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार के पास, राष्ट्रीयकृत बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कुछ शाखाओं के विरुद्ध शिकायतें आई हैं। ये शिकायतें, आम तौर पर, ऋणों के लिए दिये गये आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई करने में देरी होने कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और अनुचित व्यवहार तथा भाषा की कठिनाई आदि के बारे में है। भारतीय रिजर्व बैंक और सम्बद्ध बैंकों से परामर्श करके इन शिकायतों पर विचार किया गया है और जिन मामलों में शिकायतें सही निकली हैं वहां संबद्ध बैंक ने समुचित कार्रवाई की है। जहां तक भाषा की कठिनाई का संबंध हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों ने, ग्राहकों के उपयोग के लिए, विभिन्न प्रपत्र प्रादेशिक भाषाओं में छपवाने के लिए कदम उठाये हैं।

आगाजारी तेल कुओं से प्राप्त अशोधित तेल का पूरा उपयोग

2114. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आगाजारी तेल कुओं से प्राप्त अशोधित तेल का पूरा उपयोग कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह तेल किस दर पर बेचा जा रहा है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) प्रश्न स्पष्ट नहीं है। आगाजारी क्षेत्र से कच्चे तेल का उत्पादन ईरानियन आयल एक्सपलोरेशन एण्ड प्रोड्यूसिंग कंपनी द्वारा किया जाता है और कंपनी के साझीदारों तथा दलालों द्वारा इसे बेचा जाता है। इस तेल क्षेत्र में भारत सरकार साझीदार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों से निधि का लघु उद्योग क्षेत्रों की ओर बहाव

2115. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों से लघु उद्योग क्षेत्र को निधि देने के संबंध में सरकार के विचाराधीन नीति संबंधी कोई मार्ग दर्शक सिद्धान्त है ;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के किसी वित्तीय संस्थान से अब तक किसी लघु उद्योग को वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1956 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में यह कहा गया था कि "राज्य की नीति का उद्देश्य इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करना होगा कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र को पर्याप्त शक्ति प्राप्त हो जिससे वह स्वावलम्बी हो सके और उसके विकास का, बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास के साथ समन्वय किया जा सके। इसलिए सरकार उन उपायों की ओर ध्यान देगी जिनका उद्देश्य छोटे पैमाने के उत्पादक की प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि करना हो। "आगे चलकर नीति विषयक इस संकल्प में छोटे पैमाने के उद्योगों की भूमिका का इन शब्दों में उल्लेख किया गया था।" ये बड़े पैमाने पर तुरन्त रोजगार मुहैया करते हैं, इनसे राष्ट्रीय आय के अधिक समान वितरण को सुनिश्चित करने का एक साधन उपलब्ध होता है और इनसे पूंजी और हुनर के साधनों को कारगर रूप से जुटाने में सहायता मिलती है.....

इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने प्रत्येक आयोजना की अवधि में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास पर अधिकाधिक जोर दिया है।

सरकार ने समय-समय पर बैंकों और अन्य वित्तीय सस्थाओं से अनुरोध किया है कि इस प्रकार के ऋण को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इस क्षेत्र को आसान शर्तों पर और अधिक ऋण दिये जाने की व्यवस्था करने के लिए विभिन्न कदम उठाये जाने चाहिए।

उदाहरण के रूप में, जुलाई 1960 में सरकार द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए धनराशि की व्यवस्था करने को प्रोत्साहन देना था। इस योजना को भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की ओर से क्रियान्वित कर रहा है और इसके अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाएं अधिकांश वाणिज्यिक बैंकों और राज्यों के वित्तीय नियमों को उपलब्ध है। इस योजना का समय-समय पर पुनरीक्षण करके उसे उदार बनाया गया है तथा इसकी प्रक्रिया को दोष रहित बनाया गया है।

मार्च 1968 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आने वाले छोटे पैमाने के एककों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों की पुनर्वित्त-व्यवस्था के लिए $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत की एक विशेष रियायती दर की घोषणा की थी, लेकिन शर्त यह थी कि ऋण दाता संस्था ऋण कर्ता से 8 प्रतिशत से अधिक की दर से ब्याज न ले।

छोटे पैमाने के उद्योगों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्यतः राज्यों के वित्तय निगमों, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा की जाती है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी, जो एक शीर्षस्थ संस्था है, बैंकों और राज्यों के वित्तीय निगमों द्वारा दिये गये सावधि ऋणों के सम्बन्ध में पुनर्वित की सुविधायें प्रदान करके इस क्षेत्र को सहायता देता रहा है। इस क्षेत्र के मामले में, पुनर्वित के लिए पात्र ऋण का न्यूनतम रकम अप्रैल 1970 में 1 लाख रुपये से घटाकर 20 हजार रुपया कर दी गई थी और इसके बाद अप्रैल 1970 में और घटाकर 10 हजार रुपये कर दी गई थी। पुनर्वित की रकम 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई थी।

हाल में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, पिछड़े हुए विशिष्ठ क्षेत्रों में स्थित छोटे और मध्यम आकार की प्रायोजनाओं को दिये गये 20 लाख रुपये तक के ऋणों की पुनर्वित्त-व्यवस्था के सम्बन्ध में ब्याज की दर को घटाकर 3½ प्रतिशत कर दिया था, लेकिन शर्त यह थीं कि वित्त-व्यवस्था करने वाला बैंक/राज्यीय वित्त निगम 6 प्रतिशत से अधिक की दर से ब्याज न लेता हो।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया है कि वे इस क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों के सम्बन्ध में निश्चित अवधियों के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत किया करें और इन रिपोर्टों पर इन बैंकों के बोर्डों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार विचार किया जाता है ताकि इस क्षेत्र को मिलने वाली धन-राशि में लगातार वृद्धि हो। आशा है कि बैंकिंग-उद्योग के 80 प्रतिशत भाग के सरकारी क्षेत्र में आ जाने के परिणामस्वरूप, छोटे पैमाने के उद्योगों को मिलने वाली धन राशि में, जिसमें पहले से ही वृद्धि हो रही है, और भी अधिक तेजी से वृद्धि होगी।

हाल में सरकारी क्षेत्र की दो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगमों ने पिछड़े हुए विशिष्ठ क्षेत्रों में स्थित छोटी और दरमियानी प्रायोजनाओं को नरम शर्तों पर सहायता देने का फैसला किया है जैसे ब्याज की रियायती दरें, अपेक्षाकृत लम्बी रियायती अवधि (ग्रेस पीरियड) और अपेक्षाकृत लम्बी परिशोधन अवधि, जोखिम पूंजी में अधिक अंशदान आदि।

(ख) और (ग). छोटे पैमाने के उद्योगों को भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंकों 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राज्यों के वित्तीय निगमों और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा दी गई सहायता की जितनी जानकारी उपलब्ध है, वह संलग्न विवरण में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 3909/70]

Surgical Treatment under Ayurvedic System

2116. **Shri Jageshwar Yadav**: Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether surgical treatment has been made available under Ayurvedic system in the country ;

(b) if so, the State-wise number of Ayurvedic hospitals were surgical treatment is available ; and

(c) the details of the operations done by Ayurvedic method ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

दिल्ली में एम० बी०, बी० एस० कोर्स के प्रथम वर्ष में दाखिला

*2118. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्व विद्यालय की प्री-मेडिकल परीक्षा में इस वर्ष कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं ;

(ख) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के तीन मेडिकल कालेजों में कितने विद्यार्थियों को दाखिला मिल गया है ; और

(ग) दिल्ली के मेडिकल कालेजों में एम०बी०, बी०एस० कोर्स के प्रथम वर्ष में जिन विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिला उनको दाखिला दिलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस वर्ष 549 विद्यार्थियों ने दिल्ली विश्वविद्यालय से प्री-मेडिकल परीक्षा पास की।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली के तीन मेडिकल कालेजों में अब तक 145 विद्यार्थियों को लिया जा चुका है :—

1. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज	26
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	21
3. मौलाना आजाद मेडिकल कालेज	98
	145

(ग) मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में दिल्ली प्रशासन द्वारा 75 सीटों की द्वितीय पारी शुरू करने के प्रस्ताव को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक कारणों से व्यावहारिक नहीं पाया गया। तथापि दिल्ली विश्वविद्यालय लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में 10 सीटें बढ़ाने के लिए राजी हो गया है और तदनुसार इतने छात्रों को पहले ही दाखिला दे दिया गया है। मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में सीटें बढ़ाने तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज में और सीटें बढ़ाने के प्रश्न पर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विचार किया जा रहा है। इन दो कालेजों में ये अतिरिक्त सीटें भी दिल्ली के छात्रों के लिए रखने का विचार है।

मेडिकल कालेजों के लिए चल एकक

2119. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन सभी 95 मेडिकल कालेजों को चल मेडिकल एकक देने के संबंध में एक योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) चालू वर्ष में कितने चल मेडिकल एकक कार्य करना आरम्भ कर देंगे ;

(घ) प्रत्येक एकक पर कितना खर्च होगा ; और

(ङ) दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितने चल एककों के आरम्भ किये जाने की सम्भावना है तथा उन पर कितना सम्भावित खर्चा आयेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां। परन्तु अभी केवल पांच एकक ही अनुमोदित किये गए हैं।

(ख) योजना के अधीन, चुने हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वैच्छिक सेवा प्रदान करने के लिए मेडिकल कालेजों से इन्टर्न तथा अन्तिम वर्ष के छात्रों के साथ विशेषज्ञ अध्यापक ग्रामीण क्षेत्रों में कैम्प लगाएंगे। हर एक चलते-फिरते एकक के साथ अस्पताल की 50 शय्यायें रहेंगी। इन एककों में से हर एक इस प्रकार से चलाया जायेगा कि वह ग्रामीण क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाये जाने वाले चलते-फिरते अस्पताल का कार्य करे और ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में उल्लिखित समय के लिए कार्य करे। अन्तिम वर्ष के लगभग 15-20 चिकित्सा छात्र और लगभग 10-20 इन्टर्न अपने अध्यापकों के साथ हर एक कैम्प में ठहरेंगे और उपचारात्मक तथा निरोधी औषधि सम्बन्धी सेवाएं करेंगे। परिवार नियोजन सहित वे अन्य स्वास्थ्य प्रोत्साहक उपाय भी करेंगे।

(ग) 1970-71 वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र, तामिलनाडु, राजस्थान, गुजरात एवं उत्तर प्रदेश के पांच राज्यों में पांच मेडिकल कालेजों में से प्रत्येक में मार्गदर्शी परियोजन के रूप में एक-एक चलते-फिरते एकक लगाने का निश्चय किया गया है। सम्बन्धित राज्य सरकारों से योजना को कार्यान्वित करने के लिए कार्यारंभ करने को कह दिया गया है।

चितरंजन दास उत्सव के सम्बन्ध में 16 राज्यों में हर एक में एक-एक चलता-फिरता अस्पताल आरम्भ करने की एक योजना शिक्षा एवं युवक सेवा मंत्रालय के अधीन भी है।

(घ) 50 शय्याओं वाले हर एक एकक पर 2.60 लाख रुपये का अनावर्ती तथा 2.40 लाख रुपये प्रति वर्ष का आवर्ती व्यय होने का अनुमान लगाया गया है।

(ङ) 1970-71 के दौरान दिल्ली में ऐसे एकक चलाने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

संसद् सदस्यों के साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली स्थित खाली फ्लैटों से बिजली तथा फर्नीचर के सामान की चोरी

2120. **श्री शिव चंद्र झा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों के साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली स्थित खाली फ्लैटों से पंखों, बल्बों तथा अन्य बिजली और फर्नीचर के सामान की चोरी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों से अब तक कितने सामान की चोरी हुई हैं तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) तथा (ख). साऊथ एवेन्यू में संसद् सदस्यों के खाली फ्लैटों में से, पंखों, बल्बों तथा अन्य बिजली और फर्नीचर के सामान की चोरी के कोई मामले पिछले तीन वर्षों में नोटिस में नहीं आए हैं।

बम्बई स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा अंशों के अग्रिम व्यापार पर प्रतिबंध को हटाने के लिए दिया गया अभ्यावेदन

2121. **श्री देन्विदर सिंह गार्चा :**
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों ने सरकार से अंशों के अग्रिम व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को तुरन्त हटाने की उचित मांग के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि इस मामले में और देरी की गई तो पूंजी बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा भारी बेरोजगारी फैलेगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). कुछ व्यक्तियों से, जिनका बम्बई के शेयर बाजार (स्टाक एक्सचेंज) से किसी न किसी रूप में सम्बन्ध बताया जाता है, कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें प्रतिभूतियों के वायदे के सौदों के फिर से शुरू किये जाने के बारे में जल्दी ही फैसला किये जाने के लिए अनुरोध किया गया है। इन अभ्यावेदनों में एक मुख्य बात यह कही गयी है कि प्रतिबन्ध के जारी रहने से "आढ़तियों (जाबर), शेयरों के दलालों और कर्मचारियों के लिए भारी कठिनाई पैदा हो गयी है।"

(ग) और (घ). प्रतिभूतियों के वायदे के सौदों पर प्रतिबन्ध के जारी रहने से अभी तक पूंजी बाजार पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। पूंजी बाजार की हालत कई विभिन्न आर्थिक और अन्य बातों पर निर्भर होती है। इसमें कोई शक नहीं कि शेयर बाजारों (स्टाक एक्सचैंज) के सक्रीय सदस्यों और उनके कर्मचारियों की संख्या में मामूली सी कमी हुई है। चूंकि यह प्रतिबन्ध, वायदे के केवल नये सौदों के बारे में है और उनका शेयर बाजारों में किये जाने वाले अन्य किस्मों के कारबार पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिये यदि यह प्रतिबन्ध कुछ और समय के लिए जारी रहे तो भी इससे व्यापक बेरोजगारी पैदा हो जाने की कोई सम्भावना नहीं है। सरकार को इस मामले की कई भिन्न पहलुओं से जांच करनी होती है और प्रतिभूतियों के वायदे के सौदों से सम्बद्ध अंजारिया समिति द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर यह जांच की जा रही है।

शाहदरा (दिल्ली) स्थित मानसिक रोग अस्पताल का विस्तार

2122. **श्री मणि भाई जे० पटेल :** **श्री लताफत अली खाँ :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शाहदरा (दिल्ली) स्थित मानसिक रोग अस्पताल के विस्तार के लिए कोई विशिष्ट योजना बनाई है ;

ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) अस्पताल में इस समय कितने विस्तरे उपलब्ध हैं, तथा चालू वर्ष में इनमें कितनी वृद्धि की जायेगी ;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने लोकोपकारी संस्थाओं से अपील की है कि वे अस्पताल में कमरे बनाने के लिये सहायता देने हेतु आगे आये ; और

(ङ) यदि हां, तो उनसे प्राप्त उत्तर का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस अस्पताल में इस समय 160 पलंग हैं। चालू वर्ष में 170 पलंग जोड़ने का विचार है। इन अतिरिक्त पलंगों के लिए भवन-निर्माण के कार्य के शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है।

(घ) और (ङ). कांटेज वार्डों के निर्माण के लिए कुछ संगठनों/व्यक्तियों ने दान देने के लिये कहा है। दान राशि में से अब तक 5 कांटेज बन चुकी हैं।

दिल्ली में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को बैंक ऋण का वितरण

2123. **श्री जी० वेंकट स्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राष्ट्रीकृत बैंक को किसानों को ऋण देने के लिए शीघ्र ही कैम्प लगायेंगे ;

(ख) क्या सरकार का विचार समस्त देश में इन सुविधाओं की व्यवस्था करने का है और उनमें से इस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा ।

(ग) यदि हां, तो कार्यवाही कब की जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). जैसा कि संलग्न विवरण में बताया गया है कुछ राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा किसानों की सुविधा के लिए, दिल्ली तथा अन्य नगरों में स्थित बैंक के कार्यालयों से दूर स्थानों पर, ऋण के वितरण की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । देश के शेष भाग में इन योजनाओं को लागू करने से पूर्व बैंकों को इन योजनाओं की सफलता की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी ।]**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3910/70**]

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फारमास्युटिकल्स लि० हैदराबाद में हड़ताल

2124. **श्री जी० वेंकट स्वामी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के इण्डियन ड्रग्स एण्ड फारमास्युटिकल्स लि० में हाल ही में हड़ताल हुई थी ;

(ख) हड़ताल करने वालों की मुख्य मांगें क्या हैं तथा प्रबन्धकों ने उनकी कितनी मांगें पूरी कर दी हैं ;

(ग) इस हड़ताल के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को काम से निकाल दिया गया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन्हें फिर से काम पर लेने का है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां । इण्डिया ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० के एक यूनिट, संश्लिष्ट औषध सन्यत्र हैदराबाद, के श्रमिकों ने 9 मार्च, 1970 को एक अवैध हड़ताल की, जो 30 अप्रैल, 1970 को समाप्त हुई ।

(ख) वेतन-मानों का पुनरीक्षण, उन श्रमिकों के लिए, जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आते हैं, बीमारी (परिवर्तित) छुट्टी की मंजूरी, क्वार्टरों के आवंटन के लिए स्थायी नीति, मकान-किराया भत्ते का देना और मानक किराये का निर्धारण । हैदराबाद में संश्लिष्ट औषध संयंत्र के प्रबन्धकों तथा एस डी पी (आई डी पी एल) एम्पलाईज यूनियन के बीच 29 जून, 1970

को समझौते के एक मैमोरैण्डम पर हस्ताक्षर हुए ; जो तीन सालों की अवधि के लिए लागू रहेगा। उन सारे मासिक दर पर नियुक्त कर्मचारियों की, जो श्रमिक हैं और जिन पर कम्पनी के प्रमाणीकृत स्थायी आदेश लागू है ; कुल उपलब्धियों में 27.50 रुपये प्रतिमास की तदर्थ वृद्धि मंजूर की गई। यूनियन ने अन्य सारी मांगें वापिस ले ली।

(ग) कोई भी कर्मचारी नौकरी से अलग नहीं किया गया। भड़काने, धमकाने और अवैध हड़ताल में भाग लेने और कदाचार की अन्य हरकतों से आरोपित कर्मचारियों के साथ नियमों के अनुसार सलूक किया गया। कुल 143 कर्मचारियों में से, जिन्हें अवैध हड़ताल में हिस्सा न लेने पर निष्ठावान कर्मचारियों को भड़काने और धमकाने के आरोपों पर निलम्बित किया गया था ; 59 कर्मचारियों के मामले में, उनके आचरण की जांच मुकम्मल होने तक, आदेशों का प्रति संहरण किया गया है। अन्य 21 कर्मचारियों को, जिन्होंने कदाचार के लिए खेद प्रकट किया है, पुनः नौकरी पर आने की अनुमति दे दी है। शेष मामले इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास पड़े हैं और इन पर, इस विषय से सम्बन्धित नियम एवं विनियम के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(घ) कम्पनी इस मामले में कार्यवाही करने के लिए पूर्णतया सक्षम है और सरकार की ओर से किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

मैसर्स जे० बी० मंघाराम एण्ड कम्पनी द्वारा जमाकर्ताओं को जमा राशि का न लौटाया जाना

2125. **श्री शशि भूषण** : क्या वित्त मंत्री 20 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1110 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स जे० बी० मंघाराम एण्ड कम्पनी द्वारा जमाकर्ताओं की जमा राशि का निर्धारित तिथि को भुगतान न किये जाने के बारे में सरकार को कितनी शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) उन शिकायतों के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और जमाकर्ताओं को भुगतान करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मैसर्स जे० बी० मंघाराम एण्ड कम्पनी द्वारा जमाकर्ताओं को जमा राशि का निर्धारित तिथि को भुगतान न किये जाने के बारे में सरकार को कई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) मैसर्स जे० बी० मंघाराम एण्ड कम्पनी के एकमात्र मालिक श्री बालचन्द एम० पमनानी के साथ मामले में लिखापढ़ी की जा रही है। जमा राशि जिसका भुगतान करना बाकी है उसके बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बने बनाये मकानों की खरीद के लिए सरकारी कमचारियों को ऋण

2126. **श्री शशि भूषण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बने बनाये मकानों की खरीद के लिए भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लोगों की विशेषकर सरकारी कर्मचारियों की ऋण दिये जाने के बारे में सरकार ने कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु ऋण देने वाले बैंकों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या ऐसे ऋण स्वतंत्रता के पश्चात् विस्थापितों के लिए बनाई गई बस्तियों में सरकार द्वारा बनाए गए मकानों की खरीद के लिए दिए जाते हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सरकार ने बने-बनाये मकान खरीदने के लिए ऋण देने के उद्देश्य से राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। किन्तु दो राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात् यूनाइटेड कमर्शल बैंक और सिण्डीकेट बैंक ने इस प्रकार के ऋणों के लिए योजनाएं बनाई हैं। यूनाइटेड कर्मशल बैंक ने एक "आवासन आवर्तक जमा योजना" तैयार की है जिसके अन्तर्गत, नियमित आय के साधन वाले व्यक्ति को इस बैंक में एक विशेष आवर्तक जमा खाता खोलना होता है और उसमें 48,60,72 अथवा 84 महीनों की अवधि के लिए 50 रुपये के गुणितों में 50 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक प्रतिमास जमा कराना पड़ता है। बैंक, आवर्तक जमा योजना के अन्तर्गत उसके खाते में जमा रकम का दुगुना ऋण देगा किन्तु यह रकम मकान के क्रय-मूल्य के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। ऋण की वापसी शुरू में खोले गये आवर्तक जमा खाते की अवधि के अनुसार 60,72,84 अथवा (96) महीनों में करनी होती है। इस योजना का उद्देश्य खासतौर पर, लोगों में बचत करने की आदत पैदा करना और मध्यम आय वर्ग के लोगों को मकान का मालिक बनने में सहायता पहुंचाना है।

सिण्डीकेट बैंक अपनी 'तेहरी ऋण सुविधा' के अन्तर्गत, बचत बैंक खातों के जमाकर्ताओं को बने-बनाये मकान खरीदने के लिए ऋण देता है। यह ऋण, जमाकर्ता के खाते में पिछले 24 महीनों की औसत जमा रकम के पांच गुना तक दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत, ऋण की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये है और इसके साथ, मकान के मूल्य के 50 प्रतिशत मार्जिन के साथ मकान की सांपार्श्विक प्रतिभूति भी रखी जाती है। ऋण की वापसी 60 मासिक किस्तों में करनी होती है। इस योजना का उद्देश्य भी लोगों में बचत की आदत पैदा करना है।

जीवन बीमा निगम के एजेंटों को ग्राह्य कमीशन की दर

2127. **श्री शशि भूषण** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के जीवन बीमा निगम के एजेंटों को ग्राह्य कमीशन की दरें 1956 में नियत की गई थीं जब जीवन बीमा व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि इन चौदह वर्षों में जीवन निर्वाह लागत कई गुना बढ़ गई है परन्तु एजेंटों को ग्राह्य कमीशन की दरें वही हैं जो कि 1956 में नियत की गई थीं ;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत के जीवन बीमा निगम के एजेन्टों की कमीशन की दरें (प्रथम वर्ष तथा बाद के वर्षों की) का पुनरीक्षण करने का है ताकि इन कठिनाई के दिनों में उनको कुछ राहत दी जा सके और इस बात को ध्यान में रखते हुए भी कि जीवन बीमा निगम इस अवधि में अपने कर्मचारियों के वेतनमानों का अनेक बार पुनरीक्षण कर चुका है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कब विचार किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). जी, हां ।

(ग) तथा (घ). अपने एजेंटों को दिए जाने वाले कमीशन की दरों में वृद्धि करने का निगम का कोई प्रस्ताव नहीं है । प्रति एजेंट कमीशन में वृद्धि होती रही है क्योंकि पालिसी का औसत मूल्य वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता रहा है । परन्तु, जिन एजेन्टों का कार्य कई वर्षों से अच्छा रहा है अन्ततः उनकी एजेंसी समाप्त हो जाने पर उनको कुछ लाभ देने के प्रस्ताव पर निगम इस समय विचार कर रहा है ।

Payment of Project Allowance in Central Government Undertaking in Bihar

2128. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a rule under which the project allowance is payable to the employees working at the places where the Central Government Undertakings are located :

(b) if so, the names of such Central Government undertakings in Bihar in which the aforesaid allowance is provided to the labour and the amount thereof ;

(c) whether it is a fact that Government have formulated a rule to provide the said allowance to the Central Government employees working within the area of 20 Kms. of such undertakings ;

(d) if so, whether it is also a fact that the employes of Railways, Post and Telegraph Department, Audit Department and other Central Government offices, working in Ranchi, Bokaro, Barauni, Begu Sarai, Mokameh, Hathidah, etc. are not provided such allowances ;

(e) if so, the reasons therefor ; and

(f) the justification in violating rules framed by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Project allowance is intended to compensate employees for lack of civic amenities such as housing, schools, markets, dispensaries, etc. The concession is available only at those projects which lack these amenities and the execution of the project involves establishment of a large construction organisation and the construction is spread over a number of years. In special cases the concession is allowed in projects situated in the proximity of cities also at reduced rates.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) No, Sir. However, there is a provision for the grant of project allowance to all Central Government servants posted in the area declared as the Project area.

(d) to (f). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as available.

Land to M. Ps. for Construction of Houses in Delhi

2129. **Shri Ramavtar Shastri :**
Shri Deorao Patil :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the area of land propose to be given to each Member of Parliament for constructing houses in Delhi as also the proposed price of each plot of land ;

(b) the names and number of M. Ps. who have sent applications therefor ; and

(c) the propriety of giving land to M. Ps. in Delhi ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) 5% of the plots developed by the Delhi Development Authority for the low and the middle income groups are reserved for allotment at pre-determined rates to the sitting Members of Parliament, Members of the Metropolitan Council, Members of the Delhi Municipal Corporation and non-official members of New Delhi Municipal Committee, members of the Cantonment Board, who fulfil the prescribed conditions. The size of the plot for those in the low income group is not to exceed 125 square yards and for those in the middle income group it is from 126 to 200 square yards.

(b) A list of 56 M. Ps. who had applied for allottment of land to them was laid on the table of the Lok Sabha in answer to Unstarred Question No. 3164 on the 16th March, 1970. A subsequent list of 61 M. Ps. who applied for plots thereafter is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—3911/70].

(c) Land is being allotted at pre-determined rates not only to M. Ps. but also to other categories of persons in the low and the middle income groups. One of the conditions of allotment of land to M. Ps. is that they will be required to vacate Government accommodation on completion of their houses. This will reduce the pressure on Government housing.

Loans Advanced to Farmers and Small Businessmen

2130. **Shri Ramavtar Shastri :**
Shri Sardar Amjad Ali :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the State-wise details of loans advanced to the farmers and small businessmen in the country after the nationalisation of 14 banks ;

(b) whether it is a fact that the loans are not being advanced to the desired extent ;

(c) if so, the causes thereof ; and

(d) the action taken or proposed to be taken in future by Government to remove said causes ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The available information in respect of direct advances to farmers and retail traders is furnished in Annexure I and II. [*Placed in Library. See* No. LT—3912/70].

(b) to (d). In assessing the progress achieved in extending credit to farmers and small traders, one has to reckon with the fact that the commercial banks are rather new to these fields of activities. As the Banks gather experience, the tempo of credit expansion to the hitherto neglected sectors of the economy, including the farmers and small businessmen, will increase. The branch expansion programme now launched by the banks will also go a long way in the expansion of bank credit to these sectors. The credit guarantee scheme to be introduced soon, is also expected to give a fillip to the extension of loans to farmers and small businessmen. The problem of the dearth of trained personnel which is a major hurdle, will have to be solved by concerted efforts of the nationalised banks by recruitment of the right type of personnel and launching upon a suitable programme of training of the existing personnel.

आय-कर की बकाया राशि का विश्लेषण

2131. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री 4 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8408 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक लाख रुपये से अधिक और पांच लाख रुपये से कम आय कर की बकाया राशि की मांगों का विश्लेषण इस बीच पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). 1 लाख रुपय से ऊपर तथा 5 लाख रुपये से नीचे की आयकर की बकाया का विश्लेषण 2 आयकर—आयुक्तों के कार्य क्षेत्रों को छोड़कर सभी अन्य आयुक्तों के सम्बन्ध में उपलब्ध है। इस विश्लेषण से पता चलता है कि 31 मार्च, 1969 को 2,821 मामले थे जिसमें 66.79 करोड़ रुपये ग्रस्त थे। बकाया रकमों के कारण-वार ब्यौरे नीचे दिये अनुसार हैं :

1.	अग्रिम-कर, अपील-प्रभावों आदि के कारण समायोजन के लिए पड़ी रकम	—	6.60 करोड़ रुपये
2.	अपीलों का निपटान न होने के कारण पड़ी रकम	—	28.21 „ „
3.	अपर्याप्त परिसम्पत्तियों/कर-निर्धारितियों के दिवालियापन/कर-निर्धारिती कम्पनियों का परिसमापन/कर-निर्धारितियों के लापता होने आदि के मामलों में ग्रस्त रकम	—	5.92 „ „
4.	जिन मामलों में स्थगन आदेश अथवा समय बढ़ाने की मंजूरी दी गई हो, उनमें ग्रस्त रकम	—	5.62 „ „
5.	किस्तों के अन्तर्गत आने वाली रकम	—	4.95 „ „
6.	आयकर अधिकारी/कर-वसूली अधिकारी द्वारा वसूल की जा रही रकम	—	15.49 „ „
		कुल	66.79 करोड़ रुपये

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

अनाज तथा कपास आदि के व्यापारियों को दिये गये ऋणों की राशि

2132. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मन्त्री 4 मई 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8409 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक वस्तुओं तथा औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है और इस वृद्धि के लिए बैंकों द्वारा व्यापारियों को दिये गये ऋण कहां तक उत्तरदायी हैं ; और

(ख) 14 मुख्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि में अनाज, कपास आदि के व्यापारियों को बैंकों ने कुल कितनी राशि के ऋण दिये हैं, और गत वर्ष उसी अवधि में दिये गये ऋणों की तुलना में वे कम हैं या अधिक हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) खाद्य पदार्थों, ईंधन, बिजली, रोशनी तथा चिकनाने वाले पदार्थों और कच्चे माल की कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसे संलग्न विवरण में दिखाया गया है। मूल्यां में परिवर्तन परिचालनगत मुद्रा में तथा कृषि और औद्योगिक उत्पादन में होने वाली घट-बढ़ जैसी कई बातों की पारस्परिक प्रतिक्रियों के परिणाम-स्वरूप होता है। इसके अतिरिक्त परिचालनगत मुद्रा में परिवर्तन भी स्वत: एक से अधिक कारणों से होता है जिसमें वाणिज्यिक व क्षेत्रों को दिये जाने वाले बैंक-ऋणों के अलावा सरकार को दिये जाने वाले ऋण तथा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी बैंकों की परिसम्पत्तियों में होने वाली घट-बढ़ भी शामिल हैं। किसी एक कारण से होने वाले परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, उन अन्य कारणों से अलग करके नहीं किया जा सकता जो अर्थ व्यवस्था में साथ-साथ क्रियाशील रहते हैं।

(ख) अन्न आदि के व्यापारियों को दिय गय बक-ऋणा के सम्बन्ध में, नवम्बर 1969 से पहले की अवधि के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है। वास्तव में, इस प्रकार के व्यापारियों को दिये गये ऋणों की मात्रा में, जून 1969 के अन्त से नवम्बर 1969 के अन्त तक की अवधि में कमी हुई है क्योंकि यह अवधि मुख्यत: कम काम-काज के मौसम में पड़ती है। लेकिन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, 1968-69 के अधिक काम-काज के मौसम में, अन्न, तिलहन, रुई और कपास के बदले दिये गये ऋणों की मात्रा की तुलना में, उनके द्वारा 1969-70 के उसी मौसम में दिये गये ऋणों (यह जरूरी नही है कि ये ऋण केवल व्यापारियों को दिये गये हों) की मात्रा में जो वृद्धि हुई है और जिसकी जानकारी प्राप्त करने में शायद दिलचस्पी हो, वह इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

वस्तु	अधिक काम-काज के मौसम में हुई वृद्धि	
	1968-69	1969-70
अन्न	16.30	8.80
तेलहन	1.60	10.30
रुई और कपास	68.10	44.60

विवरण

थोक मूल्यों में मौसमी परिवर्तन (आधार 1961-62-100)

वस्तुएं	जून 1969 के अन्त में और जुलाई 1969 के अन्त में)	जुलाई 1969 के अन्त में और 15 नवम्बर 1969 को	15 नवम्बर 1969 और जून 1970 के अन्त में	जून 1969 के अन्त में और जुलाई 1969 के अन्त में
खाद्य पदार्थ	+1.3 (+2.4)	−7.4 (−3.7)	+7.9 (+3.8)	+1.2 (+2.4)
ईंधन, बिजली, रोशनी और चिकनाने वाले पदार्थ	+0.8 (0.8)	+0.5 (0.3)	+2.8 (+3.0)	+4.2 (4.2)
औद्योगिक कच्चा माल	2.5 (+4.3)	9.1 (+13.3)	16.4 (+12.4)	+8.4 (+32.8)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े, इससे पिछले वर्ष इसी अवधि में हुए प्रतिशत परिवर्तन को प्रकट करते हैं।

आयकर की बकाया राशि

2133. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री 4 मई 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1396 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांच लाख से अधिक आय-कर की बकाया राशि की वास्तविक वसूली के लिए विवरण 'ख' में उल्लिखित विशिष्ट उपायों के क्या ठोस परिणाम निकले हैं ;

(ख) समस्त बकाया राशि की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार अन्य क्या उपाय करने का है ; और

(ग) क्या दोषियों की आस्तियों की संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा कुर्की तथा किसी सम्पत्ति को जब्त करने जैसी कार्यवाही तथा वाणिज्य उपाय लागू किये जायेंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 5 लाख रु० से अधिक के मामलों में आयकर की बकाया की वास्तविक वसूली से संबंधित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और उसे इकट्ठा करने में बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा। लेकिन 1968-69 में वसूल किये गये 110.55 करोड़ रुपये की तुलना में 1969-70 में आयकर की बकाया में से कुल 129.75 करोड़ रुपये वसूल हुए। इस प्रकार 1969-70 में, बकाया आयकर की वसूली में 1968-69 की तुलना में 19.20 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

(ख) सरकार ने हाल ही में प्रत्यक्ष कर जांच समिति नियुक्त की हैं जो, अन्य मामलों के अतिरिक्त, करों की बकाया की समस्या पर विचार कर रही है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार बकाया करों को अधिक से अधिक वसूल करने के लिए अन्य उपाय करेगी।

(ग) बकाया कौ वसूल करने के लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, आयकर अधिनियम के अधीन उपबन्धित सभी दाण्डिक उपाय, जिनमें सम्पत्तियों आदि का अधिग्रहण और बिक्री भी शामिल है, लागू किये जा रहे हैं।

भारत में तीन विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा लगाई गई पूंजी

2134. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री 11 मई, 1970 के अतरांकित प्रश्न संख्या 9192 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन विदेशी तेल कंपनियों द्वारा लगाई गई पूंजी में विदेशी मुद्रा का अंश और वेतनों का ब्यौरा इस बीच एकत्र कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). जी, हाँ। कालटैक्स और एस्सो में लगाई गई पूंजी में विदेशी मुद्रा अंश निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े मिलियन रुपयों में)

वर्ष	कालटैक्स	एस्सो
1965	142.346	300.0
1966	141.935	284.0
1967	150.414	257.8

वर्मा-शैल द्वारा दिये गये आंकड़ों की और जांच की जा रही है। विदेशी नागरिकों सहित सारे कर्मचारियों को दिये गये समस्त वेतन भारतीय मुद्रा में थे।

Estimated Income Tax Revenues at the end of Fourth Plan

2135. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the estimated amount of revenue from Income-tax at the end of the Fourth Five Year Plan in India ; and

(b) the foreign loans expected to remine due on India ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) On the basis of actual collections for the financial year 1969-70 and other relevant factors, the revenue from income-tax including corporation tax for the last year of the Fourth Five Year Plan, at the existing rates of taxation, can be estimated to be in the range of Rs. 950 to Rs. 980 crores.

(b) According to the estimates made in the Fourth Five Year Plan, the outstanding debt on occount of foreign loans as at the end of the Fourth Plan would be about Rs. 7,319 crores.

पश्चिम बंगाल आवास वित्त सहकारी संस्था को वित्तीय सहायता

2136. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल राज्य आवास वित्त सहकारी संस्था की अपर्याप्त वित्तीय सहायता की ओर दिलाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार से इस सम्बन्ध में इस मंत्रालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, जून, 1970 में नई दिल्ली में हुई पश्चिमी बंगाल संबंधी कानून पर सलाहकार समिति की पहली बैठक में ऐसी एक मद चर्चा का विषय बनी। वेस्ट बंगाल स्टेट हाउसिंग फाइनेंस कोआपरेटिव सोसाइटी की आवश्यकतायें मालूम नहीं हैं, किन्तु पश्चिमी बंगाल सरकार ने यह सूचना दी है कि भारत के जीवन बीमा निगम ने पश्चिमी बंगाल की राज्य आवास कोआपरेटिव समिति को अब तक 76.20 लाख रुपये की राशि का ऋण दिया है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य क्षेत्र के सभी विकास कार्यक्रमों के लिए जिसमें आवास शामिल है, केन्द्रीय सहायता, खंड ऋणों और खंड अनुदानों के रूप में दी जाती है। यह राज्य सरकारों का काम है कि वे प्राथमिकता और आवश्यकताओं के लिए अपने किये जाने वाले निर्णय के अनुसार, आवास के लिए निधियों की व्यवस्था करें। समिति अपनी वास्तविक आवश्यकताओं और उपयोग की क्षमता के आधार पर अतिरिक्त निधियों के लिए जीवन बीमा निगम को भी अपना मामला प्रस्तुत कर सकती हैं।

चालू वित्तीय वर्ष में, अनुमोदित आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार को जीवन बीमा निगम से 100.00 लाख रुपये की ऋण-राशि नियत की गई है।

Moolchand Kharaitilal Hospital, Lajpat Nagar, New Delhi

2137. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a grant is given to Moolchand Kharaitilal Hospital, Lajpat Nagar, New Delhi, by the Ministry ;

(b) whether it is also a fact that the arrangements of Allopathic treatment has been made in the aforesaid Ayurvedic Hospital ; and

(c) if so, the number of patients admitted for Ayurvedic and Allopathic treatment separately during the period from January 1959 to February 1970 and the names, designations, qualifications and salaries of Ayurvedic and Allopathic doctors, nurses, compounders, ward-wives, matrons etc. during the aforesaid period ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The following non-recurring grants for the purchase of equipment have given to Moolchand Kharaitilal Hospital, Lajpat Nagar, New Delhi, by the Ministry so far :—

Year	Amount of grant given	Purpose
	Rs.	
1966-67	50,000	For the purchase of X-Ray Plant.
1968-69	25,000	For the Purchase of E. C. G. and Horizontal Sterilizer.

(b) Yes, Sir. The following departments comprising the Surgical Wing have been added since 1967 : —

1. General Surgery.
2. Midwifery and Gynaecology.
3. Anesthesia.
4. Cardio-Thoracic Clinic.
5. Paediatrics.
6. Eye.
7. E. N. T.
8. Orthopaedic Surgery.
9. Pathology.
10. Radiology,
11. Speech Therapy.
12. Psychiatry.
13. Physio-Therapy.
14. Gastro-Enterology.

(c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha,

Need-Based Wages for Central Government Employees

2138. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the news-item appearing in "Hindustan" (Hindi Edition) on the 5th June, 1970 is correct that Government of India has agreed in principle to implement the formula of need based wages for Central Government employees ; and

(b) if so, the salient feature thereof and the date from which the said formula will be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The news-item refers to the amended terms of reference of the Pay Commission. According to the revised terms of reference, the Commission may, while enquiring into the level of minimum remuneration, examine the Central Government employees' demand for a need based minimum wage which is based on the recommendations of the 15th Indian Labour Conference. Government would await the recommendations of the Commission in this regard.

Meeting of Governor of Reserve Bank of India with Prime Minister

2139. **Shri Molahu Prasbad** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Governor of the Reserve Bank, Shri S. Jagannathan, met the Prime Minister on the 30th June, 1970 and prior to it he had a meeting with the Finance Minister also ; and

(b) if so, the topics discussed and the conclusions arrived at ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). In the course of his duties the Governor, Reserve Bank of India, has occasion to meet the Finance Minister and the Prime Minister. It is neither practicable nor desirable to disclose the topics discussed and conclusions arrived at during these meetings.

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में रिहायशी क्वार्टर

2140. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 जुलाई, 1970 तक रामकृष्णपुरम में क्वार्टरों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ख) इनमें से कितने क्वार्टर अलाट किये जा चुके हैं और उनमें रहने वालों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) उनमें से कितने क्वार्टर तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए हैं ; और

(घ) उनके क्वार्टर का धरातल-क्षेत्र कितने वर्ग फीट है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—3913/70]

(ख) सामान्य पूल के रिहायशी एकक, पात्र व्यक्तियों को आवंटित कर दिये गये हैं। जब कभी रिक्तियां होती हैं उन्हें बिना देर किए पात्र व्यक्तियों को आवंटित कर दिया जाता है। सम्पदा निदेशालय में वहां रह रही कुल जनसंख्या के बारे में आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सामान्य पूल का आवंटन, पात्र कर्मचारियों की परिलब्धियों के आधार पर किया जाता है, न कि पदों की श्रेणी के आधार पर I चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी सामान्यतया टाइप I, II तथा III के पात्र हैं । प्रत्येक टाइप में रिहायशी एककों की संख्या, उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित विवरण में दी गई है ।

(घ) टाइप I, II तथा III के क्वार्टरों का कुर्सी क्षेत्र नीचे दिया गया है :—

टाइप	कुर्सी-क्षेत्र
I	345 वर्ग फीट
II	600 वर्ग फीट
III	770 वर्ग फीट

राजधानी में नर्सों की कमी

2141. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में नर्सों की कमी है जैसाकि 14 जून, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय ऋण परिषद को पुनः चालू करना

2142. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** **श्री एस ० एम० कृष्ण :**
डा० सुशीला नैयर : **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार राष्ट्रीय ऋण परिषद को निकट भविष्य में पुनः चालू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण संबंधी सामूहिक उपायों के एक भाग के रूप में अपनाए गए सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, फरवरी, 1968 में राष्ट्रीय ऋण परिषद को निगमित किया गया था । परिषद् की अन्तिम बैठक मार्च, 1969 में हुई थी उसके बाद अब तक कोई बैठक नहीं हुई है । बदले हुए संदर्भ में परिषद का काम पहले की तरह चालू रखा जाय या नहीं, इस प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाओं के कार्यकरण के बारे में सर्वेक्षण

2143. **श्री स० कुन्दू** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाओं के कार्यकरण का सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) क्या उन पर देश में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं में दिसम्बर 1966 से 1968 तक की अवधि में हुए कारबार की समीक्षा की है। समीक्षा के स्थूल निष्कर्ष संलग्न टिप्पणी में दिये गये हैं। चूंकि उपर्युक्त समीक्षा का सम्बन्ध 1966 से 1968 तक की अवधि से है इसलिए भारतीय बैंकों की विदेश-स्थित शाखाओं पर बैंक राष्ट्रीयकरण का प्रभाव संलग्न टिप्पणी में नहीं आता। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—3914/70]

Running of Hotels in Delhi by Collecting Funds from Public

2144. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Hotel companies are running hotels in Delhi by collecting funds from the public as per the rules of the Reserve Bank ; and

(b) if so, the names thereof and the funds so collected by them so far ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). According to the returns filed with the Reserve Bank by companies accepting deposits, such deposits as at 31-3-1970 (excluding loans guaranteed by the Managing Agents, Secretaries and Treasurers or loans received from shareholders) stood as follows :

Name of the Company	Registered Office	Deposits obtained from the public
		(Rs. in lakhs)
East India Hotels Ltd.	Calcutta	31.35
G. L. Hotels Ltd.	Delhi	3.60
Hotel Rajdoot (P) Ltd.	Delhi	0.33

सरकारी क्षेत्र के एककों में उर्वरक उत्पादन के लिए तरल अमोनिया का प्रयोग

2145. **श्री एस० आर० दामानी :**

श्री लोबो प्रभु :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केवल सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों को तरल अमोनिया प्रयोग में लाने की अनुमति देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो गैर-सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों को इसका प्रयोग करने से निषिद्ध करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) देश में उर्वरक उत्पादन की वृद्धि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). सरकार ने फैसला किया है कि भविष्य में आयातित अमोनिया पर आधारित सभी उर्वरक कारखाने सरकारी क्षेत्र में हों। सरकारी क्षेत्र, राष्ट्रीय हित में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना की, प्राथमिक जिम्मेवारी ले रहा है। इन संयंत्रों में अपेक्षतया अधिक पूंजी निवेश की जरूरत है और इनकी परिचालन लागत पेट्रोलियम संभरण सामग्री पर आधारित संयंत्रों की लागत से कुछ अधिक होगी। संतुलन को सरकारी क्षेत्र के पक्ष में करने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि आयातित तरल अमोनिया पर आधारित उर्वरक संयंत्रों को, जिनके लिए कम पूंजी निवेश की आवश्यकता है और जिनकी जेस्टेशन अवधि अपेक्षाकृत थोड़ी होती है, सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित किया जाए।

(ग) उर्वरक के उत्पादन के लिए संभरण सामग्री के रूप में आयातित अमोनिया का इस्तेमाल संयंत्रों को जल्दी-जल्दी मुकम्मल करने में सहायता करेगा। सरकारी क्षेत्र उतनी ही संख्या में संयंत्र स्थापित करेगा जिनमें उर्वरक का उत्पादन आयातित अमोनिया पर लाभप्रद तौर पर आधारित किया जा सके। अतः सरकारी क्षेत्र के लिए आयातित अमोनिया के इस्तेमाल के आरक्षण से देश के उर्वरक उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारतीय तेल निगम के तेल-शोधक कारखानों में एल० पी० जी० की बर्बादी

2146. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टोरेज सिलन्डर प्राप्त करने तथा भारतीय तेल निगम के तेल शोधक कारखानों में बड़े पैमाने पर जलाई जाने वाली एल०पी०जी० का उपयोग करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस हानि को कम से कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और इसमें कब तक सफलता मिल जायेगी।

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) भारतीय तेल निगम की बरौनी तथा गुजरात स्थित शोधनशालाओं में सिलन्डरों की प्राप्ति और एल० पी० जी० के उत्पादन में प्रतिवर्ष सुधार होता है जो कि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	प्राप्य सिलन्डरों की सख्या	एल० पी० जी० का उत्पादन (मीटरी टन)	
		बरौनी	गुजरात
1967-68	66,000	2,891	421
1968-69	1,10,000	4,427	4,553
1969-70	1,32,800	7,006	11,044

(ख) सिलन्डरों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कदम उठाये गये हैं। इसके अतिरिक्त, भूवकों को कम से कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) सिलन्डरों की उपलब्धता में शोधनशालाओं में एल० पी० जी० के उत्पादन में वृद्धि की गई है।

(2) आन्तरिक ईंधन के रूप में गैस का अधिकतम इस्तेमाल किया जा रहा है।

(3) गोहाटी शोधनशाला में एल० पी० जी० के उत्पादन और बोटलिंग की सुविधायें लगभग मुकम्मल हो गई हैं।

गैस का अधिकतम उपयोग सिलन्डरों की उपलब्धि तथा उपरोक्त का इस्पात की उपलब्धि पर निर्भर है।

Ayurvedic Pharmaceutical Companies

2147. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of Ayurvedic Pharmaceutical companies, like Vaidyanath Pranda, in the country at present ; and

(b) the steps being taken by Government to check adulteration etc. in the drugs prepared by these companies ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

Hospital for Women in Rural Areas

2148. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of hospitals, especially those for women, in the rural areas of the country ;

(b) their number in urban areas as well ;

(c) the number of such hospitals proposed to be opened in rural and urban areas separately by the end of the Fourth Five Year Plan ; and

(d) the expenditure proposed to be incurred on this account in rural and urban areas, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

आसनसोल योजना संगठन की सफलतायें

2149. **श्री देवेन सेन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसोल योजना संगठन का गठन कब हुआ था ;

(ख) इसके गठन से अब तक इस संगठन ने क्या कार्य किया है ; और उसकी भावी योजना क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि आसनसोल योजना संगठन केवल योजनायें तैयार करता है परन्तु उसे योजनाओं को कार्यान्वित करने की शक्तियां प्राप्त नहीं हैं ; और

(घ) क्या आसनसोल योजना संगठन को दुर्गापुर विकास निकाय में मिलाने का कोई प्रस्ताव है ; और यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जनवरी, 1964 ।

(ख) आसनसोल—चितरंजन—दुर्गापुर औद्योगिक खान और नगरीय समूह के विकास के लिए एक एकीकृत वृहत योजना तैयार करने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार ने संगठन की स्थापना की थी । इस क्षेत्र के अन्तरिम विकास योजना और विस्तृत विकास योजना पूरी हो चुकी है । संगठन ने रानीगंज कुल्टी क्षेत्र के लिए भी एक अन्तरिम विकास योजना तैयार की है । क्षेत्र की क्षेत्रीय विकास योजना बनाने के कार्य में प्रगति हो रही है । आसनसोल, दुर्गापुर औद्योगिक श्रृंखला के खान-बस्ती की एकीकृत योजना तैयार करने का कार्य हाथ में ले लिया गया है ; सर्वेक्षण लगभग पूरे हो चुके हैं, ब्यौरे का विशलेषण प्रगति पर है, तथा आधारभूत नक्शे तैयार किये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त क्षेत्र की कुछ विशिष्ट विकास योजनायें तैयार कर ली गई हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) ऐसा एक प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

आवास तथा नगरीय विकास वित्त निगम को ऋण दिया जाना

2151. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : **क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगरीय विकास वित्त निगम के तदर्थ प्रबन्धक मंडल ने जीवन बीमा निगम और भारतीय युनिट ट्रस्ट से निगम को ऋण देने का निवेदन किया है ;

(ख) ऋण के रूप में कुल कितने धन की माँग की है ;

(ग) क्या प्रत्यक्ष कर बोर्ड से भी इस आशय का निवेदन किया है कि निगम की आय कर तथा सम्पत्ति कर के भुगतान करने से दस वर्ष तक की छूट दी जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी हां ।

(ख) 1970-71 वर्ष के दौरान निगम को क्रमशः 10 करोड़ और 2 करोड़ रुपये की राशि के ऋण देने की संभावना पर विचार करने के लिए जीवन बीमा निगम और युनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया से अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ). अभी नहीं, परन्तु ऐसा एक प्रस्ताव निगम द्वारा किया गया है और शीघ्र ही उस पर विचार किया जायेगा।

सूती कपड़ा मिलों के कर में राहत

2152. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री बे० कु० दास चौधरी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा मिल मालिकों ने पूंजी निवेश में कमी होने और तत्काल कपास विकास कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए कर में राहत की माँग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जबकि सूती वस्त्र उद्योग से अन्य आधारों पर कर में राहत के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, पर पूंजी निवेश में कमी होने और केश काटन डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे आधारों पर कोई मांग की गई प्रतीत नहीं होती है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के विकलांग विभाग में नये रोगी द्वारा देर तक प्रतीक्षा किया जाना

2153. **श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य प्रशासन तथा शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा अस्पतालों के बहरिंग रोगी विभाग के बारे में किये गये अध्ययन से इस तथ्य का पता लगता है कि सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के विकलांग विभाग में प्रत्येक नये रोगी के औसतन ढाई घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बात के लिए क्या कार्यवाही कर रही है कि रोगी को अधिक से अधिक आध घंटा ही प्रतीक्षा करनी पड़े ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास, तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन एवं शिक्षा संस्थान द्वारा सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के बहिरंग विकलांग विभाग का मार्गदर्शी-अध्ययन किया

गया था। उन्होंने पाया कि विकलांग विभाग में एक नये रोगी को औसतन 146 मिनट का समय लगाया जाता है। इस समय को कम करने के हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की गई :

(i) पुराने और नये रोगियों के लिए अलग-अलग समय।

(ii) पुराने रोगियों के लिए पंजीकरण की पद्धति को अलग करना और इसके स्थान पर सामूहिक भेंट प्रणाली को अपनाना।

(iii) भीड़-भाड़ और इधर से उधर आने-जाने को कम करने के लिए वर्तमान सेवा क्षेत्रों का पूनर्विभाजन।

(iv) पुराने और ज्यादा समय लेने वाले प्लास्टर काटने के औजारों के स्थान पर नये औजारों का प्रबन्ध और एक्स-रे की प्लेटों के लिए एक इलैक्ट्रोकल ड्रायर की व्यवस्था करना।

(v) स्टाफ में कुछ छुट-पुट अदला-बदली।

इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सफदरजंग अस्पताल ने पहले ही निम्नलिखित कदम उठा लिए हैं :—

(i) वहां पर 8½ बजे प्रातः से 2 बजे सायं तक 8 डाक्टर कार्य करते हैं। रोगियों की सेवा को और अधिक बढ़ाने तथा सुबह के समय भीड़ को कम करने के लिए शल्य क्रिया के पश्चात् किये जाने वाले सेवा कार्यों और पोस्ट पोलियो संबंधी सेवा कार्यों को अलग-अलग कर दिया है। अन्य विशिष्ट शाखाओं के क्लिनिक भी खोले गये हैं जो केवल दोपहर पश्चात् ही कार्य करते हैं।

(ii) एक अलग पंजीकरण काउन्टर खोल दिया गया है जिसमें दो खिड़कियां हैं, एक पुराने रोगियों के लिए और दूसरी नये रोगियों के लिए।

(iii) रोगियों के लिए प्रतीक्षालय का विस्तार कर दिया गया है और निकट भविष्य में एक नये हाल के निर्माण से परीक्षा हेतु प्रतीक्षा वाला स्थान लगभग तिगुना हो जायेगा और इस प्रकार भीड़-भाड़ कम हो जायेगी।

(iv) केन्द्रीय गलियों के दोनों ओर रखे हुए अभिलेखों को वहां से हटा दिया गया है और उसे सुन्दर हवादार और प्रकाशयुक्त बनाने के लिए उसमें काफी पंखे लगा दिए गए हैं।

(v) विकलांग विभाग के केन्द्रीय संस्थान से सम्बद्ध एक्स-रे विभाग में एक्स-रे चित्रों की तुरन्त जांच के लिए एक द्रुत फिल्म सोखक की व्यवस्था कर दी गई है।

(vi) यह आशा की जाती है कि आगामी कुछ महीनों में वर्तमान एक्स-रे विभाग में 150 एम० ए० का दूसरा बड़ा एक्स-रे एकक लगा दिया जायेगा ताकि रीढ़ के एक्स-रे जल्दी-जल्दी किये जा सकें।

कार्मिक संघ संबंधी कार्य के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं से कार्य मुक्त किये गये कर्मचारी

2154. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया की विभिन्न शाखाओं से 1969 में कुल कितने कर्मचारी कार्मिक संघ सम्बन्धी कार्य के लिए कार्य मुक्त किये गये ;

(ख) क्या इन कार्य मुक्त किये गये कर्मचारियों का उनके पहले पद पर लियन बना रहेगा ; और

(ग) क्या उन्हें अपना वेतन और अन्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बैंक के पांच कर्मचारियों को, जो प्रबन्धक वर्ग द्वारा मान्यता-प्राप्त संघ के पदाधिकारी हैं, संघ का काम करने के लिए कार्यालय के काम से छूट दे रखी है।

(ख) और (ग). जी, हां।

Seizure of Opium

2155. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 97 on the 27th July, 1970 regarding seizure of opium at Mohania Check Post in Bihar and state :

(a) the sources of such illegal and anti-national trade ;

(b) the persons who are responsible for this ;

(c) the place where the said opium has been produced and the names of the countries and the routes through which it is smuggled ; and

(d) how far the steps taken to abolish the main source have been effective ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (c) The opium seized, which is reported to be of Madhya Pradesh origin was loaded in a truck registered at Indore, for transportation to Calcutta.

(b) Dilawar Singh, the driver of the truck, has since surrendered and is in custody. Further investigations are in progress.

(d) All possible efforts are made by the enforcement agencies of the Central and State Governments to suppress the illicit traffic in opium. The strength of the Preventive Wing of the Narcotics Bureau, in and around the growing areas, has also been increased recently to deal more effectively with this problem.

Amount found Missing from Safe in Chandigarh Branch of the Bank of India

2156. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several lakhs of rupees were found missing from the safe in the Chandigarh Branch of the Bank of India some months ago ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the details of the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). On the 22nd October, 1969, a sum of Rs. 2,84,547/- placed in the safe the previous day was found missing at the Chandigarh branch of the Bank of India. The cash was held in a steel safe of standard make, which was locked by the joint *custodians, viz.* the agent and the cashier-in-charge. On the 22nd October, 1969, when the lock of the safe was being opened with the key by the agent and cashier of the bank for removing cash from the safe to commence business, it was found that the key could not be inserted in the lock.

ब्याज की दरों को बढ़ाने के बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा दी गई हिदायतें

2157. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एक जुलाई, 1970 से ब्याज की दरों में 0.5 प्रतिशत वृद्धि करने के बारे में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा हाल ही में समस्त बैंकों को दी गई हिदायतों के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को पहली जुलाई, 1970 से अग्रिमों पर अपनी ब्याज की दरें बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई हिदायत नहीं दी गई है। परन्तु रिजर्व बैंक ने कुछ से संवेदनशील जिन्सों जैसे वनस्पति तेलों और तेलहनों, अनाज देशी रुई और कपास के बदले दिये जाने वाले अग्रिमों पर 21 जनवरी, 1970 से कम से कम 10 प्रतिशत की ब्याज-दर तय की थी। 50 करोड़ रुपये से अधिक की जमा रकमों वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सभी विदेशी बैंकों द्वारा अग्रिमों पर लिये जाने वाले ब्याज की 9.5 प्रतिशत की अधिकतम दर की सीमा को रिजर्व बैंक ने उसी तारीख से हटा लिया था और बैंकों को अग्रिमों पर अपने विचार के अनुसार उचित दर से ब्याज लेने की छूट दे दी गई थी परन्तु उन्हें रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये विशेष निदेशों का पालन करना होता था, जैसे कि निर्यात के मामले में 6 प्रतिशत की दर की अधिकतम सीमा अब भी लागू है। बाद में, 28 अप्रैल, 1970 से बनस्पति तेलों, तेलहनों और देसी रुई और कपास के बदले दिये जाने वाले अग्रिमों पर ब्याज की दर बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी गई थी। यह कदम उपर्युक्त जिन्सों के मूल्यों में लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और कमी वाली जिन्सों की सट्टेबाजी के लिये जमाखोरी को रोकने के लिए उठाये गये थे।

राष्ट्रीय ऋण संस्थानों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

2158. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के दौरान प्रत्येक मुख्य राष्ट्रीय ऋण संस्थान किन-किन क्षेत्रों में और किन-किन उद्देश्यों के लिए कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस आशय का कोई पत्र भेजा है कि प्रत्येक मुख्य राष्ट्रीय ऋण संस्थानों द्वारा जिनमें से अधिकांश के मुख्यालय बम्बई में हैं पूर्वी क्षेत्र विशेषकर पश्चिम बंगाल का विकास करने में सामान्य से कुछ अधिक रुचि लिये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार उनसे कहे ; और

(ग) यदि हां, इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग). पश्चिम बंगाल सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें, राज्य में अधिक पूंजी-निवेश करने के उद्देश्य से वाणिज्य मंडलों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ विचार-विमर्श करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों और वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था । पश्चिम बंगाल के विकास की विशेष समस्याओं के बारे में, कुछ दिन पहले, केन्द्रीय वित मंत्रालय, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, जीवन बीमा निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श हो चुका है । इस विचार-विमर्श के बाद, आशा है कि लम्बी अवधि के लिए वित्तीय सहायता देने वाली संस्थायें और सरकारी क्षेत्र के बैंक पूर्वी प्रदेश में अपनी गतिविधियों में तेजी लाएंगे ताकि उस क्षेत्र के उद्यमकर्ताओं की समस्याओं पर पहले से ज्यादा ध्यान दिया जा सके । इस सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने कलकत्ता में एक प्रादेशिक समिति बनाने का निश्चय किया है जिसे इस क्षेत्र की प्रायोजनाओं को वित्तीय सहायता की स्वीकृति देने और उसका भुगतान करने के पर्याप्त अधिकार होंगे ।

व्यापार गृहों पर छापे

2159. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़े व्यापार गृहों द्वारा नियन्त्रित जिन व्यापारिक कम्पनियों के अहातों पर कर अपवंचन न्यूनबीजकांकन और अधि-बीजकांकन से सम्बन्धित कागजात, वस्तुओं आदि को ढूंढने के लिए छापे मारे गए, उनके क्या नाम हैं ; और

(ख) पकड़े गए कागजात और वस्तुएं किस प्रकार की हैं तथा प्रत्येक मामले में की गयी बाद की कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जिन व्यापारिक कम्पनियों के सम्बन्ध में सूचना अपेक्षित है, यदि उनके नाम बता दिए जाएं तो मांगी गई सूचना एकत्र करके प्रस्तुत की जा सकती है । प्रश्न में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "बड़े व्यापार गृहों द्वारा नियंत्रित व्यापारिक कम्पनियों" अस्पष्ट है और 'व्यापारिक कम्पनियों' को निर्धारित कर सकने के लिए बहुत व्यापक है ।

शीतल पेय 'कोका कोला'

2160. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अमरीका द्वारा चलाये गये एक शीतल पेय 'कोका कोला' की रासयनिक जांच इस दृष्टि से कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकार है अथवा नहीं ; और

(ख) यदि हां, तो जांच का निष्कर्ष क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) किये गए परीक्षणों से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कोका कोला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ।

यूनियन बैंक आफ इण्डिया द्वारा एक नई योजना 'कैश कार्ड' का जारी किया जाना

2161. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में से यूनियन बैंक आफ इण्डिया नामक एक बैंक चैकों के तुरन्त भुगतान के लिए अपने खाते खोलने वालों तथा जमाकर्ताओं की सुविधा के लिए एक नई 'यूनिकार्ड' नाम की 'कैश-कार्ड' योजना चालू करने पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यह कब से और कहां पर चालू की जायेगी ;

(घ) क्या अन्य राष्ट्रीय बैंक भी इसी प्रकार की योजनाएं चालू करेंगे ; और

(ङ) क्या सरकार ने उपर्युक्त योजना को चालू करने की अनुमति दे दी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग). चैकों को तुरन्त भुनाने की सुविधा देने के उद्देश्य से यूनियन बैंक आफ इण्डिया ने पहली अगस्त 1970 से 'नकदी कार्ड' की एक योजना चालू की है । इस योजना के अधीन, बैंक के अच्छी प्रकार से परिचय-प्राप्त जमाकर्ताओं को एक कार्ड दिया जाता है जिस पर कार्ड-धारी के हस्ताक्षर होते हैं और इसके साथ सौ-सौ रुपये के छपे-छपाये विशेष चैक भी दिये जाते हैं, जिन्हें होटलों, बड़ी-बड़ी दुकानों (डिपार्टमेंटल स्टोर) और सिनेमा-घरों जैसे अधिकृत प्रतिष्ठानों से भुनाया जा सकता है । कार्ड-धारी को अपना कार्ड प्रस्तुत करना पड़ता है और अधिकृत प्रतिष्ठान में विशेष चैक पर कार्ड में दिये गये अपने हस्ताक्षर की तरह के हस्ताक्षर करने पड़ते हैं । प्रारम्भ में इस योजना को बम्बई में शुरू किया गया है और बैंक इस सुविधा को अन्य महा-नगरों में उपलब्ध करने की योजना बना रहा है ।

(घ) कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने, अर्थात् सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, बैंक आफ बड़ौदा, सिण्डीकेट बैंक और बैंक आफ इण्डिया ने इसी प्रकार की योजनाएं पहले ही शुरू कर रखी हैं । अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भी इसी प्रकार की योजनाएं शुरू किये जाने के सम्बन्ध में कोई संकेत नही मिले हैं । अपने साधनों और खर्च को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग बैंक ग्राहकी सेवा के विभिन्न तरीके अपना सकते हैं ।

(ङ) बैंक ने योजना को शुरू करने के सम्बन्ध में सरकार को सूचित कर दिया था । परन्तु, इसे शुरू करने के लिए स्वीकृति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

नई दिल्ली में मोटर गाड़ियों द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं से वायु के दूषित होने का अनुमान लगाने के लिए केन्द्रों की स्थापना

2162. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में चलने वाली मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से दूषित वायु की मात्रा की जांच के लिए केन्द्र स्थापित करने के चिर प्रतीक्षित प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जाने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किये जाने वाले हैं और इस सम्बन्ध में क्या अन्य कार्यवाही की जा रही है ; और यह कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ;

(ग) इस पर कुल कितना वित्तीय खर्च होगा ; और

(घ) क्या कलकत्ता बम्बई मद्रास कानपुर तथा लखनऊ जैसे बड़े शहरों में भी ऐसे केन्द्र स्थापित किये जायेंगे और ऐसी ही अन्य कार्यवाही की जायेगी ; यदि हां, तो यह कार्य कब तक किये जाने की सम्भावना है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख) और (ग). दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे 20 केन्द्र खोलने का विचार है। स्वचालित वाहनों के धुएं, औद्योगिक गैसों, धुएं, आदि के नमूने एकत्र करने के लिए दो मोटर गाड़ियां चलाने का भी विचार है। जिनमें नमूना एकत्र करने का उपस्कर लगा हुआ होगा।

इस कार्य को शुरू करने के लिए धूल-गर्द, सल्फर-डाइआक्साइड धुएं, कार्बन मोनो-आक्साइड और नाइट्रोजन के आक्साइड के नमूने एकत्र करने का विचार है। नमूने औद्योगिक क्षेत्रों, भारी यातायात वाले केन्द्रों लोकोमोटिव शेडों, पावर हाउसों, घनी बस्तियों और रोड़ी कूटने की मिलों के समीप बसे क्षेत्रों से लिए जायेंगे।

वायु-दूषक तत्वों के जमाव के निर्धारण के उद्देश्य से एकत्र किये गये नमूनों के परीक्षण के लिए एक केन्द्रीय प्रयोगशाला स्थापित करने का भी विचार है।

जैसे ही नमूने लेने वाले केन्द्र स्थापित हो जायेंगे और अन्य आवश्यक प्रबन्ध पूरे हो जाएंगे, वैसे ही कार्य शुरू होने की सम्भावना है। इस पर कितना धन खर्च होगा इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में उर्वरक कारखानों की राज्य सरकार द्वारा मांग

2163. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में कुछ उर्वरक कारखानों की स्थापना की मांग कर रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि हां उसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी उसके लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी और वे कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ; और

(घ) उनका निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होगा और कब तक पूरा होगा ; और कारखाने में उत्पादन कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (घ). सरकार ने उड़ीसा में तालचर नामक स्थान पर कोयले पर आधारित एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए पहले ही अनुमति दे दी है इसकी वार्षिक क्षमता नाइट्रोजन के रूप में 228,000 मीटरी टन होगी और अन्तिम उत्पाद 495,000 मीटरी टन यूरिया होगा। परियोजना पर 7049.26 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसमें 1999.92 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा शामिल है। इस परियोजना का शिलान्यास 3.2.1970 को रखा गया था। परियोजना की क्रियान्विति के लिए प्रारम्भिक कदम उठाये गये हैं और आशा है कि यह चौथी योजना के अन्त तक मुकम्मल हो जायेगी। उड़ीसा में पारादीप नामक स्थान पर आयातित अमोनिया पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना का भी प्रस्ताव है। भारतीय उर्वरक निगम से इस परियोजना के लिए एक तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है।

अनाज के व्यापारियों के लिए ऋण में कमी करना

2164. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज के व्यापारियों के लिए ऋण में कमी करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी करने का विचार है ; और

(ग) क्या यह खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए किया जा रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग). मूल्यों की वृद्धि को रोके रखने तथा अनाज समेत कृषि वाली वस्तुओं का सट्टेबाजी के लिए संग्रह करने को निरुत्साहित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने, बैंकों द्वारा अनाज के आधार पर दिये जाने वाले ऋणों पर नियंत्रण को कड़ा कर दिया है। 21 जनवरी, 1970 को एक निदेश जारी किया गया था जिसमें बैंकों से कहा गया है कि अनाज का संग्रह करने वाले राज्य सरकारों के और भारतीय खाद्य निगम के प्राधिकृत एजेन्टों को छोड़कर, अन्य सभी अनाज के व्यापारियों को अनाज के आधार पर दिये जाने वाले ऋणों पर कम से कम 10 प्रतिशत ब्याज की दर वसूल करें। भारतीय खाद्य निगम द्वारा विधिवत् नियुक्त एजेन्टों को अनाज के स्टाक के आधार पर दिये गये ऋणों को छोड़कर, अन्य सभी अनाज के आधार पर दिये गये ऋणों के प्रयोजन के लिए कम से

कम 50 प्रतिशत का मार्जिन नियत किया गया था। जनवरी-फरवरी, 1970 से शुरू होने वाले प्रत्येक दो महीनों की अवधि के लिए प्रत्येक बैंक की अनाज की प्रतिभूति के आधार पर दिये जाने वाले ऋणों की उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी गई है जो 1968 की इसी अवधि के दो महीनों में रखे गये स्तर का 80 प्रतिशत है। रिजर्व बैंक स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है।

दिल्ली में महापौरों की अखिल भारतीय परिषद् की बैठक

2165. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महापौरों की अखिल भारतीय परिषद् की बैठक जुलाई, 1970 को दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या क्या निर्णय किये गये ;

(ग) क्या सम्पत्ति कर की वसूली के बारे में महापौरों के दावे को रद्द कर दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अप्रैल, 1970 में मद्रास में आयोजित नगर निगम के सातवें सम्मेलन के एक निर्णय का पालन करते हुए, 9 जुलाई, 1970 को दिल्ली में स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगर विकास मंत्री की अध्यक्षता में अखिल भारतीय महापौर परिषद् की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक हुई थी।

(ख) उक्त बैठक में किये गये प्रस्तावों की खास-खास बातें इस प्रकार हैं :—

(i) नगर निगमों को उनकी समस्याओं की जानकारी, देने, आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने और उन्हें हल करने के लिए साधन ढूंढने हेतु आबादी के आधार पर तीन श्रेणियों में विभक्त कर दिया जाये ;

(ii) अन्य शहरों के नगर निगमों को चाहिये कि वे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली में अपनाई गई कर-योग्य मूल्य आदि के मूल्यांकन की पद्धति का विस्तृत अध्ययन करें और आमदनी के इस महत्वपूर्ण स्रोत से होने वाली प्राप्ति को बढ़ाने की दृष्टि से अपनी-अपनी पद्धतियों में ऐसे परिवर्तन कर लें जो व्यवहार्य हों।

(iii) अध्यक्ष तथा महापौरों को चाहिए कि वे वित्त मंत्री के पास जायें और उन पर नगर निगमों के वित्तीय साधनों को बढ़ाने की तात्कालिक आवश्यकता पर एवं केन्द्रीय सरकारी सम्पत्तियों पर सम्पत्ति कर लगाने के बारे में दिये गए सुझावों को स्वीकार करने के लिए जोर दें।

(iv) राज्य योजना नियतनों में से योजना आयोग नगर निगमों के लिए एक निश्चित धनराशि निर्धारित करें। यह निर्धारण हाल ही में रिहायशी आवास के लिए स्थापित आवर्ती निधि पर भी लागू होनी चाहिए।

(v) ऐसी परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के लिये नगर निगमों को धन उपलब्ध कराने के विचार से खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय को चाहिए कि वह बूचड़खानों के आधुनिकीकरण के लिए इस योजना की जांच करें। बम्बई नगर निगम को उसकी परियोजना को पूरा करने के लिये जो कि पर्याप्त प्रगति पर हैं। ऋण सहायता उपलब्ध कराने की सम्भावना पर उक्त मंत्रालय तुरन्त विचार कर सकता है।

(vi) नगर निगमों के मार्ग-दर्शन के लिये आवर्ती निधि को कार्य प्रणाली तथा अन्य ब्यौरों पर निर्माण आवास और नगर विकास विभाग एक विस्तृत पेपर परिचालित करेगा।

(vii) लगभग तीन महीने बाद स्थानीय स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद की प्रस्तावित बैठक के साथ अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की अगली बैठक भी आयोजित की जाय। अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारिणी के सदस्यों और स्थानीय स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद के सदस्यों की बैंक संयुक्त बैठक भी होनी चाहिये।

(ग) और (घ). सम्पत्ति कर नगर निगमों द्वारा ही लगाया और उगाया जाता है और इसलिए सम्पत्ति कर सम्बन्धी प्राप्तियों के बारे में महापौरों के दावे को अस्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बैठक में महापौरों ने यह भी दावा किया कि केन्द्रीय सरकार अपनी उन सम्पत्तियों पर वर्तमान में दिये जा रहे करके 75 प्रतिशत तक सेवा खर्च के बदले पूरा-पूरा सम्पत्ति कर दे जिन पर कि संविधान के अनुच्छेद 285 के अधीन ऐसे कर नहीं लिये जाते। उन्होंने यह भी दावा किया कि बाजार मूल्य के आधार पर कर योग्य मूल्य भी निश्चित किये जायें। रेलवे, आदि जैसे वाणिज्यिक विभागों की सम्पत्तियों पर सम्पत्ति कर लगाने का अधिकार देने वाला एक व्यापक केन्द्रीय कानून बनाने के विषय पर सरकार पहले से ही विचार कर रही है।

इम्फाल नगरपालिका द्वारा पट्टे पर दिये गये प्लाटों पर प्रीमियम के रूप में वसूल की गई धन राशि

2166. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल नगरपालिका ने 1966-67 में महिला बाजार-इम्फाल (मनीपुर) के पुराने बाजार में प्लाटों को पट्टे पर देते समय कितनी धनराशि प्रीमियम के रूप में वसूल की है ;

(ख) क्या इस प्रकार से वसूल की गई प्रीमियम राशि को इस दृष्टि से किसी भी उपयोग में नहीं लाया गया कि वह प्लाट पट्टेधारियों को वापस दे दी जायेगी ;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त राशि किस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई ; और

(घ) क्या मनीपुर सरकार उक्त नगरपालिका द्वारा एकत्र की गई प्रीमियम राशि और उसके उपयोग से अवगत है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मणिपुर में आयकर की वसूली

2167. **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र मनिपुर से वर्ष 1968-69 और 1969-70 में आयकर के रूप में कुल कितनी राशि वसूल की गई ;

(ख) उन फर्मों की आयकर की बकाया राशि कितनी है जिन्हें 5000 रुपये और उससे अधिक आय कर के रूप में देना होता है और उन फर्मों की सूची प्रस्तुत कीजिए जिन्हें वर्ष 1968-69 और 1969-70 में बकाया राशि के रूप में उक्त रकम देनी है ; और

(ग) मणिपुर में 1969-70 में सबसे अधिक आय कर देने वाले 10 बड़े फर्मों की सूची क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा संभव शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जिन फर्मों को 5000 रुपये तथा इससे अधिक, आयकर की अदायगी करनी है, उनके सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी करने में बहुत समय तथा श्रम लगेगा ; किन्तु जिन फर्मों को वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में 10,000 रु० तथा उससे अधिक आयकर की अदायगी करनी है, उनके सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा यथा संभव शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी । :

प्रत्यक्ष कर जांच समिति

2168. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि करअपवंचन समस्या प्रशासकों को परेशान कर रही है और गुप्त एवं लेखा बाह्य धन की मात्रा के सम्बन्ध में कोई विश्वस्त आंकड़ा नहीं प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्यक्ष कर जाँच समिति के द्वारा कर अपवंचन का सही पता लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है ;

(ग) क्या समिति इस विषय पर पृथक या अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ;

(घ) यदि हां, तो इस विषय पर प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ; और

(ङ) कर अपवंचन के सम्बन्ध में सही पता लगाने के लिए समिति ने किन मार्ग दर्शन सिद्धान्तों को अपनाया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारी मात्रा में कर-अपवंचन होता है और इसकी मात्रा का कोई विश्वसनीय अन्दाजा लगाना कठिन है। किसी भी देश में ऐसा करना संभव नहीं हो पाया है और भारत तथा विदेशों में विभिन्न जांच निकायों ने इस सम्बन्ध में होने वाली कठिनाइयों को स्वीकारा है। ब्रिटेन में 1920 के रायल कमीशन तथा आयकर जांच-पड़ताल आयोग (1947), कराधान जांच आयोग (1953-54) और प्रत्यक्ष कर-प्रशासन जाँच समिति (1958-69) ने इसके परिणाम का सही अनुमान लगाने में होने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया है। कर-अपवंचन की समस्या की ओर, सरकार का ध्यान निरंतर लगा रहा है और इसे रोकने के लिए समय-समय पर कई प्रशासनिक तथा विधायी उपाय किये गये है।

2. प्रत्यक्ष कर जांच समिति ने 15 मई 1970 को एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की थी जिसमें जून 1970 के अन्त तक उत्तर देने का समय दिया गया था। किन्तु वाणिज्य मण्डलों, अन्य निकायों तथा अलग-अलग व्यक्तियों से प्राप्त बहुत ही प्रार्थनाओं के संदर्भ में, यह समय 31 जुलाई 1970 तक बढ़ा दिया गया। समिति द्वारा, निर्देश-पदों के अन्तर्गत आने वाले बहुत से प्रश्नों की स्वतंत्र रूप से जांच भी की जा रही है। समिति की अब तक तीन गोष्ठियां हुई हैं और प्रत्येक गोष्ठी की कई कई बैठकें हुई हैं।

3. समिति किस तारीख तक अपनी रिपोर्ट पेश कर सकेगी, इस बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया जा सकता। समिति, यदि संभव हो सका तो, अगले कुछ महीनों के अन्दर एक अन्तरिम रिपोर्ट देने का विचार कर रही है। अन्तिम रिपोर्ट देने में अपेक्षाकृत अधिक समय लग सकता है और वह संभवतः अगले वर्ष में किसी समय पेश की जा सकेगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा "गिरवी घरों" का खोला जाना

2169. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्री श्री सी० सुब्रहण्यम ने यह सुझाव दिया था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 'गिरवी घर" खोले जाने चाहिए ताकि साहूकार गरीब लोगों से ब्याज की अनुचित कर न ले सकें जहां से गरीबों को अपना सामान गिरवी रखने पर आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध हो जाय, और क्या यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) बैंक राष्ट्रीयकरण से ग्रामीण लोगों की ऋणग्रस्तता की समस्या कहां तक हल हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्री, श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने हाल में यह सुझाव दिया था कि समाज के गरीब वर्गों के लोगों की सहायता करने के लिए, राष्ट्रीयकृत बैंकों को गिरवी-घर (पान-शाप) खोलने चाहिएं जहां लोग अपनी वस्तुयें गिरवी रख कर आसान शर्तों पर ऋण ले सकें। उन्होंने यह सुझाव भी दिया था कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की ऋणग्रस्तता की सीमा को आंकने के लिए दो लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में तेजी से सर्वेक्षण किये जांय और उनके ऊपर साहूकारों का जो ऋण है उसको बैंक-ऋणों के जरिये चुकता करने की एक योजना बनाई जाय। ऋणों की वसूली यदि आवश्यक हो प्राप्ति स्रोत पर उनके वेतनों से कटौती करके की जा सकती है।

इस प्रस्ताव की जांच सरकार द्वारा की गई थी। यह महसूस किया गया कि इस प्रकार की योजना से, ऋण लेने के आदी लोगों को अपने ऋणों को चुकता करने में कोई सहायता मिलेगी, इसमें सन्देह है। लोग आम तौर पर अपनी उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण लेने के वास्ते गिरवी-घरों का सहारा लेते हैं। बैंकों से सस्ता ऋण उपलब्ध होने से उपभोग सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए, ऋण लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार ऋण लेने को प्रोत्साहन देने की बजाय बचत की आदत पैदा की जाय।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंक अपने क्रियाकलापों गांवों तक तेजी से विस्तार कर रहे हैं और किसानों को उत्तरोत्तर अधिक ऋण दे रहे हैं। 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में किसानों के ऋण-खातों की संख्या जो जून 1969 में 2,35,000 थी वह मई 1970 के अन्त में 3,44,000 हो गई और ऋण की बकाया राशि 27 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 92 करोड़ रुपया हो गई। बैंक-ऋण प्राप्त होने से, किसानों और अन्य छोटे ऋण-कर्ताओं को, काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं और उपकरणों में अपेक्षाकृत अधिक निवेश के जरिये अपनी उत्पादकता में वृद्धि करके अपनी आय बढ़ाने और इस प्रकार अपनी पुरानी ऋण-ग्रस्तता को दूर करने में सहायता मिलेगी। लेकिन अभी इतनी जल्दी इस सम्बन्ध में कोई ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या किस हद तक हल हुई है।

अप्रयुक्त परियोजना सहायता का सदुपयोग

2170. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके अनुसार परियोजना सहायता के अप्रयुक्त भाग को सहमति प्राप्त अन्य योजनाओं को स्थानान्तरित की जा सके या किसी अन्य उपयोग के लिए उसका एक पृथक कोष बनाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों में कतिपय परियोजनाओं के लिए निर्धारित किन्तु अप्रयुक्त रही सहायता का ब्यौरा क्या है, और ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें दी गई सहायता अप्रयुक्त रही ; और

(घ) सहायता के अप्रयुक्त भाग का किस प्रकार से उपयोग किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं । सामान्यतः जब किसी प्रायोजना के लिए विशेष रूप से ऋण लिया गया हो, तो उस प्रायोजना के लिए ऋण की रकम के एक भाग की आवश्यकता न होने की स्थिति में, उसे किसी अन्य प्रयोजना के लिए अन्तरित नहीं किया जा सकता । प्रायोजना या प्रायोजना-भिन्न सहायता के सम्बन्ध में नये वचन देने से पहले, कुछ ऋण-दाता सहायता के प्रयोग न किये गये भागों का, अपने-अपने हिसाब से ध्यान रखते हैं । पिछले तीन वर्षों में एक ऐसा मामला भी आया है जिसमें एक प्रायोजना से सम्बद्ध ऋण की अप्रयुक्त रकम को अन्य प्रायोजना को अन्तरित किया गया था ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(घ) ऋणों की शर्तों के अनुसार, ऋणों के अप्रयुक्त भाग को, सामान्यतः, करार में उल्लिखित प्रायोजना से भिन्न प्रायोजना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा जा सकता । अप्रयुक्त रकम को ऋण की रकम से घटा दिया जाता है । परन्तु, दुर्गापुर इस्पात प्रायोजना के विस्तार के लिए ब्रिटेन के साथ किये गये ऋण करार के मामले में, आवश्यकता से अधिक पाई गई 15 लाख पौण्ड की रकम ब्रिटेन की सरकार से बातचीत करके और उसकी सहमति से, नागपुर तापीय बिजली प्रायोजना को अन्तरित कर दी गई थी । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल० टी० 3915/70]

आवास निगम में वित्तीय संकट

2172. **श्री बे० कु० दासचौधरी :** **श्री दे० अमात :**
श्री सीताराम केसरी : **श्री बलराज मधोक :**

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवास निगम इस समय वित्तीय संकट से गुजर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या सरकार ने पी० एल० 480 निधि में से कुछ राशि देश में आवास कार्यक्रम के लिए देने के सम्बन्ध में निर्णय कर लिये हैं और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लेटों की बिक्री में सरकारी कर्मचारियों को छूट

2173. **श्री चेंगलराया नायडू :**

श्री रा० बरुआ :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यम-आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को बेचे जाने वाले फ्लैटों के लिए प्रारम्भिक पंजीकरण के समय जमा की जाने वाली निर्धारित राशि के सम्बन्ध में क्या सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण कोई रियायत देता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास योजनाएं विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिए हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। प्राधिकरण, फ्लैटों के खरीद की आरम्भिक पंजीकरण के जमा के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई विशेष रियायत देने का औचित्य नहीं समझती।

प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय

2174. **श्री एस० नारायण रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में एक प्रतिशत से भी कम वृद्धि से, जो कि इस समय निम्नतम है, आगामी कुछ वर्षों में लोगों से प्राप्त होने वाले वास्तविक राजस्व में कमी हो जायेगी ;

(ख) क्या अनुकूल परिस्थितियों में भी भारत की अर्थ व्यवस्था 1980 से पूर्व 'संचय दर' तक नहीं पहुंच पायेगी, जिससे 55.3 करोड़ की जनसंख्या वाला देश स्वयंधारी आर्थिक विकास की अवस्था तक पहुँच सके ; और

(ग) यदि हां, तो अर्थ व्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने क्या दोष निवारक कार्यवाही की है और करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं। अनुमान है कि 1969-70 में राष्ट्रीय आय में 1968-69 की तुलना में अपेक्षाकृत काफी अधिक तेजी से वृद्धि होगी और इसके परिणामस्वरूप प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होगी। चौथी पंचवर्षीय आयोजना में लगभग 5½ प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि होने की परिकल्पना की गयी है, अर्थात् इसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिव्यक्ति आय के स्तरों में, औसतन, लगभग 3 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि होगी।

(ख) और (ग). चौथी पंचवर्षीय आयोजना हमारी अर्थ-व्यवस्था के विकास के नाजुक दौर की द्योतक है क्योंकि इसका उद्देश्य पिछले दो दशकों में किये गये आर्थिक आयोजना की सफलताओं को सुदृढ़ बनाना और उन्हें और आगे बढ़ाना है तथा आत्मनिर्भर विकास की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, 1971 से अन्न के रियायती आयात को बन्द करने और चौथी आयोजना के अन्त तक, विदेशी सहायता की शुरू रकम को, वर्तमान स्तर से, घटाकर लगभग आधा कर देने की योजना बनाई गयी है। शुद्ध बचतों की दर को, जो 1968-69 में 8.8 प्रतिशत थी, 1973-74 में बढ़ाकर 13.2 प्रतिशत किया जाना है और इसी अवधि में निवेश की दर को 11.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 14.2 प्रतिशत किया जाना है। उद्देश्य यह है कि 1980-81 तक बचतों की दर को लगभग 18 प्रतिशत किया जाय ताकि उस तारीख तक विदेशी सहायता पर निर्भरता से पूरी तरह मुक्त हुआ जा सके और उसके बाद, आत्मनिर्भर आर्थिक विकास के लिए आधार तैयार किया जा सके। अर्थ-व्यवस्था में बचतों और निवेश की दरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से आयोजना की पुस्तिका में विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में बताया गया है।

मणिपुर के लिए मुख्य टी० बी० अधिकारी

2175. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर के लिए मुख्य टी० बी० अधिकारी के पद की सृष्टि कब की गई ;

(ख) उक्त पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिये गये विज्ञापन का स्वरूप क्या था, विज्ञापन में बताई गई अर्हता क्या थी तथा वेतनमान निर्धारित किया गया था ;

(ग) इस पद के लिए निश्चित किये गये कार्य एवं मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं ; और

(घ) क्या पदस्थ व्यक्ति को टी० बी० नियन्त्रण सम्बन्धी कोई अनुभव प्राप्त है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मणिपुर के लिये मुख्य क्षय रोग अधिकारी का पद 21 नवम्बर, 1970 को सर्जित किया गया था।

(ख) और (ग). संघ लोक सेवा आयोग ने इस पद को अस्थाई किन्तु स्थाई होने की सम्भावना वाला विज्ञापित किया था और उसमें इसके लिए 400-400-450-30-600-35-

670-द० रो०-35-950 रुपये के वेतनमान के साथ-साथ कम से कम 150 रुपये प्रतिमास की शर्त पर वेतन के पच्चीस प्रतिशत के हिसाब से प्रैक्टिस न करने का भत्ता देना बतलाया था। उक्त पद के लिए विज्ञापन में विदित आयु, अर्हताएं और ड्यूटियां इस प्रकार थीं :

आयु—35 वर्ष और उससे कम

अर्हताएं—

(1) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की पहली अथवा दूसरी अनुसूची अथवा तीसरी अनुसूची के भाग II (लाइसेन्सिएट अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई चिकित्सा अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित अर्हताओं वाले व्यक्तियों को इस अधिनियम की धारा 13(3) में अनुबद्ध शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

(2) स्नातकोत्तर अर्हताएं जैसी कि एम० डी०, एम० आर० सी० पी०, एफ० आर० सी० एस०, एम० एस० अथवा समकक्ष और इस विशिष्ट शाखा से संबद्ध कार्य में किसी उत्तरदायित्व पूर्ण स्थिति में कम से कम तीन वर्ष का सुनाम

अथवा

स्नातकोत्तर अर्हता जैसे कि टी० डी० डी०, डी० टी० डी०, अथवा समकक्ष, और इस विशिष्ट शाखा से संबद्ध कार्य में किसी उत्तरदायित्वपूर्ण स्थिति में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव के साथ-साथ चिकित्सा के इस क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का सुनाम।

कार्य

(1) वह क्षय-रोग निरोधी योजनाओं का प्रभारी होगा ;

(2) वह बी० सी० जी०, टी० बी० क्लिनिक और 100 पलंगों वाले टी० बी० अस्पताल के कार्यभारी चिकित्सा अधिकारियों के काम का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करेगा ;

(3) वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में खोले जाने वाले टी० बी० क्लिनिक का प्रभारी भी होगा। विज्ञापन में यह भी दिया गया था कि यह पद केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित है। जब चयित अधिकारी केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा काडर में नियुक्त होगा तो इस सेवा के सम्बद्ध प्रवर्ग के निबन्धन और शर्तें उनको लागू होंगी।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर को भवन निर्माण के लिये ऋण

2176. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में मणिपुर को भवन निर्माण कार्यक्रम के लिए कितना ऋण दिया जायेगा ;

(ख) 1969-70 में इस प्रयोजन के लिए मणिपुर को कितना ऋण दिया गया था ;

(ग) अब तक मणिपुर में मकान बनाने के लिए कितने लोगों को ऋण दिया गया ; और

(घ) कितने लोगों को स्वीकृत ऋण की पूरी राशि नहीं दी गई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) 1 लाख रुपये ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) तथा (घ). सूचना मनीपुर सरकार से मंगाई गई है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पहाड़ी स्थान प्रतिकर भत्ता

2177. **श्री हेमराज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में पहाड़ी स्थान प्रतिकर भत्ते भिन्न-भिन्न हैं और यह उन स्थानों पर तैनात केन्द्रीय सरकार के तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले पहाड़ी स्थान प्रतिकर भत्ते से अधिक है ।

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पहाड़ी स्थान प्रतिकर भत्ते के लिए 1000 मीटर की ऊंचाई को आधार माना है जबकि यह निर्वाह खर्च के बारे में अनेक प्रकार से त्रुटि-पूर्ण है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसकी जांच तथा नियतन हेतु इसे वेतन आयोग को भेजने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सरकार ने पर्वत निवास प्रतिपूर्ति भत्तों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आधार पर अपना ही एक प्रतिमान तैयार किया है । यह वह प्रतिमान नहीं है जिसका अनुसरण अलग-अलग राज्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में किया जाता है और जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकता है । लेकिन सरकार के पास विभिन्न राज्यों में प्रचलित परिपाटियों के सम्बन्ध में कोई तत्काल उपलब्ध अथवा अद्यतन सूचना नहीं है ।

(ख) पर्वत निवास प्रतिपूर्ति भत्ते 1000 मीटर तथा उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थानों पर तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाते हैं । यह प्रतिपूर्ति, पर्वतीय स्थानों के दूरस्थ होने, परिवहन और आवश्यक वस्तुओं की लागत अपेक्षाकृत अधिक होने, ठण्ड से होने वाली कठिनाई आदि के कारण पर्वतीय स्थानों पर जीवन निर्वाह की अपेक्षाकृत अधिक लागत के कारण की जाती है ।

(ग) तथा (घ). आशा है कि तीसरा वेतन आयोग सभी भत्तों पर जिनमें पर्वत निवास प्रतिपूर्ति भत्ता भी शामिल है, गौर करेगा ;

पंजाब से हिमाचल प्रदेश को भेजे गये चिकित्सा अधिकारियों की वरिष्ठता

2178. **श्री हेमराज** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री 2 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1063 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब से हिमाचल प्रदेश को भेजे गये चिकित्सा अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के बारे में उनके मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच कब से पत्र व्यवहार हो रहा है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 16 नवम्बर, 1967 से ।

(ख) इस विषय पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय दिए जाने की आशा है ।

छोटे उद्योगों को तथा उद्योगपतियों को स्टेट बैंक आफ इण्डिया और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

2179. **श्री हेमराज** :
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के बाद स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे उद्योगपतियों और किसानों को दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन आधार पर अलग-अलग कितना-कितना ऋण दिया गया ;

(ख) ऋण किन शर्तों पर दिया गया ;

(ग) क्या इस प्रकार ऋण देने के लिए रिजर्व बैंक से कोई गारंटी स्वीकार की गई ;

(घ) कितने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों की वसूली की गई ;

(ङ) किसानों और उद्योगपतियों को ऋण देने के संबंध में इन बैंकों ने इस वर्ष क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं और किन शर्तों पर ; और

(च) क्या इन बैंकों को रिजर्व बैंक ने कोई अनुदेश जारी किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल रख दी जायेगी ।

भूमि के विकास के लिए डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली के लिए की गई अवधि में वृद्धि

2180. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में डेरा इस्माइल खाँ सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली ने उनको आवंटित की गई भूमि के विकास के लिए अवधि में वृद्धि की जो मांग की थी, उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा किस तिथि तक के लिए अवधि में वृद्धि की गई है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने वह तिथि निश्चित कर दी है अथवा करेगी जब तक समिति (एक) भूमि का पूर्ण विकास करेगी ; और (दो) अंशधारियों को प्लाट दे देगी ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि समिति के 18 वर्ष से परेशान अंशधारियों को शीघ्र ही मकान मिले ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) अभी नहीं ।

(ख) मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

(ग) जब तक अवधि बढ़ाने प्रश्न का निर्णय नहीं होता, तब तक कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती ।

(घ) क्षेत्र के ले-आउट प्लान के अनुमोदन के लिए सोसाइटी के अनुरोध पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है । ले-आउट प्लान के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् सोसाइटी को भूमि का विकास करना है । सोसाइटी के विरुद्ध किसी कार्यवाही करने का प्रश्न तभी होगा जब सोसाइटी द्वारा भूमि के विकास में तत्पश्चात् देरी होगी ।

डेरा इस्माइल खां सहकारी-गृह निर्माण समिति, दिल्ली का नक्शा

2181. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या **स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली का नक्शा (ले-आउट प्लान) को सरकार ने अन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी है और समिति को इसकी सूचना दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ग). सोसाइटी का ले-आउट प्लान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना है। प्राधिकरण की स्थायी समिति ने 8 जून, 1970 को ले-आउट प्लान पर विचार किया, और यह निर्णय किया कि 47 प्रतिशत प्लाटों का क्षेत्र प्राप्त करने की दृष्टि से प्लान की उप-समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए। तदनुसार प्लान पर उप समिति द्वारा बिचार किया जा रहा है।

हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में सिक्कों की कमी

2182. **श्री हेम राज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा राज्य तथा हिमाचल संघ राज्य क्षेत्र में सिक्कों की बहुत कमी अनुभव की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में फुटकर व्यापारियों द्वारा कुछ चार आने तथा आठ आने के राजा की मूखाकृति वाले और अशोक स्तम्भ तथा सिट्टों वालों सिक्के स्वीकार नहीं किये जा रहे हैं जबकि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में ये सिक्के प्रतिदिन चल रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हिमाचल प्रदेश और रोहतक में सिक्कों की कमी के समाचार समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए हैं। हरियाणा सरकार ने भी यह सूचित किया है कि राज्य में सिक्कों की कमी महसूस की जा रही है।

(ख) हरियाणा में सिक्कों की कमी का कारण यह बताया जाता है वहां कुछ विशिष्ट मूल्यों के सिक्के पिघलाये जा रहे हैं।

(ग) और (घ). यह समाचार है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कुछ व्यापार-गृह और खुदरा व्यापारी इस गलत धारणा के कारण कि ये सिक्के चलन से वापस ले लिये गये हैं, इन सिक्कों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये सिक्के अभी कानूनी रूप से चलन में हैं और पंजाब हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की राज्यों सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इस बात का व्यापक प्रचार करे और इस विषय में फैली गलतफहमी को दूर करें।

दिल्ली में भवन-निर्त्राण-सामग्री के मूल्यों में वृद्धि

2183. **श्री अदिचन** :

श्री दे० अमात :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निमाण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रा** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में भवन-निर्माण-सामग्री के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न वस्तुओं के जनवरी और जून, 1968, 1969 और 1970 में तुलनात्मक मूल्य क्या थे ;

(ख) मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई और इतनी अधिक वृद्धि के क्या कारण थे ;

(ग) इस अवधि में मकान-निर्माण में लाने वाली मजूरी में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(घ) भवन-निर्माण पर आने वाले खर्च को कम और नियंत्रित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) भवनों के निर्माण के लिए अपेक्षित आवश्यक सामग्री तथा जनवरी और जून, 1968, 1969 तथा 1970 में प्रति एकड़ उनकी लागत का विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—3916/70]

(ख) जनवरी, 1968 के लिए प्रति एकक लागत 100 लेने से उनके तुलनात्मक मूल्य ऊपर लिखित विवरण में प्रत्येक मद के सामने दिये गये हैं। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की सामान्य वृत्ति के कारण वृद्धि हुई है।

(ग) एक अन्य विवरण संलग्न है, जिसमें मजदूरों के महत्वपूर्ण वर्गों के लिए अर्थात् बढ़ई, मिस्त्री और बेलदार की 1968 से दैनिक मजदूरी की दरें दी गई हैं।

(घ) ईटों के उत्पादन की लागत के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए ईटों का मूल्य दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली बिक्र (डिस्ट्रीब्यूशन, सेल मूवमेंट एण्ड प्राइस) कन्ट्रोल आर्डर 1963 के अन्तर्गत सांविधिक रूप से निर्धारित किया जाता है। जहां तक लोहे का सम्बन्ध है उत्पादन के यथा संभव उपाय करने के अतिरिक्त सरकार देश में उपलब्ध लोहे के पूरक रूप में आयात के उपाय कर रही है। अन्य मदों के मूल्य मांग और पूर्ति के सामान्य नियम द्वारा नियमित होते हैं।

महाराष्ट्र में तस्करी के सोने तथा अन्य वस्तुओं का पकड़ा जाना

2184. **श्री गाडिलिंगन गौड :**
श्री अजमल खां :
श्री पीलु मोदी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री नंजा गौडर :
श्री धी० ना० देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में बम्बई तथा महाराष्ट्र के अन्य भागों में पकड़े गये सोने तथा अन्य विनिषिद्ध तस्कर वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अप्रैल से जून 1970 तक की अवधि में बम्बई तथा महाराष्ट्र के अन्य भागों में पकड़े गये चोरी छिपे लाये गये सोने तथा अन्य निषिद्ध वस्तुओं के ब्यौरे नीचे दिये हैं :—

वस्तुएं	मूल्य (लाख रुपये)
सोना	138.5 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर
चांदी	18.7
घड़ियां	55.7
संश्लिष्ट धागा तथा कपड़े	90.0
अन्य वस्तुएं	57.3

(ख) 76 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। प्रत्येक मामले में जांच-पड़ताल करने पर इकट्ठे किये गये सबूत को दृष्टि में रखते हुए विभागीय न्याय निर्णय की और अदालतों में इस्तेगासे की कार्यवाही की जा रही है।

जीवन बीमा निगम का मजूरी बिल

2185. **श्री गाडिलिंगन गौड :**
श्री नंदकुमार सोमानी :
श्री रा० की अमीन :
श्री एम० संतोषम :
श्री पीलु मोदी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री नंजा गौडर :
श्री धी० ना० देव :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीगन बीमा निगम का मजूरी बिल गत दो वर्षों में कई गुना बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो 1968-69 में और 1969-70 में मजूरी बिलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या ऐसे अनुत्पादक खर्च को कम करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पिछले दो वर्षों में जीवन बीमा निगम का वेतन बिल लगभग एक तिहाई बढ़ा है।

(ख)	1968-69	34.71 करोड़ रुपये
	1969-70	40.05 करोड़ रुपये (लेखापरीक्षा हो रही है)

(ग) वेतन, बीमाकर्ताओं की प्रबन्ध-व्यवस्था के सामान्य खर्चे का भाग है और इसलिए यह अनिवार्य है। परन्तु, इस बात का इतमीनान करने के लिए ध्यान रखा जाता है कि काम में वृद्धि के कारण जो नई भर्ती आवश्यक हो जाती है उसे कम से कम रखा जाय।

उगांडा में विदेशी पूंजी राष्ट्रीयकरण

2186. श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री पीलु मोदी :
श्री नंद कुमार सोमानी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रा० को० अमीन :
श्री नंजा गौडर :
डा० क० संतोषम :
श्री धी० ना० देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उगांडा सरकार ने भारत के कई बैंकों और चीनी के कारखानों सहित कई विदेशी फर्मों का राष्ट्रीयकरण किया है ;

(ख) इसके कारण किस हद तक भारत की विदेशी मुद्रा की कमाई पर इसका असर पड़ेगा और कहां तक भारत का पूंजी विनियोजन प्रभावी होगा ; और

(ग) क्या सरकार उक्त मामलों को उगांडा सरकार के ध्यान में लाई है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उगांडा की नेशनल असेम्बली ने 6 मई 1970 को समवाय (सरकारी और लोक निकाय साझीदारी) अधिनियम पारित किया था जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मंत्री द्वारा घोषित सरकारी या लोक निकायों द्वारा, इस अधिनियम की अनुसूची—एक में उल्लिखित कंपनियों द्वारा जारी किये गये प्रत्येक वर्ग के 60 प्रतिशत शेयर 30 अप्रैल, 1970 को कामकाज बंद होने के बाद से, अभिगृहीत समझे जायेंगे। हमारे दो राष्ट्रीयकृत बैंक अर्थात बैंक आफ बड़ौदा और बैंक आफ बड़ौदा और बैंक आफ इंडिया उक्त सूची में शामिल हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम और कुछ भारतीय सामान्य बीमा कंपनियों की शाखायें उगांडा में हैं। ये कपनियां उस अनुसूची में संभवतः इसलिए नहीं शामिल की गई हैं कि वे स्थानीय रूप से निगमित नहीं हैं इसलिए उनके 60 प्रतिशत शेयरों के उगांडा सरकार के हाथ में लिये जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। पर उगांडा के प्राधिकारी इन कंपनियों के साथ इस आशय से बातचीत करते रहे हैं कि वे कंपनियां वहां निगमित हो जायं और अपनी 60 प्रतिशत शेयर पूंजी उगाण्डा सरकार को सौंप दें। बीमा कंपनी अधिनियम में संशोधन किये जाने के कारण इन कंपनियों को 18 जून, 1970 से नया कारबार करना बन्द करना पड़ा क्योंकि उक्त संशोधन के अनुसार ये कंपनियां तब तक नया कारबार नहीं कर सकतीं जब तक कि वे उगाण्डा में निगमित नहीं हो जाती। बीमा कंपनियों के भावी ढांचे के संबंध में उगाण्डा प्राधिकारियों और सम्बद्ध कंपनियों के बीच अभी बातचीत चल रही है।

(ख) यह बताना कठिन है कि इन उपायों से भारत की विदेशी मुद्रा की आय में कितनी हानि होगी। पिछले तीन वर्षों में बैंक आफ बड़ौदा और बैंक आफ इंडिया हर साल 4 लाख से 6 लाख रुपये के बीच लाभ की साधारण रकम भारत भेज रहे थे। चूंकि इन बैंकों के 60 प्रतिशत शेयरों पर अब उगाण्डा सरकार का अधिकार है, इसलिए भविष्य में ये बैंक अपने अपने लाभ का 40 प्रतिशत अंश ही भारत भेज सकेंगे।

भारतीय जीवन बीमा निगम का उगांडा में कोई अच्छा कारबार नहीं था इसलिए इन उपायों से हमारी विदेशी मुद्रा की कमाई पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्य बीमा कंपनियों के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी नहीं। सरकार यह समझती है कि यह वस्तुतः उगाण्डा सरकार के लिये एक नीति विषयक मामला है और वह उस पर अपने हितों को ध्यान में रखते हुए विचार करे।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का तेल की खोज करने का कार्यक्रम

2187. **श्री गाडिलिंगन गौड :** **श्री मीठालाल मीना :**
श्री पीलु मोदी :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1971-72 में आरम्भ किया जाने वाले तेल की खोज करने का एक नया कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रस्तावित जोरदार कार्यक्रम में कुल कितना खर्च होगा ; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप देश की तेल सम्बन्धी क्षमता में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (घ). चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा...भारत में किये जाने वाले पुनरीक्षित कार्यक्रम में 1971-72 की निम्नलिखित कार्य मात्रा शामिल है :—

भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	16 क्षेत्रीय पार्टियां
गैस लौगिंग	10 क्षेत्रीय पार्टियां
उथला व्यधन	4 क्षेत्रीय पार्टियां
स्थल रुपरेखीय सर्वेक्षण	3 क्षेत्रीय पार्टियां
गुरुत्व वं चुम्बकीय सर्वेक्षण	5 क्षेत्रीय पार्टियां
भूकम्पीय सर्वेक्षण	30 क्षेत्रीय पार्टियां
इलैक्ट्रोलौगिंग	20 क्षेत्रीय पार्टियाँ
इलैक्ट्रीकल प्रास्पैकटिंग	1 क्षेत्रीय पार्टियां

गहरा व्यधन (अन्वेषी तथा विकास)

भूमि पर=108 कुएं—कुल 252,200 मीटर

तट से दूर=निर्दिष्ट नहीं है।

दिसम्बर, 1969 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा चौथी योजना अवधि के अन्तर्गत पुनरीक्षित कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाने के बाद किये गये अन्वेषी कार्य के परिणामों के प्रकाश में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग किए जाने वाले व्यधन कार्य की पुनरीक्षित मात्रा का अनुमान लगा रहा है।

1971-72 में किये जाने वाले व्यधन कार्य के पुनः मूल्यांकन के बाद ही वित्तीय प्रभावों के बारे में पता लगेगा।

यह बताना सम्भव नहीं है कि भारत के तेल भंडारों में कितना संबर्धन हो जायेगा और 1971-72 में किये जाने वाले अन्वेषी कार्य के परिणामस्वरूप भारत की तेल उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि हो जायेगी।

बिहार तथा उड़ीसा में खनिज निक्षेप

2188. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री अ० दीपा :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धी० ना० देव :
श्री गु० च० नायक :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा तथा बिहार में, अलग-अलग जिलावार, लौह एवं मैंगनीज, ऐल्युमीनियम, चूना, निकल, तांबा, क्रोमाईट, कायनाइट, डोलोमाईट, बाकसाइट तथा कोयले के कुल कितने कितने निक्षेपों का सर्वेक्षण किया गया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : उड़ीसा तथा बिहार राज्यों में लौह अयस्क, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, चूना, निकल, तांबा, क्रोमाइट, कायनाइट, डोलामाइट, बाक्साइट तथा कोयले के जिला=अनुसार अनुमानित निक्षेपों को दर्शित करने वाले दो विवरण क्रमशः अनुबन्ध I तथा II के रूप में संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—3917/70]

उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत और वाणिज्यिक बैंक

2189. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री महेन्द्र माझी :
श्री अ० दीपा :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धी० ना० देव :
श्री गु० च० नायक :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में कार्य कर रहे राष्ट्रीयकृत और वाणिज्यिक बैंकों की जिले-वार संख्या क्या है ;

(ख) प्रत्येक शाखा में विनियोजित कुल पूंजी कितनी है ; और

(ग) प्रत्येक बैंक द्वारा स्वयं-नियोजित योजना के अन्तर्गत कितने किसानों, छोटे व्यापारियों बेरोजगार तकनीकी और गैर-तकनीकी व्यापारियों तथा अन्य कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया है और राष्ट्रीयकरण के पश्चात् प्रत्येक वर्ग को कुल कितनी राशि दी गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक विवरण संलग्न है। **ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—3918/70]

(ख) इस प्रश्न का अभिप्राय स्पष्ट नहीं है। सम्भवतः माननीय सदस्यों का संकेत प्रत्येक बैंक द्वारा राज्य में दी गई कुल ऋणों की रकम की ओर है। यह सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है तथा उसे इकट्ठा किया जा रहा है और सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

(ग) यह सूचना भी तुरन्त उपलब्ध नहीं है और यथा संभव इकट्ठी की जा रही है तथा उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

भारत की भुगतान-शेष स्थिति

2190. **श्री क० प्र० सिंह :**
श्री प्र० के० देव :
श्री एस० पी० राममूर्ति :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 तथा 1 जुलाई 1970 को भारत की भुगतान-शेष की स्थिति क्या थी ; और

(ख) क्या हमारी भुगतान-शेष की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय म राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 1969-70 के दौरान भारत द्वारा 1567 करोड़ रुपये का आयात और 1413 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था जबकि इससे पिछले वर्ष 1909 करोड़ रुपये का आयात और 1358 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था। 154 करोड़ रुपये का यह व्यापारिक घाटा इससे पिछले वर्ष के घाटे के मुकाबले 397 करोड़ रुपया कम था और ऐसी आयातों में काफी कमी और निर्यात में वृद्धि करके किया जा सका है। ऋण परिशोधन सम्बन्धी 413 करोड़ रुपये की अदायगियों की रकम लगभग 38 करोड़ रुपये अधिक थी। 1968-69 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को 59 करोड़ रुपये की रकम वापस की गयी थी। इसके मुकाबले 1969-70 में इस निधि को लगभग 125 करोड़ रुपये वापस किये गये। अन्न सहायता और प्रायोजनागत तथा प्रायोजना-भिन्न सहायता सहित, 1969-70 में 866 करोड़ रुपये की सहायता का उपयोग किया गया था जबकि 1968-69 में 903 करोड़ रुपये की सहायता का उपयोग किया गया था। 1969-70 में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में लगभग 152 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी जबकि 1968-69 में यह वृद्धि 38 करोड़ रुपये की थी।

जून, 1970 के अन्त में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि की रकम (182.5 करोड़ रुपये के मूल्य के सोने को छोड़कर) लगभग 598 करोड़ रुपये थी, इसमें अप्रैल-जून, 1970 के तीन महीने की अवधि के दौरान लगभग 52 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इस अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को 52 करोड़ रुपये की रकम (इसमें विशेष आहरण अधिकारों के माध्यम से अदा किये गये 26 करोड़ रुपये शामिल हैं) और वापस कर दी गई थी। अप्रैल चार मई, 1970 के दौरान आयात और निर्यात की रकम क्रमश: 270 करोड़ रुपये और 247 करोड़ रुपये थी जबकि अप्रैल-मई 1969 में क्रमश: 251 करोड़ रुपये और 236 करोड़ रुपये का आयात और निर्यात किया गया था।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्मिक संघ के कर्मचारियों की नौकरी से हटाना

2191. **श्री लखनलाल कपूर** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के चैयरमैन ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अनेक कर्मचारियों को उनकी वैध कार्मिक संघ की गतिविधियों के कारण नौकरी से हटा दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन कर्मचारियों की कितनी संख्या है जिनके विरुद्ध संघ की पर्चियों का वितरण करने के कारण कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के लेखा-परीक्षा दलों द्वारा मनोरंजन स्वीकार किया जाना

2192. **श्री विक्रम चंद महाजन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में कारखानों के लेखों की लेखा परीक्षा करते समय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के लेखा परीक्षादल कारखानों के स्वामियों को मनोरंजन आदि के लिए बाध्य करते हैं ;

(ख) क्या सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, इस कुप्रथा को रोकने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). सरकार को यह पता नहीं है कि पंजाब में कारखानों के लेखाओं की जांच करते समय केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के लेखा-परीक्षा दल कारखानों के मालिकों को सरकार के लिए बाध्य करते हैं और न ही सरकार को इस संबंध में कोई शिकायते मिली हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में प्रति नियुक्ति व्यक्ति

2193. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कुल कितने सरकारी कर्मचारी अपने यहाँ प्रतिनियुक्ति पर बुलाये हैं ;

(ख) उनमें कितने वापस भेजे जा चुके हैं ;

(ग) उनमें से कितने अब भी उक्त आयोग में काम कर रहे हैं ; और

(घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में कुल कितने व्यक्ति स्थायी बनाये गये हैं और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क), (ख), (ग) और (घ). अगस्त, 1967 से आजतक प्रतिनियुक्ति पर बुलाये गये 11 सरकारी कर्मचारियों में से, चार कर्मचारियों को उनके अपने अपने विभागों में वापस भेज दिया गया है और शेष सात अभी तक आयोग में काम कर रहे हैं। इन सातों अधिकारियों में से किसी को भी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में समाहृत नहीं किया गया है।

उक्त सूचना में आयोग के सदस्य तथा चेयरमैन जिनकी नियुक्ति आयोग द्वारा नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार द्वारा होती है, के केस शामिल नहीं हैं।

उड़ीसा के चम्पुआ में स्टेट बैंक की शाखा का खोला जाना

2195. **श्री गु० च० नायक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले के उप-प्रभागीय मुख्यालय चम्पुआ में स्टेट बैंक की शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो शाखा के कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). स्टेट बैंक का चम्पुआ में शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गये शाखा-विस्तार के वर्तमान कार्यक्रम के अन्तर्गत यह केन्द्र बैंक आफ इंडिया को सौंपा गया है। बैंक आफ इंडिया अगले वर्ष जल्दी ही चम्पुआ में अपनी शाखा खोलने का विचार कर रही है।

सोने तथा अन्य वस्तुओं का तस्कर व्यापार

2196. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल 1969 और जून 1970 के बीच तस्कर व्यापार के रूप में भारत से बाहर जाने वाले और भारत में बाहर से आने वाले सोना, चांदी आदि जो निषिद्ध माल पकड़ा गया वह

कुल कितने मूल्य का है और गत दो वर्षों में इसी अवधि में कितने कितने मूल्य का ऐसा माल पकड़ा गया ; और

(ख) ऐसे माल के तस्कर व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अप्रैल 1967 और जून 1968, अप्रैल 1968 और जून 1969 तथा अप्रैल 1969 और जून 1970 के बीच की अवधि में पकड़े गये सोने, चांदी और अन्य निषिद्ध माल का मूल्य नीचे दिये अनुसार है :

वस्तु	अप्रैल 1967-जून 1968	अप्रैल 1968-जून 1969	अप्रैल 1969-जून 1970
		(लाख रुपयों में)	
1. सोना	6,13	4,68	6,50
2. चांदी	4,41	3,17	1,20
3. अन्य वस्तुयें	9.74	21,59	22,53
जोड़	20,28	29,44	30,23

(ख) निषिद्ध वस्तुओं के तस्कर व्यापार को रोकने के खिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

सूचना एकत्र करने और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करने की सुव्यवस्था, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर आयात-निर्यात करने का संदेह है उन पर निगरानी रखना, जिन जहाजों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना और समुद्र तट तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार करने योग्य क्षेत्रों की गश्त की व्यवस्था। कुछ वस्तुओं के अवैध आयात-निर्यात को रोकने तथा उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के निमित्त विशेष उपाय के रूप में, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में संशोधन करके अतिरिक्त व्यवस्थायें की गई हैं। अनन्य रूप से तस्कर आयात-निर्यात विरोधी कार्य की निगरानी करने के लिए सीमा शुल्क के समाहर्ता तथा अपर समाहर्ता जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है। इन उपायों की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को विश्व बैंक-सहायता

2199. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को सहायता देने के लिए विश्व बैंक द्वारा पूर्व-निर्धारित शर्तों में से एक यह है कि भारत सरकार को विश्व भर से टेंडर आमंत्रित करने चाहियें और भारतीय निर्माताओं को 15 प्रतिशत से अधिक छूटकर लाभ नहीं मिलना चाहिए ;

(ख) क्या विश्व बैंक, स्थानीय परामर्श-दाताओं की अपेक्षा अमरीकी परामर्शदाताओं को वरीयता देती है, जैसाकि इस तथ्य से स्पष्ट है कि "इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी" के विकास के लिए जब इसने ऋण दिया था, तो "इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी" के परामर्श-दाताओं के रूप में मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी की नियुक्ति के लिए विश्व बैंक राजी नहीं हुई थी ;

(ग) क्या सरकार उपर्युक्त शर्तों को मानने के लिए राजी नहीं है और इसके परिणाम-स्वरूप मरमागाओं पत्तन, नंगल तथा कोचीन उर्वरक कारखानों को विश्व बैंक सहायता के अन्तिम समझौतों के निष्पादन में विलम्ब हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता के बारे में सरकार द्वारा की जाने वाली भावी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कि विश्व बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की रकमें, मितव्ययिता और कार्य कुशलता का समुचित रूप से ध्यान रखते हुए इस्तेमाल की जायं, बैंक अपनी विश्व व्यापी नीति के रूप में यह अपेक्षा करता है कि उसके ऋण-कर्ता, माल और सेवायें (परामर्शदाताओं की सेवाओं को छोड़कर) तब तक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से प्राप्त करें जब तक की कोई ऐसी कार्यविधि नहीं अपनाई जाती जो परिस्थितियों के अधिक अनुकूल हो और जिसके बारे में बैंक और ऋण-कर्ता परस्पर सहमत हों। किन्तु बैंक, विकासशील सदस्य देशों में उद्योगों का विकास करने में सहायता देने के न्यायसंगत उपाय के रूप में, देशी संभरकों के मामलों में, लागत बीमा-भाड़ा समेत आयातित मूल्य की तुलना में 15 प्रतिशत के तरजीही मार्जिन की, अथवा ऋण-कर्ता देश में लगने वाले वास्तविक आयात शुल्क की, इनमें से जो भी कम हो, छूट की अनुमति देता है।

(ख) जी नहीं। विश्व बैंक अपने ऋण-कर्ताओं को, परामर्शदात्री फर्मों का चयन करने की स्वतंत्रता देता है किन्तु वह स्वतः इस बात की तसल्ली करना चाहता है कि इस प्रकार चुनी गई परामर्श-दात्री फर्में सक्षम हों और उन्हें उस क्षेत्र में अनुभव प्राप्त हो और वे फर्में या तो सदस्य देशों की हों या स्विट्जरलैंड की।

मैसर्स इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी ने अपने इस्पात-विस्तार कार्यक्रम के लिए, मैसर्स इन्टरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी को, जो ब्रिटेन की एक फर्म है, इसलिए नियुक्त किया था कि उक्त फर्म का इस कंपनी के विकास कार्यों के साथ कई वर्षों से सम्बन्ध रहा है।

ब्रिटेन की इस फर्म की नियुक्ति के लिये अनुमति दिये जाने से पहले भारतीय परामर्शदाता की नियुक्ति किये जाने के लिए, विश्व बैंक के पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था।

(ग) और (घ). माल प्राप्त करने की नीति तथा तरजीह के स्तर से सम्बद्ध सामान्य प्रश्न के बारे में विश्व बैंक के साथ बातचीत चल रही है। मारमागाओ बन्दरगाह तथा नांगल और कोचीन के उर्वरक कारखानों के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति के बारे में कोई प्रश्न

उपस्थित नहीं हुआ है। जहां तक मारमागाओं बन्दरगाह का सम्बन्ध है, इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि माइंस एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन (एम० ए० एम० सी०) ठीक समय पर उपकरणों की डिलीवरी करने के लिए सक्षम है या नहीं। जहां तक कोचीन और नांगल उर्वरक प्रायोजनाओं का सम्बन्ध है, इस समय विश्व बैंक के विशेषज्ञों के साथ प्रक्रिया सम्बन्धी ब्यौरे के बारे में बातचीत चल रही है।

Administrative Set of Sulphur Mine at Amjhore

2100. **Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Petroleum and Chemicals Mines and Metals be pleased to state :**

(a) the total number of workers and employees working in the Sulphur mine at Amjhore situated at a distance of 18 miles from Dalmia Nagar. District Shahabad, Bihar and the number out of them who have been confirmed in their posts ;

(b) the number of Class I and Class II officers working there ;

(c) whether it is a fact that no person from Bihar has been appointed against the post of an officer there in spite of the declared policy of giving priority to local people in service ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) The total number of monthly rated employees working in the Pyrites Mining Project of the Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited at Amjhore is 371, out of whom 257 have been absorbed on a long term basis. The total number of daily rated workers is 1805, all of whom are permanent as per standing orders.

(b) There are 24 Officers corresponding to Class I and 5 corresponding to Class II Officers of the Central Government.

(c) No, Sir. Nine Officers corresponding to Class I and four Officers corresponding to Class II are from Bihar.

(d) Does not arise.

27 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

STATEMENT CORRECTING THE REPLY GIVEN ON THE 27 JULY 1970 UNSTARRED QUESTION NO. 59.

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : 27 जुलाई, 1970 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 59 के भाग (क) और (ख) का उत्तर नकारात्मक दिया गया था। यह इस आधार पर था कि प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित 4,79,35,000 रुपये की राशि श्री हरिदास मून्दड़ा (व्यक्ति) और कुछ ऐसी कम्पनियों पर आयकर की बकाया राशि के रूप में थी, जो हरिदास मून्दड़ा से सम्बद्ध समझी जाती हैं और कुछ उन अन्य कम्पनियों पर आयकर की बकाया राशि के रूप में थी, जो आयकर विभाग की जानकारी के अनुसार श्री हरिदास मून्दड़ा से सम्बन्धित नहीं थी, जबकि 1.97 करोड़ रुपये की राशि केवल श्री हरिदास

मून्दड़ा (व्यक्ति) के विरुद्ध कर के बकाया के रूप में थी। इसलिए यह महसूस किया गया कि प्रश्न के भाग (क) और (ख) के जो उत्तर मैंने दिये थे, उनका स्पष्टीकरण आवश्यक है, जो इस प्रकार है :—

संभवतः, प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित 4,79,35,000 की राशि 31 मार्च, 1968 को श्री हरिदास मून्दड़ा और कुछ ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध आयकर की बकाया राशि के रूप में हैं, जो श्री हरिदास मून्दड़ा से सम्बद्ध समझी जाती हैं और अन्य ऐसी कम्पनी/कम्पनियों के विरुद्ध आयकर की बकाया राशि के रूप में है, जो आयकर विभाग की जानकारी के अनुसार श्री हरिदास मून्दड़ा से सम्बन्धित नहीं हैं, परन्तु कलकत्ता के हिन्दी सर्किल ए-वार्ड के आयकर अधिकारी द्वारा जिनका कर निर्धारण किया जा रहा था। इन बकाया राशियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	नाम	31-3-1968 को बकाया राशि
1.	श्री गोवलदास मून्दड़ा	29.91
2.	ब्रह्मपुत्र टी कम्पनी लि०	4.99
3.	ब्रह्मपुत्र टी कम्पनी लि० (परिसमापनाधीन)	17.58
4.	श्री तुलसीदास मून्दड़ा	6.48
5.	एस० बी० एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स कम्पनी लि०	7.48
6.	मनमोहन कारपोरेशन लि०	18.01
7.	एस० बी० गोवलदास मून्दड़ा	25.06
8.	ओस्लर इलेक्ट्रिक लैम्प मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि०	20.18
9.	एफ० एण्ड सी० ओस्लर इण्डिया लि०	35.30
10.	एस० बी० इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट	72.30
11.	राजेन्द्र लि०	1.68
		238.97
12.	श्री हरिदास मून्दड़ा	240.38
	कुल जोड़	479.35

श्री मून्दड़ा (व्यक्ति) पर 31 मार्च, 1968 को 2 वर्ष 3 महीने से अधिक की अवधि से बकाया 2,40,38,000 रुपये की राशि के अलावा, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, 19,43,000 रुपये की अन्य बकाया राशियां भी थीं, जो उन पर थोड़ी अवधि से बकाया थीं। इस प्रकार 31 मार्च, 1968 को मून्दड़ा (व्यक्ति) पर कुल बकाया राशि 2,59,81,000 रुपये हो जाती है। इसके विपरीत, 31 मार्च, 1969 को उन पर कर की 1,97,27,000 रुपये की

राशि बकाया थी। 31 मार्च, 1968 और 31 मार्च, 1969 को बकाया राशियों के आंकड़ों में अन्तर कुछ मांगों के रद्द हो जाने और कुछ नई मांगों के उत्पन्न हो जाने के कारण हुआ।

श्री रा० की० अमीन (ढ़ंढका) : क्या मैं गृह-कार्य मन्त्री से अनुरोध कर सकता हूं कि वे सरदार बसन्त सिंह की हत्या के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें। यह एक गम्भीर मामला है, ऐसी अन्य हत्याओं की भी धमकियां प्राप्त हुई हैं, सम्भवत: इसमें कोई संगठित गिरोह कार्य कर रहा है।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : सरदार बसन्त सिंह की दिन-दहाड़े और बड़ी दुर्भाग्य-पूर्ण स्थिति में हत्या की गई है, मेरा आपसे यह कहना है कि आप गृह-कार्य मंत्री को इस बारे में तथा देश के अन्य भागों में हुई इस प्रकार की हत्याओं के बारे में वक्तव्य देने के लिए कहें ?

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : यह पंजाब का मामला है, पंजाब सरकार कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखने में यहां तक असफल रही है कि दिन-दहाड़े हत्याएं की जा रही हैं और सरकार पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अतएव पजाब सरकार को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए तथा केन्द्रीय सरकार को पंजाब का शासन अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : आपको मालूम होगा कि इस सभा के एक सदस्य श्री नाथ पाई को बम्बई में गिरफ्तार किया गया है, श्री मधु लिमये को भी तब ही गिरफ्तार किया गया था, जब वे एक सभा में भाषण करने जा रहे थे। कल दो महिलाओं को प्रधान मंत्री के निवास स्थान के सामने प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा काफी देर तक उनके बारे में पता भी न चल सका कि वे कहां पर हैं। दो संसद सदस्यों को धक्का दिया गया। प्रधान मंत्री के निवास-स्थान पर कोई दफा 144 लागू नहीं थी। एक प्रतिनिधि मण्डल प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत करने जा रहा था तब यह घटना घटी।

मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अवैध रूप से नजदबंद लोगों को छुड़ा दें।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व)। मेरा यह कहना है कि किसानों को भूमि का स्वामी बनाने के लिए आंदोलन के सिलसिले में इस सभा के कई सदस्य जैसे श्री नाथ पाई, श्री मधु लिमये, श्री भोगेंद्र झा को गिरफ्तार किया गया है, इस संबंध में आज हजारों व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है, चूंकि मेरे विचार में सम्बंधित कागजात आपके सचिवालय में हैं इसलिए हमने इस पर चर्चा करने के लिए कहा है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : हम नहीं चाहते कि सदस्य इस प्रकार गिरफ्तार किये जायें पर हम एक बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं कि क्या सभा इस बात का समर्थन करती कि इस प्रकार बलात भूमि छीनने दी जाये और कुछ लोगों को देश में आतंक फैलाने दिया जाये। यदि हम ऐसा करने देंगे तो इससे देश में आतंक को प्रोत्साहन मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिम बंगाल में शिक्षकों के वेतनों के भुगतान में कथित विलम्ब

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"पश्चिमी बंगाल में विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षकों के वेतन के भुगतान में कथित विलम्ब तथा उनके वेतनमानों के बारे में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के बारे में उनकी मांग।"

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : यह एक लम्बा वक्तव्य है। यदि आप चाहते हैं तो मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूँ।

श्री समर गुह : मुझे प्रति नहीं मिली है। मैंने काउंटर पर पूछा था।

डा० वी० के० आर० वी० राव : (1) पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय और कालेज के अध्यापकों ने 5 अगस्त से 7 अगस्त तक तीन दिवसीय "कार्य विराम" का आश्रय लिया। 5 अगस्त को वे राज्यपाल के पास एक सामूहिक शिष्टमण्डल भी ले गये और राइटर्स बिल्डिंग के सामने इस अवधि में वे 48 घन्टे बैठे रहे।

(2) विभिन्न श्रेणियों के अध्यापका क लिए तथा अन्य मामलों में सरकार द्वारा अनुमोदित नवीनतम परिशोधित वेतनमानों के परिपालन के सम्बन्ध में अध्यापकों ने कुछ मांगें पेश की।

(3) अध्यापकों की मुख्य मांगें थीं :—

(1) तीसरी आयोजना के कालेज अध्यापकों, नये प्रवेष्टाओं और 60-65 आयु वर्ग के अध्यापकों के नये समाकलित वेतनमान में वेतन का तत्काल नियतन किया जाये।

(2) विश्वविद्यालयों द्वारा अनुमोदित सभी पदों से मंजूरी लेना।

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमानों के पात्र, शारीरिक अनुदेशकों, पुस्तकाध्यक्षों पर नये समाकलित वेतनमान लागू करना।

(4) बी० एस० सी० (पास) निदर्शकों का जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुराना वेतनमान मिल रहा है, उनका नये समाकलित वेतनमान में नियतन करना।

(5) सभी परिलब्धियों का नियमित मासिक भुगतान करना।

( ) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और 1-4-1966 से लागू अंडर-ग्रेजूएट कालेजों के अध्यापकों के परिशोधित वेतनमानों की योजना में प्राध्यापकों के दो वेतनमानों की व्यवस्था थी अर्थात् 300-600 रुपये और 400-800 रुपये राज्य सरकार के कहने पर भारत सरकार नवम्बर, 1969 में सहमत हो गई थी कि सभी प्राध्यापकों को 300-800 रुपये का एक समाकलित वेतनमान दिया जाए बशर्ते कि केन्द्रीय सहायता उतनी ही रखी जाएगी जितनी कि अनुमोदित योजना के आधार पर राज्य सरकार के लिए देय होगी। तथापि राज्य सरकार ने नवीन समाकलित वेतनमान को 1-4-1969 से मंजूरी दी। उससे सम्बद्ध गैर-सरकारी कालेजों के 4,416 अध्यापकों के वेतनमान पहले ही निश्चित कर दिए हैं। (ये अध्यापक 31-3-1966) को वर्तमान पदों पर उन कालेजों में कार्य कर रहे थे, जिन्होंने परिशोधित वेतनमान अपना लिए थे, जो (1957 में) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पहले मंजूर हो चुके थे।

(5) जहां तक उन अध्यापकों की बात है जो तीसरी आयोजना की अवधि के दौरान स्थापित कालेजों में काम कर रहे हैं उनकी स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पहले परिशोधित वेतनमान या तो बिल्कुल नहीं अपनाए गए थे अथवा 1-4-1966 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता बंद होने पर जिन कालेजों ने परिशोधित वेतनमान अपना लिए थे, वे अपने पूर्व परिशोधित वेतनमानों में प्रत्यावर्तित हो गए। राज्य सरकार का कहना है कि इस स्थिति के कारण नये समाकलित वेतनमान में अध्यापकों, जिनकी संख्या लगभग 600 है, के वेतन स्थिर करना कठिन हो गया है। अध्यापकों के वेतन, कालेज के वेतनमानों के आधार पर एक कालेज के दूसरे कालेज में भिन्न-भिन्न हैं। इसी बीच इन कालेजों में काम करने वाले प्रत्येक अध्यापक के वेतन में 60 रुपये प्रति मास के तदर्थ अनुदान की मंजूरी राज्य सरकार ने दी है। मेरे मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1957 में अनुमोदित वेतनमानों के परिपालन के वास्ते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता जारी रखने के प्रश्न पर विचार किया है, और अब यह निर्णय किया गया है कि इस प्रकार की सहायता 1-4-1969 तक अथवा परिशोधित वेतनमानों को लागू करने की तिथि, दोनों में से जो पहले हो उस तक 1-4-1966 के बाद भी कुल 5 वर्ष तक जारी रहेगी। यह निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सम्बंधित विश्वविद्यालयों को भेजा जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि इससे नये समाकलित वेतनमान में इन अध्यापकों के वेतन स्थिर करने में सुविधा होगी।

(6) जहां तक 1-4-1966 को अथवा बाद में बने पदों पर नियुक्त नये प्रवेष्टाओं का संबंध है और समझा जाता है कि इनकी संख्या लगभग 1000 है, भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को सूचित किया है कि योजना के अंतर्गत केंद्र से सहायता ग्राह्य नहीं होगी। पश्चिम बंगाल सरकार के लिए अभी तक उनके वेतन समाकलित वेतनमानों में स्थिर करना संभव नहीं हुआ है क्योंकि बनाए गए पदों की संख्या और उसके आधार अभी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित होने हैं। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने इस उद्देश्य से एक सूत्र तैयार किया है और संबंधित कालेजों के प्रबंधों को सूचित कर दिया है। इस पर कार्यवाही होने तक, तीसरी आयोजना के दौरान स्थापित कालेजों में काम करने वाले अध्यापकों के मामले की तरह 60 रुपये प्रति मास प्रति

अध्यापक तदर्थ अनुदान इन अध्यापकों के लिए भी कालेजों को दिया जा रहा है। राज्य सरकार को आशा है कि कालेजों के प्रबंध शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए सूत्र को स्वीकार्य पायेंगे।

(7) 60-65 आयुवर्ग के अध्यापकों के संबंध में खर्च पूरा करने के लिए कालेजों को वित्तीय सहायता देने के हेतु राज्य सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रख कर दायित्व लेना कठिन पाया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दूसरी व तीसरी आयोजना के दौरान अपने द्वारा अनुमोदित परिशोधित वेतनमानों के परिपालन के लिए कोई सहायता देने को सहमत नहीं है।

(8) 1966 में भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई परिशोधित वेतनमान योजना में शारीरिक अनुदेशकों और पुस्तकाध्यक्षों के वेतनमानों के परिशोधन की मूलरूप से व्यवस्था नहीं थी। ये योजना में शामिल कर लिए गए हैं और राज्य सरकारों को सितम्बर, 1968 में सरकार के निर्णय की सूचना दी गई थी। कर्मचारियों की इन दो श्रेणियों के लिए नए समाकलित वेतनमान लागू करने की मांग फिलहाल राज्य सरकार के विचाराधीन है। तथापि राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि मामले का निर्णय होने तक पुस्तकाध्यक्षों और शारीरिक अनुदेशकों को तदर्थ आधार पर 60 रुपये प्रति मास दिये जाएं।

(9) निर्देशकों के लिए, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना में 250-400 रुपये के परिशोधित वेतनमान की व्यवस्था है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर यह निर्धारित किया गया था कि परिशोधित वेतनमान केवल उन्हीं पर लागू किए जाएं जिनके पास मास्टर डिग्री अथवा आनर्स बेचलर डिग्री हों। बाद में, विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए अभ्यावेदनों पर, हमने इस प्रस्ताव को मान लिया है कि परिशोधित वेतनमानों का लाभ पास ग्रेजूएटों को दिया जाए बशर्ते सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को इस बात से संतोष हो कि परिशोधित वेतनमान उनकी अर्हता और अनुभवों के आधार पर लिये जा सकते है।

(10) यह खेद की बात है कि अध्यापकों को नियमित रूप से उनकी परिलब्धियों को भुगतान प्रत्येक महीने प्राप्त न हो। साधनों की कमी और समय पर कालेजों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का न भेजना,—कालेजों को नियमित रूप से अनुदान देने में विलम्ब के प्रमुख कारण बताये गये हैं। इस स्थिति के सम्बन्ध में मैं बहुत व्यवस्थित हूं। कम से कम जो हम अध्यापकों के लिए कर सकते हैं वह यह सुनिश्चित करना है कि उनको देय राशि के भुगतान में परिहार्य के कारण अनावश्यक कठिनाई न हो। इस सप्ताहांत में कलकत्ता के अपने दौरे पर मैंने इस मामले पर राज्यपाल और सलाहकार (शिक्षा) से खर्चा की ओर राज्य सरकार से कहा है कि स्थिति को सुधारने के लिए वह अपने प्रस्ताव भेजें।

(11) अध्यापकों के शिष्टमंडल से बातचीत में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी माँगों पर राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। अध्यापक 8 अगस्त, 1970 से फिर से काम पर आ गये हैं।

(12) इस सप्ताहांत में कलकत्ता के दौरे पर मैंने अध्यापकों के प्रतिनिधियों से स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से चर्चा की और इस अवसर पर मैंने उनको मुख्य मांगों के बारे में, जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है स्थिति से अवगत कराया।

(13) यह सदन अध्यापक समुदाय के प्रति मेरी दिलचस्पी को जानता है, और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि राज्यपाल सरकार के साथ अपनी चर्चाओं के आधार पर, मैं सदन को यह सुनिश्चित कराने की स्थिति में हूँ कि राज्य सरकार अध्यापकों की उचित मांगों को अविलम्ब पूरा करने में हर प्रकार का प्रयत्न करेगी ।

मुझे खेद है कि यह वक्तव्य इतना लम्बा हो गया । मैं नहीं जानता कि यह सदस्यों को क्यों नहीं मिला ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : The Members should be provided such a long statements earlier. By doing this the Time of the House would have been saved.

अध्यक्ष महोदय : आपका वक्तव्य 11.45 मेरे कार्यालय में आया था । इसका विवरण किस प्रकार किया जा सकता था ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे दुःख है कि मेरे तथा मेरे कार्यालय के कारण इसमें विलम्ब हुआ है । मैं इसका उत्तरदायित्व अपने पर लेने को तैयार हूं ।

श्री समर गुह : पश्चिमी बंगाल में सभी 2000 अध्यापक स्नात्तकोत्तर डिग्री वाले हैं उन्होंने अपना कार्य बन्द करके राइटर बिल्डिंग के समक्ष दो दिन का धरना दिया । सड़क पर इस प्रकार बैठ जाना उनके लिए कोई आसान निर्णय नहीं है ।

यह एक तथ्य है कि कालेज के अध्यापकों ने 300 रुपये—800 रुपये का समाकलित वेतनमान स्वीकार कर लिया था परन्तु वास्तव में कालेजों के 1,500 अध्यापकों को इस लाभ से वंचित किया गया इसका कारण यह बताया गया कि 1 अप्रैल, 1966 से आये नये अध्यापकों के मामलों पर विचार नहीं किया जायेगा । 1969 में उन्होंने नया वेतन-मान देना स्वीकार कर लिया था परन्तु इसकी बकाया धन राशि राज्य सरकार देगी या केन्द्र देगा ?

दूसरे कालेजों के उन 800 अध्यापकों का प्रश्न भी उठता है जिन्होंने 5 से 8 वर्ष तक कार्य किया है परन्तु उन्हें स्थायी नहीं किया गया है । इससे उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए वेतनमान का लाभ नहीं मिलता है ।

तीसरे एक समस्या यह भी है कि पश्चिमी बंगाल में ऐसा कानून है कि कालेजों के अध्यापक 60 वर्ष की अवस्था के बाद भी 65 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं, परन्तु जैसे ही वह 61 वर्ष के होते हैं तो उनका वेतनमान 250 रु० या 300 रुपये कर दिया जाता है । क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु वाले अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वाला वेतनमान नहीं देने का निर्णय किया हुआ है ।

ऐसी कई अन्य समायाएं हैं । कालेजों के लगभग 7,000 अध्यापकों में से लगभग 3,000 अध्यापकों को इस लाभ से वंचित किया हुआ है अब उनको जो वेतन मान दिया जाता है वह 250 रु० या 275 रु० है । हमारे शिक्षा मन्त्री देश में शिक्षा के स्तर के गिर जाने बात करते हैं । उनके विरुद्ध कई आरोप लगाये जाते हैं पर उनकी स्थिति क्या है ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने तीसरे प्रतिवेदन में कहा है कि हमारे देश स्नातकोत्तर डिग्रीधारी व्यक्तियों का शैक्षिक व्यवसाय अपनाने के प्रति रुचि कम है । स्नातकोत्तर डिग्रीधारी व्यक्ति शैक्षिक व्यवसाय

बड़ी अनिच्छा से अपनाते हैं। क्योंकि उनके लिए अन्य कोई व्यवसाय नहीं होता है। 1961 में जब सभी विश्वविद्यालयों का सम्मेलन हुआ था तो उस समय यह निर्णय किया गया था कि कालेज के अध्यापकों को कम से कम भारत सरकार के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के समान वेतन देना चाहिए पर ऐसा भी नहीं किया गया था। डा० एडवर्ड चील, जो विश्व प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ने कहा हैं कि भारत में अध्यापकों तथा प्राध्यापकों की स्थिति बहुत भयानक है।

मैं कालेज के अध्यापकों से समान वेतन-मान के बारे में एक उदाहरण दूंगा। गाजियाबाद जो दिल्ली से 18 मील दूर है, मैं कालेज के एक अध्यापक का वेतन मान 300 से आरम्भ होता है जबकि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत चलने वाली शैक्षाणिक संस्थाओं में कालेज के अध्यापक को 400 रु०-900 रु० का वेतन मान मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री समर गुह : पश्चिमी बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के दो मंत्रियों ने अध्यापकों के साथ चालाकी की है। श्री ज्योति भट्टाचार्य ने वित्त मंत्रिमंडल के निर्णय में पश्चिमी बंगाल के अध्यापकों को आश्वासन दिया था। श्री सत्यप्रिय राय के पास मंत्रिमंडल का निर्णय था परन्तु वे इसलिए उसे कार्यान्वित न कर सके क्योंकि पश्चिमी बंगाल के कालेजों में अध्यापकों की एसोसियेशन का नियंत्रण वे नहीं करते थे। इसी प्रकार नियमित मासिक भुगतान का भी प्रश्न हैं।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार कालेज के अध्यापकों के समूचे वर्ग के लिए समान तथा समकालित वेतन मान लागू करने जा रही है? क्या वह वरिष्ठ अध्यापक तथा कनिष्ठ अध्यापक का भेद समाप्त करेगी? क्या सरकार सभी अध्यापकों को समान मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा भविष्य निधि देगी? क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कालेज के अध्यापकों को नियमित रूप से मासिक वेतन मिलता रहे? क्या सरकार पश्चिमी कालेजों के अध्यापकों, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलायेगी ताकि वे पश्चिमी बंगाल के कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की मांगों पर विचार करे?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य ने एक साथ कई प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार कालेज में अध्यापकों के लिये समाकलित वेतनमान लागू करने जा रही है। सरकार का इस समय ऐसा कोई इरादा नहीं है। कि यह मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने कनिष्ट तथा वरिष्ठ अध्यापकों के भेद को हटा दिया है और समाकलित वेतनमान, जो 300 रु०-800 रु० है, लागू किया है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का प्रश्न है वह नई योजना को लागू करने के लिए धन देने को तैयार है बशर्ते उसका उत्तरदायित्व पुरानी योजना के समान ही सीमित हो, समान महंगाई भत्ता, भविष्य निधि आदि देने का कार्य पूर्णतया राज्य सरकार के अन्तर्गत आता है।

श्री समर गुह : जब राज्य में राष्ट्रपति का शासन है तो केन्द्रीय सरकार अप्रत्यक्ष रूप से राज्य में होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार है।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं चाहता हूं कि इस बारे में कोई कभी-कभी मेरा मार्ग दर्शन कराता रहे कि राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य के शैक्षणिक व्यय बजट तथा उसके कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री का क्या उत्तरदायित्व होता है। मैं इस बारे में स्पष्टतया अभी कुछ भी समझा नहीं हूँ।

जहां तक अध्यापकों को स्थायी करने का प्रश्न है, यह पूर्णतया विश्वविद्यालयों तथा कालेजों से सम्बन्धित है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। यह विश्वविद्यालय और राज्य सरकार का कार्य है। व्यक्तिगत राज्य में मैं इस प्रकार की प्रथा का अनुमोदन नहीं करता हूँ कि अध्यापकों को इतने वर्षों तक अस्थायी रखा जाये। यदि उन्हें परिवीक्षा अवधि के लिए रखा गया है तो इसकी समाप्ति के उपरान्त उनकी सेवा को स्थायी बना देना चाहिए अथवा समाप्त कर दिया जाना चाहिये अधिक समय तक अस्थायी बनाए रखना एक समाज विरोधी कार्य है दुर्भाग्यवश मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूँ।

अध्यापकों के सेवा अवधि के 60-65 वर्ष वाले मामले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास भेजा गया था परन्तु उन्होंने 60 वर्ष से अधिक आयु होने पर दी जाने वाली रियायतें अथवा भत्ते आदि को जारी रखने से इंकार कर दिया था। यह वास्तव में बड़ी विस्मय की बात है कि 60 वर्ष की आयु होने पर अध्यापक के वेतन तथा वेतन वृद्धि को रोक दिया जाता है। यह एक बड़ी असंगत स्थिति है। मैं स्वयं मामले को उठाऊंगा।

मैंने वेतन के मासिक भुगतान के बारे में पश्चिमी बंगाल के कालेज अध्यापकों की एसोसिएशन तथा पश्चिम बंगाल के मुख्याध्यापक एसोसिएशन से बातचीत की थी। इन दोनों एसोसिएशनों ने यह कहा है कि इससे उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि उन्हें काफी समय से नियमित वेतन नहीं मिल रहा है। मुझसे कहा गया है कि उन्हें 4, 5 और यहां तक कि 6 महीने का भुगतान करना है, मैं नहीं समझ सकता कि समय पर वेतन न मिलने के कारण कितने दिन इसके बिना निकाले जा सकते हैं। इससे अध्यापकों में नैराश्य तथा असहयोग की भावना उठती है। मैंने इस सम्बन्ध में राज्यपाल से बातचीत की है मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वे यह बतायें कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में क्या कर सकती है, मैं कम से कम यह सुनिश्चित कर लेना चाहता हूँ कि इन अध्यापकों को, जोकि मध्य वर्ग के हैं, समय पर वेतन मिल सके क्योंकि मेरी उनके प्रति सहानुभूति है।

जो अन्तिम बात सम्मेलन के सम्बन्ध में उठाई गई है उसके बारे में मेरा यह कहना है कि हम पश्चिमी बंगाल के मुख्याध्यापकों की एसोसियेशन से बातचीत कर रहे हैं। हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उठाई गई बातों का शीघ्र समाधान निकाला जाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : 5 अगस्त 1970 को अध्यापकों की एसोसियेशन ने, जिसने राज भवन के समक्ष 48 घंटे का धरना दिलाया, राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया था। इसमें मुख्य बात यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार ने 1 अप्रैल, 1966 से सभी अनुदान देने से रोक दिये थे, यह एक ऐसा कारण है जिससे अध्यापकों को उनका वेतन नहीं मिला, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन अध्यापकों को 300 रुपये के स्थान पर 750 रुपये

मिल रहे है। यह आश्चर्य की बात है कि 12 महीनों का वेतन अध्यापकों को 22 अनियमित किस्तों में दिया जा रहा है। यदि अध्यापकों को यह आभास हो कि उन्हें 22 बराबर तथा नियमित किस्तों में वेतन मिलेगा तो उन्हें एक प्रकार से धैर्य हो जाये। जब तक केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को धन नहीं देती है तब तक वह उन्हें 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक बकाया वेतन राशि नहीं दे सकती है। 80 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को देना था तथा शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार को देना था। वह धन नहीं दिया गया और इस प्रकार अध्यापकों को बकाया वेतन राशि नही मिली।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या उन्हें पता है कि पश्चिमी बंगाल में सरकार द्वारा संचालित कालेजों में अध्यापकों को महंगाई भत्ता 17 रुपये 50 पैसे दिया जाता है जबकि गैर-सरकारी कालेजों में 125 रुपये मिलते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते है कि एक अध्यापक को, जो राष्ट्र निर्माता होता है, 17 रुपये 50 पैसे महंगाई भत्ता मिले। यदि वह हड़ताल करता है तो उसे ऐसा न करने के लिए कहा जाता है क्योंकि वह राष्ट्र निर्माता है। परन्तु एक राष्ट्र निर्माता को 17 रु० 50 पैसे महंगाई भत्ता मिलता है।

पशिचमी बंगाल के संदर्भ में सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह वहां के अध्यापकों में व्याप्त असंतोष को दूर करे तथा उनकी समस्या को सुलझाये ; मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे एक वरिष्ठ अधिकारी को पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ बातचीत करने के लिए वहां भेजेंगे तथा केन्द्रीय कोर्स से उन पर जो बकाया धन राशि हैं, उसका भुगतान करेंगे पश्चिमी बंगाल सरकार ने कहा है कि उनके पास धन नहीं है इसलिये केन्द्रीय सरकार को धन की सहायता करनी चाहिये ताकि स्थिति में सुधार लाया जा सके।

मैंने उनसे कल भेंट की थी और उन्हें बतलाया था कि मैं क्या करने में समर्थ और क्या करने में असमर्थ हूँ। जहां तक महीने-महीने भुगतान का सम्बन्ध है मेरे समझ में यह बात नहीं आती कि इस बारे में अनियमितताएं क्यों हुई हैं। मैं इस बारे में उचित जांच कराना चाहता हूँ।

श्री स० मो० बनर्जी : उनके पास पैसा ही नहीं है।

श्री वी० के० आर० वी० राव : मैं यह नहीं जानता कि यदि राज्य सरकार के पास धन नहीं है तो क्या केन्द्रीय सरकार वेतन का भुगतान करेगी। मैं निश्चित रूप से इस बारे में मंत्रि-मंडल में अपने सहयोगियों से बातचीत करूंगा कि क्या पश्चिम बंगाल के कालिज अध्यापकों को वेतन का भुगतान केन्द्रीय सरकार को करना चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी (उत्तर-पूर्व) : माननीय मंत्री समस्या की गम्भीरता को नहीं समझ रहे हैं। इसी कारण निराश होकर वहां लोग सड़कों पर धरना दे रहे है और अन्य प्रकार से आन्दोलन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो भी अनियमिततायें इस समय हो रही है उसके लिए केन्द्रीय सरकार ही जिम्मेवार है।

श्री चागला ने 1965 में यह आश्वासन दिया था कि अब किसी भी अध्यापक को कालिज में 300 रुपये से कम वेतन पर नियुक्त नहीं किया जायेगा। लेकिन उस आश्वासन को अब तक

क्रियान्वित नहीं किया गया है । अध्यापकों को वेतन का भुगतान करने के बारे में अनिश्चितता होने के कारण उनका वेतन बड़ी मात्रा में जमा हो गया है । उसका भुगतान किस प्रकार किया जायेगा । क्या इस सम्बन्ध में केवल मंत्रियों के सहानुभूतिपूर्ण आश्वासनों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा । इस बारे में केन्द्रीय सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए । पश्चिम बंगाल के प्रशासन और शिक्षा के बारे में अब केन्द्रीय सरकार जिम्मेवार है । अत: इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री को उत्तर देना चाहिये ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैंने जो सहानुभूति प्रदर्शित की है वह वास्तविक है । कोई भी केन्द्रीय मन्त्री तब तक आश्वासन नहीं दे सकता जब तक वह सुनिश्चित न हो जाये कि उसके द्वारा दिये गये आश्वासनों को क्रियान्वित किया जायेगा । अन्यथा मैं भी कोई आश्वासन दे सकता हूँ ।

श्री समर गुह : परन्तु आपसे पहले के मन्त्री द्वारा दिये गये आश्वासन के लिए आप जिम्मेदार हैं ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे खेद है कि वित्त मन्त्रालय के कारण उस आश्वासन को पूरा नहीं किया जा सका । मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ कि 300 रुपये मासिक कोई बहुत अधिक धन राशि नहीं है और मैं प्रयत्न करूंगा कि इस सम्बन्ध में कुछ किया जाये ।

7000 अध्यापकों में से 45000 अध्यापकों के 1 अगस्त, 1969 से समेकित वेतनमान निर्धारित किये गये हैं । समेकित वेतनमान निर्धारित करने के बारे में कठिनाइयां दूर हो गई हैं और अब राज्य सरकार के लिए वेतनमान निर्धारित करना आसान हैं । इस सम्बन्ध में होने वाले विलम्ब को रोकने के लिए मैं पश्चिम बंगाल के सम्बद्ध अधिकारियों से बातचीत करूंगा और प्रयत्न करूंगा कि इस सम्बन्ध में कम से कम विलम्ब हो ।

शिक्षकों को वेतन का भुगतान करने के बारे में मैं निश्चिय रूप से विचार-विमर्श करूंगा ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Law and order situation in the country should be discussed. Sardar Basant Singh was an important leader of the Swatantra Party of Punjab. He was murdered in the broad day light. The Police inspector who was making investigation in this regard was also shot dead.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : It is not the situation in Punjab above. In Bombay also some of the leaders of our Party have been threatened by Naxalites. It is a very serious matter. Hon. Minister should make a statement in this regard and a discussion should be allowed on this subject in the House. If such political murders are there in the country, no body is safe in the country. (*Interruptions*).

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I want to rasie a point of order. The medicines whose prices have been reduced have disappeared from the market and the prices of other medicines have doubled or trippled. The poor people are not able to get medicines in the market. The Government should give an assurance that they are taking immediate steps in this matter.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन अधिसूचना

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : मैं श्री ब० सू० मूर्ति की ओर से औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषधि तथा प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 6 जून, 1970 के भारत के 8 राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2008 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3892/70**]

जमा बीमा निगम का प्रतिवेदन केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, सीमा शुल्क अधिनियम तथा लवण अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) जमा बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1969 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जमा बीमा निगम बम्बई के कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—3893/70**]

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1062 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 20 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3894/70**]

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 955, जो दिनांक 17 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 1034, जो दिनांक 11 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) जी० एस० आर० 1054, जो दिनांक 18 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3895/70**]

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 42वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 18 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1049 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 43 वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 18 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1051 में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) 44वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 18 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1051 में प्रकाशित हुये थे।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 45वां सशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 18 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1052 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 46वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 18 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1053 में प्रकाशित हुये थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3896/70]

सरकारी बचत पत्र अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सरकारी बचत पत्र (निश्चित जमा) (संशोधन) नियम, 1970 जो दिनांक 14 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 442 में प्रकाशित हुए थे :

(दो) सरकारी बचत पत्र (संशोधन) नियम, 1970, जो दिनांक 14 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 443 में प्रकाशित हुये थे। [ग्रन्थालय में रखी रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3897/70]

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3898/70]

अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में जनता को बिजली सप्लाई करने के बारे में अधिसूचना

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheswar Prasad) : I beg to lay on the Table the following papers :—

A copy of Notification No. S.O. 2674 published in Gazette of India dated the 8th August, 1970, declaring any service connected with the supply of electrical energy to the public in the State of West Bengal or with the generation, shortage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply to be an essential service for the purposes of the Essential Services Maintenance Act, 1968 under sub-section (2) of the section 2 of the said Act. [*Placed in Library. See* No. LT—3927/70]

सदस्यों की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBERS

(सर्व श्री मधु लिमये तथा गुणानन्द ठाकुर)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि मुझे जिला जेल अधिक्षक वाराणसी से दिनांक 9 अगस्त, 1970 का निम्नलिखित तार प्राप्त हुआ है कि :—

"लोक सभा के सदस्य श्री मधु लिमये को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151, 107 और 117 अधीन 9 अगस्त 1970 को गिरफ्तार किया गया था तथा जिला जेल, वाराणसी भेज दिया गया।"

श्री स० कुन्दू : क्या भूमि हथियाओं आन्दोलन के अन्तर्गत गिरफ्तार सब सदस्यों को आप छोड़ने का अनुरोध नहीं कर सकते। मुझे दुःख है कि संसद सदस्यों के विरुद्ध धारा 107, 117 और 151 लगाई गई है। ये धाराएं गुण्डों के विरुद्ध लगाई जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभा को यह सूचना मिली है। आप इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आपको वह तार सेन्ट्रल जेल, अधिक्षक वाराणसी से प्राप्त हुआ है अथवा पुलिस अधिक्षक से।

अध्यक्ष महोदय : यह जिला जेल, अधिक्षक वाराणसी से प्राप्त हुआ है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि चाहे किसी भी संसद् सदस्य को गिरफ्तार किया जाये उस स्थान के जिला मैजिस्ट्रेट अथवा वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक को इस बारे में तार भेजना चाहिये। लेकिन इस मामले में जेल के अधिक्षक ने तार भेजी है.....

अध्यक्ष महोदय : हमें तार पुलिस अधिक्षक से भी प्राप्त हुआ है।

श्री स० मो० बनर्जी : उक्त तार पुलिस अधिक्षक से प्राप्त होना चाहिये। जिला जेल से नहीं। प्रधान मन्त्री को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए।

सरकारी कर्मचारियों को अलाट किये गये क्वार्टरों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1536 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 1536 RE-ALLOTMENT OF QUARTERS TO GOVERNMENT EMPLOYEES

श्री स० कुण्डू : मैंने सरकारी कर्मचारियों को अलाट किये जाने वाले क्वार्टरों के बारे म प्रश्न पूछा था। उनके बारे में अस्पष्ट तथा विरोधी उत्तर दिये गये हैं। मन्त्री महोदय को इस बारे में स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : वक्तव्य डेढ़ पृष्ठ का है। क्या मैं उसे पढ़ूं या सभा पटल पर रख दूं।

अध्यक्ष महोदय : वह उसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री परिमल घोष : श्री के० के० शाह की ओर से मैं सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों की अलाटमेंट सम्बन्धी नीति के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1536 पर सर्वश्री रघुबीर सिंह शास्त्री तथा श्रीचन्द गोयल द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के 11 मई, 1970 को दिये गये उत्तर को शुद्धि करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी०—3899/70]

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : इस बारे में कुछ नीति सम्बन्धी निर्णय पहले घोषित किये गये हैं। क्या सरकार उन नीति सम्बन्धी निर्णयों का पुनरीक्षण करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं एक वकील हैं और जानते हैं कि इसको इस समय नहीं उठाया जा सकता है।

———

सरकारी क्षेत्र में कार के निर्माता के बारे में वक्तव्य

STATEMENT ON MANUFACTURE OF CAR IN PUBLIC SECTOR

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : सभा को यह सूचित करते हुए मुझे बहुत हर्ष है कि सरकार ने सिद्धान्त रूप में प्रमाणित विदेशी डिजाइन के आधार पर सरकारी क्षेत्र में 50 हजार कारों की अतिरिक्त वार्षिक क्षमता का निर्माण करने का निश्चय कर लिया है। अब मेरा मन्त्रालय सरकारी क्षेत्र में इस अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की स्थापना के सबसे अधिक वचतपूर्ण तरीके और इस परियोजना के लिए वित्त की व्यवस्था करने के उपायों पर भी आवश्यक विस्तृत अध्ययन आरम्भ करेगा। हम सबसे अधिक उपयुक्त लोकप्रिय माडल का चुनाव करने और सहयोग की यथा संभव सबसे उत्तम शर्तों को प्राप्त करने के लिए इच्छुक पार्टियों से भी

विचार विमर्श करेंगे। यद्यपि यह सहयोग एक विदेशी कम्पनी के साथ किया जायेगा तथापि इस परियोजना के लिए अपेक्षित अधिकांश मशीनी औजार देश के अन्दर ही प्राप्त किये जायेंगे अतः इस परियोजना की स्थापना से देशीय मशीनी उद्योग के लिए विशेष रूप से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० को ट्रांसफर लाईन ले आऊट के लिए आवश्यक विशेष प्रयोजनीय मशीनी औजारों और साथ ही सामान्य प्रयोजन की विभिन्न प्रकार की मशीनों के उत्पादन के लिए और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि हम स्थानीय सहायक उद्योगों पर यथा संभव अधिक से अधिक निर्भर रहें इससे हम सहायक कारखानों की वर्तमान उत्पादन क्षमता का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग ही नहीं करेंगे अपितु ऐसे कारखानों के लिए जो पहले से स्थापित हो चुके हैं और साथ ही नये कारखानों के लिए जो नई मांगों की पूर्ति के लिए खोले जायेंगे, पर्याप्त विकास का अवसर प्रदान कर सकेंगे।

इस कार परियोजना की स्थापना से और बाद में मशीनी औजारों तथा मोटरगाड़ी सहायक उद्योगों के विस्तार से सामान्य श्रमिकों के अलावा जिनकी आवश्यकता होगी, एक बहुत बड़ी संख्या के तकनीकी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के पर्याप्त अवसर बन जायेंगे।

यह सभा इस परियोजना की पृष्ठभूमि से अवगत हैं। आपको याद होगा कि निम्न लागत कार समिति ने जून, 1961 में यह रिपोर्ट दी थी कि उचित रूप से निम्न लागत पर कार का निर्माण करने के लिए कारखाना स्थापित करना तकनीकी व आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोणों से संभव है। अनेक कारणों से मुख्य रूप से संसाधनों की स्थिति और विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण सरकार को सरकारी क्षेत्र की इस परियोजना को स्थगित करना पड़ा। तब से कारों की मांग बराबर बढ़ी है। और यात्री कारों की सप्लाई की स्थिति और भी विकट हो गई है। कारों की सप्लाई और उनकी प्राप्त क्वालिटी दोनों ही के बारे में काफी असन्तोष रहा है। ऐसा अनुतान लगाया गया है कि चतुर्थ योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 85,000 कारों की मांग होगी। जो पंचवर्षीय योजना काल में और भी बढ़ जायेगी। कार बनाने वालों के पास इस समय जो सुविधायें उपलब्ध हैं उनसे वे अधिकाधिक जितनी कारों का उत्पादन कर सकेंगे उनकी संख्या प्रति वर्ष 40 हजार से अधिक नहीं है। ऐसी आशा है कि सरकारी क्षेत्र की इस परियोजना से मांग और पूर्ति के बीच का अन्तर समाप्त हो सकेगा। वर्तमान कारखानों में कारों का निर्माण क्षमता बढ़ाने का भी विचार किया गया था। उनके कारों के डिजाईन पुराने होने के अलावा यह स्पष्ट है कि वर्तमान कम्पनियों को अपना विस्तार करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के समर्थन पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा अनुमान किया गया कि सरकारी क्षेत्र में इसका कारखाना स्थापित करना अधिक लाभप्रद होगा। तथापि, इससे अधिक महत्व के कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई प्राथमिकता को देखते हुए ऐसा महसूस किया गया कि केन्द्रीय सरकार सरकारी क्षेत्र के ऐसे सम्बन्धित उपक्रमों के साथ जो पूर्णतः केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हैं, इस प्रस्तावित परियोजना की सामान्य पूँजी के 51 प्रतिशत भाग के शेयर स्वयं ले और शेष 49 प्रतिशत पूंजी शेयरों के रूप में जनता तथा अन्य व्यक्तियों से एकत्र की जाये।

सरकार को गैर सरकारी क्षेत्र की फर्मों से भी गैर-सरकारी क्षेत्र में यात्री कारों के उत्पादन करने के भी कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इनमें से कुछ फर्मों का दावा है कि वे पूर्णत: देशी संसाधनों के आधार पर कारों का उत्पादन करने में सक्षम है । देश में ही कार बनाने की योग्यता तथा संसाधनों का विकास करने तथा प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र की उन फर्मों को आशय पत्र जारी करने का निर्णय किया है जो पूरी तरह से देशी डिजाइन के आधार पर बिना किसी आयात की मांग किये हुए अथवा विदेशी मुद्रा की आवश्यकता प्रगट करते हुये कार का उत्पादन करने के लिए तैयार हैं ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch at fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजे म० प० पर पुन: समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Deputy-Speaker *in the Chair*]

श्री नाम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : दक्षिण पूर्व रेलवे की गम्भीर स्थिति के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । कलकत्ता से मद्रास और मद्रास से कलकत्ता नहीं जा पा रहे हैं । (अन्तर्बाधाएं)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

(श्री त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती)

Sbri Om Prakash Tyagi (Muradabad) : A Famous revolutionary Maharaja Tirloki Nath Chekrabarty has expired The Prime Minister and the other leaders have offered their tributes. Tributes should also be paid to him in Lok Sabha also.

उपाध्यक्ष महोदय : उस महान व्यक्ति की मृत्यु पर सब अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं । ऐसा सभा की कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व किया जाना चाहिए था । माननीय सदस्य कुछ समय के लिए मौन खड़े हो जायें ।

इसके पश्चात् सदस्य कुछ समय के लिए मौन खड़े हुए ।

The Hon. Members then stood in silecence for a shortwhile.

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : मुझे डाक तथा तार मन्त्री से उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि जिन डाक-तार कर्मचारियों को हड़ताल के बाद निकाला गया था इन्हें फिर से रख लिया गया है । यह सच नहीं है । अब तक 13 कर्मचारियों को नहीं रखा गया है । मन्त्री महोदय को इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Our agitation is being defamed by giving it the name of 'land grab' movement. In fact, it is land distribution agitation. Many people have been arrested in this connection which include some Member of Parliament also.

I have also submitted a Calling Attention Notice in this regard. Either it may be accepted or a statement by the Prime Minister should be given in this regard.

गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन विधेयक

DOCK WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT) AMENDMENT BILL

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : मैं प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करता हूं। इस संशोधन से धारा 3 के अन्तर्गत बताये जाने वाली योजना का कार्यक्षेत्र बढ़ जाता है। परन्तु मैं सरकार का ध्यान गोदी कर्मकारों द्वारा धीरे-धीरे काम करने के अभियान की ओर दिलाना चाहता हूँ जो हाल ही में कई दिनों तक चलाया गया था और चार्जमैन ने दो महीने तक हड़ताल कर दी थी। जिसके परिणाम स्वरूप पटसन का निर्यात न होने और चाय का निर्यात विलम्ब से किये जाने आदि के कारण देश को 50 करोड़ रुपये की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की हानि उठानी पड़ी है। गोदी कर्मकारों की धीरे-धीरे काम करने के अभियान के कारण और भी कई कठिनाइयां पैदा हो जाती है और विदेशी व्यापारी भारतीय निर्यातकों के साथ व्यापार करने में हिचकिचाते है। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करनी चाहिये जिससे इस प्रकार की घटनायें न हो। यदि कर्मकारों को कुछ कठिनाई हो तो सरकार को उनकी शिकायत दूर करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये परन्तु कलकत्ता पत्तन का कई दिनों तक काम न करना, निर्यात वस्तुओं की ओर ध्यान न देना और उनको बेकार पड़े रहने देना देश के लिये और विशेषकर कलकत्ता पत्तन के लिये खतरनाक बात है।

मुझे पता चला है कि कलकत्ता में बार्जमैन अधिकांशतः नवाखली, कोमिल्ला तथा पूर्वी पाकिस्तान के अन्य जिलों से आते हैं। उनपर सदा विदेशी प्रभाव रहता है और वह इस प्रकार की गड़बड़ पैदा करने के लिये सदा तत्पर रहते हैं क्योंकि इससे पाकिस्तान से पटसन के माल के निर्यात में सहायता मिलती है। अतः सरकार को सुनिश्चित करना चाहिये कि बार्जमैन पर विदेशी प्रभाव न रहे जिससे हमारे निर्यात के कार्य में कोई रुकावट न पड़े।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : यह विधेयक इस विचार से प्रस्तुत किया गया कि प्रबन्धक वर्ग पर भी कार्यवाही की जा सके। परन्तु इस विधेयक में काफी कमियां हैं। गोदी कर्मकारों की दशा शोचनीय है। उनके रहने के लिये उचित सुविधाओं का अभाव है। पीने के पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं है। विभिन्न समितियों ने इस मामले की जांच की है और प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किये हैं। सुरक्षा और कल्याण योजना भी है परन्तु क्या मंत्री महोदय एक भी ऐसा उदारहण प्रस्तुत कर सकते हैं जब इस योजना का उल्लंघन करने के कारण प्रबन्धकों पर कार्यवाही की गई हो? 2 लाख कर्मकारों के लिये केवल 9 निरीक्षक हैं जो उल्लंघन करने पर मुकदमा चला सकते हैं। हाल ही में मांकेकर समिति ने बड़े जोरदार शब्दों में उस गंदगी का उल्लेख किया है जिसमें इन कर्मकारों को रहना पड़ता है। बम्बई पत्तन में पीने के पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं है।

यदि कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया गया तो इससे किसी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा ।

वर्ष 1965-66 में विशाखापत्तनम पत्तन पर मांग की गई थी कि कर्मकारों को बोनस मिलना चाहिये । नौभारक (स्टेवीडोर) बोनस देने के लिये तैयार नहीं थे, वे चाहते थे कि डाक-बोर्ड बोनस दे । उन्होंने भी बोनस देने से इन्कार कर दिया । वर्ष 1969 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में निर्णय दिया कि बोर्ड नियोजक नहीं है, इसलिये बोनस के बा में बोर्ड के साथ वादविवाद नहीं किया जा सकता । तब से यह मामला वैसे ही पड़ा है । तब तक इस सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं प्रस्तुत किया जा सकता तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

बार्जमैन विदेशी नहीं है । वे बहुत वफादार और परिश्रमी लोग हैं । उन्हें 120 रुपये मिलते थे । मजूरी बोर्ड ने सिफारिश की कि उन्हें कम से कम 206 रुपये मिलने चाहिये । सात बड़ी कम्पनियां हैं जो 60 प्रतिशत व्यापार चला रही है । इन मालिकों ने मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को क्रियान्वित करने से इन्कार कर दिया था । सरकार को अधिसूचना जारी करके मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करना अनिवार्य घोषित कर देना चाहिये । मुझे प्रसन्नता है कि अब कुछ राहत दी गई है ।

विभिन्न पत्तनों पर कर्मकारों की मजूरी भिन्न-भिन्न है । सभी पत्तनों पर कानूनी रूप से न्यूनतम मजूरी निर्धारित की जानी चाहिये । अब योजना का प्रशासनिक कार्य नौभारक (स्टीवडोरस) को सौंपा गया जो मजूरी में कटौती करने के लिये जिम्मेदार होंगे । जब तक उपर्युक्त योजना का प्रशासनिक कार्य कर्मकारों को नहीं सौंपा जाता तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा ।

पाराद्वीप पत्तन में प्रबन्धकों और कर्मकारों के बीच एक समझौता हुआ था परन्तु मुझे पता चला है कि प्रबन्धक उस समझौते का पालन नहीं कर रहे हैं । इससे और गड़बड़ होगी । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि हमें इस अधिनियम का व्यापक रूप से पुनरीक्षण करना चाहिये । नौभारक (स्टीवीडोरस) का कम्पनियों के रूप में पंजीकरण किया जाना चाहिये । इसके साथ साथ निरीक्षकों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिये क्योंकि दो लाख कर्मकारों के लिये 9 निरीक्षक बहुत कम हैं ।

Shri Mohammed Ismail (Barrackpore) : The problems being faced by Calcutta Port are old ones Calcutta Port Dak Workers having been agitating to deal with the problem of stevedores since 1951, Dak Labour Board was set up in 1953. It was demanded that stevedores system should be abolished and Government should control the movement of everyone. The struggle is still going on which results in disputes and strikes. Dak Labour Board provides minimum guarantee, Provident Fund but no facility is provided to the working and stevedores. I would suggest that stevedores system shoul be nationalised. This piece meal scheme will not solve this problems. The Act itself should be amended. Stevedores should be brought under the control of Dak Labour Board and uniform rules should be framed.

No election is held for the constitution of Dak Labour Board. The Members of the Board are nominated. I want to point out that representatives of the workers should be elected to the Board by secret ballot. The owners of stevedores companies are prodically controlling the Board. The goods are released when the prices are raised in the market, it helps price rise. The problems of workers cannot be solved without abolishing the stevedores system.

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : जिन माननीय सदस्यों ने इस वादविवाद में भाग लिया है उन्होंने आम तौर पर इस संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। उन्होंने कुछ सुधारों के बारे में भी सुझाव दिये हैं और सरकार को उन पर विचार करने के लिये कहा है। श्री कुण्डू ने सुझाव दिया है कि "परिश्रम" शब्द से पूर्व "समस्त देय" शब्द हटा देने चाहिए। हमारे विचार में केवल "परिश्रम" शब्द पर्याप्त नहीं है। हमने इसे वर्ष 1948 में अधिनियम में से और विधि सम्बन्धी ड्राफ्टमैन की सलाह पर लिया है। इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि किसी को कोई परेशानी न हो।

कल्याण योजनाओं के बारे में कहा गया है कि केवल 9 निरीक्षक हैं और वे कल्याण का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। हमें मांकेकर समिति का प्रतिवेदन मिल गया है और हमने उस पर कार्यवाही भी की है। यदि कोई कमियां या कठिनाईयां बाकी है तो मैं उनपर फिर विचार करूंगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में माननीय सदस्य ने जो बात कही हैं, वह ठीक है और हम एक लेबर बोर्ड के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। पारादीप पत्तन में हमारा कोई डाक लेबर बोर्ड नहीं है। वहां पर पोर्ट ट्रस्ट है और हम उनका ध्यान इस ओर दिलायेंगे।

कलकत्ता पत्तन के बारे में हमें कुछ कठिनाई थी। यह दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर हड़तालें होती हैं। हम सभी पक्षों के बीच बातचीत की व्यवस्था करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कलकत्ता पत्तन अब संकटग्रस्त तथा अलाभ-प्रद हो गया है।

चटर्जी समिति के प्रतिवेदन पर भी हमने कार्यवाही की है। स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति की व्यवस्था वहां पहले ही है। दो अन्य योजनायें भी 1-7-70 से लागू की गई हैं। हमने गोदी कर्मकारों की शिकायतों को भी सुना है। कर्मकारों की जितनी हानि हुई है, उसका मुआवजा उन्हें दिया जायेगा। हम कलकत्ता पत्तन को लाभ-प्रद पत्तन बनाना चाहते हैं। अन्यथा अन्य पत्तनों की तुलना में इसे बनाये रखना कठिन हो जायेगा। यदि कर्मकारों की कोई कठिनाई हुई तो हम उसकी जांच करेंगे। परन्तु मैं इस पत्तन के कर्मकारों से अपील करता हूं कि इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में सहयोग दें। राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उठाया गया है। यह सच है कि यह अधिनियम बहुत पुराना है। हमने अपने अनुभव के आधार पर ही ये दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं। इसके बाद भी हम इस अधिनियम के कार्यकरण पर ध्यान रखेंगे।

सभाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 में आगे संशोधन करने विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 4 और 5 प्रस्तुत करता हूँ ।

It may be recalled that out the other day emphasis were laid on removal of clause 3 and in case it is not possible then my amendment may be accepted. The company will never admit that they are defaulters. The officers of the company will always try to prove that they are not guilty. It has been stated in explanation. "For the purposes of this Section A, Company means anybody corporate and includes a firm other Association of individuals". The expression of "Association of individuals" is drastic and dangerous and also vague. The employees can be entangled under this provision. The employees can be held guilty. I want that "who are not the employees" should be added after "Association of Individuals. This amendment should be accepted.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : धारा 7-ए (1) में कहा गया है कि यदि योजना के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे भी दण्ड दिया जाना चाहिए । यदि भी कहा गया है कि यदि कोई कम्पनी भी अपराध करती हैं तो उसे भी दंड दिया जाना चाहिये । मैं पूछना चाहता हूँ कि यहां पर "व्यक्ति" और "कम्पनी" शब्द को क्यों रखा गया है । मुझे संदेह है कि "व्यक्ति" शब्द का प्रयोग निचले पदों पर काम करने व्यक्तियों के लिए किया गया है जो कम्पनी के लिये प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं हैं । खंड दो में इस बात की व्यवस्था है कि यदि कम्पनी का निदेशक प्रवन्धक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी भी दोषी पाये जाते हैं तो उनको सतर्क किया जाना चाहिए । अतः मन्त्री महोदय उपर्युक्त शब्दों की परिभाषा बतायें ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Both the amendments of Mr. Jha are based on misunderstanding. He has expressed his doubt that employees may not be entangled by misuse of this section. The definition of company has been given in section 7-A has been taken from Minimum Wages Act. In view of this there is no question of entangling any employee.

It has been provided in Section 7-A that action will be taken against the company or an individual who is found guilty. It has further been provided that if such a person proves that mistake has been committeed in spite of taking all precautions by him then only court will be competent to decide whether or not the person should be punished. If the court feels that he should have taken more precautions, he will be punished. If an officer is found guilty, he has a right to prove that he is not guilty. In view of this I cannot acceptions amendment.

Shri Kundu has expressed some doubts. It has been provided in section 7-A (2) : "Any director, Manager, Secretary and other officer of the company I think the position is quite clear with this provision. There should be no misunderstanding that officers of lower rung will be entangled.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 और 5 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 1

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 1, पंक्ति 4—"1967" के स्थान पर
"1970" में रखा जाये। (2)

श्री भागवत झा आज़ाद

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clauses 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—"Eighteenth" ["अठाहरवां"] के स्थान पर
"Twenty-First" ["इक्कीसवां"] रखा जाए। (1)

—श्री भागवत झा आज़ाद—

Shri Shiv Chandra Jha : I had asked a question about discrimination in recruitment but the hon'ble Minister has not replied it.

श्री भागवत झा आज़ाद : इस विधेयक का भर्ती के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित के रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Title was added to the Bill.

श्री भागवत झा आजाद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव तथा अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES AND COMMITTEE ON UNTOUCHABILITY

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री पी० गोविन्द मेनन द्वारा 20 मई 1970 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर :

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के 16वें, 17वें, और 18वें प्रतिवेदनों पर, जो क्रमशः 24 अप्रैल, 1968, 15 मई, 1969 तथा 30 मार्च, 1970 को सभा-पटल पर रखे गये थे, विचार करती है ।"

और श्री सूरज भान द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :

"कि अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शैक्षणिक विकास सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (भाग 1—5) तथा सम्बद्ध दस्तावेजों पर, जो 10 अप्रैल, 1969 को सभा-पटल पर रखे गये थे, विचार किया जाये ।"

Shri Suraj Bhan (Ambala) : The condition of Harijans and Adivasis is deplorable. We are discussing three reports submitted by three commissions and fourth Report is that of untouchability committee which was set up by Government. The time allotted for this purpose is inadequate. This should be extended.

Dr. Ram Subhag Singh (Buxar) : The time should be extended to ten hours.

Shri Ram Charan (Khurja) : Sir, since four Reports are to be discussed, therefore, the time should be at least fifteen hours.

श्री जुल्फिकार अली खां (रामपुर) : मेरा सुझाव है कि समय 30 घटे कर दिया जाए।

Shri Shiv Charan Lal (Firozabad): Sir, it is a matter pertaining to the entire country and to the Harijans. The time for it must be extended.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इन सभी बातों से सहमत हूँ किन्तु मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति में इन सभी बातों पर विचार किया गया था तथा उस समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि विद्यमान थे। कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन सभा के समक्ष रखा गया था तथा उसे सभा ने स्वीकार किया था। उसमें इसके लिये पाँच घन्टे का समय रखा गया है। यदि मामला पुनः कार्य मंत्रणा समिति को भेजा जाये तो संभव है उसमें इस पर विचार किया जाये। अतः इस समय मैं इस बारे में कोई निर्णय नहीं दे सकता। फिर भी मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभी माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिल सके। मैं केवल इतना निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सदस्य संक्षेप में अपने विचारों को व्यक्त करे। पूरे प्रतिवेदन पर चर्चा करने की बजाय वे उनके केवल कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ही प्रकाश डालें।

Shri Sadhu Ram (Phillaur); Sir, it is matter of concern that there is no member from the scheduled caste on the Business Advisory Committee. I am sorry to state that Parliament has no time to discuss the difficulties of crores of the people of the county. I demand that the time must be extended.

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा आज ही समाप्त होने वाली नहीं है।

Shri Om Prakash Tyagi : I beg to move that time may be extended.

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : मेरा सुझाव है कि पांच घंटे का समय समाप्त हो जाने के बाद आप इस सम्बन्ध में विचार करे।

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : पांच घंटे का समय मूलतः अनुसूचित जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिए निर्धारित किया गया था। अब सभा को अस्पृश्यता संबंधी समिति के प्रतिवेदन पर भी विचार करना है। ये प्रतिवेदन अधिक बड़े हैं तथा इनमें समस्या के सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। अतः समय बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अब हमें चर्चा आरम्भ करनी चाहिये तथा इस पर बाद में विचार किया जायेगा।

Shri Suraj Bhan : Sir, I do not intend to refer to the atrocities being done to the Harijans again. It is a well known fact that 42 Harijans of a district in Madras were burnt alive last year. It is not a single case of this nature, I can narrate so many other cases where Harijans have been victimised.

In Haryana also a similar incident took place recently. In village Bagathal in Tahsil Rewari there was a quarrel between the Harijans and non-Harijans on the 12th July. A man, named Jangali, approached the *Panchayat* for the justice. But it is regreting that the Panchayat did not show any sympathy towards the poor Harijans. Not only this but he was threatened that not only he but anybody amongst Harijans who would make complaints against Zamidars would be brought to book and their houses would be set on fire. He, with his son, then, want to Bawar Police station to lodge a report against them. On the 13th July the S. H. O. deputed a constable to deal with the problem. He came to the

village and informed the Harijan women that they were allowed to take water from the wells. Harijan women then went to the well but non-Harijans caught them there and beat them mercilessly. After that there *Jhomparis* were set on fire and Shri Jangali and his 15 years old son were done to death by the Zamindars. The constable was there but he did not dare to intervene in the matter. In this conflict an aged women sustained a serious head injury and could not receive even the first aid for two days.

It is understood, now, that certain persons have been arrested. I am sorry to observe that attempts are being made to implicate two innocent person from the Harijans in this case.

Sir, I demand that action should be taken against that constable who did not try to protect the Harijans and also against the S. H. O. who did not recognise the seriousness of the case where he was informed in advance that the lives of the Harijans were in danger.

My submission, in this regard in this, that such incidents are not restricted to a particular part of the country but can be witnessed in the whole country may I know what is the practical solution of this problem ? A memorandum, signed by me and several other hon Members, has been submitted to the Prime Minister suggesting that the National Integration conncil should consider the problems of the Harijans also. We have also demanded therein that the meeting of this council should be called immediately. The Prime Minister asked use to make some suggestions in this regard and I am making certain suggestions.

First of all I want to suggest that in such cases collective punishment should be inflicted to all the persons involved in them. I have gone through the Parumal Report and according to that I find that such provisions are already there. I suggest that the police personnel should be posted in that villages and the expenditure on these police personnel should be borne by these villages. Besides, the entire village should be punished.

My record suggestion is that large number of persons from the scheduled castes should be employed in Police Force in order to receive justice.

Thirdly, the amendment proposed to be made in the untouchability Act, should be introduced immediately.

Now I want to take up the economic aspect of the problem. Harijans are economically backward and it is the main reason for their backwardness in all spheres of life. I emphatically state that no Harijan in the country has been provided with the agricultural land. I agree that laws pertaining to the equal distribution of land are there but they are not being implemented properly. Thousands of acres of agricultural land can be found surplus with so many landlords thus, I demand that it should be distributed among those who do not possess it without any further delay.

My second suggestion is that a separate Financial Corporation should be set up for the members of the scheduled castes and the scheduled tribes. The centre should take initiative in this regard. These people can not get loans from the present financial institutions because of the lack of security. I do not mean that the loans should not be realised from these persons. My submission is that in case an individual wants loan for purchasing a plot of land he should be provided with loan and that plot should be mortgaged with the Government.

It is highly surprising that even the shoe-making industry is not under the control of Harijans. It is a well known fact that in all the shoe-making factories Harijans work as mere labourers and not as owner. Arrangements can be made to from co-operative societies in order to facilitate these persons. I heve also suggested to Haryana Government that they can set up a shoe-making factory with share system.

In case the cost of a share in the shoe factory is fixed as Rs. 1000, the Harijan workers should be asked to deposit Rs. 100 as share money and Rs. 900 should be deposited by the Government against his name and the amount should be treated as interest free loan. By doing so he would be a labourer and the owner at the same time.

It is desired that the shops constructed at various places should also be allotted to them in order to improve their economic conditions. The recommendation to this effect has also been made in the Report. I can quota page number containing the recommendation but due to the pancity of time I do not want to go into the details. Regarding the allotment of agricultural land I suggest that they are tillers and they should be provided with land.

I also want to submit a scheme regarding the residential accommodation. Government should construct houses for the Harijans and they should be allotted to them on hire-purchase basis for the 40 or 20 years. After completing the period of hire-purchase they should be made owners of those houses. Delhi Aministration has made such provisions. It has constructed houses for middle income group and 15 per cent houses have been reserved for Harijans.

Education plays an important part in removing backwardness from any community. I do realise that the Government have taken some steps to increase literacy among the Harijans but I also think that the measures taken so far can not be said adequate. I suggest and demand that the amount of scholarship fixed as early as in 1948 should now be doubled. Besides, it should be eusured that the scholarship is paid to them regularly and in time.

I have had an occasion to visit West Bengal. It was surprising for me to note that the formula of non-availabitity of suitable candidates is applied there for ever granting the scholarship to the scheduled castes students. In West Bengal, the list of scheduled castes has been divided into two parts ; though they are not competent to do so. One part of the list contains the names of scheduled castes and the other contains the name of Backward Scheduled castes. According to them more backward scheduled castes are those who live in interior parts of the state. Actually the children of these castes do not attend schools. The second aspect of the problem is that upto the education of higher secondary level the expenditure on scholarship is borne by the State Government. Above that level the amount of scholarship is paid out of the grant made by the Central Government. But I am sorry to mention that central grant is not utilised for the purpose because of the discriminatory attitude of the State Authorities. How it can be expected that the students from the more backward scheduled castes would be available in the colleges when they do not come even in the primary schools ? I request the hon. Minister that this kind of discrimination should be curbed immediately.

Government should interfere in the matter of reducing the percentage of reserved seats in medical and engineering institutions made by Communist Government in Kerala. They have reduced the percentage from fifteen to only five.

Sir, during the discussion on short notice question put by me in 1969 regarding the committed expenditure on scholarships, Shri Govind Menon declared that he fully agreed with all the fifteen hon. Members who participated in the discussion. At that time he also gave an assurance that the matter would be referred to the Parliamentary Committee on scheduled castes and scheduled tribes He has also assured the House that the recommendations of the committee would be accepted. But it is a matter of regret that the recommendations of the committee have been rejected by the Ministry of Finance during the period when this Ministry was under the Prime Minister herself. I do not intend to criticise any body, but my submission is that at least the assurances made on the floor of the House should be fulfilled by the Government.

Scholarships given to the students for studying in foreigh countries should also be given to the students from scheduled castes and scheduled tribes. Likewise, the scholarships offered by the foreign countries should also be made available to these students.

I also suggest that conformity should be brought in the educational structure. It is most desirous that the school going children are treated in the same way and they are given equal facilities and opportunities. Keeping the point in my mind I demand that the public schools opened here should be abolished because it would become impossible for the students who have not been provided any facility to compete with those of the public schools. I am sure, if all kind of facilities are provided to the children of scheduled castes they will certainly fatch more marks in the examinations.

Generally, it is clamoured that the persons from scheduled castes and scheduled tribes have been provided with tremendous opportunities in services but the reality can be revealed from the figures mentioned in the Report of the Commissioner for scheduled tribes in this regard. It is correct that the percentage of reservation in class one post has been increased from 12 to 15 but according to the said Report the actual representation in this class is only 2.08 per cent. Likewise, the representation in class two posts is 3.10 per cent and in class three it is only 9.33 per cent. Apart from this, thousands of persons among these castes are still unemployed.

The position of the persons belonging to scheduled tribes is more deplorable. Their representations in class one posts is 0.57 per cent, class two 0.41 per cent and class three 1.25 per cent. There are the figures given by the Government itself and can not be treated as most reliable because I know as to how figures are collected and prepared. Regarding the suitability of the scheduled caste candidates I would like to repeat the suggestion made by late Dr. Lohia that they should be appointed directly to the respective post on the basis of the minimum qualification prescribed for them. Reserved post should not be offered to the candidates not belonging to scheduled castes in the name of non-availability of suitable candidates from their castes. It is also unfair and injust to assess the suitability in comparison with other candidates.

I am sorry to mention that the case of Shri Ganga Ram, who applied for the post of senior Inspector in Railway, was referred to the then Minister of Railways, Shri Govind Menon by me. The post was reserved. But Shri Ganga Ram, who also appeared before the selection Board, was nos considered suitable for the post. It is not a single case of this nature, but I can quote several such cases where injustice have been done to the scheduled caste candidates.

Recently I have brought to the light the case of a Airhostess. Now I want to narrate a care pertaining to the examination held on 30th May for the post of Junior Operator Assistant. The post was general but it so happened that the candidate Shri Mahesh Chandra stood first in the examination is a scheduled caste candidate. Naturally the authorities of the Indian Airlines became jealous of him and bagan to lie in wait for an opportunity to disqualifiy him. Another test for the post of Junior Traffic Assistant was also held by the Indian Airlines and Shri Mahesh Chandra also appeared in it. The officials of the Airlines found an opportunity at the time when they found another candidate copying in the examination. They entangled Shri Mahesh Chandra in this matter and they are making all sorts of attempts to disqualfy Shri Mahesh Chandra for the reason alone that he could top in the examination.

Now I come to the point of confirmation. The Ministry of Home Affairs issued instructions in 1959 that the reservation should be maintained in confirmation also. But the Ministry of Irrigation did not comply with these instructions and argued that they are unable to maintain reservation in confirmation for the posts of higher ranks. I request that the Government should bring uniformity in this regard at least so far as the Government Departments are concerned. We can not even emagine the parlous plight of the scheduled

castes in the different States. I visited Kerala once and found that there was only one Gazetted Officer in entire state. So many things are said regarding the increasing inefficiency in the service due to the employees belonging to scheduled castes and scheduled tribes. But may I know as to what extent the Central Government itself is efficient to ? Who is unaware of the fact that about fifty per cent employees are in efficient in the Government service ? But the actual representation of the scheduled castes in service is merely two per cent. In these circumstances how the entire blame of inefficiency can be put on the heads of the scheduled castes.

I demand that reservation for scheduled castes and scheduled tribes should be made in the Defence Forces also. It has been argued that the scheduled castes and scheduled tribes are not matial races May I point out that Shri Raju, who shot down six Pakistani aircrafts during 1965 Indo-Pakistan conflict was belonging to the scheduled caste. Similarly Ten Singh was also a member of the scheduled tribes Therefore, I request the hon. Minister that we should be given reservations the Defence Forces. We should not be deprived of our rights in the name of martial race.

Regarding the ensuring census I want to suggest that in the census forms there should be a column on the primary information whereby the person concerned could indicate as to whether he belongs to scheduled caste or not. It should be the duty of the officials to enquire from the people as to whether they belong to scheduled castes or not. The facts should be indicated in the forms. As a result of the faulty procedure adopted in the 1961 census the actual figures showing the percentage of population of the scheduled castes could not be obtained. In the year 1951 the percentage of scheduled castes in relation to the population of the country was 15 32 but in 1961 it reduced to 14.67. It is injustice to the scheduled castes and this is being done deliberately by the Government. Census is also going to be conducted in 1971 and I demand that column pertaining to the primary information should be made in the forms. It should also be ensured that this column is filled in by the authorities accordingly. Reservation in the Parliament, State Legislative Assemblies and in services is fixed on the basis of the population of the scheduled castes and the tribes and in case the actual figures are not produced in the census how could actual representation be provided to them.

My Bill pertaining to the reservation in relation to the population will be taken on the 14th instant. I am sorry to say that not a single seat in Parliament is reserved for the scheduled castes. It is sheer injustice which should be removed immediately.

With these words I conclude and hope that the hon. Minister would consider all these points.

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय ! मैं श्री सूरज भान द्वारा की गई मांगों का समर्थन करता हूँ । यह समस्या बड़ी गम्भीर है तथा इसका समाधान भी यथा शीघ्र किया जाना चाहिये ।

अस्पृश्यता अधिनियम के उपरान्त भी अस्पृश्यता की भावना दूर नहीं की जाएगी । माननीय सदस्य ने हरियाना, आन्ध्र प्रदेश आदि के बारे में जिन बातों का उल्लेख किया है यदि उन्हें न रोका गया तो देश का बड़ा अहित होगा ।

प्रतिवेदन में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि यहां के 118 स्कूलों में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है । अत: उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाने तथा अन्य सुविधा देने की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

यह भी सच है कि जो लोग नगरों के पास रहते हैं उन्हें तो कुछ सुविधायें मिल भी जाती हैं किन्तु जो लोग दूर के क्षेत्रों में बसते हैं उन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती ।

आदिम जातीय क्षेत्रों के स्कूल आदि की कोई सुविधा नहीं है । वास्तव में वहां के स्कूलों में पढ़ाने के लिये अध्यापक भी नहीं जाना चाहते । इसके अतिरिक्त बच्चों के लिये भी एक गांव से दूसरे गांव में शिक्षा लेने के लिए जाना कठिन है क्योंकि जंगलों में भयानक पशुओं का डर रहता है । अतः मेरा निवेदन है कि सरकार वहां के सभी गांवों में स्कूलों की व्यवस्था करे तथा स्कूलों में अध्यापकों की उचित व्यवस्था करे । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अनुसूचित जातियों के लोगों के पास इतना धन भी नहीं होता कि वे अपने बच्चों को उचित शिक्षा दिला सकें । अतः सरकार को उनकी आर्थिक सहायता भी करनी चाहिये तथा उन्हें इस योग्य बनाना चाहिये कि वे अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकें । साथ ही राज्यों को अपने खर्चे पर उनके बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलानी चाहिए ।

हमारे देश में सब से निर्धन व्यक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं तथा यह सच है कि अधिक निर्धन व्यक्ति ही देश के विकास में अधिक योगदान देते हैं । कृषि कार्यों में, जंगलों की सफाई करने में तथा सड़क आदि के निर्माण में सभी जगहों पर इन व्यक्तियों को कार्य करते देखा जा सकता है । महोदय ! जब यह लोग सभी शिक्षा सस्थानों और कार्यालयों की इमारतें बनाते हैं तो उनके लिए पत्थर तथा अन्य समग्री ढोते हैं तो उन्हें अन्य लोगों की अपेक्षा सुविधायें भी अधिक मिलनी चाहिए । इस में से जो व्यक्ति नौकरी करने में समर्थ है उनको रोजगार मिलना चाहिये और शेष को भूमि मिलनी चाहिये जिससे वे कृषि कार्य में लग सके तथा उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके ।

जहां तक मुर्गी पालन आदि कार्यों के लिये ऋण देने का सम्बन्ध है माननीय सदस्य ने बताया है कि इन लोगों को केवल 100 रुपये का ऋण दिया जाता है इस बात का विश्लेषण बसुमतारी समिति के द्वारा कराया जा सकता है । मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि इन लोगों की आवास सम्बन्धी समस्या देश में सबसे अधिक गम्भीर है ।

मैं जानना चाहता हूं कि जीवन बीमा निगम ने गृह निर्माण के लिये अनुसूचित जातियों के किसी व्यक्तियों को कोई ऋण दिया है । ज्ञात नहीं कि इन लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से कोई ऋण सम्बन्धी सुविधा दी गई हैं अथवा नहीं । मैं यह मांग करता हूं कि इन लोगों को इन की जनसंख्या के अनुपात से पूरा कोटा दिया जाना चाहिये ।

मेरी यह भी मांग है कि इन लोगों को गृह निर्माण के लिये भूमि देनी चाहिये क्योंकि इनके पास अपने मकान नहीं हैं । राज्य सरकारों को इस कार्य के लिये लगभग 500 करोड़ रुपयों की एक नीधि बनानी चाहिये तथा मकान के लिये भूमि के साथ इनको अन्य सुविधायें भी प्रदान करनी चाहिये ।

बड़े खेद की बात है कि इन जातियों और आदिम जातियों में से कोई भी व्यक्ति राज्य-पाल अथवा राजदूत नही बनाया गया । कठिनाई से कहीं एक-दो व्यक्ति इन पदों पर देखे जा

सकते हैं। हम महात्मा गांधी तथा अन्य लोगों के बड़े आभारी हैं जिन्होंने इन समस्याओं की ओर दृष्टि डाली है। महोदय ! 17 या 18 राज्यपालों में से और यदि उप-राज्यपालों को भी मिलायें तो कुल 20 में से एक भी व्यक्ति अनुसूचित जाति का नहीं है। यही स्थिति राजदूतों के बारे में है। इस समय एक भी इनमें से राजदूत नहीं है। श्री सूरज भान ने प्रतिरक्षा मंत्रालय की कुशलता का उल्लेख किया और उसकी कुशलता का प्रमाणपत्र हमें 1962 में मिल भी गया था। इसी प्रकार विदेशों में हमारे दूतावास क्या और कैसे कार्य करते हैं यह भी छुपा नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि जब सक्षम व्यक्ति इन कार्यों को पूरी तरह नहीं निभा पाते तो जिन्हें असमर्थ समझा जाता है उन्हें ऐसा कार्य सौंपने में क्यों आपत्ति की जाती है। उन्हें पहले अवसर तो मिलना चाहिये।

उत्तर भारत में आदिम जाति के लोग कुछ विशिष्ट पेशा करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग जंगलों से चमड़ा इकट्ठा करते हैं किन्तु उन्हें इस उद्योग के लिये राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से कोई सहायता नहीं दी जाती। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार उन्हें कुछ सहायता दे अथवा उन्हें कुछ काम करने के लिये प्रोत्साहित करे।

इसी प्रकार कुछ आदिवासी शहद इकट्ठा करते हैं। क्या सरकार जानती है कि उन्हें इस कार्य में कितनी कठिनाई होती है और उन्हें किस प्रकार की सुविधायें दी जा सकती हैं ? इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि उनके लिये सहकारी समितियों की व्यवस्था की जानी चाहिये तथा उनकी वस्तुओं का बाजार में उचित मूल्य दिलाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त चमड़ा उद्योग में अनुसूचित जातियों के लोगों का बड़ा योगदान है किन्तु जूता बनाने वाले कारखानों पर उनका स्वामित्व नहीं है। यह व्यापार भी अन्य लोगों द्वारा चलाया जाता है। सरकार ने इस सम्बन्ध में जो सुविधायें इन लोगों को दी है वे पर्याप्त नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि उन्हें अधिक सुविधायें मिलनी चाहिये।

हड्डियां आदि एकत्रित करने का कार्य भी यही लोग करते हैं किन्तु खाद बनाने वाले कारखाने इनके न होकर किन्हीं अन्य ही व्यक्तियों के हैं। मेरा निवेदन है कि कम से कम प्रत्येक राज्य में एक एक कारखाना ऐसा अवश्य होना चाहिये जिसमें इन्हीं लोगों को रखा जाये। इसके अतिरिक्त इन लोगों को कारखाना खोलने के लिये ऋण भी मिलना चाहिये।

वे पशु व्यवसाय भी करते हैं लेकिन इसके लिये भी उनको सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती। इस बात का पता लगाने के लिये कोई व्यक्ति होना चाहिये कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों की सम्पूर्ण जन-संख्या को अपना व्यवसाय चलाने के लिये 1970 में कितनी सहायता दी गई है। उनको सभी वित्तीय निगमों अथवा वित्त मंत्रालय अथवा जीवन बीमा निगम अथवा अन्य निगमों से बड़ा शेयर दिया जाना चाहिये। अस्पृश्यता के दोषों को दूर करने के सम्बन्ध मे किसी भी बात को असंभव न समझा जाये। लाखों की संख्या में लोग दोनों ओर के पाकिस्तान से आये और उनको समाज में बसाया जा रहा है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लोगों की स्थिति सुधारने के लिए पूरी तरह प्रयत्न किये जाने चाहिये। उनकी समस्याओं का निपटारा युद्ध-स्तर पर किया जाना चाहिये, ताकि 4 से 5 वर्षों की निर्धारित अवधि के अन्दर ही उनको हल किया जाए।

श्री बसुमतारी (कोकराझार) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और 10 वर्ष के लिए बढ़ाने के कारण सरकार हमारी बधाई की पात्र है। मुझे खुशी है कि उन्होंने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की सूचि में संशोधन करने हेतु एक विधेयक पुर स्थापित किया है तथा वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण के सम्बन्ध में एक समिति का गठन करने के बारे मे भी सहमत हो गए हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उत्थान के लिए 20 वर्षों तक कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं किया जा सका, इसलिए आरक्षण की अवधि को दस दस वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया।

आप जानते हैं, मुझे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष होने का विशेषाधिकार प्राप्त है। मैंने देश के कोने-कोने का दौरा किया है। ब्रिटिश काल में साक्षरता पांच प्रतिशत थी और अब बढ़ कर 24 प्रतिशत हो गई है।

लेकिन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की साक्षरता प्रतिशत क्रमशः दस और आठ है। यहां तक कि केरल में, जहां कि साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की साक्षरण प्रतिशत क्रमशः 24 और 17 है।

1946 में इन जातियों की ऐसी आकांक्षा नहीं थी लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात् इन्होंने भी अन्य सुविधाओं के स्तर तक पहुँचने की आकांक्षा की और यह अपने को शिक्षा से वंचित समझते हैं।

केरल में, बल्कि सम्पूर्ण दक्षिण भारत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए कोई स्कूल नहीं है। जो एक आध कहीं इधर उधर हैं भी तो उनकी दशा बहुत ही दयनीय है। जनजाति के लोग ऐसे रहते हैं जैसे आदि काल में लोग रहते हैं जैसे आदि काल में लोग रहते थे। उन लोगों को बोलना तक नहीं आता। वे नहीं जानते कि कपड़े तेल आदि का प्रयोग कैसे किया जाय।

मैंने दस वर्ष पूर्व उड़ीसा में जन जाति क्षेत्र का दौरा किया था और दस वर्ष पश्चात् फिर पिछले मास से उसी क्षेत्र में गया तो देखा कि उन लोगों की वैसी ही हालत है जैसी दस वर्ष पूर्व थी। वे लोग अभी भी कपडे पहनना नहीं जानते न ही उनके पास कपड़े खरीदने के लिए पैसा है। 20 वर्ष पश्चात भी वे लोग यह नहीं जानते कि शिक्षा क्या चीज हैं ?

मैंने वहाँ के कुछ स्कूलों का दौरा किया। ज्ञात हुआ कि वहां अध्यापक केवल सोमवार को आता है, वह नगर से आता है तथा उसके लिए वहां कोई आवास की व्यवस्था नहीं है। मुझे सारे क्षेत्र में केवल तीन या चार स्कूल दिखाई दिये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उनके लिए अधिक स्कूल खोले जाने चाहिये ताकि उनको शिक्षा मिल सके और उनका अच्छा विकास हो सके। जब तक इन लोगों का विकास नहीं किया जाता तब तक आप इस देश का विकास नहीं कर सकते। जन जाति के लोगों को मुर्गी पालन के लिए 50 रुपये या 100 रुपये देने से काम नहीं चलेगा। इससे तो वे चाय-पानी पी जायेंगा। यदि आप उनका उत्थान चाहते हैं तो केवल

इस कार्य से काम नहीं चलेगा। जो आप कहते हैं उसे कार्यान्वित भी करें। आप अपने बच्चों का सत्यता से निर्वाह करें।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में पिछड़े लोगों की प्रतिशतता श्रेणी दो और तीन की सेवाओं की तुलना में अधिक है यह इसलिए हुआ है क्योंकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण सुविधायें दी गई हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन समुदायों से सम्बन्धित लोग परीक्षा में अच्छा कार्य कर सकते हैं यदि उनको उचित शिक्षा दी जाए।

अनुसूचित जाति की एक स्नातक महिला ने इंडियन एयरलाइंस में एक नौकरी के लिए आदेश पत्र दिया था, उस महिला को उस पद के लिए अयोग्य साबित कर दिया गया। लेकिन जब दूसरी बार उस महिला ने उसी पद के लिए फिर आवेदन पत्र दिया तथा इस बार उसमें अपनी जाति का उल्लेख नहीं किया तो उसे योग्य ठहराया गया। यह मानदण्ड उचित नहीं है।

मैं सभा से अपील करना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के विकास के लिए इस प्रश्न को राजनीतिक प्रश्न न बनायें। यह राष्ट्रीय प्रश्न है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों संबंधी कल्याण समिति ने पांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। इससे यह दिखाई देता है कि सरकार समिति द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार करने में बहुत अनिच्छुक है।

सभी राज्यों के समाज कल्याण विभागों ने परिचय जारी किये हैं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई है, अतः उनको दी जाने वाली छात्रवृत्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाने चाहिये। माता पिता की आय पर आधारित एक प्रतिबंध है। जब तक स्नातकोत्तर विद्यार्थी 45 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करते तब तक उनको छात्रवृत्ति नहीं दी जानी चाहिये, कितने ही प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये हुए हैं। क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की दशा में सुधार करके उनको अन्य जातियों के स्तर तक उठाना सरकार का कर्त्तव्य नहीं है ? सरकार को इन लोगों की सहायता के लिए भरसक प्रयत्न करने चाहिये, जो वह कहती है उसका उसे सत्यता से निर्वाह करना चाहिये। यह राष्ट्रीय समस्या है।

आप समाजवाद की बात करते हैं। जब तक इन लोगों को अन्य समुदायों के बराबर नहीं उठाया जाता तब तक समाजवाद का कोई अर्थ नहीं।

इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझिये और थोड़ी अवधि के भीतर इसे सुलझाने का प्रयत्न कीजिये। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों में लगभग 80 प्रतिशत लोग भूमिहीन हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की सहायता के लिये सरकार ने जिन बातों की घोषणा की है, उनको ईमानदारी से कार्यान्वित करना चाहिये। केवल तब ही इन लोगों की दशा में सुधार हो सकता है।

Shri Meetha Lal Meena (Sawai Madhopur) : Sir, On the one hand the rich people of the country enjoy the scene of Man landing on the moon on the television and on the other hand the Adivasi in the country are still without clothes. These has not been much improvement in the condition of Adivasis.

Reports are submitted every time. It is a matter of shame that even today those people are in such a bad and backward condition.

Education is of utmost importance for improving the lot of the scheduled castes and scheduled tribes, proper educational facilities should be provided for their children. Hostels should be provided for the children where they should be given all necessary facilities for carrying on their studies, because the people of these castes can not afford to give proper education to their children. Books, food and clothing should be provided free of cost.

In villages, even today children are considered the source of income. They are forced to do labour and are put to work in mines. Government should make efforts to stop such a bad tendency. They should be advised to send their children to schools to get education.

[श्री का० न० तिवारी पीठासीन हुए]
[Shri K. N. Tiwari *in the Chair*]

The standard of primary schools have gone down in the States. In every district at least one central school should be provided for the education of scheduled castes and scheduled tribes children. Other schools will also receive inspiration from this central school and they will also try to improve their standard of education.

Lunch should be provided to the school children. If this is done, the children will be attracted to go to schools.

There is misuse of money given for running hostels for scheduled caste and scheduled tribes students. The officials of the Central Government should visit those hostels to ensure that they are run efficiently and money given by the Government is properly used.

The amount of scholarship given to the scheduled castes and scheduled tribes students is inadequate. It should be increased. It should be given when schools open and not after six or seven months of it or when the examinations are hold. Income restriction debarring certain students from getting scholarships should be removed.

There are certain public schools which are very expensive and the scheduled castes and schèduled tribe people can not afford to send their children to these schools. The Government should give special facilities so that their children also can study in those schools.

There is a problem of land and agriculture also. The land grab movement is going on. Government have not taken this problem seriously. Forced labour is taken from these poor people. Though Act has been passed to abolish this system but it is not being implemented. Only five bighas of land has been given to them and they think that they have purchased those poor people. Labour is taken for full year from all the members of their families. Patwaris and other officials deceive them. Immediate attention should be given towards this problem.

Scheduled Caste people have to enter into litigation in certain cases. Free legal aid should be provided to them.

There are inadequate bank facilities in areas inhabited by Adivasis. More branches of banks should be opened in those areas.

The high caste people purchase the land of scheduled castes and scheduled tribe people with the help of revenue officers. That way these poor people are deprived of their land.

The Government should open Agricultural Schools and colleges in areas, inhabited by the people belonging to backward communities to provide training in agricultural operations and in the use of modern equipments.

People belonging to backward communitties do not get licences for setting up industries. Contracts for leather tanning work and bone should be given to the scheduled castes and tribes people without auction who are engaged in this profession. May I know whether they have no right to take the agency of Governmcnt companies, overnment factories and private firms ?

As regards the indebtedness of these castes, they, in Orissa particularly, have to repay the loan with the rate of 668%. After every week they have to pay Rs. 1.25 as interest far a sum of Rs. 10. If such a situation continues, how can their condition improve ? As regards their employment, they are not recruited on the basis of suitable candidate not available, if the recriuting officer is not in favour of recruiting them. So, a rule should be made for all Government Departments to ban the filling of the posts reserved for these castes by recruiting the candidates of other than these castes. Such posts should remain vacant for the time, till the suitable candidates of these castes are available. The employees of these castes working on the post of sweeper in the offices should be promoted to the post of peon after 10 to 15 years of their service. There is no reservation for these castes in military. I want that reservation for them, as much as possible, should be made in military too, as they are fully capable of military service. In villages police do not take necessary action on the complaints in respect of untouchability made by the people of these castes against the people of other than these castes. So it is necessary that candidates of these castes and tribes should be recruited in police in large number. These people can make progress only if Government pay special attention for the upliftment of these people. The people of scheduled castes and scheduled tribes can be brought at par with other people if the latter cease to treat them as untouchables. The feeling of untouchability towards the S. C. and S. T. people should be removed from the minds of the people. Simultaneously inferiority complex should be uprooted from the minds of the people of these castes and tribes.

In the end, I request that at least 10 per cent recommendations contained in perumal committee report and the other reports submitted by commissioners for scheduled castes and scheduled tribes should be accepted. Government should also accepted all the recommendations made by Parliamentary Committee in their report. Some thing should be done soon at higher level for their upliftment.

Shri M. G. Uikey (Mandla) : Mr. Chairman, I am unable to understand the use of the discussion on the report which takes place in Parliament every year. I would like to know how far the Central Government look into the implementation of the recommendations contained in the report once discussed in the House. Now five hours' time has been allotted to three annual reports. On this bases I can say that it is the Parliament from where the exploitation of scheduled tribes begins.

In this report the commissioner has clearly stated that the progress in the field of education has not been made so much as it should have been. In Madhya Pradesh only 5 09 per cent tribal people are literate. On this basis anybody can imagine the backwardness of these people in education. It has also been mentioned in the report that a very few students belonging to tribes go to school and teachers also do not stay in schools. This is correct the reason for it is that in tribal area school covers an area of 5 to 6 miles and the children of primary stage cannont go to attend the school at a distance of 5 or 6 miles. If we want the teachers to be present in schools local people should be appointed as teachers there. A teacher who belongs to Punjab and has passed M. A. or B. A. will certainly not stay there far long. As regards the scholarships to tribal students, the report says that

"two-thirds of the beneficiaries come from Assam and Bihar, although only one-fifth of the total tribal populations lives there." The amount of scholarships should be distributed among States according to their tribal population. There are number of printing errors in the scholarships forms meant for tribal students. There should not be a column for annual income, which is supposed to be certified by the local Revenue Officer, as it does not apply to tribes.

This year there were 7 scholarships in medical colleges of Madhya Pradesh To obtain the scholarship 136 Harijan students and 14 tribal students applied, but none was selected. They were not considered suitable for admission into medical colleges, through they all posses qualification required for it *i e*. Intermediate Science 2nd Division.

The school being run for the tribal welfare should be converted into Ashram-type school *i.e.* the school, cooperative society and Ayurvedic or other dispensaries, all should be opened at one place. It has also been mentioned in the report that a small number of tribal students go to I. T. Is. opened by Government in tribal area. It is true. The reason for it is that in these institution's trades of motor mechanic etc. are taught, and these trades are not of any use to them, because they are not employed in cities, where there is demand of this kind of work. So I suggest that such training should be imparted and these industrial training institutes as may be useful to them. They should be given training in industry based on Mahwa and Sagwan trees.

About 7 years ago the National Coal Development Corporation acquired 300 acres of land in Bilaspur district. No compensation has yet been paid to them. In some other cases compensation has been paid to them, but it did not reach the real claimant. In 80 per cent cases compensation was not paid to the real trible whose land was acquired. It was received by somebody else by foul means. I want to point out that at present tribal people are being cheated or exploited by Government departments. As regards the Land Alienation Act, its provisions have not yet been fully implemented with the result that most of the tribal people are landless these days.

People after loudly talk of conversion. But they never pay attention to the circumstances created by us which compel then to go to conversion. If we are more benefited by conversion, certainly we will take shelter of missionories. If you want that conversion should not take place, more educational and other facilities should be given to them.

Development blocks working in tribal area are giving financial aid to 90 per cent of tribal people, who are already in debt. The fertilisers in large quantities, which they do not need, are being supplied to them in the name of green revolution. Government should appoint a committee to see how the fertilisers were distributed them.

There is an area of 6000 sq. miles, which is under cultivation of trible people. The Revenue Deprtment of State Government are fighting over the issue as to whom the land actually belongs. In this fight the cultivators have to suffer. As regards the distribution of land, I suggest that there should be autonomous bodies for it in the States, otherwise land distribution will not yield desired results. No body should be allowed to occupy the land belonging to tribal people by force or otherwise. Government should take some administrative steps in this respect. The Governor is supposed to send report aud make legislation for scheduled area under fifth and sixth schedules, but he is not doing so.

Problem of tribal people differ from district to district. I can give my suggestions for solving the problems of each and every part of tribal area of my State. An inquiry should be instituted into the affairs of Tribal Development Corporation, which was established with a capital of 1 15 crores rupees. If Government want their development, financial and legal assistance should be given to them. Government should take steps to save them from being exploited.

श्री सी० के० चक्रपाणि (पोन्नानी) : श्रीमान् इस समय हमारे सामने चार बड़े बड़े प्रतिवेदन हैं। उनमें कुछ सिफारिशें की गई हैं। कुछ सिफारिशें ऐसी हैं जो प्रतिवर्ष की जाती हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने हरिजनों तथा आदिवासियों की दयनीय स्थिति का उल्लेख किया है। किन्तु इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस सरकार इसके लिये उत्तरदायी है। बसुमतारी समिति जैसी समितियों का कर्त्तव्य सिफारिश देना है जबकि सरकार का कर्त्तव्य उन्हें क्रियान्वित न करना है। मैं सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि इस सम्बन्ध में वह अपना दायित्व पूरा करने में असफल रही है। यदि सरकार सिफारिशों की क्रियान्विति के प्रति गम्भीर है, तो उसे क्रियान्विति के लिए कुछ योजनायें तैयार करनी चाहिये।

इस समुदाय के सामने जो वास्तविक समस्या है, वह है धन की। हरिजन आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इनके प्रति अन्याय किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। उनकी दमनीय दशा और पिछड़ेपन का कारण भारतीय समाज की जाति-व्यवस्था है। वे समाज की उच्च जातियों के लिए काम करते हैं और स्वयं पिछड़े हुए बने रहते हैं। यदि आप उनकी दशा सुधारना चाहते हैं तो भारतीय समाज से वर्ण-व्यवस्था को समाप्त करना होगा।

उनकी दूसरी समस्या है उनके पास भूमि का न होना। अनुसूचित जातियों की लगभग आधी जनसंख्या ऐसी है जो खेतीहर मजदूर का पेशा करती है। इसी कारण से उन्हें पूरे वर्ष तक काम नहीं मिल पाता है। साथ ही यह भी जरूरी है कि उन्हें मजूरी बहुत कम दी जाती है। उनके निमित्त न्यूनतम मजूरी अधिनियम को पूर्णतः लागू नहीं किया गया है आज स्वतन्त्रता 23 वर्ष बाद भी भूमि काश्तकार की नहीं बनायी जा सकी है। अभी तक सरकार ने भूमि सुधार की कोई ठोस योचना नहीं बनाई है। उन्हे कृषि भूमि की आवश्यकता है। यदि उन्हें भूमि न दी गई तो वे उस पर जबरदस्ती कब्जा करेंगे। मैं 'भूमि हथियाओ' आन्दोलन का स्वागत करता हूं। जब तक भू-सुधार के लिए कोई कानून नहीं बनाया जाता तब तक समाजवाद की बात करना धोखा मात्र है।

एक अन्य बात यह है कि आदिवासी लोगों की भूमि को अन्य लोग या व्यापारी खरीदते जा रहे हैं। यह उचित नहीं है। केरल राज्य में आदिवासी लोग इलायची की काश्त करते हैं। किन्तु अन्य लोग या व्यापारी उनकी जमीन को जबदरस्ती दबा लेते हैं और उन्हें वहाँ से खदेड़ देते हैं। कुछ आदिवासी इसका विरोध करते हैं। ऐसी मुठभेड़ों को विधि-व्यवस्था के नाम पर न उछाला जाये। आदिवासियों को भूमि के स्वामित्व की दृष्टि से कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है।

यह भी विचारणीय है कि अनुसूचित जाति के लोग सदैव कर्जदार रहते हैं। साहूकार उनका शोषण करते रहते हैं; ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे वे जीवन-पर्यन्त कर्जदार न बने रहें। चाहे कुछ हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाये, चाहे उनमें से कुछ अधिकारी भी बन जाये, किन्तु हरिजनों की स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी तब तक उन्हें जमीन नहीं दी जाती। अन्त में मेरा यह निवेदन है कि यदि आप सचमुच हरिजनों का उद्धार और कल्याण चाहते हैं तो हमें यह नारा लगाना ही पड़ेगा कि हरिजनों को भूमि दी जानी चाहिये। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और वास्तव में तभी समाजवाद लाया जा सकता है।

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa) : Mr. Chairman, if we seriously go to through the reports submitted by the Commissioner for scheduled castes and scheduled tribes and the Parumal Committee, we will come to know that untouchability is still being practised in some parts of the country ; and the schemes made by Government for the welfare of the scheduled castes and the scheduled tribes are not fully implemented. This a very sad state of affairs.

In my opinion not only Central Government but all the State Governments too are responsible for the uplift of Harijans and tribals. At the same time I would like to say that the Central Government should be more vigilant in their supervision over proper distribution and utilisation of funds allotted for uplift and welfare of Harijans and tribals. Such a vigilance will compel the State Governments to properly utilise the money allotted to them.

The problem can not be solved simply by providing political right to Harijans and Adivasis There are two aspects of this problem—one is social and second is economic. Caste system is the root cause of social disparity. It is a matter of regret that some people are called as untouchables in India. Since education is not spread in rural areas, some institutions, people and religious preceptors try to create disparity among them. That is why the social changes, which ought to take places, did not occur. Therefore a legislation should be enacted by which caste system should be abolished. Each person should be given equal treatment. I would like to say a few words to the followers of Hindu religion. If they are Hindu in the real sense, if they believe in Hindustan, they should not make any distinction between persons.

Economic conditions of Adivasis, scheduled castes and scheduled tribes is deplorable. They have got no land to cultivate, no home to live. Most of such people are unemployed. I would request that a percentage in services should be fixed in accordance with their populations. Secondly, additional land should be distributed to landless Harijans and Adivasis. It should be done by making ample provision in law. Only by giving them land, the problem can not be solved. The State Governments should give guarantee to the banks which may grant loan to them. Untouchability among the various groups of Harijans should also be abolished In view of present circumstances, it has become necessary that this problem should be given priority.

Just now one hon. Member stated that the persons who go to the areas inhabited by Harijan and Adivasis, have got no concern with them. Could the Government not make such arrangement as the persons working in that particular area should be of the same locality or of the same group ? For example if the work is to be done in the Harijan or scheduled castes locality then only Harijan scheduled caste persons should be appointed in that locality. It will help them in doing their jobs in a better way.

Advocates should be appointed to look after the litigations of Harijans and other backward communities. But one thing is clear that if advocates of the same community are appointed only then these people will be benefited.

**केरल मुस्लिम लीग का तस्करी गिरोह से कथित सम्बन्ध

Alleged involvement of Kerala Muslim League in smuggling racket

सभापति महोदय : अब केरल मुस्लिम लीग के तस्करी गिरोह से कथित सम्बन्ध के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1.3 के 27 जुलाई, 1970 को दिये गए उत्तर से उत्पन्न बातों पर चर्चा की जायेगी ।

**आधे घण्टे की चर्चा

Half-An-Hour Discussion.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम्) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। तस्करी गिरोह में केवल केरल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के पुत्र का हाथ है न कि केरल मुस्लिम लीग का। एक व्यक्ति के कारण सम्पूर्ण दल को दोषी क्यों ठहराया जा रहा है ? ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें मुख्यमन्त्रियों के लड़कों का हाथ होता है और एक मामला ऐसा भी आया है जिसमें माननीय प्रधान मन्त्री के लड़के का हाथ है। लेकिन इस आधार पर हम सम्पूर्ण दल को दोष नहीं दे सकते। क्योंकि दोष तो व्यक्ति विशेष का है न कि दल का। किसी भी व्यक्ति का अपने दल से मतभेद हो सकता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 123 के उत्तर में कहा गया है कि मामला-न्यायालय के विचाराधीन है और जांच चल रही है। ऐसी स्थिति में इस विषय पर आगे चर्चा कैसे की जा सकती है? (व्यवधान) क्या यह उचित है कि कार्य सूची में प्रश्न का शीर्षक 'केरल मुस्लिम लीग का तस्करी गिरोह से कथित सम्बन्ध' दे दिया जाये जबकि उत्तर में स्पष्ट कहा गया है कि उस गिरोह में केवल मुस्लिम लीग अध्यक्ष के लड़के का हाथ है। दूसरे. जबकि जांच चल रही है, इस विषय पर आगे चर्चा करना क्या उचित होगा ?

समापति महोदय : माननीय सदस्य ने उसी शीर्षक के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति मांगी है। अतः इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : तस्करी व्यापार गिरोह काला धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है और यह तस्कर व्यापार प्रति वर्ष बढ़ रहा है। भारत के बड़े बड़े व्यापारियों ने 3 हजार करोड़ रुपये का काला धन इकट्ठा कर रखा है। 'लन्दन टाइम्स' दिनांक 30 मई, 1969 में एक समाचार छपा था जिसमें कहा गया था कि डुबाई जैसे छोटे से देश से प्रतिवर्ष 15 करोड़ डालर के मूल्य का सोना तस्कर व्यापार के माध्यम से भारत में आता है। इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही मुद्रा स्फीति भी होती है और मूल्यों में वृद्धि होने तथा आर्थिक संकट आने की आशंका रहती है। यदि यही स्थिति रही तो भारत तस्कर-व्यापारियों का गढ़ बन जाएगा। आर्थिक अनुसंधान केन्द्र के निदेशक, डा० वी० आर० शिनाये ने दिनांक 18 जुलाई 1970 को पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया है जिस में कहा गया है कि बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन (मार्च, 1963) के अनुसार तस्कर वस्तुओं का जब्ती के विरुद्ध बीमा किया जाता है। इस समय बीमे की प्रीमियम 12½ प्रतिशत है। जब्त की गई तस्करी वस्तुओं की कीमत 1968-69 में 21.06 करोड़ रुपये थी। यदि हम यह मान लें कि बीमा प्रीमियम का 5 प्रतिशत जब्ती के लिए अलग रखा जाता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक वर्ष के दौरान लगभग ·425 करोड़ रुपये का तस्कर व्यापार हो सकता है।

यही नहीं तस्कर व्यापार प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। केरल राज्य का मालाबार प्रदेश भी अब तस्कर व्यापार केन्द्र बन गया है। मुस्लिम लीग के नेताओं, पूंजीपतियों तथा बड़े बड़े व्यापारियों की सहायता से मालाबार के तटवर्ती क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह केन्द्र स्थापित किया गया है। वित्त मन्त्रालय इन गिरोहों का पता लगाने के लिए सचेष्ट नहीं है।

26 मई को सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टरी ने केरल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के पुत्र श्री वाफकी तंगल के व्यापार-गृह पर छापा मारा और थैली वाली खाली कपड़े की

जैकट तथा कपड़े की पेटी बरामद की। ये दोनों वस्तुएं निषिद्ध सोने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए काम में लाई जाती हैं। कुछ टेट्रोन धागा, टेप रिकार्डर के टेप, दो गैस सैलेण्डर बगैरा और कुछ कागजात भी बरामद किए। बफाकी के घर से बहुमूल्य वस्तुएं बरामद न होने से ऐसा पता लगता है कि उसे यह ज्ञात हो गया था कि छापा पड़ने वाला है और इसलिए उसने अपने निवास स्थान से सारी बहुमूल्य वस्तुयें हटा ली थी। मुझे तो यह भी संदेह है कि वस्तुतः कोई जांच कराई भी गई थी कि नहीं। बफाकी ने बताया कि अलमारी की चाबियां त्रिवेन्द्रम में है जबकि सच बात तो यह थी कि चाबियां केरल मुस्लिम लीग के नेता की जेब में थी। श्री बफाकी के दो निकटतम सम्बन्धी अरब में रहते हैं। उन्हीं के माध्यम से सारी वस्तुएं बफाकी के पास पहुंचती है। मुझे पता चला है कि केरल गृह मन्त्रालय, जो कि मुस्लिम लीग के एक अन्य नेता श्री सी० एच० मुहम्मद कोया के अधीन है, से निर्देश पाकर कालीकट पुलिस के डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कोजीकोड के सहायक कलक्टर से मिलने गए थे। गत मई से सीमा शुल्क विभाग ने 24 लाख रुपए मूल्य की तस्करी वस्तुएं बरामद की। इन सभी गिरोहों में केरल मुस्लिम लीग का हाथ है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में भी चार लाख रुपये के मूल्य की तस्करी वस्तुयें बरामद की जिसमें श्री मुहम्मद बफाकी का हाथ था। स्पष्ट है कि उच्च स्तर पर लोगों से सहायता मिलने तथा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की सहायता न करने से यह व्यापार लगातार चल रहा है और यह भी सिद्ध हो गया है कि श्री बफाकी जाने माने तस्कर-व्यापारी हैं!

सतारूढ़ कांग्रेस तस्करी गिरोह को पकड़ने के लिए चिन्तित नहीं है क्योंकि यह गत वर्ष से केरल मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ कर रही है। चूंकि कांग्रेस को वहाँ से वोट प्राप्त होने की आशा है, इसलिए वह तस्कर-व्यापारियों को पकड़ने के लिए कार्यवाही नहीं कर रही।

9 मई, 1970 को ब्लिट्ज में एक समाचार छपा था जिसमें कहा गया था कि तस्कर व्यापारियों का एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह है और उस गिरोह की केरल शाखा के अध्यक्ष मुस्लिम लीग के नेता हैं। भूतपूर्व केन्द्रीय वित्त मन्त्री के पुत्र गत वर्ष केरल मुस्लिम लीग के नेता के घर गए थे...वेपूर पत्तन से मुमताज लांच पकड़ी गई जिसमें से चार लाख रुपए के मूल्य का विदेशी कपड़ा बरामद हुआ। उसी लांच की सहायता से एक और विदेशी लांच पकड़ी गई जिसमें से दस लाख रुपये के मूल्य का नायलोन धागा, जापानी कपड़ा विद्युत उपकरण और अमरीका में बना हुआ रिवाल्वर बरामद किया गया। रिवाल्वर और कारतूस एक बैग में थे जिस पर 'पाकिस्तान में निर्मित' 'मेड इन पाकिस्तान' लिखा हुआ था। कालीकट के तस्कर व्यापार मामले की सरकार ने भली प्रकार जांच नहीं की। सरकार को भय है कि यहां तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाही की जाएगी केरल मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो जाएगी और विधान सभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस दल की सीटें कम हो जाएंगी। यही बात है कि कांग्रेस इस मामले में रूचि नहीं ले रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार मालाबार तटवर्ती क्षेत्र में फैले तस्कर-व्यापारियों के द्वारा किये जाने वाले तस्कर व्यापार को गम्भीर समझती है और यदि सरकार की इस मामले में रुचि है तो वह तस्कर-व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी?

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, this Muslim League is responsible for the partition of the country and now Government has allowed for its revival in the country. The person, who is organising this party in northern India is the same man who attacked Shri Ali Yanar Jung, the then Vice-Chancellor of Aligarh Muslim University. His name is Shri Bashir Ahmed. The smaller muslim organisations the northern India have amalgamated themselves into Muslim League, which means that these parties were mere sub-additions of Muslim League working in different garbs. The first round of their organised activities was experienced during the elections of Allahabad Municipal Corporation. Now the first and foremost question of the source of money coming to these organisations which is really serious. This is a terrible communal organisation, and Government is very kind to this organisation. This organisation has decided to fetch at least 50 seats in Parliament in the next General elections simply because to make Government to yield to their demands. The President of the All India Muslim League, Shri Mohammad Ismail had demanded that muslims should be absorbed in Government Services in proportion to their population, or they would extend their cooperation to these conceding to their demands.

Kerala is the centre of the activities of Muslim League Money is coming to the Muslim League in Northern India from the Gold Smugglers in the coastal areas and also from Arab for the revival of the Muslim League in the country. Are Government aware of these things ?

Secondly, it is also desirable that Government should consider Muslim League as a communal organisation in the country and this evil should be nipped in the bud.

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : Is there any relation of the Pakistani Nationals arrested by a customs party of Azhikal port of Cannanore district with the Muslim League ? The Government in a statement had stated that during the period between June 1969 and May 1970 Smuggled goods worth Rs. 5.51 crores were seized and on this basis it was also stated that smuggling was running in crores of rupees. Will the hon. Minister advise the enquiry commission appointed for suggesting ways and means to unearth the tax evasion and black money, to also suggest in its report as to how to unearth smuggled money ?

Have Government implemented its decision that some Government customs departments would be set up in big cities such as Hong Kong, Kuwait and London etc. and some high officials would be deputed there to keep watch on the smuggling rockets of various goods and they would try to impose curb on such rackets ?

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Bombay was a big centre of smuggling. For the last seven or eight months since the Muslim League had a Home Minister in the Government of Kerala the smuggling operation have been shifted from Bombay to Kerala and Muslim League has collected about 5 crores of rupees from the smuggling racket. Among the people arrested by the customs party are some of the office bearers of Muslim League and it is clear that Muslim League is also envolved in the smuggling racket in Kerala.

Is it a fact that some time back Shri Vishwanathan, the Governor of Kerala has written a letter to the Prime Minister informing her that Law and Order in Kerala was in the hands of smugglers and Muslim League was not interested to take any action against smugglers and that the Muslim League has aligned with the smuggling racket ? Kerala Police cannot arrest the smuggling racket in the State. Therefore, the Central Government either should send police force or take some other measures so that smuggling racket may be checked.

Secondly, is it also a fact that the son of the Minister belonging to Muslim League and the office bearers of the League are running a riffle training camp where league impart riffle training to the people and that the expenses incurred on this training camp and also volutary force is met from the money earned from smuggling ? Is it also a fact that whole of the police force have been made ineffective and police cannot take any action against smuggling racket in Kerala ? It is because the Home Department of Kerala Government was in the hands of Muslim League.

Government should send some officers of intelligence or revenue intelligence or those of C.B.I. so that the activities of smuggling racket may be cheeked.

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : हम चाहते हैं कि तस्कर व्यापार समाप्त हो जाये और उस पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। परन्तु जिस तरह से इस मामले को दर्शाया गया है वह ठीक नहीं है। यह ऐसी स्थिति है जहां साम्यवादी दल से जनसंघ और श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी का गठजोड़ हो गया है जिसकी सम्भावना भी नहीं की जा सकती। तस्कर व्यापार और विदेशी धन की जालसाजी केवल मुस्लिम लीग अथवा मुसलमानों तक ही सीमित नहीं है अपितु इस प्रकार की जालसाजी में हिन्दू, मुसलमान और ईसाई भी शामिल हैं।

क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य में तस्कर व्यापार श्री नम्बूदिरीपाद के मंत्रिमंडल के त्याग पत्र देने के पश्चात् आरम्भ हुआ था, अथवा उनके साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के राज्य के दौरान भी जारी था जबकि मुस्लिम लीग भी मंत्रिमंडल में सम्मिलित थी ? क्या श्री ई० एम० एस० नम्बूदिरीपाद ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान मुस्लिम लीग की गतिविधियों की ओर दिलाया था और यह भी कहा था कि यह सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में असमर्थ है ? जब तक इस का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जायेगा तब तक यह सन्देह दूर नहीं होगा।

इस बात की मांग की जाती है कि विदेशी धन के आगमन के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा होनी चाहिए, परन्तु चर्चा नहीं की गई। यह सच बात है कि केवल मालावार में ही तस्कर व्यापार नहीं होता। परन्तु देश के बम्बई जैसे अन्य बड़े शहरों में भी करोड़ों रुपये का तस्कर व्यापार हो रहा है और सरकार इसे रोकने में असमर्थ है। यह सच है कि कुछ अधिकारियों, कुछ बहुत बड़े व्यक्तियों और कुछेक मंत्रियों के इशारे पर तस्कर व्यापार हो रहा है। सरकार ने इस बारे में जो विशिष्ट कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है, उसकी जानकारी दी जाए।

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : Sir, opportunity should be given to those hon. Members against whom allegations have been levelled. Justice should be given to this matter. Aggrieved party must be given an opportunity to clear the position specifically. Everybody has a sight to clear his position in this House.

Mr. Chairman : I cannot go against the rules.

श्री एम० मुहम्मद इस्माइल (मंजरी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वैलट में हमारे नाम नहीं आए हैं परन्तु अनेक लोगों ने हमारे ऊपर अरोप लगाए हैं। हमें, अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना ही चाहिए।

जब हम जहा बैठे हुए आपके आदेश का पालन करते हैं तो वह यह कहते हैं कि इन सब असत्य और जघन्य बातों का जो उन्होंने कही है, हमारे पास कोई उत्तर नहीं है अतः हमें बोलने का अवसर दिया जाए। हमारे साथ न्याय होना चाहिए। इन जघन्य आरोपों को हमारी बात सुने बिना सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय : अनेक वर्षों से इस सदन में आधे घण्टे की चर्चा होती रही है जो कुछ नियमों के अन्तर्गत होती है और इसके जो नियम बने हुए हैं मैं उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। आप अपने स्पष्टीकरण अन्य अनेक प्रकार से दे सकते हैं। जिन सदस्यों के नाम बैलट में आए हैं केवल उन्हीं को बोलने की अनुमति दी जायेगी।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। बताया गया है कि कुछ मंत्री भी तस्करी का व्यापार करते हैं, तो क्या मंत्री महोदय अपने भाषण में उनके नाम बताने की कृपा करेंगे।

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री क० लकप्पा : (तुमकुर) : व्यवस्था के प्रश्न पर आधे घण्टे की चर्चा कुछ नियमों के अन्तर्गत की जाती है। परन्तु आज तो एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों और उनके दल पर, उनकी उपस्थिति में ही कुछ आक्षेप किए गए हैं। आप ने भी कहा है कि नियमों के अन्तर्गत उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जायेगा। अतः उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करने का इसी समय अवसर दिए जाए। हमें यह जानना चाहिए कि जो बातें यहां कही गई हैं क्या वे सच हैं अथवा नहीं। मुस्लिम लीग के सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। वह सदन में उपस्थित है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आज की आधे घण्टे की चर्चा केरल मुस्लिम लीग के तस्करी गिरोह के साथ कथित सम्बन्ध के बारे में है। यह किसी एक व्यक्ति के बारे में प्रश्न नहीं है अपितु यह मामला मुस्लिम लीग का है। इस चर्चा के दौरान कुछ वक्ताओं ने कुछ नामों का उल्लेख किया। जब इससे पहले अन्य दलों और उसके सदस्यों को बोलने का अवसर दिया गया था तो आज समानता और न्याय और निष्पक्षता की रक्षा करते हुए, उनको, अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करते का अवसर देने में कोई हानि नहीं होगी। श्री मुहम्मद इस्माइल को बोलने का अवसर दिया जाए।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : इस चर्चा के दौरान जब श्री इस्माइल जी का बार बार नाम लिया गया है, और श्री इस्माइल इस सदन के एक माननीय सदस्य हैं और वह यहां उपस्थित भी हैं तो उनको बोलने का अवसर मिलना ही चाहिए। क्योंकि इस सदन की यह रीति और प्रथा है कि जिस सदस्य का नाम लिया जाता है तो उसको, अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी जाती है। इसलिए श्री मुहम्मद इस्माइल को अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति तो मिलनी ही चाहिए।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : प्रक्रिया नियमों के अनुसार इससे पहले जब किसी सदस्य पर आक्षेप लगाया जाता था तो उसे व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होकर अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करने का अधिकार था। परन्तु अब जब नियमों में परिवर्तन हो गया है कि यदि कोई सदस्य व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहे तो उसे इस के लिए सूचना देनी होगी और अध्यक्ष की अनुमति से ही वह व्यक्गित स्पष्टीकरण दे सकता है।

यहां सम्पूर्ण दल पर आरोप लगाया गया है किसी एक व्यक्ति पर नहीं। इसलिए जब किसी एक सम्पूर्ण संगठन पर आरोप लगाया जाता है तो एक व्यक्ति को व्यक्ति स्पष्टीकरण देने के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए।

Shri Shashi Bhushan : The smugglers have no community. They are equally bad for each and every country. We cannot defame the party of a person whose son might have happened to be a smuggler. The boy concerned should be punished. If the changes are levelled against any hon. Member and he happened to be present in the House he should be allowed an opportunity of furnishing personal explanation.

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : इस सभा की यह प्रथा रही है कि जिन दलों का यहां पर कोई प्रतिनिधि नहीं है उन पर आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जाती। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस समूची कार्यवाही को वाद-विवाद से निकालने के लिए कहें अथवा संबंधित सदस्यों को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान किया जाये। उनसे लिखित नोटिस नहीं मांगा जाना चाहिए क्योंकि वे सभा में उपस्थित हैं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : नियमों के अन्तर्गत माननीय सदस्यों को जोकि यहां पर उपस्थित हैं यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। नियम 351 के अनुसार सम्बन्धित सदस्य अध्यक्षपीठ की अनुमति से व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकते हैं। अतः यदि अध्यक्षपीठ की अनुमति हो तो माननीय सदस्य व्यक्तिगत स्पटीकरण दे सकते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : It is true that something has been said against the Muslim League but Shri Prakash Vir Shastri or any other hon. Member but not levelled any allegation against anybody. So now it depends upon you that if you want to give them an opportunity you may do so.

श्री एम० मुहम्मद इस्माइल : इससे पूर्व की व्यक्तिगत स्पष्टीकरण पर बोलने का अवसर दिया जाये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि न केवल मुस्लिमलीग का ही यहां पर उल्लेख किया गया है बल्कि एक के बाद एक बोलने वालों ने यह कहा है कि वह यहां बैठा है। वह कुछ भी नहीं कह रहा है कि इसका अर्थ यह लिया जा रहा है कि वे कुछ कह रहे हैं मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ।

महोदय मैं आपके निर्णय का पालन कर रहा था। मैं बोलने के लिए अनेक बार अपने स्थान पर खड़ा हुआ परन्तु आपके कहने पर बैठ गया। मैं समझता हूँ कि आप अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए मुझे बोलने का अवसर देंगे।

सभापति महोदय : मेरे लिए सभी दल समान हैं। मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि किसी दल के विरुद्ध आरोप लगाये जायें। अब स्थिति यह है कि लोकसभा सचिवालय द्वारा एक

परिपत्र जारी कर के संसद् सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के अन्तर्गत एक मद (ग) जोड़ दिया गया है जिसमे यह कहा गया है कि किसी भी सदस्य को नियम 351 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के रूप में वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी जा सकती जबतक कि उसको इस बारे में काफी पहले लिखित रूप में अध्यक्ष महोदय को न दे दिया जाये और अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त न कर लिया जाये ।

दूसरे आधे घंटे की चर्चा के लिए अन्य मदों पर चर्चा के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से कुछ भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है । प्रक्रिया यह है कि नोटिस देने वाला सदस्य भाषण देगा और उसके बाद जिन सदस्यों ने नाम 'बैलेट' में आ जायेंगे उनको प्रश्न पूछने की अनुमति दी जायगी । इसके पश्चात् संबंधित मंत्री चर्चा का क्या उत्तर देंगे । अतः मुझे खेद है कि मैं आपको अवसर प्रदान नहीं कर सकता अब मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह चर्चा का उत्तर दें ।

Shri Shashi Bhushan : The Half-an-hour discussion should not be made use of assassination of character of fellow Members. Keeping in view this fact you may allow them an opportunity.

श्री मुहम्मद इस्माइल : मैं सभी आरोपों का खंडन करता हूं ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं सर्व प्रथम विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए मामलों का उत्तर दूंगा और फिर उसके पश्चात सभा को उन तथ्यों से अवगत कराऊंगा जोकि हमारे पास हैं ।

जिस दल के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं उसको यहां पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है और कुछ समय पूर्व तक उसकी राय में सरकार की भी तस्कारों के विरुद्ध कार्यवाही करना तथा उनको पकड़ने आदि का काम सीमा-शुल्क विभाग कुछ और इससे स्थानीय पुलिस का कोई सम्बन्ध नहीं है । सीमा शुल्क अधिकारी किसी भी तस्कर व्यापारी को पकड़कर उसके विरुद्ध मुकदमा चला सकते हैं । तस्करी को रोकने का काम सीमा-शुल्क अधिकारियों का है ।

यह कहना गलत है कि केरल में चूंकि मुस्लिम लीग का सदस्य गृह-मंत्री है इसलिए वहां पर तस्करी आरम्भ हो गई है । अतः मैं इस आरोप का पूरी तरह खंडन करता हूँ । इस मामले में केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्री को अंतर्ग्रस्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । शायद माननीय सदस्य उन मंत्रियों का उल्लेख कर रहे थे जो केरल मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करते थे ।

श्री स० कुन्दू : मैंने केवल मंत्री शब्द का प्रयोग किया था । इसके अतिरिक्त कुछ नहीं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि इस मामले में कोई मंत्री अन्तर्ग्रस्त है । अतः यह आरोप पूर्णतया निराधार है । दूसरा आरोप यह लगाया गया था कि केरल में होने वाले आगामी चुनावों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग संयुक्त मोर्चा बना रहे हैं । इस समय ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । मुझे आशा है कि इस सभा के माननीय सदस्य इस आरोप को गम्भीरता से नहीं लेंगे ।

श्री ई० के० नायनार : कालीकट में चल रही तस्करी की इस गम्भीर जालसाजी के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस वाद-विवाद में निराधार आरोप लगाये गये हैं। श्री कंवर लाल गुप्त ने यह भी कहा है कि राज्यपाल ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा है जिससे इस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं। मैं इसका भी खंडन करता हूँ।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या केरल के राज्यपाल से इस प्रकार का कोई पत्र प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री उसको सभा पटल पर रखेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : केरल के राज्यपाल से हमें कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इस समय मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध है यह मैं उसके आधार पर कह रहा हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : 'इस समय' से उनका क्या तात्पर्य है ?

सभापति महोदय : प्रत्येक वाक्य के पश्चात् प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुस्लिम लीग की गतिविधियां, इसके इतिहास, उसके द्वारा पहले किया गया कार्य तथा इस समय किया जा रहा तथा भविष्य में उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य का भी उल्लेख किया गया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे मामलों के बारे में यहां पर बोलने की अनुमति दी जाती है। यह चर्चाधीन मामले से भी असंबन्धित है। हो सकता है कि किसी तस्कर का किसी व्यक्ति से सम्बन्ध हो परन्तु उससे कोई निष्कर्ष निकालना अथवा उसको वक्तव्य का आधार बनाना ठीक नहीं है। मुझे आशा है कि भविष्य में सभा में ऐसी बातों का उल्लेख नहीं किया जायेगा।

श्री प० गोपालन (तेल्लीचेरी): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री मर्यादा के राजनैतिक पहलू के बारे में कह रहे हैं परन्तु हमें केरल में एक राजनीतिक दल विशेष की गतिविधियों के बारे में चिन्ता है। उसके विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। ये आरोप केरल में अनेक समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं कि यह दल बड़े पैमाने पर तस्करी कर रहा है— **(व्यवधान)**

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड) : मंत्री महोदय ने इसका खंडन किया है।

श्री प० गोपालन : हम जानते हैं कि केरल में मुस्लिम लीग का खजांची एक बदनाम तस्कर है। श्री बफाक्की थोकला का पुत्र गिरफ्तार किया गया था। सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा उसके गोदाम की तलाशी ली गई थी। हम माननीय मंत्री से इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहते हैं कि क्या यह संगठन तस्करी में अन्तर्ग्रस्त है अथवा नहीं ?

श्री एम० मुहम्मद इस्माइल : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : अब व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं लिया जायेगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरे विचार में यहां पर जो आरोप लगाये हैं वे राजनीति उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लगाये गये हैं उनका कोई आधार नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : On a point of order. The hon. Minister has just stated that allegation have been levelled with political motives. It means he is challenging our bonafide. You must ask him to withdraw these words.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने यह कहा है कि मुझे लगता है कि आरोप राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लगाये गये हैं।

श्री ई० के० नायनार : क्या उनके गोदाम की तलाशी ली गई थी। उनके दल का मुस्लिम लीग से गठजोड़ है। इसीलिए वह इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : माननीय मंत्री ने जिस प्रकार उत्तर दिया है उससे प्रतीत होता है कि उनमें जिम्मेदारी का अभाव है। वह सभा का अपमान कर रहे हैं।

सभापति महोदय : सभी एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं। इस तरह सभा की कार्यवाही किस प्रकार चल सकती है?

श्री म० ला० सोंधी : हम आप के शब्दों की सराहना करते हैं। आपने कहा है कि किसी को भी श्री इस्माइल की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। माननीय मंत्री को अपने शब्द वापस लेने चाहिए।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : माननीय मंत्री केवल तथ्यों का उल्लेख कर रहे थे। आप उससे क्षुब्ध क्यों हो रहे हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : वांचू समिति का सम्बन्ध मुख्यतः प्रत्यक्ष करों से हैं। इसका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है।

हमने जुलाई, कुवैत, हांगकांग, सिंगापुर तथा अन्य स्थानों पर राजस्व आसूचना के बारे में कुछ प्रबन्ध किये हैं। उनका ब्यौरा यहां देना हमारे हित में नहीं होगा। हम यथासंभव सूचना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

एक प्रश्न यह किया गया था कि मैं मुस्लिम लीग को साम्प्रदायिक संगठन समझता हूँ अथवा नहीं? हम मुस्लिम लीग को साम्प्रदायिक संगठन समझते हैं।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : जनसंघ के बारे में आपका क्या विचार है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जनसंघ भी साम्प्रदायिक संगठन है। (व्यवधान) मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमें इसमें किस राजनीतिक दल का हाथ होने का पता नहीं है। यह तस्करी का एक साधारण मामला है और संबंधित व्यक्ति पर तस्कर होने का सन्देह है। जांच पड़ताल जारी है जांच पड़ताल में राजनैतिक विचारों को प्रभावित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री कंवर लाल गुप्त : कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है?

श्री प० गोपालन : क्या आपने बफाक्की को बन्दी बनाया है?

श्री एम० मुहम्मद इस्माइल : उसके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है। मैं उनको चुनौती देता हूँ कि वह अपनी जानकारी संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखें।

श्री प० गोपालन : हमारे समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ है हम चुनौती को स्वीकार करते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस बात को संदिग्ध व्यक्ति का किसी से सम्बन्ध है उचित तथा निष्पक्ष जांच में बाधा नहीं बनने दिया जायेगा ।

हमने तस्करी की रोकथाम के लिए व्यापक प्रबन्ध किये हैं और तस्कर-विरोधी उपायों को और अधिक सख्त किया जा रहा है । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य तस्करी-विरोधी उपायों में भी उतनी ही रुचि लें जितनी वे इस चर्चा में ले रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री म० ल० सोंधी : माननीय मंत्री चाहते हैं कि हम इस में रुचि लें । श्री शशि भूषण उनसे अच्छे मंत्री सिद्ध हो हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों को तस्करी संबंधी गतिविधियों तथा तस्करों के बारे में यदि कोई सूचना मिलती है तो वे तुरन्त उसे हमारे पास पहुंचा देंगे ।

बफाक्की के अतिरिक्त पांच अन्य व्यक्ति को जोकि नौका में हों. गिरफ्तार किया गया है ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 10 अगस्त, 1970/20 श्रावण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, 11th August, 1970/Sravana 20, 1892 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers, 20 Darya Ganj, Delhi-6.